अष्टम माला, खंड 15, अंक 28

शुक्रवार, 4 अप्रैल, 1986
14 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद–विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवां-सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 15 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 15 पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 28, शुक्रवार, 4 अप्रैल, 1986/14 चैत्र, 1908 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1-23
* तारांकित प्रश्न संख्या :	525,557 से 561, 563 566 और 567	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या :	556, 564, 565 और 568 से 575	23-30
अतारांकित प्रश्न संख्या :	5255 से 5314, 5316 से 5436, 5438 से 5469 और 5471 से 5491	31-198
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		198-208
विधेयकों पर अनुमति		208-209
लोक लेखा समिति		209
25वां तथा 37 वां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत किये गये**		209
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		209-215
चौथा प्रतिवेदन—**प्रस्तुत किया गया**		
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण		215
पटसन उद्योग में कथित संकट		215
श्री आनन्द पाठक		215
श्री खुर्शीद आलम खां		215
श्री सैफुद्दीन चौधरी		218
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया		220
श्री अजय विश्वास		221
श्री सुरेश कुरूप		223

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	228
(एक) जोधपुर अहमदाबाद मीटरगेज लाइन पर एक अति तीव्रगामी रेलगाड़ी चलाने और यात्रियों को राजस्थान में मानक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री मूल चन्द डागा	228-229
(दो) आन्ध्र प्रदेश के काकीनाडा नगर में सभी डाकघरों में तार की सुविधायें पुनः प्रदान करने का प्रस्ताव	
श्री गोपाल कृष्ण थोटा	229
(तीन) केन्द्रीय रिजर्व बैंक पुलिस बल में सेवारत डाक्टरों के लिए संवर्ग पुनरीक्षा प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की आवश्यकता	
श्री सोमनाथ रथ	229
(चार) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में मुनाकोटा को वायुदूत सेवा से जोड़ने की आवश्यकता	
श्री हरीश रावत	230
(पांच) दिल्ली में पेयजल की आवश्यकता पूरी करने के लिए शाहदरा तथा हैदरपुर से जल की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता	
श्री भरत सिंह	230
(छः) दरभंगा-समस्तीपुर तथा साकरी-हसनपुर के बीच क्रमशः बड़ी और मीटर गेज रेल लाइनों का निर्माण करने की आवश्यकता	
श्री राम भगत पासवान	230
(सात) गोवा में नाविक भर्ती केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री शान्ता राम नायक	231
(आठ) विभिन्न कीटनाशी औषधियों का प्रयोगशाला में परीक्षण करने के लिए एक प्रवर्तन करने की आवश्यकता	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	231
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87	232-259
ऊर्जा मंत्रालय—(जारी)	
श्री अनन्त प्रसाद सेठी	232
श्रीमती जयन्ती पटनायक	233
श्री अनिल बसु	236
श्री दामोदर पांडे	240

विषय	पृष्ठ
श्री एन० डेनिस	245
श्री एन० सुन्दरराजन	248
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	249
श्री के० मोहनदास	252
श्री विजय एन० पाटिल	253
डा० प्रभात कुमार मिश्र	255
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी	258
श्री मोतीलाल सिंह	259
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	259
सोलहवां प्रतिवेदन	
विधेयक—पुर:स्थापित	260
(एक) संघ राज्य-क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक	
(धारा 44 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)	
श्री शांताराम नायक	260
(दो) भारतीय दंडसंहिता (संशोधन) विधेयक	
(नई धारा 298 (क) और 298 (ख) का अन्त:स्थापन)	
श्री शांताराम नायक	260
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक	
(नये अनुच्छेद 44 क का अन्त:स्थापन)	
श्री शांताराम नायक	261
संविधान (संशोधन) विधेयक	261
(नये अनुच्छेद 16 क का अन्त:स्थापन, आदि)—" **वापस लिया गया**	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सोमनाथ चटर्जी	261
श्री शरद दिघे	264
श्री अनूप चन्द शाह	265
श्री थम्पन थामस	267
कुमारी ममता बनर्जी	272
श्री अनादि चरणदास	273

विषय	पृष्ठ
श्री कमोदीलाल जाटव	274
श्री एच० आर० भारद्वाज	275
श्री जी० एम० बनातवाला	282
वापस लेने के लिए प्रस्ताव	
श्री जी० एम० बनातवाला	283
बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक (धारा 2 का संशोधन आदि)	287-296
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री अजित कुमार साहा	287
डा० फूलरेणु गुहा	292
थम्पन थामस	294

लोक सभा

शुक्रवार, 4 अप्रैल, 1986/14 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम को किराए पर देने के लिए प्राइवेट पार्टियों द्वारा गोदामों का निर्माण

* 555. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने प्राइवेट पार्टियों को गोदामों का निर्माण करने और उन्हें निगम को किराये पर देने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और यह योजना कौन-कौन से राज्यों में लागू की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम ने प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से 25 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करवाने की एक योजना का विज्ञापन दिया है। इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं—

(1) किसी स्थान विशेष पर प्राइवेट पार्टियों द्वारा निर्मित की जाने वाली न्यूनतम क्षमता 5,000 मीटरी टन अथवा उसका गुणत्र होगी।

(2) पार्टियों का भूमि पर वास्तविक अधिकार होना चाहिए और उस पर स्पष्ट अभिधान होना चाहिए।

(3) रेल-शीर्ष/मंडियों/भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान डिपुओं से स्थान की दूरी को ध्यान में रखकर उपयुक्त स्थान पर भूमि होनी चाहिए और वह ब्राड गेज पर अथवा उसके निकट

होनी चाहिए, जोकि पूरे अथवा आधे रैकों को हैंडल करने के लिए रेलवे साइडिंग सुविधाओं से लैस होनी चाहिए।

(4) पार्टियों को अनुमानित निर्माण लागत का कम से कम 25 प्रतिशत धन लगाना होगा और शेष 75 प्रतिशत लागत के लिए वे बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(5) भारतीय खाद्य निगम की विनिर्दिष्टियों, डिजाइनों और ले-आउट प्लान के अनुरूप निर्माण किया जाएगा।

(6) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के अधिभोग की शुरू में 5 वर्षों की अवधि के लिए गारंटी दी जाएगी और बाद में भारतीय खाद्य निगम की इच्छा पर इसे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

(7) 10,000 मीटरी टन तक के गोदाम के लिए निर्माण की अनुमेय अवधि 9 महीने होगी और इससे अधिक क्षमता के गोदामों के लिए यह अवधि 12 महीने होगी, जोकि भारतीय खाद्य निगम के साथ किए गए करार की तारीख से प्रभावी होगी।

(8) भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय किराया ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के मामले में 1.00 रु० प्रति वर्ग फुट प्रतिमास और शहरी क्षेत्रों में गोदामों के लिए 1.15 रु० प्रति वर्ग फुट प्रति-मास होगा।

इस योजना के अधीन लाए जाने वाले राज्य/संघ शासित प्रदेश हैं—आन्ध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल।

श्री जगन्नाथ पटनायक : 31 जनवरी, 1986 तक खरीदे गए खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम की कुल भंडारण क्षमता कितनी है और निगम साल में कुल कितने खाद्यान्न की खरीद करता है? कम से कम 1983-84 और 1984-85 के आंकड़े दिए जाएं।

श्री ए० के० पांजा : हम पहली जुलाई 1984 को ले रहे हैं क्योंकि उसी समय सबसे अधिक खरीद की जाती है। एक जुलाई, 1984 को स्टाक 224.8 लाख टन था और 85% उपयोग पर 264.5 लाख टन भंडारण क्षमता की जरूरत थी पर भंडारण क्षमता केवल 226.5 लाख टन थी। अन्तर 38 लाख टन का रहा। इसी तरह पहली जुलाई 1985 को कुल स्टाक 286.5 लाख टन था। 85% उपयोग पर 337 लाख टन भंडारण क्षमता की जरूरत थी लेकिन भंडारण क्षमता केवल 238.1 लाख टन थी। अन्तर 98.9 लाख टन का रहा। पहली जुलाई 1986 को संभावित कुल स्टाक 286.5 लाख टन का है। 85% उपयोग पर 337 लाख टन भंडारण क्षमता की जरूरत है। भंडारण क्षमता 255 लाख टन होगी। आशा है कि अन्तर 82 लाख टन होगा।

श्री जगन्नाथ पटनायक : इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध अतिरिक्त खाद्यान्न या स्टाक को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं?

श्री ए० के० पांजा : इस समय किए गए प्रबन्ध इस प्रकार हैं : भारतीय खाद्य निगम 11.2 लाख टन खाद्यन्न को सुरक्षित रखने के लिए भण्डारण क्षमता तैयार कर चुका है। यह

क्षमता हमें 31 मार्च, 1986 तक उपलब्ध हो जाएगी । 1.720 लाख टन भंडारण क्षमता का अभी निर्माण किया जा रहा है । कुल मिलाकर यह 28.4 लाख टन होगी । लेकिन इससे अन्तर को पाटा नहीं जा सकेगा ।

ये आंकड़े मैंने छतदार भंडारण के बारे में दिए हैं । हम छतदार तथा प्लिथ (कवर्ड एंड प्लिथ स्टोरेज) भंडारण क्षमता भी तैयार कर रहे हैं, जिसे संक्षेप में "सी० ए० पी०" कहा जाता है, ताकि जो खाद्यान्न छतदार भंडार में नहीं रखा जा सका उसे यथा संभव वैज्ञानिक तरीके से रखा जा सके । इसके अलावा हमने बहुत से उपाय किए हैं । पहला, निर्गम में ढील देकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं । दूसरे, रोलर फ्लोर मिलों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने की और लाइसेंस क्षमता का 150% तक उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है । तीसरे, निजी व्यापारियों और भारतीय खाद्य निगम को भी गेहूं और गेहूं से बनी वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है । चौथे गेहूं के खुले व्यापार के लिए स्टाक सीमा और उसे लाने-ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं । पांचवें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करने वाले लोगों को दिए जाने वाले गेहूं की मात्रा एक किलो से बढ़ाकर दो किलो कर दी गई है । इस गेहूं का रियायती मूल्य 1.50 रुपए प्रति किलो है जबकि भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकारों को गेहूं 1.90 रुपए प्रति किलो के केन्द्रीय निगम मूल्य पर जारी करता है ।

छठें, आदिवासी क्षेत्रों को भी विशेष रियायती मूल्य पर खाद्यान्न दिया जा रहा है ।

अन्तिम, भारतीय खाद्य निगम को 31-3-86 तक 193 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित मूल्य पर गेहूं बेचने की अनुमति दे दी गई है । खाद्यान्न के स्टाक में कमी करने के लिए ये कुछ उपाय किए गए हैं ।

श्री शरत देव : मैंने मंत्री जी के विवरण को पूरी तरह से पढ़ा है । उन्होंने निजी लोगों को 5000 टन खाद्यान्न के भंडारण के लिए गोदाम बनाने की अनुमति दे दी है । अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि 25% धन की व्यवस्था मालिक करेगा और 75% स्टेट बैंक देगा । साथ ही उनका कहना है कि वह शहरी क्षेत्रों में प्रति वर्ग फुट 1 रुपए किराया दे रहे हैं और गोदामों को 5 साल के लिए किराए पर लिया जाएगा । अगर इतनी बड़ी इमारत को केवल 5 साल के लिए लिया जाएगा तो क्या वह व्यक्ति स्टेट बैंक से लिया गया ऋण चुकता कर सकेगा ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने जा रही है ? अगर गोदाम ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए तो प्रति वर्ग फुट क्या दर होगी ?

श्री ए० के० पांजा : शायद माननीय सदस्य ने पूरे विवरण को नहीं पढ़ा है । ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रति वर्ग फुट 1 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1.15 रुपये प्रति वर्ग फुट है । जहां तक बैंक ऋणों का संबंध है, पांच साल गोदामों का इस्तेमाल करने की गारंटी दी गई है और भारतीय खाद्य निगम के विकल्प पर इस अवधि को दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है । हमने इसका हिसाब लगा लिया है । उपयुक्त किराया प्रति फुट 96 पैसे बनता है पर हम ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें एक रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में इससे 15 पैसे अधिक दे रहे हैं, क्योंकि गोदाम मालिक को नगर

पालिका को करों का भुगतान करना होता है। कुछ आवेदकों ने प्रश्न उठाया है कि क्या यह व्यवहार्य रहेगा। हमने इसका इस तरीके से हिसाब लगाया है। भारतीय खाद्य निगम की विनिर्दिष्टियों पर तैयार किए गए ये गोदाम तीस वर्ष तक काम में लाए जा सकते हैं। 25% धनराशि उनकी अपनी होगी और 75% धनराशि उन्हें ब्याज की आसान दरों पर बैंक से ऋण के तौर पर मिलेगी। परिसम्पत्ति का मूल्य ह्रास तो होगा पर उसका बाजार भाव भी बढ़ेगा। अगर पांच साल बाद गोदाम का इस्तेमाल नहीं भी किया गया तो भी गोदाम मालिक को पूंजीगत परिसम्पत्ति मिलेगी जिसका इस्तेमाल अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसीलिए हमें यह उपयुक्त लगा।

श्री सोमनाथ रथ : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम प्रति क्विंटल गेहूं और चावल के भंडारण के लिए सालाना कितनी धनराशि वसूल कर रहा है और वह प्रति क्विंटल गेहूं और चावल के लिए सालाना कितना प्रबन्ध शुल्क वसूल कर रहा है ?

श्री ए० के० पांजा : यह एक अलग सवाल है। इसके लिए मुझे नोटिस की जरूरत है।

श्री सी० माधव रेड्डी : अभी अभी मंत्री जी ने कहा कि अन्तर 82 लाख टन का है। इसमें से 25 लाख टन क्षमता निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को कहा जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि शेष अंतर को पाटने के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाने के बारे में विभाग की क्या योजनाएं हैं ?

श्री ए० के० पांजा : सातवीं योजना में हमने योजना आयोग से अनुरोध किया था कि वह निर्माण कार्य करने के लिए हमें 500 करोड़ रुपए से कुछ अधिक धनराशि दे पर आयोग ने इसके लिए केवल 240करोड़ रुपए से कुछ अधिक धनिराशि की ही मंजूरी दी। लेकिन इस धनराशि से भी हम अंतर को नहीं पाट सके हैं और इसी लिए सी०ए० पी० प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, समस्या अधिक खाद्यान्न की है क्योंकि 1984 से गेहूं और चावल का अधिक उत्पादन हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा होता रहे। इसीलिए हम दो उपाय कर रहे हैं। पहला तो यह है कि जैसा कि आज पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन, राज्य वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन और निजी पार्टियों द्वारा स्थायी भंडारों का निर्माण किया जाएगा। दूसरे हम इन वस्तुओं का बेहतर ढंग से वितरण कर रहे हैं ताकि यह आदिवासियों, दूध पिलाने वाली माताओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों जैसे सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अब तक तमिलनाडु के लिए कितने गोदामों की स्वीकृति दी गई है।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, तमिलनाडु में इस समय मौजूद गोदामों की संख्या के संबंध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन अब तक योजना के लिए 81 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और सभी 81 आवेदकों ने पेशगी जमा करा दी है। इन आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सैक्टर में एफ० सी० आई० के कितने गोदाम हैं, खासतौर से आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, देवरिया,

गोरखपुर, बस्ती, जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर, गोंडा, फैजाबाद में क्या कोई गोदाम है ? यदि नहीं है तो उसका क्या कारण है ? यह भी बताएं कि क्या कारण है कि प्राइवेट सेक्टर के सारे गोदाम पंजाब और हरियाणा में ही हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हैं ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के बारे में स्पष्ट उत्तर देना संभव नहीं है लेकिन माननीय सदस्य चाहें तो मैं जानकारी सप्लाई कर दूंगा ।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : कोई है ही नहीं । मेरा कहना है कि वहां कोई गोदाम नहीं है । क्यों नहीं है, यही प्रश्न है ।

[अनुवाद]

एक गोदाम तक क्यों नहीं है ? वहां यह विषमता क्यों है ?

श्री ए० के० पांजा : महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, इस नई योजना के लिए 127 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें से 32 आवेदकों ने पेशगी धनराशि जमा नहीं कराई है ।

माननीय सदस्य के संतोष के लिए मैं इसकी जांच करूंगा कि इन 127 में से कितने पात्र होंगे तथा पूर्वी भाग में कितने होंगे ।

श्री थम्पन थामस : महोदय, मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूं वह यह है कि एफ०सी०आई० द्वारा सीधे कुछ राज्यों विशेष रूप से केरल में कुछ 'सब डिपों' चलाए जाते हैं । अब उन्हें समाप्त किया जा रहा है और निजी पार्टियों को दिया जा रहा है । मद्रास, विशाखापट्टनम और कांडला में भी 6000 कर्मचारी थे जो सीधे भारतीय खाद्य निगम के अन्तर्गत कार्यरत थे जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी थीं और निजी ठेकों पर काम दिया जा रहा है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह भारतीय खाद्य निगम की पूरी कार्यप्रणाली को कब पेश करने जा रहे हैं ।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, इसके लिए अलग से प्रश्न पूछा जाना चाहिए ताकि मैं माननीय सदस्य को जबाव दे सकूं क्योंकि यह बात इस स्कीम से नहीं उठती है ।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का कोई जबाव नहीं है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही पूछ लिया है और आपको जबाव मिल गया है । फिर से इसे मत पूछिए······ **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, मेरे प्रश्न का जबाव नहीं दिया गया है । यह बड़ी गलत परम्परा होगी कि सवाल पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूछा जाए और जबाव तमिलनाडु का दिया जाये । हम आपका संरक्षण चाहते हैं, अगर आप संरक्षण नहीं देंगे तो हम लोगों की कौन रक्षा करेगा । मेरे प्रश्न का जवाब अवश्य मिलना चाहिए···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी सीट लें। आपने पहले ही प्रश्न पूछ लिया है और मंत्री जी ने जबाव दे दिया है। अब कोई बात नहीं है। कार्यवाही-वृतांत में कुछ नहीं जाएगा।

(व्यवधान)**

उत्पाद-शुल्क सम्बन्धी मामलों का न्यायालयों में लंबित होना

*557. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पाद-शुल्क संबंधी अनेक मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामले कितने हैं और उनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्पाद-शुल्क के मामलों की संख्या में वृद्धि होने का एक मुख्य कारण यह है कि इनके द्वारा करदाताओं को उत्पाद-शुल्क के भुगतान के लिए मोहलत मिल जाती है; और

(घ) क्या आदेश की तिथि से सरकार उत्पाद-शुल्क की राशि पर ब्याज वसूल कर रही है अथवा कोई अन्य कार्यवाही की जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) दिनांक 31-12-1985 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचाराधीन पड़े उत्पादन शुल्क के मामलों की कुल संख्या 7158 थी। अनेक मामले शुल्क की दर, मूल्यांकन से संबंधित हैं और कुछ मामलों में यह निर्धारित किया जाना है कि उत्पाद पर शुल्क लगता भी है अथवा नहीं। इसलिये, अंतर्ग्रस्त राजस्व की ठीक-ठीक मात्रा बता पाना तब ही संभव होगा जब न्यायालय में विचाराधीन पड़े मामलों में फैसला हो जाएगा।

(ग) और (घ) : हाल के वर्षों में, सरकार के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करने और स्थगन आदेश लेने की की प्रवृत्ति बढ़ती रही है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून में ऐसा उपबंध नहीं है जिसके तहत पार्टियों से प्राप्त होने वाली रकमों पर ब्याज वसूल किया जा सके। लेकिन, जिन मामलों में पार्टियां यह अनुरोध करती हैं कि उन्हें किश्तों में अदायगी करने की सुविधा दी जाए, उनमें प्रत्येक महीने के अन्त में बाकी पड़ी देय रकमों पर प्रतिवर्ष 17.5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है।

श्री एस० जी० घोलप : महोदय, उन्होंने जवाब दिया है कि मूल्यांकन नहीं दिए जा सकते क्योंकि न्यायालय द्वारा इस पर निर्णय किया जाएगा। परन्तु अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। अतः मेरा यह प्रश्न है। अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मूल्यांकन क्या है ?

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा कि मैंने बताया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लगभग 7158 मामले विचाराधीन पड़े हैं। इनमें लगभग 2029 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि लगी हुई है।

श्री एस० जी० घोलप : क्योंकि ब्याज नहीं लिया जाता है इसलिए जो व्यक्ति न्यायालय जाता है उसे लाभ मिलता है जबकि जो व्यक्ति भुगतान करता है उसे हानि उठानी पड़ती है। अतः अधिनियम में तदनुसार संशोधन करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

श्री जनार्दन पुजारी : यह सच है कि ब्याज लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी ऐसे मामलों में जहां किस्तों में भुगतान की सुविधा के लिए पार्टियां अनुरोध करती हैं, वहां महीने के अन्त में बकाया देय राशि पर 17.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। मैंने माननीय सदस्य द्वारा बताए गए सुझाव को नोट कर लिया है।

"मोडवाट" का मोटर गाड़ी उद्योग पर प्रभाव

*558. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि "मोडवाट" योजना लागू किये जाने और उत्पाद शुल्क में वृद्धि किये जाने से मोटरगाड़ी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्योग को सहायता देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क), (ख) और (ग) : 1986 के बजट प्रस्तावों के भाग के रूप में, ईंधन मितव्ययी और गैर-ईंधन मितव्ययी मोटर कारों, जीपों और वेनों पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त मोटर वाहनों के ढांचों (बाड़ी) के निर्माण पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है।

2. माडवेट योजना के अन्तर्गत निविष्टि पर शुल्क की राहत को हिसाब में लेकर मोटर गाड़ियों पर उत्पादन शुल्क की दरों को, शुल्क के ढांचे में निकटतम सोपान पर पूर्णांकित करते हुए, उनमें उचित समायोजन भी किए गए थे। उदाहरण के लिए उत्पादन शुल्क की विभिन्न दरों को, जैसे 15.75% और 21% जो मध्यम/भारी वाणिज्यिक गाड़ियों और हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों पर लागू थी, पूर्णांकित करके मूल्यानुसार 20% कर दिया गया था।

3. इस सम्बन्ध में आटोमोबाइल उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उद्योग को राहत देने के उपायों में लघु-उद्योग छूट योजना के तहत छूट सीमा को बढ़ाना फुटकर कार्य के लिए छूट और अन्त्य उत्पाद के निर्माण में कारखाने में प्रयुक्त निविष्टियों पर राहत देने के उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि मॉडवेट योजना लागू किए जाने से और उत्पादन शुल्क में वृद्धि किये जाने से मोटर गाड़ी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्तर में केवल यह बताया है कि आटोमोबाइल उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। माडवेट

योजना से और उत्पादन शुल्क में वृद्धि किए जाने से मोटर-गाड़ी उद्योग में घबराहट उत्पन्न हो गई है, इसके साथ ही मोटर गाड़ियों और उसके पूर्जों की क्लीयरेंस पर असर पड़ा है। क्या सरकार ने इस बारे में कोई कदम उठाया है या कोई ऐसी मीटिंग वित्त मंत्री जी मोटर उद्योग के साथ करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : हमें संबंधित उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। हम इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, जहां तक लघु उद्योगों का संबंध है हमने केवल कल ही चैसिस की कीमत हटा ली है।

[हिन्दी]

श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : ट्रकों और बसों की बाड़ी के ऊपर पहली बार 20 परसेंट शुल्क लगाया गया है जिससे बसों और ट्रकों की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी होगी। इससे आम जनता पर बोझ पड़ेगा। बसों की बाड़ी बनाने पर खर्चा लगभग 1 लाख रुपए पड़ता है। क्या इसकी कीमत कम करने के लिए भी कोई कदम उठाया जा रहा है ?

[अनुवाद]

श्री जर्नादन पुजारी : मैंने मुख्य उत्तर में इसे स्पष्ट रूप से बता दिया है। यदि माननीय सदस्य कृपया मुख्य उत्तर को ध्यानपूर्वक देखें तो उन्हें इसका उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। मैं अब इसको दोहराना नहीं चाहता हूं।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : प्रश्न के पहले भाग में कहा गया है "क्या सरकार को यह जानकारी है कि "मोडवेट" योजना लागू किए जाने और उत्पाद शुल्क में वृद्धि किए जाने से आटोमोबाइल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है" और उसके लिए मंत्री महोदय ने सीधा उत्तर नहीं दिया है। मंत्री द्वारा अन्य उत्तर दिए जाने से हमें इस बात का पता चलता है कि मोटर कार उद्योग, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस मोडवेट योजना लागू होने से टायर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसने टायर उद्योग को कोई राहत दी है क्योंकि टायर उद्योग के वास्तविक संघटक पर भी उत्पाद शुल्क लगता है। फिर उत्पादन पूर्ण करने के बाद में फिर टायर पर उत्पाद शुल्क लगता है। क्या मोडवेट ने टायर उद्योग की सहायता की है ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री जनार्दन पुजारी : निर्माण की लागत को कम करने के लिए मोडवेट योजना को शुरू किया गया है। इस मोडवेट प्रणाली के बारे में क्योंकि अब विवाद है अतः यह अधिक अच्छा होगा यदि मैं संदेहों को भी दूर कर दूं। अतः मोडवेट एक ऐसी प्रणाली नहीं है, जिसे अब शुरू किया गया है। केवल नया नाम दिया गया है। पहले एक अलग नाम के अन्तर्गत यह प्रणाली चालू थी। वह फोफार्मा क्रेडिट आफ ड्यूटी स्कीम थी अब, नाम में परिवर्तन किया गया है। इस योजना के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है और इसमें ढील दी गई है। कुछ लोग यह कहते हुए इसकी आलोचना कर रहे हैं कि उद्योग के हित में यह हानिकारक है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इसके विपरीत कुछ उद्योगों ने इसका स्वागत किया है। जहां तक मोडवेट का संबंध है— मैं आप की बात पर अभी आ रहा हूं —इस नई योजना के अन्तर्गत वे करों से बच नहीं सकते। वे दिये गए शुल्क के दस्तावेजों को छिपा नहीं सकते और वे चुंगी के भुगतान से बच नहीं सकते है। वे

आयकर तथा बिक्री कर के भुगतान से बच नहीं सकते और यह काले धन के विरुद्ध एक कदम है। यह काले धन को बढ़ने से भी रोकता है। अब, कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति की है कि वे इसी योजना के अन्तर्गत प्राप्त लाभों को समझने से मना करते हैं। मोडवेट के द्वारा किसी उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु उसी के साथ ही हमने तैयार माल पर शुल्क लगाया है। उसके कारण कुछ मामलों में अतिरिक्त साधनों को जुटाने के लिए उपाय किए हैं तथा अधिक राजस्व एकत्र करने के लिए कुछ शुल्क लगाए हैं। यदि यह टायर उद्योग के अन्तर्गत भी आता है तो हम इसकी सहायता नहीं कर सकते हैं······

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : टायर उद्योग को मोडवेट के अन्तर्गत राहत मिलने की आशा है क्योंकि इसका प्रत्येक संघटक पर उत्पाद शुल्क लगता है।

श्री जनार्दन पुजारी : जब कभी उत्पाद शुल्क की अदायगी की जाती है और जब वे अध्याय 37 के अन्तर्गत आते हैं तो उनके लिए लाभ उपलब्ध होगा। और आपके सुझाव के बारे में, मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री बी० के० गढ़वी : महोदय, बजट को प्रस्तुत करते समय नई योजना अर्थात मोडवाट को शुरू करने की घोषणा की गई थी और उस समय यह बताया गया था कि तैयार उत्पादों के मूल्यों के गिरने की आशा है। परन्तु अनुभव कुछ और ही है। लेकिन मेरा यह मुद्दा नहीं है।

मेरा मुद्दा यह है कि इस मोडवेट योजना के संबंध में जहां तक उत्पाद शुल्क का प्रश्न है कि मूल आयातक या कच्चे सामान का निर्माता शुल्क की अदायगी करता है और थोक विक्रेता को सामान भेजता है तथा तब इसके बाद थोक विक्रेता अन्य छोटे थोक विक्रेता को भेजता है इस प्रकार इस बीच 6 या 7 एजेंसिया लगी हुई होती हैं और इसलिए थोक विक्रेता उत्पाद तथा अन्य चीजों के कुछ वैद्य दस्तावेजों के साथ भेज सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री बी० के० गढ़वी : इसके बीच में 5 या 6 एजेंसिया लगी हुई होती हैं और उनके पास उत्पाद शुल्क के भुगतान सम्बन्धी वैध कागजात नहीं होते हैं तथा इसलिए अन्त में इन 5 या 6 एजेंसियों के बीच में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या उत्पाद शुल्क का कोई अपवंचन हुआ है। इस पर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पर विचार किया है और व्यावहारिक पहलू या व्यापार की जटिलताएं देखी हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा कि मैंने पहले कहा है कीमतों में वृद्धि 'मोडवाट' के कारण नहीं हुई है। मोडवाट के कारण कई वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं। इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हमने तैयार माल पर शुल्क लगाया है और उद्योग को जो लाभ दिया जाता है उसके बोझ को कम करने के लिए भी हमने तैयार माल पर शुल्क लगाया है। और उद्योग को लाभ दिया जाता है उसके बोझ को कम करने के लिए भी हमने तैय्यार माल पर शुल्क लगाया है सरकार यह ही नहीं मानती है कि 'मोडवाट' के कारण दूसरी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। जैसा कि मैंने कहा है कि उद्योग और व्यापार भी 'मोडवाट' के लाभों से अवगत हैं। इसके विपरीत अभी तक हमने इसके अधीन केवल 37 अध्यायों को सम्मिलित किया है। अब जिन उद्योगो की वस्तुओं को इनमें शामिल नहीं किया गया है वे अब कह रहे हैं कि हमारे उद्योगों पर भी मोडवाट लागू किया जाना चाहिए।

मुझे यह सूचना मिली है कि टायरों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है और वह 'मोडवाट' का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मोडवाट की वजह से ज्यादा गुंजाइश हो गई है। ईमानदार करदाता को अपने आप लाभ मिल जाता है। वह अपने आप शुल्क अदा कर देते हैं जिसका वह पहले से ही भुगतान कर चुके हैं। जो प्रणाली अपनाई गई है उसके अनुसार उन्होंने पहले से ही जिस शुल्क का भुगतान कर दिया है उसका लाभ उन्हें अपने आप ही मिल जायेंगे।

श्री पी० कुलन्दई वेलू : श्रीमन् मोडवाट का जहां तक संबंध है वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने कोई नया तरीका निकाला है। आप कराधान का वही सिद्धान्त अपना रहे हैं जो पिछले वर्ष अपनाया था। मैं यह कहूंगा कि 'मोडवाट' के नाम में आप पुराने तरीकों को नया रूप दे रहे हैं। यह 'मोडवाट' नहीं मेडवाट है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मोडवाट को लाकर आपने केवल आटोमोबाइल उद्योग में ही कठिनाइयां पैदा नहीं की हैं बल्कि 'पावर टिलर ट्रैक्टर और सभी उद्योग में कठिनाइयां पैदा की हैं। मैं आपको बताता हूं कि कल ही वित्त मंत्री जी ने 25 एच. पी. के ट्रैक्टरों से उत्पाद शुल्क हटाने की कृपा की थी लेकिन 'पावर टिलर' से शुल्क नहीं हटाया था। पावर टिलर का प्रयोग छोटे व सीमान्त किसानों द्वारा किया जाता है। इसे उत्पाद शुल्क से मुक्त किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या पावर टिलरों के मामले में कोई ऐसे कदम उठाए जायेंगे और इसे 'मोडवाट' से मुक्त किया जाएगा ?

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने कहा है कि यह 'मोडवाट' नहीं बल्कि 'मेडवाट' है। 'मेडवाट' कह कर इसकी कुछ आलोचना की गई है। अगर कुछ लोग इसे नहीं समझना चाहते हैं और इसे मेडवाट कहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। कुछ लोग शुल्क अदा नहीं करना चाहते वह सरकार को धोखा देना चाहते हैं। वह लोगों को करों का भुगतान न करके लाभ उठाना चाहते हैं।

अब जैसा कि मैंने कहा है इसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। पहले यह बहुत ही प्रतिबंधात्मक था और केवल 60 मदों पर लागू होता था अब इसे 500 समूहों पर जिनमें 2000 वस्तुयें आती हैं लागू कर दिया गया है। अब उस उद्देश्य के लिए, मोडवाट के शुरु करने के बाद करों की दरों का निर्धारित करने से 'कुछ' वस्तुओं के मूल्य कम हो गए हैं क्योंकि शुल्क तैयार माल पर कर लगाया जाता है··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह 'कुछ' कह रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : उदाहरण के लिए कपड़े धोने के साबुन पर कोई कर नहीं लगाया है। मूल्य कम हो गया है। लेकिन इसे बराबर करने के लिए आखिर हमें भी विकास कार्यों के लिए संसाधन प्राप्त करने हैं। माननीय सदस्य तमिलनाडु के बारे में बोलते हुए हमेशा कहते हैं कि उन्हें विकास कार्यों के लिए और अधिक धन चाहिए और उसके लिए भी अधिक धन की आवश्यकता है।

श्री पी० कुलन्दई वेलू : लेकिन आप क्या कर लगा रहे हैं···

श्री जनार्दन पुजारी : इसको बराबर करने के लिए हमें राजस्व प्राप्त करना है। हमने कुछ कर लगाए हैं : यहां माननीय ने बताया है···

श्री पी० कुलन्दई वेलू : मैंने पावर टिलर के बारे में पूछा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि क्या आप पावर टिलर को मुक्त करेंगे। केवल यही एक मुद्दा है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हू। यह माननीय सदस्य की आलोचना नहीं है क्योंकि यहां आलोचना की गई है। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। उसके सुझाव को हम नोट कर रहे हैं।

डा० के० जी० आदियोडी : क्या यह सच नहीं है सामान्य मूल्यों में वृद्धि प्रशासनिक मूल्यों के कारण हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका प्रश्न 'मोडवाट' से सम्बन्धित है या आप कोई दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं?

अब श्रीमती एन०पी० झांसी लक्ष्मी।

सिक्कों और करेंसी नोटों की जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

*559. **श्रीमती एन०पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया है कि सिक्कों तथा एक रुपये के नोटों की जमाखोरी करने वाले लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाये;

(ख) यदि हां, तो इस निदेश के अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्रों को भी ऐसे निदेश दिये गये हैं; और

(घ) संघ राज्य क्षेत्रों में, विशेषकर दिल्ली में सिक्कों और करेंसी नोटों की जमाखोरी के कितने मामले पकड़े गये हैं और कितने मामलों में दण्ड दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क), (ख) और (ग) सिक्कों की जमाखोरी रिपोर्टें हुई हैं। तदनुसार, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का ध्यान छोटा सिक्का (अपराध) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया गया है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जिसने उचित आवश्यकता से काफी अधिक मात्रा में गलाने अथवा नष्ट करने के उद्देश्य से छोटे सिक्के अपने कब्जे में रखे हों। अब तक चार राज्यों ने सिक्कों के जमाखोरों के विरुद्ध सफल छापों की सूचना दी है। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

	राज्य का नाम और स्थान	राशि
(i)	मेघालय में शिलांग	2688.20 रुपए
(ii)	राजस्थान में बाड़मेर	639.40 रुपए
(iii)	महाराष्ट्र में जलगांव, अकोला और बम्बई शहर	20512.74 रुपए
(iv)	उत्तर प्रदेश में कानपुर	1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे मूल्यवर्ग के 13.5 किलोग्राम सिक्के

(घ) दिल्ली सहित संघ राज्य क्षेत्रों से सिक्कों अथवा करेंसी नोटों की जमाखोरी के कोई मामले सूचित नहीं किए गए हैं ।

श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी क्या वर्तमान कानून सिक्कों की जमाखोरी करने वाले को दण्ड देने के लिए पर्याप्त हैं और क्या सरकार सिक्कों की जमाखोरी करने वालों को कड़ी सजा देने के लिए इस कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है ?

श्री जनार्दन पुजारी : अभी तक चार मामलों का पता चला है। अब तक चार राज्यों ने सिक्कों के जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की है । क्या यह पर्याप्त है या नहीं न्यायालय में इन पर मुकदमें चलाये जाने के पश्चात मालूम होगा ।

श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : मैं यह जानना चाहूंगी क्या सरकार को मालूम है कि देश में सिक्के और एक रुपये के नोट कई मंदिरों की हुण्डियों में जमा है। क्या सरकार इनके बदले में ले सकती है और बैंकों द्वारा दुबारा प्रचलन में ला सकती ?

श्री जनार्दन पुजारी : जब कभी हुण्डी में मिले नोट बैंक में बदलने के लिए लाए जाते हैं तो बैंक अवश्य ही कार्यवाही करते हैं और वह इसे बदल देते हैं ।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेलम के स्टेनलेस स्टील को सिक्के बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री जनार्दन पुजारी : वह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखायें खोलना

*560. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अब तक कितनी शाखाएं खोली गई हैं और कहां-कहां पर;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1986-87 के दौरान पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की और अधिक शाखायें खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पहली दिसम्बर, 1985 को पश्चिम बंगाल में 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 639 शाखाएं कार्यरत थीं । इन शाखाओं का जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिला	शाखाओं की संख्या
परूलिया	22
बांकुरा	59
मिदनापुर	64
माल्दा	48
पश्चिम दीनाजपुर	46
बीरभूम	62
कूचबिहार	39
जलपाईगुड़ी	39
दार्जिलिंग	22
नाडिया	38
24-परगना (उत्तर और दक्षिण)	72
बर्दवान	49
हावड़ा	36
हुगली	16
मुर्शिदाबाद	27
जोड़	639

(ख) और (ग) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति 7,000 की आबादी के पीछे कम से कम एक बेंक कार्यालय खोलने का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस नीति का एक उद्देश्य स्थानिक दूरियों को समाप्त करना भी है ताकि प्रत्येक गांव के 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर कम से कम एक बेंक कार्यालय सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय रिजर्व बेंक इन मापदण्डों के आधार पर अतिरिक्त बेंक कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस जारी करेगा। जो जिले क्षेत्रीय ग्रामीणों बेंकों के अन्तर्गत हैं, वहां पर नये कार्यालय खोलने के लिए प्राय: क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों को तरजीह दी जायेगी।

डा० फूलरेणु गुहा : विवरण में भाग (ख) और भाग (ग) में दिए गए उत्तर स्पष्ट नहीं हैं। यह कहा गया है कि बेंक 10 किमी की दूरी पर खोले जायेंगे लेकिन एक शाखा के दायरे का उल्लेख नहीं किया गया। क्या मैं वर्तमान शाखा के दायरे के बारे में जान सकती हूं ? मैं भविष्य की शाखाओं के बारे में नहीं पूछ रही हूं क्या आप मुझे परिधि बता सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : यह कहना संभव नहीं है बेंकों की पहली लाइसेंसिग नीति 1982 से 1985 तक यह थी कि 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बेंक शाखा होगी। अब नीति यह है कि 13000 के पीछे एक बेंक शाखा होगी और ब्लाक स्तर पर 17000 के पीछे। उनकी दूरी को भी कम कर दिया जायेगा। 10 किमी० पर एक शाखा होगी।

डा० फूलरेणु गुहा : मेरा दूसरा प्रश्न यह है, कि किस आधार पर धन आबंटित किया जाता है ?

हमारा अनुभव यह है कि कई ग्रामीण शाखाएं बैंक शाखा को आबंटित क्षेत्र विशेष के लोगों को ऋण या अनुदान देने की स्थिति में नहीं होतीं।

श्री जनार्दन पुजारी : छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन एक प्रखंड में 600 परिवारों को ऋण देने का कार्यक्रम था तथा अनुदान का जहां तक संबंध है बजट आबंटन 50 : 50 के आधार पर है। वह दिये जा रहे हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन सभी लोगों को एक ही समय पर ऋण नहीं दिया जा सकता। एक चरणबद्ध कार्यक्रम है जो इस योजना के अधीन दिये जाते हैं। डी आर आई योजना के अधीन 4 प्रतिशत की दर से अर्थात कुल राशि को एक प्रतिशत दिया जाता है।

श्रीमती गीतामुकर्जी : क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि एक अधिकारी बैंक होने के कारण—उदाहरण के दौर पर मिदनापुर जिले में मयूराक्षी ग्रामीण बैंक की 17 शाखाएं एक अधिकारी बैंक हैं और अधिकांश ग्रामीण बैंक एक अधिकारी बैंक है—ऐसी स्थिति में जब समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं के बारे में चर्चा की जाती है तो वह अधिकारी बैंक छोड़कर नहीं जा सकता ? वह और कहीं किस प्रकार जा सकता है। इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं क्या मंत्री महोदय ग्रामीण बैंकों के ढांचे में परिवर्तन करेंगे जिससे वे बैंक एक अधिकारी बैंक बनकर न रह जायें अपितु उनमें एक तकनीकी अधिकारी भी रखा जाए जिससे कि योजना पूरी करने के लिए वे वास्तव में स्थान पर ही अपना कर्तव्य पूरा कर सकें।

श्री जनार्दन पुजारी : यह सच है कि कुछ शाखाएं एक अधिकारी-शाखाएं हैं। किन्तु बाधाओं के बावजूद वे प्रभावी ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं और माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, मैं उस पर गौर करूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था किन्तु, मेरे विचार से, जैसाकि मंत्री महोदय जानते हैं; जनता और बैंक अधिकारियों के बीच समुचित सम्पर्क न होने के कारण जनता को ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों से पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या इन बातों का ध्यान रखने के लिए सरकार का विचार कोई गैर-सरकारी समिति गठित करने का है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया है कृपया बैठ जाइए।

कुमारी ममता बनर्जी : ···जिससे बैंक गरीबों के लिए कुछ करें।

एक माननीय सदस्य : विशेष कर पश्चिम बंगाल में। **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० कुमार मंगलम् : क्या विरोधी दल इतना भी कठोर हृदय हो सकता है।

श्री जनार्दन पुजारी : बैंक क्षेत्र का शानदार विस्तार हुआ है। सभी बैंक अधिकारी या बैंक कर्मचारी बुरे नहीं हैं। कुछ बुरे हैं। ऐसे हर क्षेत्र में होते हैं। हमने उन लोगों का पता लगा लिया है, जो कर्त्तव्य निष्ठ नहीं है और जो सरकारी कार्यक्रमों के प्रति निष्ठावान नहीं हैं। हमने उन लोगों का भी पता लगा लिया है; जो गरीबों की सहायता नहीं करना चाहते हैं और ऐस लोगों के विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही की जाएगी।

जहां तक समिति का संबध है; समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध ब्लाक स्तर पर परामर्शदात्री समिति है। राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर किस प्रकार गैर-सरकारी समिति बनाई जा सकती है, इस बात पर हम गौर कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : 1981 की मत गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की आबादी 3 करोड़ 40 लाख थी । किन्तु इस समय 639 बैंक शाखायें हैं । वर्तमान मानदण्ड के अनुसार 17000 ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी आबादी के लिए एक शाखा होनी चाहिए । पश्चिम बंगाल में कम से कम 2300 शाखायें होनी चाहिएं । इस लिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सातवीं योजना अवधि के दौरान कितनी शाखायें खोलने का विचार है ।

(ख) मैं यह जानता हू कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बैंक खोलने का प्रस्ताव तीन वर्ष पूर्व भेजा था । हमें यह बताया गया था कि इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । क्या माननीय मंत्री महोदय मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल राज्य में एक बैंक खोलने के प्रस्ताव पर अभी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इस पर कब तक सक्रिय रूप से विचार किया जाता रहेगा ?

श्री जनार्दन पुजारी : पश्चिम बंगाल में इस समय लगभग 3284 शाखायें हैं । 1961 से पहले राष्ट्रीकरण से पूर्व, वहां एक शाखा है…

श्री बसुदेव आचार्य : मैं ग्रामीण शाखाओं के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री जनार्दन पुजारी : ठीक है, मैं उसके बारे मैं बताऊंगा ।

अखिल भारतीय आधार पर 65,000 की आबादी की पीछे एक शाखा होने की बजाय वहां 80,000 की आबादी पर एक शाखा थी । अब इसे घटा दिया गया है । अब अखिल भारतीय मानदंड के अनुसार 15,000 की आबादी पर एक शाखा होनी चाहिए किन्तु वहां 22,000 की आबादी पर एक शाखा है । पश्चिम बंगाल में शाखा खोलने के लिय 804 लाइसेंस जारी किये गये थे । अब शाखायें खोली जा रही हैं ।

माननीय सदस्य ने सांतवी पंच वर्षीय योजना के अनुमानों के बारे में पूछा है । मैं यह कहना चाहूंगा कि 17000 आबादी पर एक बैंक खोलने का प्रस्ताब है और साथ यह विशेष प्रावधान किया गया है कि हर 10 कि. मी. पर एक शाखा हो । राज्य सरकारों और बैंकों को ऐसे क्षेत्रों तथा ब्लाकों का पता लगाने के लिए कहा गया है ।

निश्चित स्थानों का पता लगाना होगा । जब राज्य सरकार उन क्षेत्रों का पता लगा लेगी तब पश्चिम बंगाल में कितनी शाखायें खोली जानी हैं, इस पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार करेगा । और इस बात की जानकारी मैं 3 या 4 महीने के बाद सकूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : मैं कब से आपकी तरफ देख रहा हूं आप हमारी तरफ देखते क्यों नहीं ? आप हर वक्त ऐसा ही करते है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं । **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया है । कृपया बैठ जाइये । थोड़े समय बाद मैं आपको पुकारूंगा । **एक माननीय सदस्य :** यह उनका बोलने का तरीका नहीं है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : और भी प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं । मैं आपको भी बलाऊंगा ।

श्री पी० एम० सईद : समयाभाव के कारण कल कितने ही प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जा सके थे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसी लिए मैं दूसरों को अवसर देना चाहता हूं। और भी प्रश्न है। मुझे उन पर ध्यान देना है।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही

पुराने और कटे-फटे कपड़ों का आयात

*561. **श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष ऊनी धागे के निर्माण के लिए पुराने और कटे-फटे कपड़ों का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) भारतीय बाजार में स्थानीय कच्ची ऊन का मूल्य 16.18 रु० प्रति किलो ग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम करने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी भेड़ों का निर्यात किया गया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1983, 1984 और 1985 के वर्षों के दौरान ऊनी पुराने (कटे-फटे) कपड़ों के आयात क्रमश: 34.38, 37.34 और 31.09 सभी मिलियन किग्रा हुए। पुराने कपड़ों का आयात शाडी यार्न बनाने के लिए किया जाता है।

(ख) कच्चे ऊन की कीमतों का सूचकांक, जो 1983 में 2 1.9 था बढ़कर 1985 में 292.7 हो गया है। यह प्रमुख रूप से सामान्य स्फीति के कारण है।

(ग) जीवित भेड़ों (वयस्क) के निर्यात की अनुमति सीमित सीमा में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। 1983-84 1984-85 और 1985-86 (जनवरी 1986 तक) के दौरान निर्यात के लिए अनुमति दी गई भेड़ों की संख्या क्रमश: 35025, 17455, 39475 थी।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही : महोदय, प्रश्न का भाग (ख) अर्थात कच्ची ऊन का मूल्य 16 रु० प्रति किलो ग्राम से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलो ग्राम होने के क्या कारण हैं; एक ऐसा मामला नहीं है, जिसे सभा पटल पर रखा जाये। इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं प्रश्न को ही नहीं समझ पाया हूं। जब किसी मामले को सभा पटल पर रखा जाता है; तब कारण भी बताये जाते हैं। प्रश्न के भाग (ख) के बारे में बताया गया है कि कच्चे ऊन की कीमतों का सूचकांक, जो 1983 में 251.9 था बढ़कर 1985 में 292.7 हो गया है। यह प्रमुख रूप से सामान्य स्फीती के कारण है। इसके बारे में बताया जा चुका है।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही : देश में कच्चे ऊन की बहुत अधिक कमी है। इसलिए उत्पादन भी रुक जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : दो तरीके हैं, जिनसे सरकार इस स्थिति से निपटना चाहती है। एक तो यह कि उत्पादन बढ़ाया जाए और दूसरा यह कि अपेक्षित कच्चा ऊन आयात करने की अनुमति दी जाए। खुले सामान्य लायसेंस पर कच्चे ऊन का आयात किया जाता है। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, हम विभिन्न प्रकार की ऐसी भेड़ों का आयात कर रहे हैं; जिनसे अधिक ऊन प्राप्त हो सकता है और हम उन्हें संकर जाति की बनाने की चेष्टा कर रहे हैं जिससे उत्पादन बढ़ सके।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही : क्या संकर जाति का बनाने के लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया है; यदि हां; तो उसका क्या लक्ष्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या संकर जाति का बनाने के लिए आपने कोई कार्यक्रम निर्धारित किया है ? यह प्रश्न है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं आंकड़े बता सकता हूं। हमने आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमरीका से भेड़ें मंगाई हैं और भेड़ें भेड़पालकों को दी जाती हैं। हम संकर नस्ल बना रहे हैं और ऐसी नस्ल बना रहे हैं जो अधिक ऊन दे सकें।

श्री एच०एए० डोरा : महोदय, भेड़ें आस्ट्रेलिया से आयात की जा रही और ऐसे प्रदेश से भारत मंगवाई जा रही हैं। जहां बर्फ जमी रहती है हमारा देश शीतोष्ण कटिबंध में है। इसलिए, क्या अपने देश की जलवायु में इस भेड़ को विकसित किया जा सकता है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर विषय विशेषज्ञ को देना चाहिए। हम ऐसी भेड़ें आयात करना चाहेंगे जो न केवल शीतोष्ण कटिबंध में अपितु हर क्षेत्र में अच्छा उत्पादन दे सकें। हम अपने विशेषज्ञों को सूचित करेंगे कि वे ऐसी भेड़ें प्राप्त करने की चेष्टा करें जिनकी सारे देश में आवश्यकता है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि आप ऊनी धागे के लिए फटे-पुराने कपड़ों का आयात करते हैं और वे फटे-पुराने कपड़े लोग यहां सड़कों पर बेचते हैं जिन्हें गरीब लोग खरीदते हैं और पहनते हैं, जिससे एड्स जैसी छूत की बीमारी लगने का खतरा रहता है, क्या आपने इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया है और यह प्रयत्न किया है कि इस प्रकार के कपड़े यहां के बाजारों में न बिकें ?

श्री शिवराज वी पाटिल : श्रीमन् हमारा जो कानून है, उसके मुताबिक फटे पुराने कपड़े जो पहनने की हालत में हों, वे यहां पर नहीं लाए जा सकते। ऐसे ही कपड़े यहां पर लाने की इजाजत दी जाती है जिनको पूरी तरह से फाड़कर, तोड़कर, मोड़कर फिर लाया जाता है, तभी हमारी कंट्री में आने की इजाजत दी जाती है। अगर कोई ऐसा कपड़ा है जो कि सिया हुआ है या पहना जा सकता है, उसे लाने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसा कहीं है तो मैं समझता हूं कि यह दूसरा प्रश्न उठता है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, कपड़े तो बिकते हैं। आप चांदनी चौक में चले जाइए, वहां पर आपको ढेर के ढेर कपड़े बिकते हुए दिख सकते हैं।

श्री शिवराज वी पाटिल : वे यहां के बने हुए होंगे।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : यहां के नहीं हैं, विदेशी कपड़े हैं । **(व्यवधान)**

[**अनुवाद**]

सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के नए प्रशुल्क वर्गीकरण की कार्यान्विति

*** 563. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन्**† :

श्री बी० बी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कोई नया प्रशुल्क वर्गीकरण लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप नई प्रशुल्क दरें लागू करनी पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह वर्तमान प्रशुल्क दरों से कम हैं या अधिक; और

(घ) इस नये वर्गीकरण के कारण एक वर्ष में कितनी अतिरिक्त आय अथवा हानि होने का अनुमान है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : अन्तर्राष्ट्रीय नामावली पर आधारित तथा सुमेलित जिन्स व्याख्या और कूटांकन प्रणाली के रूप में ज्ञात नया सीमा शुल्क टैरिफ दिनांक 28 फरवरी, 1986 से लागू किया गया था । इसके साथ-साथ मुख्य-तया उसी नामावली पर आधारित तथा स्वदेशी अपेक्षाओं को मद्दे नजर रखते हुए, एक नया केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ भी लागू किया गया था इन दोनों टैरिफों में वर्गीकरण के लिए तत्वत: एक संशोधित नामावली की व्यवस्था है । शुल्क की दरों में परिवर्तन किए जाने का आशय नहीं था ।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : महोदय, माननीय मंत्री जी का कहना है कि नए टैरिफ में वर्गीकरण के लिए नई नामावली दी गई है । किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि इससे सरकार को क्या अतिरिक्त आय या राजस्व प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ।

श्री जनार्दन पुजारी : शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । नए वर्गीकरण के कारण के कोई अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : यह प्रश्न चूंकि सीमा शुल्क में नए टैरिफ से संबंधित है, इस-लिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाड़ी के देशों में काम करने वाले केरल के निर्धन लोगों को त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है । इनमें से अधिकांश श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं और जब वे वर्ष के अंत में एक या दो बार आते हैं तो वे अपने परिवारजनों या निकट संबंधियों के लिए कुछ कपड़े या बरतन ले आते हैं । मेरा सुझाव है कि उन्हें नियमित तस्कर अथवा पयर्टक न माना जाये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निःशुल्क अनुमति की सीमा बढ़ाते समय उन्हें कुछ रियायतें दे सकती है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं नकारात्मक उत्तर नही प्राप्त करना चाहता । यदि मंत्री महोदय सकारात्मक उत्तर नहीं दे सकते तो कम से कम इस पर विचार अवश्य करें ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य की विदेशों मे काम करके हमारे देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले भाई-बहनों के प्रति चिंता में शामिल हूं । जहां तक कठिनाईयों और परेशानियों

का संबंध है, जब शिकायतें मिलती हैं तो हम जांच करते हैं। जहां तक आपके सुझावों की बात है, निश्चित रूप से सकारात्मक उत्तर दिया जाएगा। इस बारे में जांच कर रहे हैं।

उचित दर की दुकानों को समय पर राशन देने में भारतीय खाद्य निगम की असफलता

*566 **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम उचित दर की दुकानों द्वारा काफी समय पहले धनराशि जमा करा दिये जाने के बावजूद भी उन्हें प्राय: समय पर खाद्यान्न नहीं देता है, जिसके परिणामस्वरूप राशन कार्ड धारकों को परेशान होना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम से उचित दर की दुकानों को नियमित संभरण तथा उचित दर की दुकानों पर समय पर राशन की उपलब्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में मंत्री (श्री ए० के० पांजा) (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सप्लाई की जा रही सात वस्तुओं, अर्थात चावल गेहूं, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, नियंत्रित कपड़ा तथा साफ्ट कोक में से भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी गेहूं, चावल तथा चीनी की आपूर्ति करने तक सीमित है। भारतीय खाद्य निगम, केरल तथा पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त, किसी अन्य राज्य में उचित दर की दुकानों को सीधे गेहूं तथा चावल सप्लाई करने का कार्य नहीं करता है। अन्य राज्यों के मामले में, इन वस्तुओं के खुदरा वितरण की जिम्मेदारी स्वयं राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। भारतीय खाद्य निगम 13 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में चीनी की आपूर्ति करने के लिए थोक विक्रेता के रूप में भी कार्य करता है। तथापि, बिहार राज्य में, संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निर्मुक्ति आदेशों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम अलग-अलग उचित दर की दुकानों को सीधे ही चीनी सप्लाई करता है। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि जब कभी स्थानीय कमियों के बारे में सूचना मिलती है, उनके द्वारा अपने डिपुओं में स्टाक मुहैया कराकर आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जो उत्तर आया है, उससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती। मेरा प्रश्न था कि खाद्य निगम में थोक विक्रेताओं द्वारा समय पर रुपया जमा कराया जाता है, लेकिन स्टाक से उनको समय पर सामान उपलब्ध नहीं कराया जाता और उनसे चक्कर लगवाए जाते हैं। इससे थोक विक्रेता भी खर्च के बोझ से दब जाता है और यह सारा बोझ फिर कार्ड-धारियों पर पड़ता है। कार्डधारियों को भी समय पर सामान नहीं मिल पाता। खाद्य सामग्री देने का जो समय निश्चित किया जाता है, उस समय पर उनको सामान नहीं मिलता और उनसे बार-बार चक्कर लगवाए जाते हैं, इसके बारे में मैं चाहता था कि मंत्री जी उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी केवल चावल और गेहूं वितरित करने की है। फुटकर वितरण की जिम्मेदारी केरल तथा पश्चिम बंगाल में चल रही वर्तमान व्यवस्था को छोड़कर सम्बन्धित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की है। जहां तक चीनी का प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम 13 राज्यों में फुटकर विक्रेताओं को इसकी सप्लाई करने के लिए उत्तरदायी है। यदि राज्य सरकारों द्वारा किसी कमी की सूचना दी जाए तो क्षेत्रीय कार्यालय को तुरन्त सतर्क कर दिया जाता है और इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इनका उत्तर है। पढ़कर सुना चुके हैं। खाद्य निगम में बिहार सरकार के द्वारा जो थोक विक्रेता मुकर्रर किया गया है, जो गेहूं और चीनी उठाने के लिए रुपया जमा करते हैं, उनको निगम कई बार घुमा फिरा देता है, जिससे कार्डधारियों पर उसका असर पड़ता है। बिहार के गया जिले में बराबर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं उनको समय पर सामान नहीं मिलता है लेकिन थोक विक्रेता को देते हैं, मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : महोदय, मुझे नहीं मालूम माननीय सदस्य किस राज्य, जिले या क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : बिहार की बात है।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : महोदय, माननीय सदस्य किसी राज्य विशेष में थोक अथवा फुटकर विक्रेता का या संबंधित व्यक्ति का नाम बतायें तो हम निश्चत रूप से कार्यवाही करेंगे। इस समय पूरे देश में 3,25,080 फुटकर दुकानें हैं। यदि कोई विशेष जिला या क्षेत्र··· **व्यवधान**

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : बिहार की बात कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : यदि किसी राज्य विशेष में किसी थोक विक्रेता के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो मेरी जानकारी में लायें। उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन-सी बात सही है? मैं भारतीय खाद्य निगम में केवल दो वस्तुओं की बात कर रहा हूं, क्या ऐसा गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि के कारण है। राज्य सरकारों द्वारा कीमतों में वितरण शुल्क के रूप में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है जिसके कारण गेहूं और चावल खुले बाजार में राशन की दुकानों से सस्ता बिकता है। क्या इसलिए दुकानदार अक्सर सामान लेने नहीं आते या ये कारण हैं कि वे पैसा जमा कराते हैं किंतु उन्हें अनाज नहीं मिलता। इनमें से कौन-सी बात सही है?

श्री ए० के० पांजा : इस प्रश्न में यह बात नहीं पूछी गई किंतु अब तक जितना भी अनाज उठाया गया है वह एक पद्धति विशेष···

श्री भागवत झा आजाद : कौन-सी बात सही है। दुकानदार पैसा नहीं जमा कराते या वे पैसा जमा कराते हैं पर उन्हें अनाज नहीं मिलता ?

श्री ए० के० पांजा : जैसाकि मैंने कहा है कि कहीं पर दुकानदार पैसा जमा कराता है किंतु उसे अनाज नहीं मिलता, तो केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़कर यह जिम्मेदारी राज्यों की है। जहां तक चीनी का प्रश्न है, बिहार के अलावा 12 अन्य राज्य हैं। जहां तक गेहूं और चावल की बात है, यदि कोई फुटकर विक्रेता धन जमा करवाता है तो भी उसे अनाज नहीं मिलता तो यदि आप उस स्थान के बारे में बतायें तो मैं इसकी जांच करवा सकता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, राशन की दुकानों में अनाज की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तीन चरणों में काम होता है। पहला राशन कार्ड होना चाहिए; दूसरे राशन की दुकान में सप्लाई सुनिश्चित करना और इसके बाद दुकानों को एस० आर० क्षेत्र और एम० आर० क्षेत्र में बांटा जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक राज्य में विशेषकर महानगरों में जहां सांविधिक राशनिंग क्षेत्र हैं···राशन प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों को राशन नहीं मिलता क्योंकि वे लाल फीता शाही के कारण उचित समय पर राशन कार्ड नहीं प्राप्त कर पाते। ये शिकायतें दूर करना सदा ही उस क्षेत्र के संसद सदस्यों तथा विधान मंडल सदस्यों का कर्तव्य बन जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे राज्य सरकारों के परामर्श से ऐसी नीति सुनिश्चित करेंगे जिसके आधार पर लोगों को संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों की सिफारिशों पर अस्थायी राशन कार्ड ज़ारी कर दिए जायें जिन्हें जांच के पश्चात् स्थायी बना दिया जाए ताकि एक प्रकार की शिकायत तो दूर हो।

श्री ए० के० पांजा : यह सुझाव विचार करने योग्य है। मैं इस संबंध में जांच करूंगा।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, हमें न केवल राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए बल्कि अच्छे अनाज की आपूर्ति भी सुनिश्चित करनी चाहिए। मैंने सोचा था कि शायद राज्यों में ही खाद्यान्नों की गुणवता अच्छी नहीं होती किन्तु दिल्ली में भी ऐसा ही है। मेरा यह अनुभव है कि पिछले कुछ सप्ताहों में राशन की दुकानों से दिए गए चावल की क्वालिटी अलग-अलग है। क्या सरकार उपभोक्ताओं के लिए गेहूं और चावल की बेहतर क्वालिटी सुनिश्चित करेगी ?

श्री ए० के० पांजा : यह ठीक है हमें फुटकर विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए अनाज की खराब क्वालिटी के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं। इसलिए जहां कहीं भी शिकायतें मिली हैं, एफ० सी० आई० के गोदामों से अनाज ले लेने के बाद ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि वे इसकी जांच करें (**व्यवधान**) दिल्ली में भी ऐसा ही होता है। दिल्ली प्रशासन एफ० सी० आई० से अनाज लेकर फुटकर विक्रेताओं को देता है। जहां तक सरकार और एफ० सी० आई० का सम्बन्ध है, हमने राज्य सरकारों से कहा है कि एफ० सी० आई० से अनाज की सुपुर्दगी लेते समय इकट्ठे मिलकर जांच की जाएगी और उसके बाद स्वीकृति क्वालिटी के अनाज को

उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों या स्थानीय प्रशासन की है। यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। किन्तु हम अपने आपको इससे बिलकुल अलग नहीं कर रहे। हम बार-बार यह निदेश जारी कर रहे हैं कि (क) इकट्ठे जांच की जाए, (ख) राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा अकस्मात जांच की जाए, (ग) किसी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार के पास सम्पूर्ण तन्त्र हों। जहां कहीं कुछ हमारी जानकारी में आता है, हम तत्काल अपने अध्ययन दल को समाचार-पत्रों में छपे अथवा माननीय सदस्यों द्वारा बताये गए तथ्यों की जांच के लिए भेजते हैं और उसके बाद तदनुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री अनूप चन्द शाह : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय देश में एफ० सी० आई० से गेहूं और चावल विभिन्न राज्यों में आवंटित करने के लिए दो प्रणालियां हैं, एक जिसमें राज्य अभिकरणों के माध्यम से आवंटन होता है और दूसरी जो केरल और पश्चिम बंगाल में है — इनमें से कौन-सी पद्धति बेहतर है और हम पूरे देश में एक ही पद्धति क्यों नहीं लागू करते।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, हमारा विचार भी यही है कि पूरे देश में एक ही व्यवस्था हो। इसीलिए हमने केरल और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त सब जगह एक ही व्यवस्था रखी है। प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से बुनियादी सुविधायें और कानून लागू करने का तन्त्र प्रदान करके राज्य सरकारों का साथ दिया जाता है। किन्तु जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, हमने पश्चिम बंगाल की सरकार को इस आशय के अनेक पत्र लिखे हैं कि वे फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से आवंटन करें। हमें इस सम्बन्ध में कोई आशाजनक उत्तर नहीं मिला है।

पटसन मिलों का बंद होना

*567 **श्री अनन्त प्रसाद सेठी**† .

श्री कुंवर राम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में पटसन के मूल्यों में आई भारी गिरावट के परिणामस्वरूप पटसन उत्पादकों को हो रही कठिनाई और कई पटसन मिलों के बन्द होने की जानकारी है, जिसके कारण हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसके संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(क) यह सच है कि 1985-86 के वर्तमान जूट सीजन के दौरान मुख्यतः जूट की भारी फसल होने के कारण कच्चे पटसन की कीमतें न्यूनतम समर्थन स्तर पर पहुंच गई हैं लेकिन इसके परिणाम स्वरूप, पटसन मिलें बन्द नहीं हुई हैं। दूसरी ओर, कच्चे माल की कीमतें काफी गिर जाने से 1985 के पूर्वार्द्ध के दौरान जो मिलें देश में विकट सप्लाई स्थिति और कच्चे पटसन की ऊंची कीमतों के कारण बन्द थीं ऐसी अनेक मिलें धीरे-धीरे पुनः खुल गयी हैं।

(ख) से (घ) : पटसन की कीमतों में गिरावट के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन मिले हैं। कच्चे पटसन की आपाती बिक्रियों को रोकने और पटसन उपजकर्ताओं के हितों को संरक्षण देने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) कच्चे पटसन और मेस्टा की न्यूनतम सांविधिक कीमत की घोषणा;

(2) भारतीय जूट निगम और राज्य सहकारी समितियों दोनों के द्वारा बाजार कवरेज का विस्तार;

(3) भंडारण क्षमता में वृद्धि;

(4) अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती द्वारा खरीद केन्द्रों पर पूर्ण कर्मचारी व्यवस्था;

(5) कीमत समर्थन कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'आवश्यकता के अनुसार" आधार पर ऋण की स्वीकृति;

(6) जूट मिलों द्वारा कच्चे पटसन की खरीद बढ़ाने के लिए पटसन आयुक्त द्वारा 6.9.85 को निजी क्षेत्र में सभी कार्यशील मिलों द्वारा विनिर्दिष्ट स्तरों तक कच्चे पटसन के स्टाक बनाने का निदेश जारी किया जाना;

(7) भारतीय पटसन निगम को कच्चे पटसन का निर्यात करने की अनुमति का दिया जाना;

(8) भारतीय पटसन निगम द्वारा किसानों को अपने उत्पाद की न्यूनतम कानूनी कीमत से नीचे बेईमान व्यापारियों को आपाती बिक्रियां न करने और अपने उत्पाद को जे. सी. आई, सहकारी समितियों के खरीद केन्द्रों पर लाने की सलाह देने के लिए जनसंपर्क माध्यम का प्रयोग।

(9) भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की 27 लाख गांठों से अधिक की रिकार्ड खरीद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेठी, अब आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अनंत प्रसाद सेठी : मुझे कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना है।

——————

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत ट्रैवल एजेंटों द्वारा की गई कथित हेराफेरी

*556. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वित्त मंत्री "फारेन ऐक्सचेंज रैकेट डिटेक्टिड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार के बारे में 20 दिसम्बर 985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4904 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत कुछ ट्रैवल ऐजेन्टों द्वारा की गई हेराफेरी के मामलों की कोई जांच करायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस जांच की रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) (और (ख) जी, हां।

(ग) जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्रथम दृष्टया यह बताती है कि श्री कुन्दन सिंह विदेश यात्रा योजना का दुरुपयोग करके अनधिकृत तरीके से विदेशी मुद्रा की खरीद व बिक्री करता रहा है।

(घ) श्री कुन्दन सिंह के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 8 (1) तथा 8 (2) के उपबंधों के उल्लंघन में 3,47,248 अमरीकी डालर, 32, 137 पौण्ड तथा 3,061 कनेडियन डालर के लिए 7-2-86 को कारण बताओ नोटिस जारी करके न्याय-निर्णय की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। न्याय निर्णय की कार्यवाही चल रही है।

सर्वश्री चरनजीत सिंह, प्रेम चन्द, तरसेम सिंह तथा सरूप सिंह के संबंध में भी जांच पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल के परिणाम के आधार पर यथापेक्षित समुचित कार्यवाही कानून के अन्तर्गत की जाएगी।

[अनुवाद]

तम्बाकू के लिये न्यूनतम समर्थन-मूल्य

*564. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चालू मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन-मूल्य क्या देने के का निर्णय किया है तथा गत वर्ष यह क्या था; और

(ख) क्या तम्बाकू का न्यूनम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय कृषि लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखा गया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) जी हां। न्यूनतम समर्थन कीमत का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर कृषि लागत सहित सभी संबंधित बातों को ध्यान में रख कर किया गया।

विवरण

सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में 1986 बाजार मौसम के दौरान वी एफ सी तम्बाकू के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नोक्त प्रकार है:—

	रु० प्रति कि० ग्राम०
(I) एफ2 ग्रेड (संशोधित विशिष्ट विवरण)	11.15
(II) एफ2 ग्रेड हल्की जमीन में उगाया गया	12.00

1986 में निर्धारित की गई की कीमतें वही हैं जो 1985 में निर्धारित की गई थीं।

1986 के दौरान वी एफ सी तम्बाकू के अन्य ग्रेडों की कीमतों को भी 1985 के स्तर पर रखा गया है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि

*565. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 1975-76 में इससे पूर्व वर्ष से 9.9 प्रतिशत, 1977-78 में इससे पूर्व वर्ष से 8.7 प्रतिशत, 1980-81 में इससे पूर्व वर्ष से 7.5 प्रतिशत और 1985-86 में इससे पूर्व वर्ष से 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में मामूली सी ही वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) 1970-71 की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 1975-76में 9.9प्रतिशत, 1977-78 में 8.7 प्रतिशत और 1980-81 में 7.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 1985-86 में वृद्धि दर का अनुमान अभी नहीं लगाया गया है। तथापि, 1985-86 की आर्थिक समीक्षा में उत्पादन वृद्धि की प्रवृत्ति के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर 1985-86 के वर्ष के दौरान वृद्धि की दर 4.5 और 5.0 प्रतिशत के बीच रहने की प्रत्याशा है। 1975-76, 1977-78 और 1980-81 में वृद्धि की अपेक्षाकृत ऊंची दरें, सूखे से तत्काल पूर्व के वर्ष में कृषि उत्पादन में तीव्र कमी में सुधार की द्योतक हैं। 1974-75, 1976-77 और 1979-80 के दौरान कृषि उत्पादन में क्रमशः 3.2 प्रतिशत, 7 प्रतिशत और 15.2 प्रतिशत की कमी हुई।

जन सहयोग के लिए जीवन बीमा पालिसियों का स्वरूप परिवर्तन

*568. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या वृद्धावस्था में अच्छी आय तथा अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने हेतु जीवन बीमा कराने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जीवन बीमा पालिसियों के स्वरूप में कुछ परिवर्तन करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इसकी विस्तृत जांच कराने का भी सरकार का विचार है, जो इसके सम्बन्ध में कुछ ठोस प्रस्तावों के सुझाव दे, जैसा कि अनेक देशों में किया जा रहा है जहां कि वृद्धावस्था में बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए बीमा कराने वालों की संख्या बढ़ रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : जीवन बीमा नीतियों को और व्यापक बनाने के मामले पर सरकार सतत रूप से विचार करती रहती है। अभी पिछले कुछ समय में भारतीय जीवन बीमा निगम ने भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों दुकानों तथा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों आदि जैसे विभिन्न सामाजिक तौर पर असुविधाजनक परिस्थितियों वाले वर्गों के लिए बड़ी संख्या में सामूहिक बीमा स्कीमें बनाई हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत बहुत कम प्रीमियम पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, जो अन्यथा व्यक्तिगत पालिसियां नहीं ले सकते, जीवन बीमा का पर्याप्त कवच प्रदान किया जाता है। बूढ़े लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करने के लिए भी जीवन बीमा निगम की वार्षिकी सम्बन्धी स्कीमें हैं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

उड़ीसा में तालचेर ताप-विद्युत संयंत्र और इब ताप विद्युत संयत्र की स्थापना हेतु विदेशी सहायता

*569. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी संगठनों द्वारा उड़ीसा में तालचेर सुपर ताप विद्युत सयंत्र और इब वैली ताप-विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय बातचीत किस स्थिति में है; और

(ग) इस मामले को शीघ्र तय करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की तालचेर सुपर ताप-विद्युत परियोजना विश्व बैंक सहायता हेतु विचाराधीन है । यद्यपि बैंक के साथ इस परियोजना पर बातचीत चल रही है, तथापि इस परियोजना के लिए ऋण का अन्तिम निर्धारण आन्तरिक स्वीकृतियों, बैंक के द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन कार्य पूरा होने तथा रुपया संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

उड़ीसा में इब ताप-विद्युत सयंत्र हेतु विदेशी स्रोतों से कुछ आरंभिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । रुपया संसाधनों का अभी निर्धारण नहीं हुआ है तथा योजना आयोग ने अभी तक इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है ।

रुपये के मूल्य में गिरावट

[हिन्दी]

*5 0 **श्री विष्णु मोदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1985 में और उसके बाद से रुपए के मूल्य में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण क्या हैं और देश के विभिन्न महानगरों में रुपए के मूल्य में आई गिरावट का अनुपात क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रुपए के मूल्य को गिरने से बचाने हेतु कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (घ) मासिक आधार पर संकलित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार 1960-100) के व्युत्क्रम के रूप मापी गई रुपए की क्रय शक्ति नवम्बर, 1985 में 15.87 पैसे थी जो दिसम्बर 1985 में अपरिवर्तित रही और जनवरी, 1986 में (अद्यतन उपलब्ध यह वास्तव में बढ़कर 15.90 पैसे हो गई । देश के चार महानगरों के संबंध में अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

महानगरीय केन्द्र/नगर	निम्नलिखित अवधियों में रुपए की क्रय शक्ति (पैसों में)			पिछले महीने की तुलना में कमी(—) (वृद्धि)+) की व्याप्ति	
	नवम्बर, 1985	दिसम्बर, 1985	जनवरी, 86	दिसम्बर, 1985	जनवरी, 86
बम्बई	15.29	15.20	14.97	—0.09	—0.23
कलकत्ता	15.92	16.05	16.34	+0.13	+0.29
दिल्ली	15.20	15.34	15.20	+0.14	—0.14
मद्रास	15.43	15.36	15.31	—9.07	—0.05
अखिल भारत	15.87	15.87	15.90	अपरिवर्तित	+0.03

सरकार मूल्य स्थिति पर सावधानी पूर्वक नजर रखती रही है और मुद्रास्फीति को उचित सीमा के अन्तर्गत रखने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सरकार की मुद्रास्फति विरोधी नीति में पूर्ति और मांग के प्रभावी प्रबंध पर जोर दिया जाना जारी है जिसमें आवश्यक वस्तुओं के लिए सार्वजनिक प्रणाली को समर्थ बनाया जाना, विशेष योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्न की पूर्ति करना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अर्थव्यवस्था में कुल नकदी को नियंत्रण में रखना शामिल है।

सोने की तस्करी

*571. **श्री आर०एम० भोये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने हाल ही में दिल्ली बंबई आदि नगरों में मारे गए छापों के दौरान तस्करी का सोना पकड़ा है;

(ख) क्या सोने की तस्करी करने वाला कोई अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह भी पकड़ा है जिसका समाचार 12 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1986 के पहले तीन महीनों के दौरान, समस्त देश में जिसमें दिल्ली और बम्बई भी शामिल है, राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय द्वारा अथवा उसकी सूचना पर पकड़े गए निषिद्ध सोने का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

अवधि	पकड़े गये सोने का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
जनवरी से मार्च 1986 तक	3.90

(ख) और (ग) 12 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में दिये गए समाचार में उल्लिखित मामले के तथ्य निम्नानुसार हैं :

अमृतसर तथा दिल्ली से कार्य कर रहे तस्करों के एक गिरोह द्वारा दुबई से पाकिस्तान होकर निषिद्ध आये सोने की प्राप्ति से संबंधित आसूचना के अनुसरण में, राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय, जोनल यूनिट, दिल्ली के अधिकारियों ने बी. जे.-98 शालीमार बाग, नई दिल्ली के

आवासीय परिसरों की 10/11-3-86 को तलाशी ली थी जिसे मोटर गाड़ियों के व्यापारी किसी श्री गुरशरण सिंह सोढी उर्फ सरन ने किराये पर लिया है। तलाशी के परिणामत: 25 लाख रुपए मूल्य के विदेशी मार्के के सोने के 100 बिस्कुट तथा 5,11,500 रु० जिन्हें तस्करी शुदा सोने की बिक्री से प्राप्त आय समझा जाता है, बरामद हुए थे। उक्त गुरशरण सिंह के विभिन्न आवासीय तथा व्यवसायिक परिसरों पर भी साथ-साथ छापे मारे गए थे। जिसके परिणामत: व्यावसायिक परिसरों से 1.7 लाख रु० तथा आवासीय परिसरों से 40,000 रु० की भारतीय मुद्रा तथा कुछ अपराध आरोपणीय दस्तावेज प्राप्त हुए थे। श्री गुरशरण सिंह सोढी द्वारा प्रकट की गई बातों के आधार पर 143 ए, ब्लाक यू वी, शालीमार बाग, नई दिल्ली स्थित उनके नियंत्रण के अधीन, के अन्य परिसर की भी तलाशी ली गई थी जिसके परिणामत: 55 लाख रु० मूल्य के विदेशी मार्क के सोने के दस-दस तोले के 221 बिस्कुट बरामद किए गए थे जिन्हें शयन कक्ष की दिवार के अन्दर बनाई गई एक अलमारी में बड़ी चतुराई से छिपाया गया था। इस मकान में कोई नहीं रहता था परन्तु इसे मुख्यतया निषिद्ध सोने को रखने के लिए गोदाम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था।

समूची कार्यवाही में, सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत, 80 लाख रुपए मूल्य का निषिद्ध सोना तथा 7.22 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा और 60,000 रु० मूल्य की एक मारुति कार पकड़ी गई थी। आगे और जांच-पड़ताल चल रही है।

इस संबंध में श्री गुरशरण सिंह तथा उसके साथी पवन कुमार, बलविंदर कुमार तथा विक्रम सिंह को 11-3-86 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे कोफेपोसा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों को हुए घाटे

*572 **श्री श्रीराममूर्ति भट्टम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की सिंगापुर तथा बहरीन शाखाओं के अतिरिक्त, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया को गत कुछ वर्षों के दौरान भारी घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कितना घाटा हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया और यूनियन बैंक आफ इण्डिया के वर्ष 1982, 1983 और 1984 के प्रकाशित लाभ नीचे दिए गए हैं :

(लाख रुपये)

बैंक का नाम	प्रकाशित लाभ 1982	1983	1984
1. भारतीय स्टेट बैंक	1901	2375	2402
2. पंजाब नेशनल बैंक	799	853	901
3. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	328	399	307
4. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	280	290	311

बैंकों के कार्य का स्वरूप कुछ ऐसा है जिसमें कुछ ऋणों के अशोध्य हो जाने का खतरा उसमें बराबर निहित होता है। ऋणों के घाटों के कई कारण होते हैं जिनमें विपणन और प्रबन्ध समस्यायें और धनराशियों को अन्य कामों में लगाना आदि शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक हर साल अपनी वार्षिक आमदनी में से संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक कुछ व्यवस्था करते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण के प्रपत्रों के अनुसार जिनका सभी बैंकों को कड़ाई से पालन करना होता है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार बैंकों को उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि अथवा ब्यौरे प्रकट करने से सांविधिक सुरक्षा प्राप्त है जिनके लिए लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गई होती है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कई विदेशी शाखाओं को भी पिछले तीन वर्षों में घाटा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इन हानियों के कई कारण हैं जैसे अन्य देशों में स्थापित किए गए कुछ बड़े भारतीय संयुक्त उद्यमों की परियोजनाओं के अर्थक्षम न रह जाना, कुछ देशों से विदेशी मुद्रा में भुगतान की राशियां न मिलने की समस्याएं, ऋणकर्ताओं का कई संस्थाओं द्वारा वित्तपोषण, कुछ मामलों में स्थानीय प्रबन्ध द्वारा अविवेकपूर्ण और अप्राधिकृत रूप से ऋण दिया जाना आदि।

व्यापारिक घरानों पर आयकर संबंधी छापों का विरोध

*573. **श्री पी०एम० सईद** :

श्री संतोष मोहन देव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान आयकर विभाग द्वारा कतिपय व्यापारिक घरानों पर मारे गए छापों के वांछित परिणाम निकले हैं;

(ख) उन व्यापारिक घरानों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है जिन पर छापे मारे गए हैं और प्रत्येक मामले में करों की कितनी चोरी पकड़ी गई है;

(ग) क्या इन छापों के विरुद्ध उद्योगपतियों या व्यापारिक घरानों ने सरकार से कुछ विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो विरोध का स्वरूप क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक घरानों/औद्योगिक संस्थानों की संख्या तथा नाम और मारे गए छापों के परिणामस्वरूप पता चली उनके द्वारा की गई कर की तथा कथित चोरी का ब्योरा निम्नानुसार है :

	अभिग्रहणों/की गई कर की चोरी का कुल मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1. बजाज ग्रुप	1.18
2. श्री बन्सी लाल नारायण दास जावेरी	1.25
3. मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड	5.00
4. मैसर्स सोमानी पिल्किंगटन्स लि०	1.00
5. मैसर्स शारदा प्लाईवुड	2.00
6. मैसर्स एम०एम० रबड़ कम्पनी लि०	2.00
7. मैसर्स किर्लोस्कर ग्रुप	22.70
8. श्री राम रेफ्रिजरेशन इण्डस्ट्रीज	1.35
9. पुनालुर पेपर मिल्स	5.00
10. वोल्टास लिमिटेड	6.43
11. आर०के० सिल्क मिल्स (प्रा०) लि०	1.02

(ग) जी, हाँ।

(घ) विरोध सामान्यतया तथाकथित परेशान करने/शक्तियों के तथाकथित दुरुपयोग, अनावश्यक प्रचार आदि से संबंधित थे। जांच करने पर ये सभी शिकायतें निराधार पाई गई।

त्रिपुरा में चाय बागान मालिकों की ओर आयकर की बकाया राशि

*574. **श्री अजय विश्वास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में चाय-बागान मालिकों की ओर (बागान-वार पृथक-पृथक) आयकर की कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) आयकर की बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) त्रिपुरा में चाय बागान के मालिकों से प्राप्य आयकर की कुल बकाया राशि -,59,901 रुपये है। यह बकाया राशि केवल एक चाय बागान अर्थात् मैसर्स वेदव्रत चक्रवर्ती और अन्य (मालिक मेघलिक बाउंड टी एस्टेट) की तरफ है। यह मांग गोहाटी उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई है।

रुग्ण एककों की सहायता

*575. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** :

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े तथा लघु क्षेत्रों के ऐसे कितने रुग्ण एकक हैं, जिन्हें सक्षम बनने तथा पुनः स्थापन के लिए अब भी करों में रियायत आदि जैसी सरकारी सहायता की आवश्यकता है;

(ख) क्या इन एककों को सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) बड़े तथा लघु एककों के पृथक-पृथक कितने कर्मचारी प्रभावित हैं और उनकी सहायता करने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, दिसम्बर 1984 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों से सहायता प्राप्त करने वाले बड़े मझौले और लघु रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या क्रमश: 545, 1287 और 91,450 थी। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं पर इस बात पर बल दिया है कि वे किसी औद्योगिक एकक में रुग्णता का पता प्रारम्भिक अवस्था में ही लगाएं, अर्थक्षमता सम्बन्धी अध्ययन करें और ऐसे रुग्ण एककों का वित्तपोषण करें जो सम्भावित रूप से सक्षम समझे जाएं। बैंक और वित्तीय संस्थाएं सम्भावित अर्थक्षम एककों के बारे अलग-अलग मामले के आधार पर पुनरुद्धार कार्यक्रम तैयार करते हैं जिनमें दीर्घावधिक तथा अल्पावधिक दोनों उपाय शामिल होते हैं।

(ग) श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि रुग्ण एककों के प्रभावित श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 1985 में एककों के बन्द हो जाने का 24045 श्रमिकों पर असर पड़ा था।

[अनुवाद]

पंजाब और सिन्ध बैंक द्वारा शाखा कार्यालय खोलने के लिए उच्च दर पर ठेका देना

5255. **डा० गुलाम याजदानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और सिन्ध बैंक ने कोलाबा क्षेत्र में अपनी शाखा कार्यालय इन्टर नेशनल बैंकिंग डिवीजन बम्बई, खोला था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए लाइसेंस में केवल नरीमन प्वाइन्ट क्षेत्र में इन्टर नेशनल बैंकिंग डिवीजन खोलने का निर्देश दिया गया है।

(ख) क्या बैंक द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि का ठेका नरीमान पाइन्ट क्षेत्र में विद्यमान किराए से अधिक मूल्य पर दिया गया था और निश्चित रूप से यह कोलाबा क्षेत्र में विद्यमान बाजार मूल्यों से अधिक मूल्य पर अधिगृहीत की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि नरीमन पाइन्ट क्षेत्र में भूमि के लिए बैंक को काफी प्रस्ताव प्राप्त हुए लेकिन बिना किसी कारण के उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई बैंक अधिकारी शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक का इन्टर नेशनल बैंकिंग डिवीजन उस स्थान पर है जिसके लिए उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी किया गया था।

(ख) से (ङ) पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने सूचित किया है कि उसने स्थान के लिए विज्ञापन दिया था और उसके उत्तर में प्राप्त सभी पक्के प्रस्तावों में से सर्वोत्तम प्रस्ताव को, सभी प्रस्तावों के परस्पर गुणदोषों की बारीकी से जांच करने के आधार पर चुना था।

पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा त्रिपुरा को दी गई सहायता

5256. **श्री गदाधर साहा** : क्या **वस्त्र मंत्री** पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा त्रिपुरा को दी गई सहायता के बारे में 20 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4909 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो सूचना कब तक प्राप्त होगी और उसे सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां लोक सभा के अतरांकित प्रश्न सं० 4909 दिनांक 20-12-85 से उद्भूत आश्वासन को पूरा करने की कार्यान्वयन रिपोर्ट सभा पटल पर रखने के लिए प्रस्तुत की जा चुकी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार द्वारा साप्ताहिक छुट्टियों का अनुपालन

5257. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार ऐसे दो प्रमुख सहकारी संस्थान हैं जो जनता और सरकारी कर्मचारियों को दैनिक जरूरत का सामान उपलब्ध कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों में साप्ताहिक छुट्टियां मनाने और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा गांधी जी का जन्म दिवस, इन तीन राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर इन संस्थानों में दैनिक जरूरत के सामान की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कर्मचारियों को एक-एक कर के बारी-बारी से साप्ताहिक अवकाश देकर सप्ताह पर्यन्त न चलाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन संस्थानों को तदनुसार आदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थित दि कोआपरेटिव स्टोर्स लि० (जो सुपर बाजार के नाम से लोकप्रिय है) तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी समिति लि० (केन्द्रीय भण्डार) की शाखाओं को विभिन्न क्षेत्रों में लागू होने वाली दिल्ली प्रशासन की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार सप्ताह में एक बार छुट्टी करनी होती है । इन भण्डारों द्वारा, शाखाओं के कर्मचारियों की छुट्टी के दिनों में काम करने के लिए बारी-बारी से ड्यूटी लगाना सम्भव नहीं समझा गया है ।

(ग) जी नहीं

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड और मैसर्स कूल क्राउन कोर्कस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता का उल्लंघन

5258. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड और मैसर्स कूल क्राउन कोर्कस प्राइवेट लिमिटेड को 10 नवम्बर, 1984 को क्रमशः 30,000 बोतलें प्रति घंटा भरने के बोटलिंग प्लांट और 60,000 ढक्कन प्रति घंटा लगाने के क्राउन प्लांट का लाइसेंस मिला था;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक मामले में अत्यधिक उच्च क्षमता के प्लांटों का आयात किया गया है;

(ग) क्या प्लांटों के बीजक में लाइसेंस के अनुसार या लदान के अनुसार क्षमता आकार का उल्लेख किया गया है; और

(घ) लाइसेंस प्राप्त क्षमता का उल्लंघन करने के लिए कंपनियों के विरुद्ध क्या कारंवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० और मैसर्स कूल् क्राउन क्राप प्रा० लि० ने नवम्बर 1984 के शुरू में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान नष्ट क्षतिग्रस्त हुई बताई गई मशीनरी के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन दिए थे। उन पर उद्योग मंत्रालय में सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारियों से ऐसे एककों के शीघ्र पुनस्थापना के लिए अपनायी जाने वाली नीति के अनुसार परामर्श करके विचार किया गया और निर्बाधित किया गया। तदनुसार, आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए एककों को निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गये :—

(1) मैं० प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० को (1) 1 नं० फिलर तथा क्राउनर एसेम्वली क्षमता 320 बोतल प्रति मिनट दर 40 लाख रु० प्रत्येक 1 नं० फिलर तथा क्राउनर एसेम्बली क्षमता 500 बोलत प्रति मिनट (अर्थात 30,000 बोतल प्रति घण्टा) और सम्बद्ध सहायक सामान आदि के आयात के लिए 240 लाख रु० की सी आई एफ मूल्य के लिए एक आयात लाइसेंस दिया गया था।

(2) मैं० कूल क्राउन कार्क लि०, नई दिल्ली को 60,000 क्राउन प्रति घण्टा की क्षमता वाली 1 नं० आटोमेटिक क्राउन कार्क मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी जिसमें (क) टिटान प्रैस (ख) आटोमैटिक पी वी सी कम्पाउन्ड इनजैक्टिंग मशीनरी (ग) तथा अतिरिक्त पुर्जे शामिल हैं, के आयात के लिए 70 लाख रु०के सी आई एफ मूल्य के लिए एक आयात लाइसेंस दिया गया था।

(ख) से (घ) सम्बन्धित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन लाइसेंस जारी किए गए थे। फर्मों ने चार्टर्ड इंजीनियर के यह प्रमाणित करने वाले प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं कि मशीनें इस प्रकार नष्ट हुई थीं कि उनकी मरम्मत होना नामुमकिन था और आयात की जाने वाली प्रस्तावित मशीनरी उसी क्षमता की है जो पहले से संस्थापित थीं।

अपरिष्कृत चीनी का आयात

5259. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने की पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण महाराष्ट्र में अनेक चीनी कारखाने बन्द होने की स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन चीनी कारखानों को आयातित अपरिष्कृत चीनी से चीनी का उत्पादन करने की स्वीकृति देने का प्रस्ताव दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो इस संबंध में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) गन्ने की कमी होने सहित विभिन्न कारणों की वजह से 1985-86 मौसम में महाराष्ट्र की केवल 4 चीनी फैक्ट्रियों ने उत्पादन कार्य नहीं किया था। 1985-86 मौसम के दौरान महाराष्ट्र में जिन 87 फैक्ट्रियों ने कार्य किया था, उन्होंने 15 मार्च, 1986 तक 19.93 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन किया था जबकि 1984-85 मौसम में तदनुरूपी तारीख तक उन्होंने 18.36 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है और इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है।

भारतीय आर्थिक सेवा के सदस्यों की शिकायतें

5260. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

श्री सैफुद्दीन चौधरी :

श्री विष्णु मोदी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की श्रेणी-वार वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) क्या इस सेवा के अधिकारियों ने सरकार को अपनी शिकायतों के बारे याचिका प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय आर्थिक सेवा के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या निम्नलिखित है :—

ग्रेड I	= 39
ग्रेड II	= 50
ग्रेड III	= 176
ग्रेड IV	= 259

(ख) जी, हां।

(ग) याचिका दायर करने वालों की मुख्य शिकायत सेवा के संवर्ग ढांचे के संबंध में है।

यद्यपि कुछ पहलू चौथे वेतन आयोग, के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जिसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है, फिर भी कुछ एक शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। संवर्ग के ढांचे के संबंध में मुख्य शिकायत को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने संवर्ग के व्यापक पुनरीक्षण का काम शुरू किया था। लेकिन इसी बीच माननीय उच्चतम न्यायालय ने 11-2-1986 को 1979 की याचिका संख्या 1595 के संबंध में अपने निर्णय में भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड IV के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को संशोधित करने और अब तक की गई सभी पदोन्नतियों की समीक्षा करने के आदेश दिए थे। इसलिए, माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन के बाद ही संवर्ग पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा।

माप और तोल अधिनियम के अन्तर्गत सिगरेटों के पैकेट

5261. **श्री सी० सम्बु :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री किए जाने वाले सिगरेट के पैकेट मानक माप और तोल अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिनियम के कार्यान्वयन में सिगरेट के पैकेट पर छपे मूल्यों को इसमें शामिल किया जाएगा; और

(ग) सिगरेट निर्माता खुदरा विक्रेताओं के लिए किस प्रकार लाभ दिखा रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बाट तथा माप, मानक अधिनियम, 1976 के तहत पैकेज में रखी कोई वस्तु, जिसे अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है अथवा बेचा जाना आशयित है, पर अन्य बातों के अलावा विक्रय मूल्य की घोषणा होनी आवश्यक है। अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार खुदरा विक्रेता को ग्राहक से पैकेज पर विनिर्माता अथवा पैकर द्वारा मुद्रित विक्रय मूल्य के अलावा स्थानीय करों को छोड़कर किन्हीं अन्य प्रभारों को वसूल करने का अधिकार नहीं है। सिगरेट के पैकेटों पर अंकित विक्रय मूल्य में विक्रेताओं तथा विनिर्माताओं के लाभ का मार्जिन शामिल होता है।

तमिलनाडु में ग्रामीण परिवारों को राज सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों के वितरण की केन्द्रीय योजना

5262. **श्री एन० डेनिस :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में इस समय कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम में ग्रामीण परिवारों को राज सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों का वितरण करने की केन्द्रीय योजना के लिए किए जाने वाले तमिलनाडु में अधिसूचित किए जाने वाले ग्रामीण परिवारों की और जिलों की संख्या और नाम संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) तमिलनाडु को दी गई चावल, गेहूं की मात्रा और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) यह योजना तमिलनाडु के निम्नलिखित 5 जिलों में फैले हुए 9 समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में लागू की गई है:—

क्रम संख्या	जिले का नाम
1.	सलेम
2.	उत्तरी आरकाट
3.	दक्षिणी आरकाट
4.	धर्मपुरी
5.	तिरुचिरापल्ली

इसमें लगभग 2.5 लाख जनसंख्या (198 जनगणना) आती है।

(ख) इस योजना के अधीन केवल गेहूं और चावल विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर उपलब्ध किया जाता है। राज्य सरकार ने इस योजना को 10 मार्च, 1986 से कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी किए हैं और उठायी गई मात्रा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

मल्टी फाइबर एग्रीमेंट

5263. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय 'मल्टीफाइबर एग्रीमेंट' (एम एल ए) के संबंध में भारत को अलग तथा विफल करने का प्रयास कर रहा है जिससे देश के वस्त्रों और सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात को भारी धक्का लगेगा; जैसाकि 7 मार्च 1986 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। उठाने का विचार है;

(ग) क्या ब्रू सेल्स स्थित हमारी एम्बेसी को इस समस्या के बारे में पता है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उनका सुझाव क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) वर्तमान बहुरेशा प्रबन्ध के 31 जुलाई, 1986 को समाप्त हो जाने के बाद वस्त्रों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के भविष्य के सम्बन्ध में गाट में इस समय वार्ताएं चल रही हैं। वार्ताओं में सभी प्रमुख वस्त्र निर्यातक और आयातक देश जिनमें भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय शामिल हैं, भाग ले रहे हैं। इस सन्दर्भ में निर्यातक विकासशील देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित देशों द्वारा बहुराष्ट्री वचनबद्धताओं, जिनमें 1982 में गाट मत्रियों द्वारा की गयी वचनबद्धताएं शामिल हैं, को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। इन वचनबद्धताओं में वस्त्रों तथा कपड़े के निर्यातों पर प्रतिबन्धों के पर्याप्त उदारीकरण और इन उत्पादों के विकासशील से विकसित देशों को निर्यात करने वाली प्रतिबंधात्मक तथा विभेदकारी प्रणाली को समाप्त करने की व्यवस्था है। चूंकि वार्ताएं चल रही हैं इसलिए भागीदारों की स्थिति पर टिप्पणी करना सम्भव नहीं है।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सिंगल विन्डो सर्विस आरम्भ करना

5264. **डा० टी. कल्पना देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के चैयरमैन ने केवल पत्रकारों के लिए "सिंगल विन्डो सर्विस" आरम्भ की है, जैसा कि 3 मार्च, 1986 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका विस्तार पूरे देश में करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पालिसीधारकों को पूरे देश में बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से जीवन बीमा निगम के कार्यचालन का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और शाखाओं को पर्याप्त शक्तियां दे दी गई है।

बी ग्रेड लिपिकों को उच्च श्रेणी लिपिक के समान करना

5265. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय के मालिनी धनजी पिंगले की याचिका संख्या 890 पर दिये गये फैसले पर सभी दर्जा घटाते हुए "बी" ग्रेड लिपिकों को उच्च श्रेणी लिपिक के समान करने के लिए 1979 के इस फैसले को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में इन अनुदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सभी दर्जा घटाये "बी" ग्रेड लिपिकों को उच्च श्रेणी लिपिकों के बराबर करने संबंधी उच्च न्यायालय के इस निर्णय को अक्षरश: किस प्रकार से कर्यान्वित करने का विचार है; और

(ङ) क्या बम्बई उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) मालिनी धनजी पिंगले की 1979 की रिट याचिका संख्या 890 में 23.7.1979 को दिए गये बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के भूतपूर्व ग्रेड "ख" लिपिक जो 1. 1. 1947 से पहले 60-120 रुपये के वेतनमान में थे और जिन्हें प्रथम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1. 1. 1947 से 55-130 रुपये के वेतनमान में कर दिया गया था, उन्हें 1. 1.1947 से उस समय केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिकों के पद पर लागू 80-220 रुपये के वेतनमान में रखा गया था। यद्यपि इस संबंध में कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किये गये किन्तु अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों/कार्यालयों में कार्यरत ग्रेड "ख" लिपिकों के ऐसे प्रत्येक मामले में समान लाभ प्रदान करने के लिए संबंधित विभाग/कार्यालय से संदर्भ आने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। 1979 की रिट याचिका संख्या 890 में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की 5 प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

टूअर्स चाय बगानों को कोयले और बिजली की सप्लाई

5266. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टूअर्स चाय बागान में बिजली और कोयले की कमी के कारण अच्छी किस्म की चाय के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे इस क्षेत्र में स्थित चाय बगानों को अपेक्षित कोयले की सप्लाई करने में सहयोग नहीं दे रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आधुनिक ईंधन प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक बेहतर किस्म के कोयले की सप्लाई के लिए अनेक अभ्यावेदन करने के बावजूद चाय बागानों को घटिया किस्म कोयले की सप्लाई की जाती है; और

(घ) टूअर्स चाय बागानों की मांगें पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) इस क्षेत्र में चाय एस्टेटों को बिजली और अपेक्षित ग्रेड के कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के बारे उत्तरी बंगाल के चाय उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चाय बोर्ड मामलों के समाधान के लिए सम्बन्धित एजेंसियों से लगातार सम्पर्क में रहा है।

संगीत कैसटों की चोरी के कारण राजस्व की हानि

5267. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वित्तमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगीत कैसेटों की चोरी अब गम्भीर समस्या बन गई है और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कोष को लगभग 80 करोड़ रुपए की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्व की हानि को रोकने के लिए इस मामले में सरकार का क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) संगीत केसेटों की चोरी के सम्बन्ध में रिर्पोटें सरकार की जानकारी में आयी हैं। दिनांक । मार्च, 1984 से आवाज रिकार्ड किए कैसेट टेपों पर उत्पादन शुल्क से पूर्णतः छूट दी गई थी परिणामतः इस बारे में किसी भी तरह की राजस्व हानि नहीं हो सकती।

(ख) संगीत कैसेटों की चोरी को रोकने के लिए, कापीराइट अधिनियम, 1957, कापीराइट संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित किया गया था, जो 8 अक्तूबर, 1984 से लागू हुआ था, ताकि कापीराइट उल्लंघन के लिए सजा को बढ़ाया जा सके और इस प्रकार ऐसे दुरुपयोग के मामलों पर निवारक प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि, कापीराइट स्वामित्व अधिकार है और यह कापीराइट के मालिकों के लिए है कि वे अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए उचित न्यायालयों में सिविल और अपराधिक कार्यवाहियां शुरू करें।

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत

5268. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्तिमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान देश में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों में यह कितनी थी;

(ख) क्या उक्त खपत बढ़ रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस खपत को बढ़ाने और भूख के कारण मौतें न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गये है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) 1983, 1984 और 1985 के वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की अखिल भारत प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता निम्नानुसार थी :—

वर्ष	खाद्यान्न (ग्राम प्रति दिन)
1983 (अ०)	436.4
1984 (अ०)	477.9
1985 (अ०)	463.3

(अ०)-अनन्तिम)

ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब जनता के संबंध में अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता 1984 में बढ़कर 477.9 ग्राम प्रतिदिन हो गई और 1985 में यह घटकर 463.3 ग्राम प्रतिदिन हो गई । यह उपलब्धता मुख्यता देश में उत्पादन पर निर्भर करती है।

(ग) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न जारी करने के लिए उठाए गए पगों के अलावा, जनता के कमजोर और निर्बल लोगों की दशा सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों में रह रहे लोगों को रियासती मूल्य पर खाद्यान्नों का वितरण करना;

2. तरूणों, गर्भवती महिलाओं और धाय माताओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम के अधीन अधिक क्षेत्र को लाया गया है; और

3. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्रों को लाया गया है।

भारत में चिट फंड कम्पनियां

5269. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) देश में राज्य-वार कितनी श्राफ कम्पनियां (चिट फंड) कम्पनियां काम कर रही हैं;

(ख) इनमें से कितनी कम्पनियां पंजीकृत हैं;

(ग) इन कम्पनियों में कुल कितनी राशि जमा हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी कम्पनियां भुगतान करने के सम्बन्ध में चूककर्ता रहीं;

(ङ) इससे कितने व्यक्ति प्रभावित हुए और कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(च) क्या यह सच है कि चिट फंड कम्पनियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है; और

(छ) इन कम्पनियों को अपना व्यापार चलाने की अनुमति देने के लिए सामान्य नियम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा रखी गई सूची के अनुसार 31-1-.986 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित चिट फंड कम्पनियों की संख्या 2337 थी। इनका राज्य-वार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इसके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इनमें कितनी कम्पनियां काम कर रही हैं।

(ग) जमा राशियों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 641 चिट फण्ड कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना के नुसार विनियमित जमा राशियों और छूट प्राप्त जमा राशियों की राशि का 31-3-84 का विवरण इस प्रकार था : —

	(करोड़ रुपये में)
विनियमित जमा राशियां	1.5
छूट प्राप्त जमा राशियां (चिट अभिदान सहित)	380.7

(घ) और (ङ) : भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना पद्धति से अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं होती ।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कम्पनी क्षेत्र की चिट फंड कम्पनियों और उसकी डाक सूची में सम्मिलित चिट फंड कम्पनियों की संख्या जो 31-1-1982 में 1220 थी, जनवरी 1986 में बढ़कर 2337 हो गई ।

(छ) चिट फंड कारोबार और सम्बन्धित मामलों को विनिमित करने के विचार से सरकार ने चिट फंड अधिनियम, 1982 अधिनियमित किया है । इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए राज्य सरकारों से भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से नियम बनाने की अपेक्षा की जाती है । अभी तक 11 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने की सूचना दी है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले पर अन्य राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई की जा रही है ।

विवरण

31-1-1986 को भारतीय रिजर्व बैंक की डाक सूची में सम्मिलित चिट फंड कम्पनियों का राज्य-वार वितरण

राज्य का नाम	चिट फंड कम्पनियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	300
असम	6
बिहार	6
चण्डीगढ़	3
दिल्ली	820
गुजरात	56
गोवा, दमण और दीव	1
हरियाणा	10
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू व कश्मीर	1
केरल	373
कर्नाटक	158
मध्य प्रदेश	8
महाराष्ट्र	65
पांडिचेरी	17
पंजाब	30
तमिलनाडु	442
उत्तर प्रदेश	26
पश्चिम बंगाल	14
जोड़ :	2337

उड़ीसा से लौह-अयस्क का निर्यात

5270. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में दैतारी टोम्का क्षेत्र से लौह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात के लिए दैतारी-टोम्का क्षेत्र से कुल कितना लौह-अयस्क खरीदा गया है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) अप्रैल 85 से जनवरी 86 तक उड़ीसा में दैतारी टोमका क्षेत्र से निर्यात के लिए लौह-अयस्क की खरीद 3.67 लाख मैं० टन (लगभग) तक हो गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात के लिए इस क्षेत्र से खरीदी गई लौह-अयस्क की कुल मात्रा 1982-83 में 1.30 लाख मैं० टन, 1983-84 में 0.53 लाख मैं० टन तथा 1984-85 में 2.55 लाख मैं० टन थी।

शहरी उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के विकास की योजना

5271. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शहरी उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के विकास के लिए कोई योजना प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरी क्षेत्रों में ऐसे भण्डार खोलने के मुख्य प्रयोजन क्या हैं; और

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे भण्डार खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए 1971-72 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी उपभोक्ता सहकारी समितियों को निम्नांकित कार्यों के लिए सहायता देने हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है :—

(1) विभागीय भण्डार, बड़े/छोटे आकार के खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने और चलती-फिरती वैनों के लिए।

(2) उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना के लिए।

(3) कमजोर थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों (तथा पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में राज्य सहकारी संघों) की पुनर्स्थापना के लिए और

(4) राज्य स्तर के उपभोक्ता सहकारी संघ और विपणन एवं उपभोक्ता संघों को उनके व्यापार में विविधीकरण लाने और विकास करने हेतु मजबूत बनाने के लिए।

(ग) शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विकास करने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता सहकारी

आन्दोलन को मजबूत और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि मूल्य ढांचे पर स्वस्थ प्रभाव पड़ सके।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और बड़े आकार की कृषि बहुउद्देश्य समितियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करने के लिए केन्द्र सरकार पहले से ही ऐसी सहकारी समितियों को उपान्त धन-राशि देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से एक योजना कार्यान्वित कर रही है, ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण कर सकें।

उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में ठेका मजदूरों को स्थाई करना

5272. **श्री चिन्ता मणि जेना :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में कार्य कर रहे सैकड़ों ठेका मजदूरों को उनके बार-बार अभ्यावेदन देने के बावजूद भी स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उड़ीसा में किन-किन गोदामों में ठेका मजदूरों को स्थायी नहीं किया गया है और ठेका मजदूरों की संख्या कितनी है तथा वो कितने समय से कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या यह सच है कि ऐसे अनेक गोदामों में ठेका मजदूर 10 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं; यदि हां, तो ऐसे मजदूरों की संख्या क्या है;

(ङ) उन्हें स्थाई करने के लिए क्या मानदण्ड है; और

(च) उन्हें कब तक स्थायी किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम के परिचालन एक मौसम से दूसरे मौसम में और दिन-प्रतिदिन भी भिन्न-भिन्न होते हैं, ऐसी स्थिति में, जब परिचालन एक समान नहीं होते हैं, उड़ीसा में स्थित 31 डिपुओं में सर्विस ठेकेदारों के जरिए कार्य किया जाता है जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने श्रमिकों को काम पर लगाते हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगस के पास ऐसे श्रमिकों का रिकार्ड नहीं है जो सर्विस ठेकेदारों द्वारों काम पर लगाए जाते हैं।

(ङ) और (च) भारतीय खाद्य निगम सर्विस ठेकेदारों द्वारा लगाए गए श्रमिकों के साथ सीधे नियोक्ता—कर्मचारी सम्बन्ध नहीं रखता है। अतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन्हें स्थायी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

5273. **श्री के० कुन्जम्बु :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों के नागरिक पूर्ति निगमों को गोदामों आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) केरल नागरिक पूर्ति आयोग को इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालयमेंराज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा): जी हां। इस समय नागरिक आपूर्ति निगमों को मजबूत करने/स्थापित करने तथा गोदामों का निर्माण करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को सहायता देने की केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना चल रही है। वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को 14 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सहारनपुर यूनिट में कुप्रबन्ध

5274. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सहारनपुर यूनिट में प्रबंधकीय तथा पर्यवेक्षण कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस यूनिट के प्रबंधक उत्पाद की कम लागत मूल्य पर कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह उक्त यूनिट की रुग्णता का मुख्य कारण है;

(घ) क्या उक्त एकक को बन्द करने की कोई अफवाह है ? और

(ङ) यदि हां, तो यूनिट के पुनरुज्जीवित हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर में प्रबन्धकों तथा वरिष्ठ सुपरवाइजरी स्टाफ की सख्या एन टी सी लि० के बोर्ड (उ० प्र०) द्वारा विधिवत अनुमोदित काम की आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत सख्या के अन्दर है। तथापि, कुछ क्षेत्रों में, जहां गैर अर्हता प्राप्त कनिष्ठ सुपरवाइजर हैं, जो मिल के भूतपूर्व प्रबन्ध से चले आ रहे हैं, वहां अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को तैनात करके सुपरवीजन को मजबूत बनाया गया है।

(ख) लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स अपना कपड़ा तथा यार्न बाजार में चल रही दरों को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी दरों पर बेचती है। कपड़े तथा यार्न की न्यूनतम कीमतों की समीक्षा तथा उनका निर्धारण समय-समय पर केन्द्रीय बिक्री समिति द्वारा बाजार में अन्य मिलों की दरों, एन टी सी के अन्तर्गत विभिन्न मिलों की दरों को ध्यान में रखते हुए लागत पर ध्यान न देते हुए अनुषंगी स्तर पर दिया जाता है और तदनुसार मिलों को ऐसी निर्धारित कीमतों पर बिक्री करने की सलाह दी जाती है। लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल की उत्पादन लागत पुरानी तथा अप्रचलित मशीनों, श्रमिकों की अधिकता आदि के कारण बिक्री कीमत से अधिक है।

(ग) एन टी सी की सबसे कमजोर 8 मिलों के, जिनमें लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल भी शामिल है, के कार्य संचालन की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने इन मिलों के निरन्तर घाटे के निम्नलिखित प्रमुख कारण बताये हैं :—

(1) अप्रचलित तथा पुरानी मशीनरी;

(2) दोषपूर्ण नक्शा;

(3) घटिया रख रखाव;

(4) अपर्याप्त आधुनिकीकरण;

(5) उच्च श्रमिक संस्था;

(6) कम उत्पादकता;

(7) उत्पाद की घटिया क्वालिटी तथा कम बिक्री वसूली।

(घ) और (ङ) वस्त्र नीति में बताया गया है कि उन एककों के निरन्तर चलाए जाने का, जो कि सक्षम बनाए जाने योग्य नहीं हैं, अर्थ होगा सीमित साधनों पर निरन्तर अपक्षम तथा ऐसे एकक अथवा उसके किसी भी भाग को आगे होने वाले घाटों को रोकने के लिए बन्द करना पड़ सकता है। तथापि, अभी तक किसी मिल के बन्द होने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विदेशों से आने वाले बौद्ध यात्रियों/पर्यटकों के लिए पर्यटक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

5275. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान तथा इस वर्ष विदेशों से कितने बौद्ध तीर्थयात्री/पर्यटक भारत यात्रा पर आए;

(ख) उन्होंने भारत में किन-किन स्थानों की यात्रा की; और

(ग) क्या उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष रूप से बौद्ध केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) और (ख) विदेशों से भारत की यात्रा पर आने वाले बौद्ध तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, विदेशी पर्यटक जिन प्रमुख बौद्ध स्थानों की यात्रा करते हैं उनके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, बिहार में राजगीर पाटलिपुत्र (पटना), बोध गया और वैशाली, मध्य प्रदेश में सांची और महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा हैं।

(ग) जी, हां। नगर व ग्राम आयोजना संगठन के जरिए कुशीनगर, श्रावस्ती, पिपरवाह (कपिलवस्तु) बोधगया, राजगीर और नालंदा की मास्टर प्लानें और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद, के जरिए कुशीनगर-श्रावस्ती की माइक्रो प्लानें तैयार कराई गई हैं।

उत्तर प्रदेश और बिहार में बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी बौद्ध केन्द्रों को शामिल करते हुए एक एकीकृत मास्टर प्लान संबंधित राज्य सरकारों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोजन से प्रारम्भ की गई है।

विभाग ने सभी संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने राज्य के बौद्ध केन्द्रों का विकास करने संबंधी प्रस्ताव भिजवायें ताकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किया जा सके।

हिमाचल के क्षेत्र में पैदल पथ के विकास के लिये सहायता योजना

5276. **श्री दिनेश सिंह** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमालय के क्षेत्र में पैदल पथ के विकास के लिये सहायता देने संबंधी कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच०के०एल०भगत) : (क) जी हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विभाग ने पश्चिम बंगाल में ट्रैकर्स हट्स का निर्माण करने और पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर में ट्रैकिंग उपकरणों की खरीद करने के लिए धन-राशि रिलीज की थी।

चालू योजना के दौरान, सिक्किम में ट्रैकर्स हट्स का निर्माण करने और ट्रैकिंग उपकरणों की खरीद करने के लिए धन-राशि रिलीज की गई है।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने ट्रैकिंग सहित हिमालय पर्यटन का संवर्धन करने के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए हिमालय पर्यटन परिषद् की स्थापना की है। इसमें संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों और विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होगा।

निगमित कर और वैयक्तिक आयकर की वसूली में वृद्धि

5277. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित कर और वैयक्तिक आयकर में (एक) 80-जे के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय (दो) बैंकों के पास जमा वसूल न की जा सकने वाली धनराशि पर ब्याज के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय और (तीन) बकाया राशि की वसूली और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर की अदायगी से प्रत्येक में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) निगमित कर और वैयक्तिक आयकर की दरों में कमी के कारण कुल कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1983-84 के मुकाबले वर्ष 1984-85 के दौरान निगमित करों और वैयक्तिक आयकर की वसूली में हुई वृद्धि के अलग-अलग आंकड़े केवल बकाया मांग में से हुई वसूली के संबंध में ही उपलब्ध हैं। यह आंकड़े इस प्रकार हैं:—

	(करोड़ रुपए में)	
निम्नलिखित की तरफ-बकाया मांग में से वसूली/घटौती	1983-84	1984-85
(क) कम्पनियां	331.00	443.26
(ख) गैर कम्पनियां	348.64	460.29

वर्ष 1984-85 के दौरान, बैंकों सहित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 1577.26 करोड़ रुपए के निगमित कर अदा किए गए।

(ख) निगमित करों और वैयक्तिक आयकर की दरों में घटौती के कारण हुई शुद्ध वृद्धि का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

दिल्ली में और स्टाक एक्सचेंज खोलना

5278. **सलीम आई० शेरवानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जैसे प्रगतिशील महानगर में जनहित में केवल एक ही स्टाक एक्सचेंज पर्याप्त है,

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार जनता की सुविधा के लिए उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली में दो या तीन और स्टाक ऐक्सचेंज खोलने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) दिल्ली में विद्यमान दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, लोक-हित प्रयोजनीय कार्य कर रही है।

(ख) सरकार स्टाक एक्सचेंज नहीं खोलती है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सुपर बाजार में कार्यरत सेवानिवृत्ति व्यक्ति

5279. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार के कुछ विभागों में अनेक सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के 8-9 वर्षों बाद भी कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सेवाकाल न बढ़ाने के प्रधानमंत्री के निर्देश के विपरीत नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सेवानिवृत्त व्यक्तियों को सुपर बाजार की सेवा में रखने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के०पांजा) (क) से (ग) सुपर बाजार, दि कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली के सेवा नियमों के अन्तर्गत एक कर्मचारी 60 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त होता है। नियमों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 65 वर्ष की आयु तक पुन: नियुक्ति के लिए भी प्रावधान किया गया है। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि इसके औषधि विभाग में दो व्यक्तियों अर्थात सलाहकार (औषध) और औषध वितरक एवं भेषजविज्ञ, जो अक्तूबर, 1984 और दिसम्बर 1980 में सेवानिवृत्त हुए थे, को क्रमश: 15 महीने और एक वर्ष के लिए समेकित वेतन पर रखा गया था। सुपर बाजार के अनुसार इन पदों को भरने के लिए उपयुक्त तकनीकी व्यक्ति उपयुक्त उपलब्ध न होने के कारण ऐसा किया गया था। दिल्ली प्रशासन का एक कर्मचारी, जो सुपर बाजार में 1980 से प्रतिनियुक्ति पर था, दिसम्बर, 1985 में 58 वर्ष में सेवानिवृत्ति की आयु होने पर सेवानिवृत्त हो गया था। उसे सुपर बाजार के नियमों के अनुसार 60 वर्ष की आयु होने तक पुन: नियुक्त किया गया है।

बैंकों द्वारा मछुआरों को सहायता

5280. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 मार्च, 1986 के "इक्नामिक टाइम्स", नई दिल्ली में प्रकाशित "यूजर्स स्टिल नेट इन उड़ीसा फिश फोल्क" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उनका विचार इस शोषण से बचाने के लिए इन निर्धन मछुआरों के परिवारों की सहायता के लिए एक योजना शुरू करने हेतु, कुछ राष्ट्रीयकृत बेंकों को निदेश देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां, ।

(ख) से (घ) यूको बेंक ने सूचित किया है कि उसकी बानपुर शाखा ने उड़ीसा अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निगम की आर्थिक सहायता से सहकारी समितियों के संगठन के जरिए चिल्का झील के मछुओं की सहायता करने की एक आरम्भिक योजना शुरू की है। बेंक ने बताया है कि उस शाखा ने 663 मछुओं को 23.50 लाख रुपए के ऋण मंजूर किए हैं और 23.23 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बेंक ने सूचित किया है कि एक सहकारी समिति के अनुसूचित जातियों के 311 मछुओं के लिए चिल्का झील क्षेत्र में 10.89 लाख रुपए के परिव्यय से एक योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय बेंक ने यह भी बताया है कि इस क्षेत्र में इंडियन ओवरसीज बेंक, भारतीय स्टेट बेंक आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के कुछ बेंक भी मछुओं की प्राथमिक सहकारी समितियों का वित्तपोषण कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कानपुर में कम्पनियों, अविभक्त हिन्दू परिवारों और व्यक्तियों की ओर बकाया आयकर और उत्पादन शुल्क

5281. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर महानगर में इन कम्पनियों, अविभक्त हिन्दू परिवारों और अन्य व्यक्तियों के अलग-अलग नाम क्या हैं जिनके नाम पर आयकर और उत्पादन शुल्क की 5 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि बकाया है और यह राशि कितने समय से बकाया है;

(ख) न्यायालयों में लम्बित अपीलों को शीघ्र निपटाने और राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) प्रत्येक मामला न्यायालय में किस तारीख से अनिर्णीत पड़ा है और इस समय करों की वसूली के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी (क) से (ग) : सूचना यथा संभव सीमा तक एकत्र की जा रही है और उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

दीर्घकालीन वित्तीय नीति

5282. **श्रीमती डी० के० भंडारी**

डा० डी० एन० रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत है कि दीर्घकालीन वित्तीय नीति में भारी वित्तीय घाटे पर बहुत अधिक निर्भरता दिखाई गई है और सार्वजनिक उपभोग व्यय के नियंत्रण के बारे में भी कोई पर्याप्त निदेश नहीं दिए गए हैं, और

(ख) क्या यह सच है कि दीर्घकालीन वित्तीय नीति में जन शक्ति को ध्यान में नहीं रखा गया तथा महिलाओं और बन्धुआ मजदूरों सहित हमारी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग के रहन-सहन की हालत को नजर अन्दाज किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) किसी दी गई अवधि के दौरान बजटीय घाटे के स्तर के बारे में अथवा विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में, जहां सार्वजनिक उपभोग व्यय नियन्त्रित किए जाने की आवश्यकता है, अर्थशास्त्रियों के बीच मतैक्य नहीं है। दीर्घावधिक राजकोषीय नीति में सुस्पष्ट रूप से दोहराया गया है कि हमारी योजनाएं गरीबी दूर करने के कार्यक्रम पर आधारित हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि आगामी वर्षों में केन्द्र के व्यय की व्यवस्थाओं में ऐसे कार्यक्रमों को और अधिक प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे गरीबों को लाभ हो और फसल बीमा और सामाजिक सुरक्षा के नए कार्यक्रमों के क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। दीर्घावधिक राजकोषीय नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक सहायताओं का लाभ मुख्य रूप से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को ही मिले।

हिमाचल प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं खोलना

5283. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक ने उचित सर्वेक्षण के बाद हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर में नलती और बटरान, और जिला कांगड़ा में कथोग तहसील डेरा, नई शाखाए खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी किए गए हैं और उक्त शाखाओं के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि अब तक लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं तो किस तारीख तक जारी किए जाने की संभावमा है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रैल/मई, 1985 में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नलती तथा बटरान और कागड़ा जिले में में कथोग में अपनी शाखाएं खोलने के लिए आवेदन किए थे। चूंकि वे आवेदन 1982-85 की शाखा लाइसेंसिंग नीति की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त हुए थे, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इन स्थानों में शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए। इन स्थानों पर शाखाएं खोलमे के प्रश्न पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तभी विचार

किया जाएगा यदि ये केन्द्र 1985-90 की चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पता लगाए गए केन्द्रों की अन्तिम सूची में शामिल किए गए हों ।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 'वाटर एण्ड वेस्ट वाटर अथारिटी आफ केरल" को ऋण

5284. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या "वाटर एन्ड वेस्ट वाटर अथारिटी आफ केरल" ने वर्ष 1985-86 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम मांगे गये ऋण की पूरी राशि की मंजूरी देगा;

(घ) ऋण मंजूर करने की शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ऋण राशि का उपयोग सुनिश्चित कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) "केरल वाटर एण्ड वेस्ट वाटर अथारिटी" ने जीवन बीमा निगम से कुल मिलाकर 546.81 लाख रुपए के ऋण की मांग की थी जिसमें 1985-86 में केरल राज्य में 11 नगर जलपूर्ति और मूल निकासी स्कीमों के लिए 385 लाख रुपए और 17ग्रामीण नल जलपूर्ति स्कीमों के लिए 161.81 लाख रुपए शामिल हैं । जीवन बीमा निगम ने 20 मार्च, 1986 को अथारिटी को पहले ही कुल मिलाकर 543.61 लाख रुपए की पात्र रकम का ऋण मंजूर कर दिया है और उसका भुगतान कर दिया है । इस ऋण में नगर जलपूर्ति स्कीम के लिए 385.00 लाख रुपए और ग्रामीण जलपूर्ति स्कीम के लिए 158.61 लाख रुपए की रकम शामिल हैं ।

(घ) ऋण स्वीकृति की शर्तें :

स्कीम का नाम	ब्याज की दर और अदायगी का तरीका	ऋण वापसी की अवधि	गारंटी
नगर स्कीमें	9.75 प्रतिशत छमाही	3 वर्ष की ऋणस्थगन अवधि समेत 25 बराबर वार्षिक किस्तों में	राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुदा
ग्रामीण स्कीमें	10 प्रतिशत छमाही	3 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि समेत 28 बराबर वार्षिक किस्तो में	—तदैव—

(ङ) और (च) : जीवन बीमा निगम, उक्त प्रयोजन के लिए मंजूर किए जा चुके ऋणों के उपयोग से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्टों का निरीक्षण करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि जिस वित्त वर्ष के सम्बन्ध में और ऋण मंजूर किए जा रहे हैं उस वर्ष के दौरान यथेष्ट खर्च की व्यवस्था का प्रस्ताव है और साथ ही सम्बन्धित राज्य सरकार और/अथवा सम्बन्धित प्राधि-

कारियों द्वारा भी उतना ही खर्च करने का प्रस्ताव है। नई स्कीमों के सम्बन्ध में वह वित्तीय सक्षमता की जांच-पड़ताल करता है और यह देखता है कि इन स्कीमों के सम्बन्ध में उपयुक्त प्राधिकारियों से प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी ले ली गई है।

बैंकों से सहायता प्राप्त करने के लिए केरल आवास बोर्ड का अनुरोध

5285 : **श्री के० मोहन दास :** क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य आवास बोर्डों को मकानों के निर्माण के लिए भूमि खरीदने लिए वित्त जुटाने में कठिनाई होती है क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराए जाते;

(क) क्या केरल आवास बोर्ड ने इस संबंध में कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) (क) से (ग) : वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मकानों के लिए जमीन खरीदने के वास्ते ऋण नहीं दिये जाते। आवास बोर्ड को मकानों के लिए जमीन खरीदने के लिए जितनी पूंजी की जरूरत होती है, उसका वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा बजट साधनों से किया जाना होता है। वाणिज्यिक बैंक मकान बनाने के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गो आवास विकास वित्त निगमों और अन्यों को प्रत्यक्ष रूप से और "हुडको", आवास बोर्डों आदि के बाण्डों/ऋण पत्रों में अभिदान के माध्यम से अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के रूप से उधार देते हैं। यह वित्तीय सहायता समूचे बैंकिग क्षेत्र के आवास के लिए निर्धारित समग्र लक्ष्य के अंदर-अंदर दी जाती है भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार गत वर्ष वर्षा की बाढ़ से प्रभावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के बनाने के खर्च को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए केरल आवास बोर्ड को सावधि ऋण देने के वास्ते एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने अन्य बैंकों के साथ मिलकर संघ के रूप में ऋण प्राधिकार योजना के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया है। इस प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है। चूंकि इस मामले का सबंध बैंक के एक घटक से है, इसलिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधी कानूनों के अंतर्गत और बैंकों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार सूचना नहीं दी जा सकती।

अबूधाबी और अन्य देशों में स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित करना

5286. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अबूधाबी में एक स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित करने के बारे में संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ सहमत हो गया है;

(ख) दोनों देशों के बीच व्यापार और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) उन दूसरे देशों के नाम क्या हैं जहां पर भारत ने भारतीय माल को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से ऐसे ही स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित किए हैं अथवा स्थापित करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ख) भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार संवर्धन के उद्देश्य से, निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में संभावनाओं का लगातार पता लगाया जा रहा है—

(1) भारत में औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं में संयुक्त अमीरात के निवेशों और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात या तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा;

(2) ऐसी परियोजनाओं की स्थापना, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात की पूंजी तथा ऊर्जा संसाधनों के साथ भारत की कुशल मानव शक्ति एवं भारतीय प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया जाना चाहिए;

(3) संयुक्त उद्यम;

(4) प्रतिनिधिमण्डलों का आदान प्रदान;

(5) संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित मेलों में भाग लेना आदि।

(ग) विदेशों में स्थायी प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वर्णकारों को व्यावसायिक प्रमाणपत्र जारी करने हेतु न्यूनतम शुल्क

5287. **श्री सी० के० कुपुस्वामी** : क्या **वित्तमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्त वर्ष 1986-87 के बाद प्रत्येक स्वर्णकार को व्यावसायिक प्रमाण पत्र जारी करने हेतु न्यूनतम शुल्क निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितना न्यूनतम शुल्क निर्धारित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का यह भी विचार है कि प्रत्येक स्वर्णकार को अपने प्रमाण पत्र का तीन वर्ष में कम-से-कम एक बार नवीकरण कराना होगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ग) : ऐसे कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पान के पत्तों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना करने का प्रस्ताव

5288. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पान के पत्तों के लिये निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कुछ पड़ोसी देशों में और मध्यपूर्व में, जहां काफी मानव जाति जनसंख्या है, पान के पत्तों का सीमित निर्यात बाजार है। अत: पूर्ण रूप से इस वस्तु के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

भारत अमरीका व्यापार में वृद्धि

5289. **श्री मानिक रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अमरीका संयुक्त व्यापार परिषद ने दोनों देशों के बीच व्यापार लक्ष्य में वृद्धि करने का आह्वान किया है और इस सम्बन्ध में साकारात्मक सुझाव किए हैं;

(ख) क्या आरामदेह वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता; और

(ग) क्या भारत अमरीका व्यापार परिषद कोई लाभकारी भूमिका निभा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत अमरीका संयुक्त व्यापार परिषद ने, जिसकी बैठक 12-13 मार्च 1986 को हुई थी, भारत-अमरीकी व्यापार कारोबार को 3 वर्षों में 4 बिलियन अमरीकी डालर के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 6 बिलियन अमरीकी डालर तक करने का अनुरोध किया। बैठक में, दोनों पक्षों ने उन क्षेत्रों का, जिनमें दो तरफा व्यापार का विस्तार हो सके, पता लगाने के प्रयास करने के लिए सहमति व्यक्त की।

(ख) इस विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया गया। हमारी आयात नीति के अन्तर्गत भारत में विलास वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध है।

(ग) दोनों पक्षों के व्यापारियों के बीच लाभप्रद सम्पर्क स्थापित करने के लिए यह उपयोगी मंच है और गैर-सरकारी स्तर विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक ढांचे को उपलब्ध कराता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास

5290. **श्री मुरलीधर माने : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि में राज्य में कुछ पर्यटन स्थलों का विकास करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) : केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने महाराष्ट्र सरकार के साथ विचार-विमर्श करते हुए 17 पर्यटक महत्व के स्थानों को अभिज्ञात किया है जिनका, राज्य, केन्द्र और प्राइवेट सेक्टर के मिले जुले संसाधनों के जरिए अवस्थाबद्ध तरीके से विकास किया जायेगा।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय पर्यटन विभाग, राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई विशेष परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, ऐसी परियोजनाओं के गुणों और राशियों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत करता है। दिसम्बर 1982 में औरंगाबाद स्थित बीबी-का-मकबरा पर प्रकाश पुंज व्यवस्था के लिए 5.12 लाख रुपये की एक राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

रेशम के उत्पादन में गिरावट

5291. **श्री मदन पांडे : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मुख्यालय को कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर बंगलौर स्थानान्तरित किया गया था;

(ख) क्या उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में रेशम उत्पादन के विकास की संभावनाओं तथा अन्तर्राज्जीय विकास परियोजना आरम्भ किये जाने के बावजूद रेशम के उत्पादन में गिरावट हुई है; और

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : जी नहीं, वास्तव में टसर रेशम का उत्पादन वर्ष 1981-82 के 2.57 लाख कि. ग्रा. के स्तर से बढ़कर 1984-85 के दौरान 4.44 लाख किग्रा हो गया है । टसर रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी एस बी) ने रांची में पूर्ण विकसित केंद्रीय रेशम उत्पाद अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है ताकि टसर उत्पादन की समस्याओं को सुलझाया जा सके और उत्पादकों को अनुसंधान एवं विकास सहायता दी जा सके । इस संस्थान में 19 मूल बीज गुणन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, 3 क्षेत्रीय टसर अनुसंधान केन्द्र तथा 11 विस्तार केंद्र हैं जो विभिन्न राज्यों में स्थित हैं । इसके अलावा, ओक टसर के उत्पादन को समेकित करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केंद्रीय रेशम बोर्ड के अधीन सात ओक टसर ग्रेनेज कार्यरत हैं ।

दिल्ली कस्टम हाऊस ट्रेजरी द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से जारी किए गए ड्राफ्ट पे आर्डरों तथा चेकों को स्वीकार करना

5292. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या वित्त मंत्री अनुसूचित बैंकों द्वारा जारी किए गए ड्राफ्टों को सीमा शुल्क के लिए स्वीकार करने के बारे में 6 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2931 के भाग (क) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली कस्टम हाउस ट्रेजरी द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से जारी किए गए ड्राफ्ट आर्डरों तथा चेकों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली में व्यापारियों की सुविधा के लिए डिमांड ड्राफ्ट तथा पे आर्डरों आदि को स्वीकार करने की उपर्युक्त सुविधा के साथ दिल्ली कस्टम हाउस ट्रेजरी न खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन नई दिल्ली में पिछले दो वर्षों के दौरान सीमा शुल्क के रूप में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वर्षवार कितना राजस्व एकत्र किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिल्ली सीमा शुल्क गृह खजाना सीमा-शुल्क की अदायगी के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी किए गए ड्राफ्टों, अदायगी आदेशों और चैकों को स्वीकार कर रहा है ।

(ख) लेखा योजना के विभागीकरण के अन्तर्गत शुल्क निर्धारितियों को दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंकों और पंजाब नेशनल बैंक में शुल्क जमा कराना होता है । तद्नुसार भारतीय स्टेट बैंक को हवाई कार्गो यूनिट सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, गुड़गांव रोड, नई दिल्ली में सीमा-शुल्क वसूल करने के लिये प्राधिकृत किया गया

है। दिल्ली सीमा-शुल्क गृह का विभागीय खजाना वर्ष 1977 से पहले भी विद्यमान था और इसे व्यापारी वर्ग की अतिरिक्त सुविधा के रूप में बरकरार रखा गया है।

(ग) विगत दो वर्षों में सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, गुड़गांव रोड, नई दिल्ली के भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वसूल किए गए सीमा शुल्क का ब्योरा निम्नानुसार है :—

1984	169, 6`, 40, 126 रुपये
1985	190, 91, 71, 935 रुपये

पर्यटन मानचित्र में अजन्ता और एलोरा की गुफाएं

5293. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के मानचित्र में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अजन्ता और एलोरा की गुफाओं को शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) महाराष्ट्र में कौन-कौन से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं और सरकार द्वारा राज्य में चुने गए पर्यटन स्थलों के विकास हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) और (ख) : पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित भारत पर्यटक मानचित्र में अजंता और एलोरा को "राइट प्लेस" में शामिल किया गया है।

(ग) महाराष्ट्र में राज्य सरकार के परामर्श से अभिनिर्धारित किए गए प्रमुख पर्यटन स्थल ये हैं : बम्बई, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद (अजंता और एलोरा), नासिक, मुरुड/जंजीरा, गणपतिफूले, बेंगुर्ला, नागपुर, रामटेक, वर्धा (सेवाग्राम), चन्द्रपुर (तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान)। इन केन्द्रों को राज्य, केन्द्र और निजी क्षेत्र के मिश्रित संसाधनों द्वारा विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार इन अभिनिर्धारित केन्द्रों के लिए परिवहन सुविधायें, संचालित यात्राएं, आवास सुविधाएं और अन्य पर्यटक आधार संरचना सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने ऐलीफेन्टा जेटी को मजबूत करने और अजंता फुट हिल्स के विकास के लिए निधियां मंजूर की हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का आधुनिकीकरण करने के लिए ठेकों के लागत मूल्य बढ़ाने का फार्मूला

5294. **श्री बी०एस० बसव राजू** : क्या **वस्त्र मन्त्री** राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड, कानपुर और राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू बी ए बी ओ) कलकत्ता के आधुनिकीकरण में लगे ठेकेदारों को बिलों की अदायगी न किए जाने के बारे में 20 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लागत मूल्य में वृद्धि निर्धारित करने के लिए क्या फार्मूला लागू किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि इन फर्मों द्वारा निरन्तर अभ्यावेदन किए जाने के बावजूद ठेकेदारों के बिल तीन वर्ष से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं और इसके परिणामस्वरूप उनमें से अधिकांश ने काम बन्द कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के व्यापक हित में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज करने और ठेकेदारों के बिलों का भुगतान करने तथा उन्हें मूल्य वृद्धि का समुचित लाभ देने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सिविल कन्स्ट्रक्शन संविदाओं के संबंध में लागत कीमत में वृद्धि निर्धारित करने के लिए कोई निर्धारित फार्मूला काम में नहीं लाया जाता है। ऐसी संविदाएं सामान्यतः इसी आधार पर दी जाती हैं कि अनुषंगी कम्पनियों के अधीन संबंधित मिलों द्वारा इस्पात एवं सीमेंट सप्लाई किया जाएगा। इसी तरह उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, चुंगी आदि जैसी कोई कानूनी वृद्धि भी संबंधित मिलों द्वारा वहन की जाती है।

(ख) और (ग) जी नहीं। एन टी सी की दो अनुषंगी कम्पनियों ने जानकारी दी है कि तीन वर्षों से अधिक समय के कोई बिल लम्बित नहीं हैं केवल उन मामलों को छोड़कर जहां कांट्रैक्टर ने स्वयं काम छोड़ दिया हो या विवाद पैदा कर दिया हो अथवा जहां मामला न्यायाधीन हो।

(घ) आधुनिकीकरण का कार्यान्वयन सावधानीपूर्वक मानीटर किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

फूलवनी जिले (उड़ीसा) में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलना

5295. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के फूलवनी जिले में भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1986-87 में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो फूलवनी जिले में वर्ष 1986-87 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं खोलने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि फरवरी, 1986 के अन्त में उड़ीसा के फूलवनी जिले में भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाएं थी। 1985-90 की शाखा लाइसेंसिग नीति के अन्तर्गत बैंक कार्यालय खोलने के लिए फूलवनी जिले में 8 बैंक रहित केन्द्रों का पता लगाया है और उड़ीसा सरकार ने इन केन्द्रों का अनुमोदन भी कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये सभी आठ केन्द्र कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक को आवंटित कर दिए हैं। अतः फिलहाल फूलवनी जिले में शाखाएं खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नाम लाइसेंस जारी करने का कोई प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए थोक विक्रेताओं को हटाना

5296. **श्री जायनल अबेदिन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों सहित दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए थोक विक्रेताओं को नियुक्त न करने के बारे में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस उपाय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और लोगों को अपनी राशन की वस्तुएं लेने में कठिनाइयां होंगी;

(घ) क्या यह अनुदेश सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होंगे;

(ङ) क्या किसी राज्य सरकार ने इस उपाय के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाइयों के बारे में केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है; और

(च) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

हथकरघा निर्मित वस्तुओं और कपड़ों का निर्यात

5297. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान कुल कितने मूल्य की हथकरघा निर्मित वस्तुओं और कपड़ों का निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान कुल कितने मूल्य की हथकरघा निर्मित वस्तुओं और कपड़ों का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने हथकरघा निर्मित वस्तुओं और कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान निर्यातित सूती वस्त्रों (मिल निर्मित विद्युत करघा तथा हथकरघा) का कुल मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) हथकरघा सहित वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सुलभ ऋण योजना उपलब्ध है।

(2) अत्याधुनिक वस्त्र मशीनों के जिनका विनिर्माण स्वदेश में न होता हो, ओ जी एल पर आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(3) अधिक चौड़ाई वाले शटललेस करघों तथा रोटर कताई मशीनों के आयात की अनुमति निर्यात दायित्व से संबद्ध रियायती आयात शुल्क पर दी जाती है।

(4) 1 जनवरी, 1984 से नकद मुआवजा सहायता दरों में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई हैं। ये दरें 31 दिसम्बर, 1985 तक जारी रखी गई। ये दरें 31 दिसम्बर, 1986 तक समीक्षा के अध्यधीन लागू की गई हैं।

(5) 1985-88 के लिए आयात निर्यात नीति के परिशिष्ट 17 द्वारा आर ई पी लाइसेंसों के अधीन आयात हकदारियां उदार बना दी गई हैं। 1985-88 के लिए आयात-निर्यात नीति के परिशिष्ट 19 तथा 21 द्वारा कच्चे माल फैब्रिका की कुछ मदों के आयात की अनुमति अग्रिम लाइसेंस योजना तथा कर मुक्त आर ई पी योजना के अन्तर्गत दी जाती है।

(6) 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों तथा मुक्त व्यापार जोनों सम्बन्धी योजनाओं के अधीन पूंजी माल तथा कच्चे माल के उदार आयात की सुविधाएं कई अन्य रियायतों के साथ आवश्यक निर्यात दायित्व की शर्त पर दी जाती हैं।

(7) स्वदेशी वस्त्र मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाती है ताकि निर्यातक आधुनिक मशीनरी प्राप्त कर सकें।

(8) सरकार ने नई आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत विनिर्माता-निर्यातकों के लिए नई निर्यात-आयात पास-बुक योजना आरम्भ करने की घोषणा की है।

(9) सरकार नये उत्पादों तथा नये बाजारों के लिए अतिरिक्त सहायता देती रही है। नये उत्पादों तथा नये बाजारों के लिए 10 प्रतिशत अधिक आर ई पी दी जाती है।

(10) सरकार बाजार अध्ययनों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता आदि जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलापों के प्रायोजन और वित्त पोषण के लिए उदार सहायता देती रही है।

(11) सरकार द्वारा निर्यात अभिमुख उत्पादन कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

(12) लदानपूर्व ऋण की अवधि 90 दिन से बढ़ा कर 180 दिन कर दी गई है।

विवरण

(अनन्तिम)
(करोड़ रु० में)

वर्ष	सूती वस्त्र		
	मिल निर्मित विद्युत करघा	हथकरघा	योग
1983-84	319.44	125.89	445.33
1984-85	471.57	168.36	639.93
1985-86 (अप्रैल, 85, जनवरी, 86)	395.91	136.46	532.37

स्रोत : सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई।

रुपए की क्रय शक्ति

5298. **श्री गुरुदास कामत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रुपए की क्रय शक्ति तेजी से घटी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में मुद्रास्फति की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार 1960 = 100) के व्युत्क्रम में मापी गई रुपए की क्रय शक्ति जनवरी 1985 और जनवरी 1986 के दौरान (अद्यतन उपलब्ध) 17.01 पैसे से घटकर 15.90 पैसे हो गई है।

(ग) सरकार मुद्रास्फीति के नियंत्रण को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है और उभरने वाली प्रवृत्तियां के परिप्रेक्ष्य में उपचारात्मक कार्रवाई करती रही है। सरकार को मुद्रास्फीति विरोधी नीति में पूर्ति और मांग के प्रभावी प्रबन्ध पर जोर दिया जाना जारी है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समर्थ बनाना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अर्थव्यवस्था में कुल नकदी (लिक्विडिटी) को नियंत्रण में रखना शामिल है।

भारतीय एजेंसियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका के साथ गुप्त व्यापार

5299. **श्री सरफराज अहमद** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 दिसम्बर, 1985 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी तौर पर बार-बार इन्कार किए जाने के बावजूद विभिन्न भारतीय एजेंसियां जातिभेदी दक्षिण अफ्रीका के साथ गुप्त व्यापार कर रही हैं;

(ख) क्या हाल ही में कोचीन में 19 कंटेनरों के साथ पकड़ा गया पोत जिसे कागजों में मापुतो जाने वाला बताया गया था, वास्तव में दक्षिण अफ्रीका जा रहा था;

(ग) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष भारत से दक्षिण अफ्रीका को अनुमानत: 100 करोड़ रुपए मूल्य के माल का निर्यात किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई जांच की गई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) जी, हां। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के साथ व्यापार, आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत पूर्णतया निषिद्ध है। तथापि, जब कभी निषेधाज्ञा के उल्लंघन के किसी मामले का पता चलता है, कानून के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ख) से (ङ०) एक जहाज से दूसरे जहाज पर माल लाद कर और पोत परिवहन दस्तावेजों में हेराफेरी करके भारत से दक्षिण अफ्रीका को माल के चोरी छिपे निर्यात किए जाने के एक मामले का दिनांक 7 जुलाई, 985 को कोचीन में पता लगा था। मैं० गोल्ड स्टार लाइन, हांगकांग का जलयान "एम० वी० अटायर," जिसमें संदिग्ध कार्गो लदा हुआ था और जो मालसूची में मापुतो के लिए दर्शाया गया था, परन्तु जिसके बारे में संदेह था कि इसे दक्षिण अफ्रीका ले

जाया जा रहा है, इसे बम्बई से कोलम्बो जाते समय रोक लिया गया था और जलयान से 40 आधानों को उतार लिया गया था। जलयान को सीमाशुल्क अधिनियम के तहत अभिगृहीत कर लिया गया था और बाद में इस जलयान को एक बैंक प्रतिभूत द्वारा समर्पित 9 लाख रुपये से एक बन्ध-पत्र भरे जाने पर छोड़ दिया गया था। इस सम्बन्ध में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत 11 व्यक्तियों को गिफ्तार किया गया था।

जांच पड़ताल के परिणामतः, उल्लंघन सम्बन्धी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण, 21 आधानों के माल को पुनः मापुतो निर्यात किए जाने की अनुमति दे दी गई थी। शेष 19 आधानों के माल को, जिसका कुल मूल्य 55 लाख रुपये था, अभिगृहीत कर लिया गया था। इस मामले में ग्रस्त 36 पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पांच मामलों में पहले ही न्यायनिर्णाय किया जा चुका है जिसके परिणायतः 20.84 लाख रु० के माल को जब्त किया जा चुका है और 11,550 रुपये का वैयक्तिक अर्थ-दण्ड और माल छुड़ाने के विकल्प में 22,500/-रु० का जुर्माना लगाया गया है।

काफी बोर्ड के वित्तीय आधार को मजबूत बनाने का प्रस्ताव

5300. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड अपर्याप्त वित्तीय आबंटन के कारण काफी उत्पादकों को काफी के मूल्य तथा कर्मचारियों को बोनस के भुगतान करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) काफी उत्पादकों को भुगतान सुनिश्चित करने तथा काफी बोर्ड के वित्तीय आधार को मजबूत करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्तमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) और (ख) काफी बोर्ड काफी अधिनियम के उपबन्धों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जैसे जैसे बिक्रियां होती हैं, उपजकर्त्ताओं को उपयुक्त किस्तों में भुगतान कर पाता है चूंकि काफी उपजकर्त्ताओं ने बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस भुगतान अधिनियम की प्रयोज्यता को चुनौती दी है और मामला न्यायाधीन है, अतः न्यायालय का अन्तिम निर्णय होने के अध्यधीन काफी बोर्ड के कर्मचारियों को अन्तिम भुगतान किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रसायन उद्योग को बैंक ऋण

5301. **श्री के० पी० शंकरगौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को रसायन उद्योग संबंधी मानदण्डों की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित उप समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उप समिति ने सरकार से क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ग) सरकार ने उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और लागू कर दी हैं;

(घ) क्या उपसमिति ने रसायन उद्योग को बैंक ऋण दिए जाने के बारे में टंडन समिति द्वारा बताये गए मानदण्डों पर विचार किया था ! और

(ङ) यदि हां, तो उप समिति टंडन समिति की सिफारिशों पर किस सीमा तक सहमत हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) टंडन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर विचार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित निदेश समिति ने मौजूदा मापदण्डों की समीक्षा करने और पृथक किए गए उप समूहों के लिए मापदंड बनाने के लिए अक्तूबर 1984 में एक उप समिति नियुक्त करने का फैसला किया था। इस उप समिति का कार्य टंडन समिति द्वारा अनुशंसित केवल पांच उद्योग समूहों के शेष अर्थात भेषज, रंजक और रसायन तथा बुनियादी औद्योगिक रसायन पर विचार करना था। इस उप समिति ने अभी अपनी अन्तरिम सिफारिशें पेश की हैं जिनका संबंध रजक और रंजक पदार्थों से है और इन सिफारिशों पर अभी निदेश समिति द्वारा विचार किया जाना बाकी है। बुनियादी औद्योगिक रसायनों और भेषज के अन्तर्गत अलग-अलग समूहों के बारे में अभी समिति की रिपोर्ट आनी है। उर्वरक उद्योग तथा वस्त्र उद्योग (मानक-निर्मित रेशा सहित) के लिए अलग उप समिति गठित की गई है। वस्त्र उद्योग उप समिति की सिफारिशें जून 1984 में पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं। उर्वरक सम्बन्धी उपसमिति की रिपोर्ट पर उर्वरक उद्योग के लिए स्थायी संस्थागत वित्त समन्वय समिति द्वारा विचार किया जा चुका है और इसकी सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सागर (मध्य प्रदेश) में भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय द्वारा गेहूं की मुक्त बिक्री में अनियमितताएं

5302. **श्री नन्दलाल चौधरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सागर जिला (मध्य प्रदेश) कार्यालय द्वारा 31 जनवरी, 1986 को कितने गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की गई;

(ख) उसी तारीख को सागर क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों जैसे त्रिदिशा, बीना, गदरबारा, इत्यादि में अलग-अलग कितने गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की गई;

(ग) क्या पहली फरवरी, 1986 से मूल्यों में की जाने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय को पहली फरवरी, 1986 से पूर्व जनवरी के अन्तिम दिनों में गेहूं की बिक्री न करने की सूचना दी गई थी;

(घ) एक जनवरी, 1985 से ?1 दिसम्बर, 1985 की अवधि के दौरान सागर जिला कार्यालय द्वारा खुले बाजार में प्रतिमास कितना गेहूं बेचा गया;

(ङ०) क्या उनके मंत्रालय अथवा भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकारियों को 31 जनवरी 1986 को गेहूं की बिक्री में की गई अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है और उन पर क्या कारंवाई की गई है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) भारतीय खाद्य निगम के सागर जिला स्थित कार्यालय, मध्य प्रदेश में 31 जनवरी, 1986 को 2562.5 मीटरी टन गेहूं बेची गई थी जिसमें पूर्व निमुंक्ति आदेशों में उल्लिखित मात्रा भी शामिल है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने प्रशासनिक कारणों से 30.1.1986 को अपने फील्ड यूनिटों को गेहूं की नयी बिक्री को रोक देने के अनुदेश जारी किए थे। तथापि, 31 जनवरी, 1986 को व्यापार बन्द कर देने से पूर्व असंशोधित दर पर प्राप्त हुए पूर्ण भुगतान के प्रति गेहूं की सुपुर्दगी देने की इजाजत दी गई है।

(घ) निर्धारित मूल्य पर गेहूं की मुक्त बिक्री केवल नवम्बर, 1985 के मध्य से शुरू की गई थी। सागर मण्डल में 1985 में निम्नानुसार मासवार बिक्री की गई थी—

नवम्बर, 1985	—	3780 मीटरी टन
दिसम्बर, 1985	—	5916 मीटरी टन

(ङ०) और (च) इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि निगम के कुछ कर्मचारियों ने आदेशों का उल्लंघन करते हुए गेहूं की बिक्री की थी। इस सम्बन्ध में जांच प्रगति पर है। विस्तृत जांच कर लिए जाने तक, चार अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया गया है और उनके मुख्यालय को बदल दिया गया है। जिला प्रबन्धक, सागर से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

विवरण

(आंकड़े मीटरी टनों में)

केन्द्र का नाम	31.1.1986 को जारी किए गए निमुंक्ति आदेशों की सख्या	निमुंक्ति आदेशों के अन्तर्गत लाई गई गेहूं की मात्रा	वास्तव में जारी किए गए गेहूं की मात्रा
बीना	21	462	462
गंगबसोडा	9	108	108
गदरवारा	25	296	354
करेली	12	133.5	121.5
नरसिंहपुर	16	190	226
सागर	57	870	865
विदिया	35	416	426
	जोड़	2475.5	2562.5

[अनुवाद]

नागपुर में एम्प्रेस मिल का बंद होना

5303. **श्री मुकुल वासनिक**

श्री बनवारी लाल पुरोहित

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा ने देश की वस्त्र मिलों में अग्रणी नागपुर स्थित अपनी एम्प्रैस मिल को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसा करने की अनुमति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार हजारों कर्मचारियों की बेरोजगारी से बचाने के लिए इस मिल को चलाने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) मैसर्स सेंट्रल इण्डिया, वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० (एम्प्रैस मिल्स नागपुर) ने, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अन्तर्गत अपने मिल को बंद करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को आवेदन किया है। राज्य सरकार को इस आवेदन पत्र पर अभी निर्णय लेना है।

(ग) भारत सरकार का इस मिल का अधिग्रहण करने का विचार नहीं है। तथापि, इस मिल के पुनरुद्वार के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है।

सुपर बाजार को दिल्ली नगर निगम के अधीन लाने का प्रस्ताव

5304. **श्री सी. माधव रेड्डी**

श्री मानिक रेड्डी : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार को दिल्ली नगर निगम के अधीन लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस बात की जानकारी है कि 11 फरवरी 1986 को एक उपभोक्ता समूह ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ उपभोक्ता फोरम को एक पेपर प्रस्तुत किया था जिसने इस दिशा में कुछ सही कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) से (ग) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ की नई दिल्ली में 11 फरवरी, 1986 को हुई उपभोक्ता व्यापार मंच की बैठक में उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र के प्रतिनिधि ने एक कागज प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया था कि उचित दर की दुकानों मदर डेयरी, दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों तथा सुपर बाजार व सहकारी भंडारों के बिक्री केन्द्रों के कार्यकरण को समेकित तथा समन्वित कर दिया जाना चाहिए। सरकार, दि कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड (जो सुपर बाजार के नाम से लोकप्रिय है) नई दिल्ली को दिल्ली नगर निगम के नियंत्रण में लाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

काजू और रबड़ बागानों के लिए नये क्षेत्र

5305. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि काजू और रबड़ बागानों के विकास के लिए किन क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सातवीं योजना अवधि के दौरान केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक जैसे परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ बागानों के समुचित रखरखाव के अलावा त्रिपुरा, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा आदि जैसे नए क्षेत्रों में रबड़ का रोपण किया जा सकता है।

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल उड़ीसा तथा गोआ राज्यों में काजू के विकास के बारे में केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा, विश्व बैंक की सहायता से एक बहु राज्य काजू परियोजना क्षेत्र विस्तार तथा साथ ही काजू के अंतर्गत वर्तमान क्षेत्र के सुधार के लिए केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और उड़ीसा में क्रियान्वित की जा रही है।

कच्चे लोहे के आयात पर शुल्क में छूट

5306. **श्री सी० डी० पटेल**

श्री अहमद एम० पटेल : क्या **वित्त मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कच्चे लोहे के आयात पर शुल्क में छूट देने का अनुरोध किया है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) गुजरात ने कच्चे लोहे पर आयात शुल्क में कमी करने के लिए अनुरोध किया था तथा दिनांक 9 दिसम्बर, 1985 से कच्चे लोहे पर मूल सीमा शुल्क, मूल्यानुसार 25 प्रतिशत कम कर दिया गया था। इसके अलावा, उपसंगी शुल्क (दिनांक 28-2-86 तक 30% और दिनांक 1-3-86 से 40%) और उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त प्रतिन्तुलनकारी शुल्क भी उद्ग्राह्य है। इस सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी है।

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

5307. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार के लिए विदेशों में जाने वाले भारतीयों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ख) उनके द्वारा गत एक वर्ष के दौरान भारत में कितनी विदेशी मुद्रा भेजी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) क्योंकि मौजूदा नियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत डीलरों को 10,000/-रुपए या उससे कम राशि के प्रेषणों के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए केवल विदेशों में काम कर रहे भारतीयों प्राप्त प्रेषणों के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, गैर-सरकारी अन्तरण की राशि, जिनमें अन्य प्राप्तियों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रिकता के अनिवासियों से

प्राप्त रकमें भी शामिल हैं, 1983-84 में समाप्त होने वाले 3 वर्षों के दौरान भुगतान शेष आंकड़ों में दी गई स्थिति [अद्यतन उपलब्ध आंकड़े] के आधार पर इस प्रकार है:—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
1981-82	2082.8
1982-83	2430.7
1983-84	2648.7

काजू की खेती

5308. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे काजू की कितनी मात्रा का आयात किया जा रहा है; और

(ख) भारत में काजू की खेती करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) आयात आंकड़े 1982-83 तक उपलब्ध हैं। 1981-82 और 1982-83 के दौरान आयातित कच्चे काजू की मात्रा क्रमश: 16057 और 1485 मे. टन थी।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई काजू गिरी के सम्बन्ध में पैकेज कार्यक्रम सम्बन्धी केन्द्र प्रायोजित योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखी जा रही है। इसके अन्तर्गत नये रोपण और रख-रखाव के लिए उपजकर्ताओं तथा राज्य निगमों को योजना उपदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक की सहायता से केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में एक बहुराज्य काजू परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। विस्तार तथा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 61250 हैक्टार क्षेत्र कवर करने का प्रस्ताव है। केरल कृषि विकास परियोजना की एक अन्य विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत, जो कि 1977-78 से कार्यान्वित की जा रही है, विश्व बैंक ने 2280 हैक्टार में राज्य के स्वामित्व वाले काजू बागान के पुनर्वास और केरल के कन्ननूर जिले में 1470 हैक्टार में नये रोपण के लिए सहायता प्रदान की है।

किसानों को गन्ने के लिये लाभप्रद मूल्य

5309. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को गन्ने के लिए अधिक लाभप्रद मूल्य देने का है ताकि चीनी का उत्पादन बढ़ सके और उसका आयात बन्द किया जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) 1985-86 के मौसम के लिए, केन्द्रीय सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 16.50 रुपये प्रति क्विंटल पहले ही निर्धारित कर दिया है। इसमें अधिक रिकवरियों के लिए अनुपातिक प्रीमियम देने की भी व्यवस्था है। यह मूल्य पिछले वर्ष निर्धारित किए गए न्यूनतम मूल्य से 2.50 रु० प्रति

क्विंटल अधिक है। इसके अलावा, अगले चीनी मौसम के लिए अधिक न्यूनतम मूल्य अर्थात् 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य की भी घोषणा कर दी गई है। वास्तव में, गन्ना उत्पादक सामान्यतया सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

वनस्पति घी के मूल्य में वृद्धि

5310. **श्री तारिक अनवर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली क्लाथ मिल के बन्द होने के तत्काल पश्चात् बाजार में वनस्पति घी के मूल्य में दो से तीन रुपये प्रति किलो की वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने वनस्पति घी के मूल्य में वृद्धिको वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उनके क्या परिणाम रहे हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा) (क) और (ख) दिसम्बर, 1985 के प्रथम सप्ताह में डी. सी. एम. के बन्द होने के तत्काल बाद वनस्पति के मूल्य में प्रति कि. ग्रा. 2 से 3 रुपये की वृद्धि नहीं हुई। जनवरी, 1986 में वनस्पति के कुछ ब्राण्डों के छोटे पैकों में प्रति कि. ग्रा. 0.75 रु. से 1.35 रुपए के लगभग वृद्धि दिखाई पड़ी। इस वृद्धि को वनस्पति में आयातित खाद्य तेलों को मिलाने की प्रतिशतता कम किए जाने और अन्य निवेश लागतों में वृद्धि होने के कारण हुआ कहा जा सकता है।

(ग) छोटे पैकों के वनस्पति विनिर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखें। उपभोक्ताओं को यह उचित मूल्यों पर मिल सकें यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय, किए जायेंगे, जिसमें आयातित तेलों का कारगर आपूर्ति प्रबन्ध करना शामिल है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश

5311. **श्री हरीश रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न योजनाओं की अवधि के दौरान राज्यों में विभिन्न केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रति व्यक्ति कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में किए गए पूंजी निवेश में कोई अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंध राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अन्तर को दूर करने के लिये उनके मंत्रालय का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता की मंजूरी विभिन्न राज्यों की अर्थक्षम परियोजनाओं के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर निर्भर करती है पिछड़े

क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वहां पर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकारी वित्तीय संस्थाएं उद्यमियों को निवेश सम्बन्धी आर्थिक सहायता, करों में रियायत आदि जैसी कई रियायतें और प्रोत्साहन देती है ।

विवरण

सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संवितरित वित्तीय सहायता को दिखाने वाला विवरण

संवितरित सहायता | **रुपये**

		संवितरण				
क्र. सं.	राज्य	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आंध्र प्रदेश	18.67	25.33	40.73	45.09	57.97
2.	असम	2.56	3.92	6.05	6.17	16.11
3.	बिहार	4.91	7.47	8.33	11.55	9.86
4.	गुजरात	53.26	76.94	82.02	85.03	91.36
5.	हरियाणा	20.01	42.08	48.37	59.82	97.63
6.	हिमाचल प्रदेश	22.43	60.04	64.53	70.56	92.19
7.	जम्मू व कश्मीर	25.33	28.06	39.62	41.97	52.40
8.	कर्नाटक	35.61	43.62	45.00	64.00	87.49
9.	केरल	19,65	27.42	25. 9	25.90	38.52
10.	मध्य प्रदेश	9.55	12.60	17.97	27.88	37.81
11.	महाराष्ट्र	53.39	60.50	65.22	73.31	85.34
12.	मणिपुर	3.12	5.56	10.93	5.71	2.00
13.	मेघालय	8.27	14.77	20.54	25.08	28.08
14.	नागालेंड	8.44	17.39	27.62	12.50	29.62
15.	उड़ीसा	15.69	22.81	35.63	36.23	39.32
16.	पंजाब	35.93	54.63	54.74	71.09	60.91
17.	राजस्थान	20.35	28.74	40.43	49.47	42.38
18.	सिक्किम	11.56	5.73	12.33	29.00	67.00
19.	तमिलनाडु	33.22	38.38	44.93	71.33	74.42
20.	त्रिपुरा	7.85	7.26	15.19	5.43	2.24
21.	उत्तर प्रदेश	11.02	14.72	14.28	19.20	26.86
22.	पश्चिम बंगाल	21.72	29.38	24.96	30.90	36.57

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
संघ राज्य क्षेत्र					
(क) अण्डमान और निकोबार	25.79	9.57	13.50	0.50	18.00
(ख) अरुणाचल प्रदेश	3.93	5.40	11.67	23.00	29.33
(ग) मिजोरम	—	—	3.60	20.20	29.40
(घ) दिल्ली और चंडीगढ़	30.39	53.13	78.96	82.33	83.52
(ङ) गोआ, दमण, और दीव	170.08	197.25	241.27	227.91	200.73
(च) दादरा और नगर हवेली.	—	—	105.00	141.00	187.00
(छ) पांडिचेरी और लक्षद्वीप	30.94	55.32	122.33	258.17	368.83
अखिल भारत	23.11	30.01	34.37	42.11	49.61

[अनुवाद]

असम में चाय बागानों की चाय कम्पनियों से करों की वसूली

5312. **श्री एम० आर० सैकिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में चाय बागानों की चाय कम्पनियों के कितने मुख्यालय असम में स्थित हैं और कितने मुख्यालय असम से बाहर हैं; और

(ख) इन मुख्यालयों में कार्यरत व्यक्तियों के वेतन पर करों सहित निगम करके अलावा कितना आयकर वसूल या निर्धारित किया जाता है। और इससे कितना राजस्व असम को तथा कितने असम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में प्राप्त होता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में चीनी मिलों की स्थापना

5313. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) क्या उस राज्य में रायगढ़ और कुछ अन्य जिलों में गन्ने के अधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए और चीनी मिलें स्थापित करने की गुंजाइश है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में कुछ और चीनी मिलें स्थापित करने का है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 8 स्थापित चीनी मिलें हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिला	**संख्या**
ग्वालियर	1
रतलाम	1
सिहोर	1
मंदसौर	1
उज्जैन	1
मोरेना	1
इन्दौर	1
खंडवा	1

(ख) : गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर राज्य में और अधिक चीनी मिलें स्थापित करने की गुंजाइश की जांच करना मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है ।

(ग) और (घ) फिलहाल मध्य प्रदेश में नयी चीनी मिल स्थापित करने विषयक कोई आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन नहीं है । मध्य प्रदेश में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए दो आशय पत्र कार्यान्वियनाधीन हैं । इनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

क्र. सं.	फैक्ट्री का नाम	आशय पत्र प्रदान करने की तारीख	गन्ना पेरने की दैनिक क्षमता (मीटरी टन)	क्षेत्र
1.	मैं० एम० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन, लि०, तहसील कारेली, जिला नरसिंहपुर	19-4-84	1250	सरकारी
2.	मैं० एम० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन, लि०, तहसील अमला, जिला बेतूल	27-12-84	1250	सरकारी

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश खनिज निगम की सहायता की योजना

5314. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम की आन्ध्र प्रदेश खनिज निगम का "बाररेट्स" "ग्रेनाइट" "बाक्साइट", और अन्य खनिजों के उत्पादन और बिक्री में सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ कोई बातचीत चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ए०पी०एम०सी० द्वारा उत्पादित बेराईटस का विपणन एम०एम०टी०सी० की मार्फत किए जाने के लिए एक करार किया गया है और एम०एम०टी०सी० ने ए०पी०एम०सी० की नकदी स्थिति में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता दी है । अन्य ब्यौरों पर ए०पी०एम० सी० के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) ए०पी०एम०सी० में एम०एम०टी०सी० की इक्विटी भागीदारी के प्रश्न को ए०जी०एम०सी० निदेशक मण्डल द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को भेजा गया है । उसके परिणाम की प्रतीक्षा है ।

छठी योजना में खाद्यान्नों का आयात और वितरण

5316. **श्री अमर राय प्रधान : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, वर्ष-वार और राज्य-वार कितने खाद्यान्नों का वितरण किया गया; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में वर्ष-वार और देश-वार कितने खाद्यानों का आयात किया गया ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) विवरण एक संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

(ख) विवरण दो संलग्न है जिसमें गेहूं और चावल के आयात के बारे में अपेक्षित सूचना दी गई है ।

विवरण एक

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में खाद्यान्नों के वर्षवार और राज्यवार वितरण को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84(P) (अ०)	1984-85(P) (अ०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आन्ध्र प्रदेश	582	588	690	1373	1216
असम	486	507	548	575	587
बिहार	821	564	847	902	543
गुजरात	360	449	438	342	324
हरियाणा	118	144	204	140	157

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हिमाचल प्रदेश	82	72	90	71	75
जम्मू तथा कश्मीर	296	266	296	348	361
कर्नाटक	571	713	690	682	749
केरल	990	1210	1336	1575	1505
मध्य प्रदेश	941	541	493	388	220
महाराष्ट्र	1489	1703	1570	1499	1023
मणिपुर	26	31	62	63	39
मेघालय	58	91	97	101	97
नागालैंड	44	48	65	70	73
उड़ीसा	495	281	477	396	298
पंजाब	242	238	397	169	201
राजस्थान	321	225	207	53	47
सिक्किम	30	39	39	42	43
तमिलनाडु	742	1188	1328	1593	1725
त्रिपुरा	87	75	108	116	115
उत्तर प्रदेश	1369	931	1258	590	608
पश्चिमी बंगाल	2162	2290	2997	2743	2024
अ०तथा नि०द्वीप समूह	17	20	18	21	18
अरुणाचल प्रदेश	22	27	34	40	43
दादर तथा नागर हवेली	नग०	1	नग०	1	नग०
दिल्ली	786	868	890	823	768
चण्डीगढ़	21	22	27	19	23
गोआ, दमन और दीव	57	68	70	69	66
लक्षद्वीप	1	6	5	6	5
मिजोरम	34	51	56	65	60
पांडिचेरी	8	11	14	29	14
जोड़	13258	13268	15351	14904	13027

(अ०)—अनन्तिम

विवरण दो

छठी पंचवर्षीय योजना में वर्षवार और देशवार गेहूं और चावल के आयातों के ब्यौरे बताने वाला विवरण

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

वर्ष	गेहूं		चावल	
	देश	ठेकाबद्ध मात्रा	देश	ठेकाबद्ध मात्रा
1980-81		शून्य		शून्य
1981-82	संयुक्त राज्य अमेरिका	15.15		शून्य
	आस्ट्रेलिया	7.50		
1982-83	संयुक्त राज्य अमेरिका	39.50		शून्य
1983-84	संयुक्त राज्य अमेरिका	9.80	थाइलैंड	3.70
	कनाडा	5.00	बर्मा	3.50
	अर्जेन्टीना	6.50		
1984-85		शून्य		शून्य

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश में धान की खरीद

5317. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का अधिकार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान खरीदने के प्रबंध किए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में समर्थन मूल्य पर धान को खरीदा जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो धान की खरीद के लिए कब प्रबंध किए जायेंगे ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और पांडिचेरी।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार द्वारा निगम को आवंटित किए गए क्षेत्रों में धान की खरीदारी करने की व्यवस्था करता है और शेष क्षेत्रों में राज्य सरकार तथा उसकी एजेंसियों द्वारा वसूली की जाती है।

[अनुवाद]

पंजाब में खाद्यान्नों की वसूली

5318. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान पंजाब से कुल कितने खाद्यान्नों की वसूली की गई;

(ख) 1 मार्च, 1986 तक रेलवे द्वारा खाद्यान्नों का कुल कितना भंडार उठाया गया और अब पंजाब में खाद्यान्नों का कितना भंडार पड़ा हुआ है;

(ग) विभिन्न वसूली एजेंसियों द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों को ढका हुआ है अथवा खुले में पड़ा भंडार कितना है;

(घ) गत चार वर्षों में कितना खाद्यान्न सड़ गया है; और

(ङ) खाद्यान्नों के जमा पड़े भंडार को उठाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के.पांजा) (क) विवरण एक संलग्न है।

(ख) 1985-86 के दौरान फरवरी, 1986 तक पंजाब से रेल द्वारा 75.75 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का संचलन किया गया था। पंजाब में पहली मार्च, 1986 तक लगभग 90 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक पड़ा हुआ था।

(ग) विवरण दो संलग्न है।

(घ) 1981-82 से 1984-85 तक वसूली, भण्डारण और परिवहन के दौरान और वर्षा बाढ़ों और तूफानों के कारण पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के 1.28 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों क्षतिग्रस्त हुए थे।

(ङ) पंजाब में खाद्यान्नों का लदान करने के लिए वैगनों की आपूर्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से रेलवे के साथ निकट सम्पर्क रखा जा रहा है। अधिक मात्रा में निकासी सुनिश्चित करने के लिए लदान एजेन्सियों को गतिशील किया गया है और संचलन में वृद्धि हो रही है। पड़ोस राज्यों को सड़क द्वारा भी अतिरिक्त खाद्यान्न भेजे जा रहे हैं।

विवरण-1

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

विपणन वर्ष	खरीफ खाद्यान्न		
	चावल	धान	चावल के हिसाब से जोड़
1982-83	16.10	24.63	32.52
1983-84	22.92	14.71	32.73
1984-85 (अनन्तिम)	25.76	25.5[illegible]	42.77
1985-86 (अनन्तिम) (पहली अक्तूबर, 1985 से 20 मार्च, 1986 तक)	18.76	34.66	41.87
			149.89

विपणन वर्ष	रबी खाद्यान्न गेहूं
1982-83	48.26
198:-84	51.77
1984-85 (अनन्तिम)	50.12
1985-86 (अनन्तिम)	61.47
(पहली अप्रैल, 1985 से 24 मार्च, 1986 तक)	211.62

विवरण-दो

(1.3.1986 को, पंजाब में)

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

	भा० खा० नि०			राज्य सरकार		
जिन्स	**ढकी हुई**	**कैप**	**जोड़**	**ढकी हुई**	**कैप**	**जोड़**
गेहूं	4.40	1.24	5.64	15-52	25.25	40.87
धान	7.73	5.87	13.60	—	उ० न०	उ० न०
चावल	33.75	—	33.7	—	उ० न०	—

आयातित कच्चे रेशम का दुरुपयोग

5319. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि तैयार माल के निर्माण के लिए आयातकों को दिए गए आयातित कच्चे रेशम का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसका निर्यात प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मात्रा के आयातित कच्चे रेशम का दुरुपयोग किया गया है; और

(ग) आयातित कच्चे रेशम का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां। आयातित कच्चे रेशम के दुरुपयोग के कुछ आरोप रहे हैं।

(ख) 3334 किग्रा० (अनन्तिम)

(ग) जांचें की गई हैं तथा मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात के कार्यालय द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही भी शुरू की गई है।

भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भण्डारों के भण्डारण का विकेन्द्रीकरण

5320. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भण्डारों के भण्डारण का विकेन्द्रीकरण करने और उन्हें ताल्लुक मुख्यालयों में ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विपत्ति के समय दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्नों की सप्लाई आवश्यकता के सन्दर्भ में भण्डारण का विकेन्द्रीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम जिला/तालुक मुख्यालयों और अन्य स्थानों पर स्थित बड़ी संख्या में नोडल केन्द्रों पर खाद्यान्नों का बफर/परिचालन स्टाक रखता है। जिन नोडल केन्द्रों पर निगम के भण्डारण गोदाम स्थित हैं, उनका चयन आवश्यकता और परिचालन सम्बन्धी महत्व को ध्यान में रखकर किया जाता है। निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टाक का उठान और बाद में उनका भण्डारण और वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।

ऋण आवेदनों को शीघ्रता से निपटाना

5321. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा प्राप्त ऋण आवेदनों को शीघ्रता से निपटाया जाये और उनमें विलम्ब करके अथवा बारबार कागजी प्रमाण मांगकर आवेदकों को परेशान न किया जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा प्राप्त ऋण आवेदनपत्रों को जल्दी से निपटाने के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समय-समय पर निर्देश जारी करता रहता है। मुख्य निर्देश निम्नलिखित हैं :

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना आदि के अन्तर्गत ऋण आवेदन पत्रों को शीघ्र अर्थात प्राप्ति के एक पखवाड़े के अंदर-अंदर निपटा दिया जाए। 25,000 रुपए तक के सभी ऋण आवेदन पत्र चाहे वे इन विशेष योजनाओं के अन्तर्गत न आते हों, लेकिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंदर आते हैं, बैंकों द्वारा एक पखवाड़े के अंदर-अंदर निपटाए जाने चाहियें।

(2) शाखा में एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें प्राप्ति/रद्दकरण की तारीख, रद्दकरण के कारण आदि दर्ज किए जाने चाहिए। यह यह सभी निरीक्षण एजेंसियों को दिखाया जाना चाहिए।

(3) यदि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का शाखाएं पालन नहीं करतीं, तो क्षेत्रीय कार्यालयों में ऋणकर्ताओं की शिकायतों की जांच करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए।

(4) ऋणकर्ताओं से संपर्क करने वाले अधिकारियों का ऋणकर्ताओं से सहानुभूतिपूर्ण और सहायक रवैया होना चाहिये। जिन शाखाओं के मामले में अवांछनीय तरीके अपनाने का पता चले वहां कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराने और तुरंत तथा सख्त कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों से ऋणकर्ताओं से सामान्य और आवश्यक दस्तावेज विधिवत रूप से निष्पादित करवाए जाने की अपेक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

भोपाल में बड़ा तालाब में पर्यटन का विकास

5322. श्री के० एन० प्रधान : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन की दृष्टि से भोपाल में "बड़ा तालाब" के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उनकी सहायता से कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूप-रेखा क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उस पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने भोपाल में बड़ा तालाब हेतु बोट हाउस का निर्माण करने और जल खेलों को प्रारंभ करने की योजना तैयार की है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने बड़ा तालाब के लिए बोट हाउस का निर्माण करने और पाल-नावों की खरीद एवं ओ० के० डिंगियों के लिए अनुमानित 7.71 लाख रु० स्वीकृत किए और 1985 के दौरान 3.00 लाख रु० की पेशगी रिलीज की थी।

राज्य सरकार ने अपर लेक फ्रंट के विकास के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6.00 लाख रुपए प्रदान किये हैं। भारत पर्यटन विकास निगम और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम संयुक्त रूप से 190.00 लाख रुपए की लागत से भोपाल में एक 3-सितारा होटल परियोजना के कार्यान्वित कर रहा है जिसके 1986-87 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

वर्ष 1985-86 में अन्य देशों के साथ किये गये व्यापार समझौते

5323. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान अन्य देशों के साथ कितने व्यापार-समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) इन समझौतों की मुख्य विस्त रूपरेखा क्या है;

(ग) इन समझौतों के फलस्वरूप भारतीय समान के निर्यात में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान जापान, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ किये गये समझौतों की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारत ने 1985-86के दौरान सोवियत संघ, पोलेंड, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य तथा रोमानिया के साथ व्यापार करारों को नवीकृत किया है। इन देशों के साथ हुए करारों में एक समयावधि में व्यापार को संतुलित करने के अतिरिक्त, भारत तथा इन देशों के बीच सभी वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक सौदों का अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में भुगतान करने की व्यवस्था है।

(ग) सभी रुपया भुगतान देशों के मामले में, जिनके साथ व्यापार करारों को नवीकृत किया गया था, दोनों व्यापारिक साझेदार इस पर सहमत हैं कि अगले पांच वर्ष की अवधि

(1985-1990) में कारोबार पांच वर्ष की पिछली अवधि के दौरान हुए व्यापार की मात्रा से दो गुणा होना चाहिए।

(घ) इन देशों में से केवल सोवियत संघ के साथ 1985 में व्यापार करार हुआ था। सोवियत संघ के साथ हुए करार में भारत तथा सोवियत संघ के बीच रुपया भुगतान प्रणाली के पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रहने की अनुमति है। इन दोनों देशों के बीच सभी वाणिज्यिक तथा गैरवाणिज्यिक सौदों के भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किए जाएंगे और सोवियत प्राधिकारियों द्वारा इन रुपयों का उपयोग भारतीय माल की खरीदारी तथा सोवियत संघ को निर्यात संबंधी सेवाओं के लिए किया जाएगा। अब से एक समयावधि में व्यापार सन्तुलन आधार पर किया जाएगा। करार में यह भी व्यवस्था है कि जब तक कि दोनों में से कोई एक पक्षकार इस करार की समाप्ति की तारीख से कम से कम छ: महीने पहले अन्य पक्षकार को इसे संशोधित करने के अपने आशय का लिखित नोटिस नहीं देता, तब तक एक बार में पांच वर्षों की बाद की अवधियों के लिए वह स्वत: नवीकृत हो जायेगा।

उत्पाद शुल्क से मुक्त औषधियों की सूची में जीवन रक्षक औषधियों का शामिल न किया जाना

5324. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1986-87 के बजट में उत्पाद शुल्क से मुक्त की गई 41 औषधियों की सूची में क्षयरोग रोधी और मलेरिया रोधी औषधियों जैसी जीवन रक्षक और आवश्यक औषधियों को शामिल नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 के लिए बजट में 41 औषधियों को उत्पादन शुल्क से छूट दे दी गई है उनमें एंटी-टी०बी०, एंटी-डाइबिटिक, एंटी-डिसेंट्रि, एंटी-एम्योबिक, एंटी-हेलमिनथिक, एंटी-ब्योटिक, एंटी-अस्थमेटिक और कार्डियो-वस्कुलर दवाईयां शामिल हैं। कुछेक अन्य औषधियों को बजट से पूर्व ही केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है उनमें एंटी मलेरिया और कुछेक एटी टी० बी० दवाइयां शामिल हैं।

सरकारी उपक्रमों की आम वार्षिक बैठक

5325. **श्री आई० रामा राय** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन कुछ उपक्रम समय पर आम वार्षिक बैठक नहीं करते जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपेक्षित है;

(ख) 1984-85 के दौरान कितने सरकारी उपक्रमों ने समय पर आम वार्षिक बैठक नहीं की है; और

(ग) इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए उनके मंत्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारतीय चाय व्यापार निगम एवं भारतीय इलायची व्यापार निगम के सिवाय इस मंत्रालय के सभी सार्वजनिक उपक्रमों ने 1984-85 के दौरान अपनी वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) समय पर आयोजित की।

(ग) इस मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी वार्षिक सामान्य बैठकें समय पर बुलाने के निर्देश दिए गए हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 133क के अन्तर्गत सर्वेक्षण अभियान

5320. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के आयकर विभाग ने अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13?-क के अन्तर्गत रेंज-वार और माह-वार कितने सर्वेक्षण किए हैं;

(ख) आयकर विभाग, दिल्ली के केन्द्रीय राजस्व भवन स्थित और मयूर भवन स्थित आसूचना प्रभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133-क के अन्तर्गत अप्रैल 1985 से फरवरी 1986 तक प्रति महीने कितने सर्वेक्षण किए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सर्वेक्षण अभियान बहुत कम होने के कारण आयकर विभाग, दिल्ली सर्वेक्षण अभियान को अभियान को अधिक महत्व नहीं दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आयकर विभान ने दिल्ली में अप्रैल 1985 से फरवरी 1986 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133-क के अन्तर्गत 5?5 सर्वेक्षण किए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तम्बाकू, खली, मसालों, कपास आदि का निर्यात

5327. **श्री ब्रज मोहन महन्ती :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल से सितम्बर, 1985 के दौरान तम्बाकू, खली, मसालों, कपास, रेशमी कपड़ों और पटसन उत्पादों के निर्यात में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक मद के निर्यात में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इन मदों के निर्यातों में कमी के मुख्य कारणों में शामिल हैं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे प्रतियोगियों से कड़ी प्रतियोगिता और कुछ विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में ऊंची घरेलू कीमतें।

(ग) इन मदों के नियांत बढ़ाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में शामिल हैं : एपीडा तथा मसाला बोर्ड की स्थापना, अनिर्मित तम्बाकू पर से निर्यात शुल्क और ब्रांड युक्त सिगारों चुरंटों और सिगारेलाइस पर उत्पादन शुल्क की समाप्ति : उद्योग द्वारा समान निष्पादन के आधार

पर पटसन कालीन अस्तर वस्त्र और यान के लिए अपेक्षाकृत अधिक नकद मुआवजा सहायता; उत्तरी अमेरिका को कालीन अस्तर वस्त्र के निर्यात के लिए 50 : 50 के अनुपात में यानं वहन के आधार पर राज्य व्यापार निगम पटसन उद्योग सार्थ संघ की स्थापना : एक नई पटसन विनिर्माता विकास परिषद् (एम डी सी) और पटसन उपकर की राशि में से पटसन निधि का गठन ताकि आर एण्ड डी प्रयासों और निर्यात संवर्धन को बढ़ावा दिया जा सके; चालू रूई मौसम (सितम्बर, 85-अगस्त, 1986) के दौरान निर्यातों के लिए कपास की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना।

भारतीय खाद्य निगम को लेखा प्रक्रिया को कारगर बनाने सम्बन्धी समिति को रिपोर्ट

5328. **श्री के० राममूर्ति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की लेखा प्रक्रिया को कारगर बनाने, विशेष रूप से घाटे पर ध्यान देने के प्रश्न पर जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने जनवरी 1986 तक अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के लेखों का अनुरक्षण करने की मौजूदा पद्धति सहित उसके कार्यकरण की जांच कर रही अधिकारियों की आन्तरिक समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेशम का उत्पादन

5329. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में देश में रेशम के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान और आज तक रेशम के कुल उत्पादन का का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का अधिक मात्रा में और अच्छी किस्म के रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : जी हां, देश में रेशम का उत्पादन वर्ष 1982-83 के 5748 मी.टन के स्तर से बढ़कर वर्ष 1984-85 के दौरान 7673 मी.टन हो गया है।

(ख) वर्ष 1984-85 में तथा वित्त वर्ष 1985-86 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान रेशम का कुल राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) रेशम के अधिक उत्पादन और बेहतर क्वालिटी को प्रोत्साहित करने के लिए गए मुख्य कदम नीचे दिये अनुसार हैं:—

I) उत्पादन का आयोजन तथा राष्ट्रीय रेशम कीट बीज परियोजना के माध्यम से पालकों को क्वालिटी के रेशम कीट बीजों की सप्लाई।

II) कर्नाटक विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त रेशम उत्पादन परियोजना का कार्यान्वयन।

III) पश्चिम बंगाल में गहन रेशम उत्पादन विकास परियोजना का कार्यान्वयन।

IV) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मूंगा बीज विकास परियोजना को पूरा करना।

V) रेशम के धागे तथा तथा कपड़ों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कोया संसाधन, रीलिंग और कताई का अनुसंधान करने हेतु में केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना।

VI) कृषकों को रेशम कीट पालन और बीमारियों पर नियंत्रण करने वाली सुधरी प्रविधियों के संबंध में शिक्षा देने हेतु विस्तार कार्य करना जिससे क्वालिटी के कार्यों का उत्पादन हो सके।

VII) उपरोक्त विशेष कार्यक्रमों के अतिरिक्त, पूरे देश में बोर्ड के कार्यरत अनुसधान एवं सेवा केन्द्रों ने, कोये तथा कच्चे रेशम दोनों की क्वालिटी को बेहतर बनाने और साथ ही उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए पहले ही ऐसी नयी किस्में/रेशम कीट प्राप्तियां तैयार की हैं जो विभिन्न कृषि-जलवायु, परिस्थितियों के उपयुक्त होंगी।

विवरण

वर्ष 1984-85 तथा वित्त वर्ष 1985-86 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान

राज्य-वार रेशम उत्पादन

राज्य	1984-85	1985-86
आन्ध्र प्रदेश	1254	753
असम	256	223
अरुणाचल प्रदेश	6	2
बिहार	305	308
हिमाचल प्रदेश	4	3
जम्मू तथा कश्मीर	53	23
कर्नाटक	4059	3089
महाराष्ट्र	2	10
मणीपुर	45	36
मध्य प्रदेश	43	35
मिजोरम	नगण्य	6
मेघालय +	45	34
नागालैंड +	7	4
उड़ीसा	79	41
पंजाब	4	नगण्य
तमिलनाडु	850	635
त्रिपुरा	नगण्य	नगण्य
उत्तर प्रदेश	22	5
पश्चिम बंगाल	737	512
योग :	7673	5719

+ अनुमानित

अभ्रक की खानों के बन्द होने के कारण बेरोजगारी

5330. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक का भारी भंडार जमा हो जाने के परिणामस्वरूप अभ्रक की 90 प्रतिशत खानें बंद हो गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन खानों के बंद होने के कारण बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या अभ्रक व्यापार को पुनः जीवित करने तथा अभ्रक की खानों के बंद होने से बेरोजगार हुए हजारों श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सभी किस्म के अभ्रक पर उत्पाद-शुल्क समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : (क) और (ख) रिपोर्टिंग अभ्रक की खानों की संख्या 1980 में 274 से घटकर 1983 में 217 रह गई । अभ्रक की मांग अभ्रक प्रतिस्थापनों के विकास, माइका पेपर तथा माइका नाइट जैसे अभ्रक उत्पादों के अधिक प्रयोग तथा अभ्रक के प्रयोग वाले उत्पादों में प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण कम हुई है । श्रमिकों के रोजगार पर इसके प्रभाव के कोई आंकड़े परिकलित नहीं किए गए हैं ।

(ग) सरकार ने अभ्रक पर निर्यात शुल्क समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया है ।

"सोडा एश" का आयात बन्द करने का प्रस्ताव

5331. **श्री के. रामचन्द्रन रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आल इण्डिया सिलिकेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन" ने केन्द्रीय सरकार से "सोडा एश" का आयात बंद किए जाने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : (क) और (ख) एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन इस सुझाव के साथ प्राप्त हुआ था कि सोडा एश के बारे में निर्यात सदनों/व्यापारिक सदनों को ओ. जी. एल. की सीमा से बाहर कर देना चाहिए और मद केवल उपभोक्ताओं और उनकी एसोसिएशनों के माध्यम से आयात करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए । इस पर सहमति नहीं दी गई है ।

केरल की एडामालायार पन बिजली परियोजना को विश्व बैंक की सहायता

5332. **श्री पी० ए० एंटनी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक केरल की एडामालायार पन-बिजली परियोजना को वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गया;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जायेगी; और

(ग) इसे अंतिम रूप कब तक दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) : जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

पाकिस्तान से पंजाब को पशुओं के माध्यम से तस्करी

5333. **धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री सुभाष यादव : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से पंजाब को पशुओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर तस्करी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में अब तक कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) : सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह पता चलता है कि भारत-पाकिस्तान की सम्पूर्ण सीमा तस्करी के लिए सुगम क्षेत्र बना हुआ है। फिर भी प्राप्त रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से पाकिस्तान से पंजाब में पशुओं के जरिए बड़े पैमाने पर तस्करी होने का पता नहीं चलता है। समस्त भारत-पाक सीमा क्षेत्र में तस्करी रोधी अभियान तेज कर दिया गया है। क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय/राज्य सरकार की प्रवर्त्तन एजेंसियों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके उचित कारंवाई करने के लिए तस्करी के रुख और क्षेत्र में किए गए अभिग्रहणों की, सतत् समीक्षा की जाती है।

हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

5334. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में वर्ष 1986 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें खोलने का विचार है और ये शाखायें कहां-कहां खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : वर्ष 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की प्रति 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने का है। प्रत्येक गांव से 10 कि० मी० की दूरी के अन्दर-अन्दर एक बैंक कार्यालय सुनिश्चित करके स्थानिक दूरियों को कम करना भी इस नीति का उद्देश्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों/लीड बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों को मद्दे नजर रखते हुए बैंकोंकारी सुविधाओं की आवश्यकता वाले सम्भावित विकास केन्द्रों का पता लगाने और राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित पता लगाये गये केन्द्रों की सूची भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने के लिए कहा है। अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने के प्रश्न पर शाखा लाइसेंसिंग नीति के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जायेगा। अतः इस समय 1986 में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या और स्थानों के नाम, जहां पर ऐसी शाखाएं खोली जा सकती हैं, बताना सम्भव नहीं है।

ऋण वितरण में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें

5335. **श्री बी० एस० विजयराघवन :** क्या वित्तमंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) कमजोर वर्गों को ऋण वितरण में भ्रष्टाचार के संबंध में वर्ष 1985 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जब कभी भ्रष्टाचार पद के दुरुपयोग, चैकों की वसूली में देरी, बैंक कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, तब बैंकों द्वारा आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत शिकायतों के अलग से आंकड़े नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं जिनमें यह कहा गया है कि जहां कहीं ऋण और आर्थिक सहायता के संवितरण में कदाचार का पता चले वहां बैंकों को तत्काल और पूरी जांच करनी चाहिए तथा अन्तर्ग्रस्त बैंक अधिकारियों के विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए।

[हिन्दी]

वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि

5336. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के "आर्थिक सर्वेक्षण" में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत की वृद्धि-दर के पूर्वानुमान को सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में प्राप्त किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उसके कारणों का पता लगाया गया है; और

(ग) देश में आर्थिक वृद्धि की गति को बनाये रखने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आर्थिक समीक्षा के अनुसार उपलब्ध सूचना के आधार पर 1985-86 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 4.5 से 5.0 प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

गुजरात और महाराष्ट्र में रुग्ण उद्योगों को पुनरुज्जीवित करना

5337. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात और महाराष्ट्र में रुग्ण उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने की नई योजना को ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो रुग्ण उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने में क्या कठिनाइयां आड़े आ रही हैं; और

(ग) यदि नई, तो गुजरात और महाराष्ट्र में अक्तूबर, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक उद्योग पुनरुज्जीवित योजना के अन्तर्गत कितने रुग्ण उद्योगों को पुनरुज्जीवित किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) गुजरात और महाराष्ट्र में रुग्ण औद्योगिक एककों का पुनरुद्धार करने की कोई नई योजना शुरू नहीं कीगई है। दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गुजरात राज्य में 14 एककों को और महाराष्ट्र राज्य में 15 एककों को पुनरुद्धार सहायता दी गई।

[हिन्दी]

मुरादाबाद के पीतल बर्तन (ब्रासवेयर) उद्योग द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

533८. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दक** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद के पीतल बरतन (ब्रासवेयर) उद्योग को, जो विदेशी मुद्रा कमाने का एक अच्छा स्रोत रहा है, संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी ब्रासवेयर की वस्तुओं के इतने अधिक मूल्य होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ब्रासवेयर के लिए अपेक्षित कच्चे माल का मूल्य अधिक होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा माल प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पा रहा है; और

(घ) ब्रासवेयर उद्योग में बेरोजगारी को रोकने और इस प्रकार देश की समूची अर्थ-व्यवस्था ऊपर उठाने के उद्देश्य से इस संबंध में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान धातु की कलात्मक वस्तुओं के निर्यातों का मूल्य निम्नोक्त प्रकार रहा :—

वर्ष	करोड़ रु० (अनन्तिम)
1 83-84	67-23
1984-85	83.11
1984-85 (अप्रैल-नवम्बर)	53.56
198५-३6 (अप्रैल-नवम्बर)	57.35

आंकड़ों से किसी संकट का पता नहीं चलता। तथापि, धातु की कलात्मक वस्तु उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, विशेष रूप में दक्षिण कोरिया, ताइवान तथा हांगकांग से, जोकि मशीन से बनी धातु की कलात्मक वस्तुएं कम कीमत पर बेच रहे हैं, कड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहा है।

(घ) देश से धातु की कलात्मक वस्तुओं के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए जा रहे हैं : -

(1) हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिए एक अलग निर्यात संवर्धन परिषद् का गठन;

(2) धातु की कलात्मक वस्तुओं की क्वालिटी और फिनिश में सुधार लाने के लिए धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र की स्थापना करना;

(3) इस उद्योग को डिजाइन संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी डिजाइनरों को आमंत्रित करना;

(4) विदेशों में धातु की भारतीय कलात्मक वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करना;

(5) विदेशों में बाजार सभाव्यताओं का पता लगाने के लिए बिक्री-सह अध्ययन दल प्रायोजित करना;

(6) धातु की कलात्मक वस्तुओं के निर्यातों के आधार पर एफ० ओ० बी० मूल्य के 10% की दर पर नकद मुआवजा सहायता देना, तथा

(7) धातु की कलात्मक वस्तुओं के निर्यात के आधार पर 19.50 रु. प्रति किग्रा. की दर पर शुल्क वापसी देना ।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल का खुले बाजार में व्यापार और निर्यात

5339. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार खाद्यान्नों की वसूली और रक्षित भण्डार बनाते समय हुई हानि को आंशिक रूप से पूरा करने के उद्देश्य से खुले बाजार में बड़े पैमाने पर व्यापार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम का गेहूं और चावल का निर्यात आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम गेहूं का निर्यात करेगा । फिलहाल, भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का निर्यात करने का कोई विचार नहीं है ।

राज्यों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन

5340. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यों को कितना आयातित खाद्य तेल आवंटित किया गया है; और

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान राज्यों को कितना खाद्य तेल आवंटित करने का प्रस्ताव है ।

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्त वर्ष 1985-86 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेल की 5,42,810 मीटरी टन मात्रा आवंटित की गई थी ।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 986-87 के दौरान आयातित खाद्य तेल का आवंटन कई बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा इनका आवंटन, देशीय खाद्य तेलों की मांग के यथार्थपरक अनुमान उनके मूल्य तथा राज्य/क्षेत्र में उनकी उपलभ्यता, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध स्टाक तथा अन्य बातों, जैसे पहले आवंटित किए गए तेल को उठाने की गति आदि, को ध्यान में रखकर माह दर माह आधार पर किया जाता है ।

बम्बई में बड़े कपड़ा एककों को उत्पाद शुल्क का अपवंचन करने पर नोटिस दिया जाना

5341. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बम्बई स्थित बड़े कपड़ा एककों और उनके प्रबंधकों को उत्पाद शुल्क का अपवंचन करने तथा अन्य मामलों के कारण नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) कितने एककों/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना यथा संभव सीमा तक एकत्र की जा रही है और उसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार योजना

5342. **श्री टी० बशीर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिक्षित बेरोजगारों के लिए बनाई गई स्व-रोजगार योजना में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार प्रदान करने की स्कीम, जो वर्ष 1983-84 में शुरू की गई थी, वर्ष 1984-85 और 1985-86 तक आगे बढ़ा दी गई। स्कीम की परिचालन अवधि को किन्हीं संशोधनों, के साथ मार्च, 1986 से आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के छोटे उद्योगों से करों की वसूली

5343. **श्री राजकुमार राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 दिसम्बर, 1985 के 'जनसत्ता' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में उन छोटे उद्योगों से भी कर वसूल किया जा रहा है जिन्हें कर से छूट प्राप्त है;

(ख) क्या अखिल भारतीय खेल सामान निर्माता संघ द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उन छोटे उद्योगों, जिन्हें कर के भुगतान से छूट प्राप्त है, की सहायता करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) संविधान के अन्तर्गत बिक्री कर मुख्यतः राज्य कराधान का विषय है। इसलिए, संगत सूचना केवल उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही उपलब्ध होगी।

[अनुवाद]

स्टेट बैंक आफ इण्डिया, अलीगंज, जिला इटावा (उ० प्र०) द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों को दिए गए ऋण

5344. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया, अलीगंज, जिला इटावा (उत्तर प्रदेश) द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों को वर्ष 1985 के दौरान कितनी धनराशि के ऋण दिए गए थे;

(ख) उनको किन शर्तों पर ऋण दिए गए थे;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि ऋण प्राप्त-कर्ताओं को दिए गए ऋण का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है/किया गया है जिस प्रयोजन के लिए उन्हें ऋण दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में ऐसे कोई मामले आए हैं जहां यह पाया गया है कि दिया गया ऋण वास्तविक प्रयोजन पर खर्च नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे मामलों में क्या कार्य-वाही की गई है/करने का विचार है; और

(च) क्या ऋणकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से ऋण की अदायगी की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसकी अलीगंज शाखा ने वर्ष 1985 के दौरान स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत 21 हिताधिकारियों को 4,28,500 रुपये मंजूर किए थे ।

(ख) स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर से तथा अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर से प्रत्येक हिताधिकारी को कुल मिलाकर अधिक से अधिक 25,000 रुपये का ऋण दिया जाता है । बैंक मालिक के अंशदान के रूप में, मार्जिन राशि या सांपाश्विक प्रतिभूति या किसी अन्य पार्टी की गारंटी की मांग नहीं करते ।

(ग) से (ङ) उद्योग मंत्रालय ने जो इस योजना के निर्माण कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार है, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एक जिले में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1984 तक मंजूर किए गए ऋणों की 1985 में समीक्षा की थी ।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से इस योजना के अन्तर्गत ऋण की वसूली के संबंध में सूचना अलग से एकत्र नहीं की जाती है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उपभोक्ता सुरक्षा

5345. **शान्ता राम नायक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका मंत्रालय का सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उपभोक्ता सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

(ख) मंत्रालय का विचार स्वयं सेवी एजेंसियों को कितनी सहायता देने का है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) (क) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोक्ता संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. स्वैच्छिक उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन को आगे बढ़ाना ।

2. स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के गठन को प्रोत्साहित करना, जो उपभोक्ता को विभिन्न कदाचारों के विरुद्ध उपलब्ध कानूनी संरक्षण के बारे में शिक्षित करने में बहुत बड़ी सहायता दे सकते हैं।

3. सुस्थापित स्वैच्छिक संगठनों को उनके द्वारा उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं/योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

4. व्यापार पद्धतियों की पुनरीक्षा करने तथा अर्थव्यवस्था में अपमिश्रण करना, कम मापना व तोलना, धोखा देने वाले तथा भ्रामक विज्ञापन देना जैसी अस्वस्थ प्रवृत्तियों को बढ़ने से रोकने के लिए उपचारात्मक कार्यवाहियों का सुझाव देने हेतु उपभोक्ता संरक्षण संबंधी सलाहकार परिषद की बैठकें आयोजित करना ।

5. स्वैच्छिक अभिकरणों आदि से उपभोक्ता के सामने आने वाली समस्याओं पर जानकारी प्राप्त करने तथा भावी कार्यवाही की योजना बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में अखिल भारतीय संगोष्ठी/क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करना ।

6. उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण देने के लिए मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण कानूनों में संशोधन करना ।

7. उपभोक्ता कार्य के लिए केन्द्र में तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक केन्द्रक मंत्रालय/विभाग स्थापित करना ।

8. राज्यों-संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर एक नमूना कानून अधिनियमित करना, जिसमें उपभोक्ता के हित की रक्षा करने और उसका संवर्द्धन करने तथा उपभोक्ता की शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद, एक उपभोक्ता कार्य निदेशालय तथा एक उपभोक्ता विवाद निपटान मंच की स्थापना करने हेतु उपबंध होंगे ।

9. भारतीय मानक संस्था प्रमाणन के अन्तर्गत अधिकाधिक उत्पादों, विशेषकर जिनमें उपभोक्ता की सुरक्षा निहित हो, को लाना ।

(ख) सातवीं योजनावधि के दौरान स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को 25 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ।

(ग) भवनों को छोड़कर, उपभोक्ता संरक्षण परियोजना की पूंजीगत लागत के 100% तक का अनुदान प्रदान किया जा सकता है । अन्य आवर्ती खर्चों के संबंध में यह व्यय के 50% तक सीमित है ।

[हिन्दी]

बैंक अधिकारियों के घरों पर छापे

5346. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितने बैंक अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गए तथा वहां से कितने मूल्य का सामान बरामद किया गया और किस प्रकार के कागजात पकड़े गए;

(ख) इस छापों के परिणामस्वरूप कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया और गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कारंवाई की जा रही है; और

(ग) इस प्रकार गिरफ्तार किए गए कितने व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मामले दर्ज किए गए और इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरोने सूचित किया है कि 1-1-85 से 28-2-86 तक उसकी विभिन्न शाखाओं में दर्ज किए गए 125 मामलों की जांच के सिलसिले में विभिन्न बैंकों के 131 अधिकारियों के मकानों/कार्यालयों पर 145 छापे मारे गए थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आगे सूचित किया है कि छापों के दौरान वित्तीय लेन-देनों, चल और अचल सम्पत्ति में निवेशों, ऋणों/ओवरड्राफ्टों को गैर-कानूनी रूप से मंजूर करने की सुविधाओं जैसे कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। इन तलाशियों में बरामद सम्पत्ति का मूल्य लगभग 80, 81, 054 रुपये आंका गया है।

(ख) और (ग): केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उसके द्वारा दर्ज किए गए 125 मामलों में से 16 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। जांच पूरी किए जा चुके मामलों में से 6 मामलों में मुकदमे दायर कर दिए गए हैं, 9 मामले बैंकों को नियमित विभागीय कार्रवाई करने के लिए और एक मामला यथोचित-कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह भी सूचित किया है कि अदालत को भेजे गए सभी 6 मामले अभी लम्बित पड़े हैं।

[अनुवाद]

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार

5347. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह महाराज वाडियर** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दक्षिण कोरिया को कौन-कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है और दक्षिण कोरिया से कौन-कौन सी वस्तुओं का आयात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार निर्यात और आयात की गई प्रत्येक मद की कोटि और मूल्य क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार में असंतुलन रहा है; और

(घ) यदि हां, तो असंतुलन को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए द्विपक्षीय व्यापार की प्रमुख मदों के, दक्षिण कोरियाई प्राधिकरणों द्वारा यथा संकलित, वस्तुवार ब्यौरे संलग्न विवरण एक और दो में दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच असन्तुलन को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों में शामिल है : व्यापार मेलों में भाग लेना, अधिकारियों तथा व्यापारिक स्तर के प्रतिनिधि मंडलों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना एवं निर्यातों को बढ़ाने के लिए अभियान क्षेत्र के रूप में कोरिया को अभिज्ञात करना।

विवरण एक

वस्तु	1983-84 मात्रा किग्रा.	1983-84 मूल्य (अमरीकी डालर)	1984-85 मात्रा किग्रा.	1984-85 मूल्य (अमरीकी डालर)	1985-86 (अप्रैल-सितम्बर) मात्रा किग्रा.	1985-86 (अप्रैल-सितम्बर) मूल्य (अमरीकी डालर)
1. कृत्रिम रेजिन तथा प्लास्टिक सामग्री, सेल्यूलास ईस्टर्स एवं उससे बना अन्य सामान	27,441,563	16,794,187	40891999	23.629,307	28,324,571	16,390,402
2. बायलर, मशीनरी तथा मैकनीकल एपलाइन्सिस, उसके हिस्से पुर्जे	006899	3,549,536	4305406	9,214,604	555,991	2078221
3. लोहा तथा इस्पात, उसकी वस्तुएं	178176808	188,107,706	156051540	287,798,780	49163978	26033754
4. इलैक्ट्रीकल मशीनरी एवं उपस्कर उसके हिस्से पुर्जे	2173262	8361042	8871406	44288116	5043897	23276858
5. रेलवे अथवा टामवे चल स्टाक को छोड़कर गाड़ियां एवं उसके हिस्से पुर्जे	650745	3823061	390848	1507246	372179	826167
6. जहाज, नावें तथा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स	256503000	224163002	275655860	240487618	130304542	110444826

विवरण दो

वस्तु	1983-84 मात्रा किग्रा.	1983-84 मूल्य (अमरीकी डालर)	1984-85 मात्रा किग्रा.	1984-85 मूल्य (अमरीकी डालर)	1985-86 मात्रा किग्रा.	1985-86 मूल्य (अमरीकी डालर)
1. नमक, गंधक, अर्थ-स्टोन, प्लास्टिरिंग सामग्री, चूना तथा सीमेंट	1976320	552767	4622275	1838681	1691720	559120
2. धात्विक अयस्क, स्लैग तथा ऐशे	2594371890	67434048	2478290050	72156724	1528066720	40244095
3. कच्ची खालें, चमड़ी तथा चमड़ा	306415	6042103	459981	8658217	226412	4221660
4. रेशम तथा वेस्ट रेशम	1513131	8245650	758597	5815402	62881	1123168
5. रुई	15311559	25392656	3826570	7875597	978955	2131352
6. लोहा तथा इस्पात एवं उनकी वस्तुएं	42830	26528	419004	281487	—	—
7. बायलर, मशीनें एवं मैकेनीकल साधित्र उसके औजार	1368	79753	103934	1101766	1556	19621
8. मरम्मत के लिए आने वाले जहाज जैसा कि आर ओ के द्वारा आयातों के रूप में दिखाया गया है।		20007500		208970000		53890000

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का बंद किया जाना

5348. **श्री शरद दिघे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में अनेक चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई के अभाव में या तो बन्द कर दिया गया है या बन्द करने का नोटिस दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप फरवरी, 1986 और मार्च, 1986 के प्रथम सप्ताह में चीनी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) चीनी फैक्ट्रियों में गन्ने की पेराई की मुख्य अवधि सामान्यतया नवम्बर से मार्च होती है । चालू मौसम 1985-86 के दौरान, 22 मार्च को 201 फैक्ट्रियां कार्य कर रही थीं जबकि 1984-85 मौसम में उसी तारीख को 188 फैक्ट्रियां कार्य कर रही थीं । अद्यतन उपलब्ध सूचनानुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 15 फैक्ट्रियों में से 9 फैक्ट्रियां ,22.3.86 को कार्य कर रही थीं, लेकिन पिछले वर्ष की उसी तारीख को कार्य कर रही फैक्ट्रियों की तुलना में देश के शेष भागों में उसी तारीख को कार्य कर रही फैक्ट्रियों की संख्या अधिक है ।

(ख) और (ग) मार्च 1986 के पहले सप्ताह में चीनी के मूल्य स्थिर हो गए थे, लेकिन ऐसा उत्पादन में किसी गिरावट की प्रवृत्ति के कारण नहीं हुआ था । चालू मौसम 1985-86 में 15 मार्च को चीनी का उत्पादन 54.36 लाख मीटरी टन के स्तर पर पहुंच गया था जबकि 1984-85 में उसी तारीख को 48-22 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था ।

सरकार खुले बाजार में चीनी के मूल्यों पर गहरी निगरानी रख रही है । स्वदेशी और आयातित चीनी की पर्याप्त मात्रा मुक्त बिक्री के लिए निर्मुक्त की गई है जिसके फलस्वरूप 7.3.86 को मूल्य 650 रुपये से 7.40 रुपये प्रति किलोग्राम के रेंज से घटकर 27.3.86 को 6.40 रुपये से 7-00रुपए प्रति किलोग्राम के रेंज में हो गये हैं ।

तम्बाकू के उत्पादन और निर्यात में कमी

5349. **श्री एन० वेंकट रत्नम**

श्री मोहन भाई पटेल

डा० सुधीर राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 वर्ष पूर्व विश्व के तम्बाकू के कुल निर्यात में भारत का योगदान 17 प्रतिशत था जो अब घट कर 9.2 प्रतिशत रह गया है, और उत्पादन भी 11 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत रह गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ वर्ष पूर्व "फल्यू क्योर्ड वर्जीनिया" तम्बाकू का भारत में निर्यात करने से लगभग 1400 करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क तथा 200 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आदमनी होती थी;

(ग) अब कितने मूल्य के तम्बाकू का निर्यात होता है;

(घ) तम्बाकू के उत्पादन और निर्यात में गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार ने इसके उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(च) क्या यह भी सच है कि देश में तम्बाकू की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में बड़ी तेजी से कमी आ रही है; और

(छ) यदि हां, इसके क्या कारण हैं ?

वित्त-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। वर्ष 1975 में अविनिर्मित तम्बाकू के विश्व निर्यातों में भारत का हिस्सा 6.06 प्रतिशत था और 1984 में यह कम होकर 5.76 प्रतिशत रह गया। उसी अवधि के दौरान अविनिर्मित तम्बाकू के विश्व उत्पादन में भारत का हिस्सा 6.76 प्रतिशत से बढ़कर 7.76 प्रतिशत हो गया।

(ख) और (ग) : गत चार वर्षों के दौरान अविनिर्मित वी० एफ० सी० तम्बाकू के निर्यातों का मूल्य नीचे दिया गया है—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1981-82	190.99
1982-83	195.11
1983-84	161.85
1984-85	139.57

(स्रोत : तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर)

1.3.1979 से अविनिर्मित तम्बाकू पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं था।

(घ) बढ़ते हुए धूम्रपान विरोधी आन्दोलन के कारण विश्व बाजार में तम्बाकू की कम निर्यात मांग को देखते हुए तथा देश में पिछले तम्बाकू भण्डार की वजह से, तम्बाकू बोर्ड, वी० एफ० सी० तम्बाकू उत्पादन के अधीन क्षेत्र को विनियमित कर रहा है ताकि जहां तक सम्भव हो सके वी० एफ० सी० तम्बाकू की मांग तथा सप्लाई में सामंजस्य रखा जा सके।

(ङ) तम्बाकू बोर्ड विभिन्न तकनीकी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है और राज्य सरकारों एवं तम्बाकू विकास निदेशालय तथा केन्द्रीय तम्बाकू विकास निदेशालय तथा केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान जैसी अन्य एजेंसियों के सहयोग से विविध अन्तर्निविष्ट साधनों की सप्लाई जैसे अन्य उपाय भी कर रहा है।

तम्बाकू के विश्व निर्यातों में भारत के हिस्से को बेहतर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(i) अविनिर्मित तम्बाकू पर निर्यात शुल्क समाप्त करना;

(ii) आयात तथा निर्यात नीति के परिशिष्ट 16 के अधीन निर्यात उत्पादों की चुनिन्दा सूची में अविनिर्मित तम्बाकू शामिल करना;

(iii) 1986 की तम्बाकू की फसल की सारी किस्मों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत 1985 के स्तर पर ही रखना;

(iv) विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(च) और (छ) : जी नहीं । भारत में उत्पादन के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी मामूली है और विश्व बाज़ार में मांग पद्धति को देखते हुए वी० एफ० सी० तम्बाकू के उत्पादन को विनियमित करने के कारण हैं ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुग्ण एककों को लाभ की स्थिति में लाना

5350. **श्री अमल दत्त** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय संस्थाओं को उन रुग्ण एककों को लाभ की स्थिति में लाने की जिम्मेदारी संभालने के लिए अनुदेश जारी किये गये है जो लाभ सक्षम समझे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन वित्तीय संस्थाओं द्वारा अब तक कितनी ऐसी एककों को लाभ की स्थिति में लाया गया है और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए अनुदेशों के अधीन लाभ की स्थिति में लाने के लिए एककों का चयन करने में कोई प्राथमिकता बरती जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्राथमिकता देने का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने के लिए समय-समय पर मार्ग निर्देश जारी करता रहता है । बैंक इन मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सम्भावित अर्थक्षम एककों के लिए अलग-अलग मामले में पुनरुद्धार के मिले-जुले उपाय तैयार करते रहे हैं । वित्तीय संस्थाएं भी एककों की अर्थक्षमता के आधार पर अलग-अलग मामलों के लिए पुनरुद्धार प्रस्तावों पर विचार करती है ।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1977 से लेकर 64 उद्योगों की सहायता की है । राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश	:	6
असम	:	2
बिहार	:	3
गुजरात	:	3
हरियाणा		2
कर्नाटक	:	8
मध्य प्रदेश	:	1
महाराष्ट्र	:	10
पंजाब	:	6
राजस्थान	:	3
तमिलनाडु	:	7
उत्तर प्रदेश	:	7
पश्चिम बंगाल	:	2
संघ राज्य क्षेत्र	:	4
		64

(ग) जी, हां ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

चावल का निर्यात और चावल के मूल्यों पर इसका प्रभाव

5351. **श्री कमलनाथ** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल की सभी किस्मों के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में कुल कितनी मात्रा में चावल उपलब्ध हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं कि निर्यात से चावल की कमी न रहे और इसके बाजार मूल्य में वृद्धि न हो ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी नहीं । बासमती चावल के अतिरिक्त गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति एक निर्धारित सीमा के अन्तर्गत की गई बशर्ते कि 4000 रु. मे. टन एफ. ओ. बी. न्यूनतम निर्यात कीमत हो ।

(ख) 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान देश में चावल का कुल उत्पादन क्रमश: 60.1 मिलियन टन तथा 58.6 मिलियन टन आंका गया है।

(ग) सार्वजनिक बितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सार्वजनिक एजेसियों के पास प्रयाप्त भंडार है ।

[हिन्दी]

राजस्थान में पर्यटन के विकास की बृहद योजना

5352. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्यटन के विकास की कोई बृहद योजना वनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बृहद योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में पर्यटन के विकास के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) ऐसी कोई मास्टर प्लान नहीं है ।

(ग) तथापि, पर्यटन विभाग ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मरूस्थल क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें स्वीकृत की हैं :

स्कीम	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपए)
I. गदेसर तालाब और सूर्यास्त स्थल, जैसलमेर का विकास	3.78
II. मूमल पर्यटक बंगला, जैसलमेर का विस्तार	10.50
III. साम मरूस्थल राष्ट्रीय पार्क में कुटीरों का निर्माण	15.51
IV. पोखरण में मार्गस्थ सुविधायें	9.74
V. मेहरानगढ़ किला, जोधपुर की प्रकाशपुंज व्यवस्था	5.29

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम की आवास योजना

5353. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम की आवास योजनायें केवल शहरों और कस्बों में कार्यान्वित की जा रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम, राज्य सरकारों तथा राज्यों की प्रमुख सहकारी आवास वित्त सोसायटियों आदि को ऋण देकर, अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निगम की अपनी कोई आवास योजना नहीं है क्योंकि यह सुविधा प्रदान करने के लिए निगम का कोई बुनियादी ढांचा नहीं है।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर द्वारा सोसायटी को आवास ऋण की मंजूरी

5354. **श्री डाल चन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू बैंक आफ इण्डिया, सिंडिकेट बैंक, ओरियन्टल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ पटियाला और विदेशी ग्रिंडले बैंक अपने कर्मचारियों को फ्लैट बनाने के लिए किसी भी पंजीकृत कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और इसी पद्धति से पंजीकृत बैंक की अपनी सोसायटी के माध्यम से ऋण मंजूर करते हैं;

(ख) यदि हां, तो स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा अपने कर्मचारियों को यह सुविधा देने से इन्कार करने के क्या कारण हैं जबकि वे न केवल अपनी सोसायटी जिसकी सदस्य संख्या सीमित है, के सदस्य हैं; बल्कि समान नियम के अन्तर्गत पंजीकृत अन्य सोसायटियों के भी सदस्य हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार फ्लैटों के निर्माण के लिए ऋण सुविधा देने की एक सामान्य नीति उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हों, तो कब तक ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) :(क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कर्मचारियों को फ्लैट खरीदने/बनाने के लिए वित्तीय सहायता की सभी बैंकों अपनी-अपनी योजना है। कर्मचारी सामान्यतया आवास निर्माण सहकारी समितियां गठित करते हैं जो सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत होती हैं। बैंक अन्य व्यक्तियों द्वारा गठित किसी भी सहकारी आवास निर्माण समिति के या सामूहिक आवास योजनाओं के फ्लैट खरीदने के लिए भी अपने कर्मचारियों को ऋण सुविधायें देती हैं। बैंक प्राय: कर्मचारी आवास ऋण के लिए प्रतिवर्ष बजट व्यवस्था करते हैं और इसी की सीमा के अन्दर-अन्दर पात्र कर्मचारियों को ऋण दिए जाते हैं।

केरल में पर्यटन का विकास

5355. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन स्थानों के नाम क्या हैं जो विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा छठी योजना में अन्य राज्यों की तुलना में केरल में पर्यटन के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच.के.एल. भगत): (क) सम्पूर्ण केरल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है और विदेशी पर्यटकों ने विशेष रूप से त्रिवेन्द्रम, कोवलम, पोनमुडी, वर्कला, क्विलोन, आरनमुला, एल्लेपी, कोट्टायम, थेक्कडी, कुमरकम, कोचीन, त्रिचुर, चरुतुरुथी, कोट्टाकल, कोजीकोड, काप्पड, बेकाल और वाइनाद की यात्रा की ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्यवार आधार पर निधियों का आबंटन करता है । यह राज्य सरकारों से प्राप्त अलग-अलग परियोजनाओं के लिए ऐसी परियोजनाओं के गुणों और धन-राशि की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोवलम बीच रिसार्ट के लिए22.30 लाख रु० खर्च किए गए थे । सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी हैं :—

	स्वीकृत राशि
1. क्विलोन, कुमरकम, कोचीन, और थेक्कडी में नौकायन सुविधाएं	50.78 लाख रु०
2. कोट्टारकारा, एल्लेणी, पालघाट, कन्नानोर और वाइनाद प्रत्येक स्थान पर 0.28 लाख रु० की लागत पर आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं ।	51.40 लाख रु०
3. मेले और त्योहार	2·56 लाख रु०

"मोडवाट" योजना का उत्पादन लागत-दर पर प्रभाव

5356. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का यह विचार है कि नई लागू की गई "मोडवाट" योजना से उत्पादन लागत में कमी आएगी और अन्तिम तैयार उत्पाद उपभोक्ता के लिए सस्ते होंगे; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मोडवैट स्कीम के अंतर्गत, इस योजना के अन्तर्गत आने वाली निविष्टियों पर अदा किया गया उत्पादन शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क अन्त्य उत्पादनों पर उत्पादन शुल्क की अदायगी के लिए क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा । आशा की जाती है कि मोडवैट योजना के आरम्भ करने से अन्त्य उत्पादनों की लागत में कमी होगी जिन पर, निविष्टियों पर अदा किए गए शुल्क के सम्बन्ध में वर्तमान क्रेडिट

की उपलब्धता और लाभ लागतों की अनुवर्ती कमी के कारण उत्पादन शुल्क लगेगा। माडवैट योजना के अंतर्गत अंत्य उत्पादनों के मूल्य न केवल निविष्टियों पर शुल्कों की क्रेडिट की उपलब्धता पर निर्भर करेंगे बल्कि कई अन्य कारणों पर निर्भर करेंगे जिनमें शुल्क की दरों में परिवर्तन मांग और आपूर्ति स्थिति को नियन्त्रित करने वाली बाजार शक्तियां शामिल हैं। इस समय जबकि यह आशा की जाती है कि निविष्टियों पर शुल्क के क्रेडिट से उत्पादन की लागत कम होगी फिर भी सरकार के पास यह गारंटी देने के लिए कोई तन्त्र नहीं है कि उपभोक्ताओं को अन्त्य उत्पादन कम मूल्यों पर उपलब्ध होंगे, विशेषतया जबकि माडवैट योजना को मुख्य रूप से राजस्व-निरपेक्ष बनाने के लिए अन्त्य उत्पादनों पर शुल्क की दरों को उचित रूप से समायोजित किया गया है।

बैंक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

5357. **श्री अंकुल बशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि बैंक के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की जाए ताकि इनकी सेवा-निवृति की आयु को बैंक के अन्य कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु के बराबर किया जा सके;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस मामले में निर्णय लेने में और बिलंब करने से उन सैकड़ों अधिकारियों को परिहार्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और इसे नहीं माना गया।

शासित मूल्यों के सम्बन्ध में लम्बी अवधि की नीति

5358. **श्री पी० ए० एन्थनी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शासित मूल्यों के संबंध में एक लम्बी अवधि की नीति निर्धारित करने का विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी नीति सभी शासित वस्तुओं पर लागू होगी अथवा कुछ चुनींदा वस्तुओं पर लागू होगी, और

(ग) क्या इस नीति में सभी निर्मित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार शासित मूल्यों के संबंध में नीति विषयक मसौदा तैयार कर रही है जिसमें शासित मूल्यों में संशोधन करने के बारे में दृष्टिकोण और नीति की रूपरेखा बताई जाएगी।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय संबंधी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की रिपोर्ट

5359 श्री डी० बी० पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में जांच प्रक्रिया संबंधी अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी;

(ग) क्या रिपोर्ट की जांच करने के लिए तथा सिफारिशों संबंधी निर्णय लेने के लिए एक समिति स्थापित की गई है;

(घ) यदि हां, तो यह समिति कब स्थापित की गई थी; और

(ङ) समिति द्वारा स्वीकार तथा अस्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई 1984 में।

(ग) जी हां।

(घ) 17-7-1984 को।

(ङ) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 सिफारिशें भेजी हैं। उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, संलग्न विवरण में दिखा दिए गए हैं।

विवरण

सिफारिश	निर्णय
(1) मुख्यालय के अनुभागों में कार्य का पुनः वितरण।	स्वीकृत
(2) तकनीकी ब्यौरे निरीक्षण की फाईल में रखे जाएं।	स्वीकृत
(3) इंडेंटों की जांच के कार्य में लेवल कम्म करना।	स्वीकृत इस संशोधन के साथ कि 5 लाख रु० से अधिक मूल्य के यूनिटों के इंडेटों पर उप निदेशक (निरीक्षण) द्वारा कार्यवाही शुरू की जाएगी तथापि इंडेटों को निपटाने का कार्य अधिक से अधिक दो स्तरों पर ही किया जाएगा।
(4) इंडेंटकर्ताओं को यथा सम्भव, कम से कम निर्देश देना।	स्वीकृत

(5) तकनीकी विभागों से प्राप्त इंडेंटों की जांच की आवश्यकता नहीं।	स्वीकृत परन्तु इंडेंट विशिष्टियों के ठीक होने की जिम्मेदारी इंडेंटकर्ता विभागों की ही होगी, न कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की।
(6) वार्षिक निरीक्षण के लिए निर्धारित फार्मेट	स्वीकृत
(7) मंडलों से प्राप्त होने वाली विवरणियों तथा रिपोर्टों की सं० पर पुनर्विचार किया जाए, और उन्हें कम किया जाए।	स्वीकृत
(8) मुख्यालय में डैटा-बेस	स्वीकृत, इस निदेश के साथ कि सूचना एकत्रित करने के लिए एम० आई० एस० निदेशालय, निरीक्षण स्कंध की सहायता करेगा।
(9) फाईल करने की प्रणाली का सरलीकरण किया जाए।	स्वीकृत
(10) प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्वीकृत, इस निदेश के साथ कि पूर्ति निपटान महानिदेशालय का प्रशिक्षण निदेशक, निरीक्षण स्कंध की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा।
(11) लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण	स्वीकृत
(12) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के निरीक्षण स्कंध का राष्ट्रीय परीक्षण शाला की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं से सहयोग।	विचाराधीन है।
(13) अपर महानिदेशक (निरीक्षण) को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना।	स्वीकृत
(14) क० भारतीय मानक संस्थान के लाइसेंस धारियों के स्वतः प्रमाणीकरण को स्वीकार करना।	स्वीकृत, इस संशोधन के साथ कि इसे उन मामलों में लागू किया जाए जहां पिछले 3 वर्षों में 0.5% से कम माल रद्द किया गया था। प्रारंभ में केवल 25 मदों के लिए इस नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है।

ख. वारन्टी/गारन्टी के अधीन अधिक मदों को शामिल किया जाए।	स्वीकृत तथा कुछेक मदों को इसके लिए चुन लिया गया है और उन्हें परिचालित कर दिया गया है।
(15) सरकारी उपक्रमों के उत्पादों को निरीक्षण से छूट।	स्वीकृत, इस संशोधन के साथ कि यह नीति उन पर लागू होगी जहां पिछले 3 वर्षों में 0.5% से कम माल रद्द किया गया हो।
(16) एक समान निरीक्षण प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना।	स्वीकृत
(17) परीक्षण के लिए प्राप्त नमूनों को संहिताबद्ध करना और निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा यह कार्य किया जाना	नमूनों को स्वीकार करने और उन्हें परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजने का कार्य निरीक्षण स्टाफ द्वारा किया जायेगा। नमूनों को संहिताबद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हुआ।
(18) रा० प० शाला को, निरीक्षण स्कंध से निरीक्षण संबंधी शुल्क नहीं लेना चाहिए।	स्वीकृत
(19) नमूनों के असफल सिद्ध होने पर पूर्तिकर्ताओं से परीक्षण संबंधी शुल्क वसूल करना चाहिए।	स्वीकृत
(20) मूल्य कम करने के लिए एक समान मार्गदर्शी नियम।	स्वीकृत
(21) विशिष्टियों से मामूली अन्तर होने पर भी माल को स्वीकार करने के बारे में निरीक्षण निदेशक को अधिकार	स्वीकृत, इस संशोधन के साथ कि विशेष मूल्य कटौती का अधिकार उसे नहीं होगा
(22) निरीक्षण की मोहरों में सुधार	स्वीकृत
(23) अधिकारी अभिमुख कार्य प्रणाली को लागू करना।	विचाराधीन
(24) विविध मंडलों में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों की व्यवस्था करना।	स्वीकृत
(25) क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यभार का पुनरीक्षण करना।	स्वीकृत
(26) मंडलों में रिकार्ड प्रबंध	स्वीकृत

सौराष्ट्र के पतनों से समुद्री उत्पादों का निर्यात

5360. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान सौराष्ट्र के पतनों से समुद्री उत्पादों का कितना निर्यात किया गया;

(ख) कितने मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया; और

(ग) वर्ष 1985 के दौरान समुद्री उत्पादों के कुल निर्यात की तुलना में सौराष्ट्र के पतनों से कितने प्रतिशत निर्यात किया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) वर्ष 1985 के दौरान सौराष्ट्र के पतनों से समुद्री उत्पादों का निर्यात 5763मे० टन था जिसका मूल्य 23.21करोड़ रु० था।

(ग) सौराष्ट्र के पतनों से किया गया गया निर्यात वर्ष 1985के दौरान समुद्री उत्पादों के कुल निर्यात का मात्रावार 7.15% मूल्यवार 6.18% है।

1986 में गेहूं की खरीद

5361. **श्री सुभाष यादव :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1986 में गेहूं की खरीद करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गेहूं उत्पादक राज्यों से सम्भावित अच्छी फसल का अधिकतम लाभ उठाने का भी अनुरोध किया है;

(ग) आगामी 1986 के मौसम के दौरान गेहूं की कितनी मात्रा की खरीद की जाने की संभावना है; और

(घ) क्या भण्डारण सम्बन्धी कठिनाइयों पर भी विचार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) वर्ष 1985 में कुल एक करोड़ तीन लाख चालीस हजार मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी। तथापि, 1986 के लिए कोई अनुमान नहीं दिए जा सकते हैं क्योंकि वसूल की जाने वाली सम्भावित मात्रा फसल की मात्रा, चल रहे बाजार भावों और तय किए गए क्रय केन्द्रों पर सरकारी वसूली एजेंसियों को किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए गए विशिष्ट किस्म के अनाज की मात्रा पर निर्भर करेगी।

(घ) खाद्यान्नों के स्टाक को भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसियों के पास उपलब्ध ढकी हुई भण्डारण क्षमता और कवर-एवं-प्लिथ (कैंप) भण्डारण में रखा जाता है। इस स्टाक को बरबादी और हानियों से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाती हैं।

निम्नलिखित उपायों के माध्यम से भी भंडारण क्षमता में वृद्धि की जाएगी :

(1) 1985-86 के दौरान, आशा है कि सभी भारतीय खाद्य निगम और अन्य एजेंसियां 16.95 लाख मीटरी टन खाद्यानों के लिए ढकी हुई भंडारण क्षमता का सृजन करेंगी;

(2) भारतीय खाद्य निगम ढकी हुई अतिरिक्त भंडारण क्षमता को किराए पर ले रहा है;

(3) भारतीय खाद्य निगम का प्राइवेट पार्टियों से ढकी हुई भंडारण क्षमता का निर्माण करवाने का विचार है जिसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा गारंटीबद्ध अधिभोग पर किराये पर लिया जाएगा;

(4) चट्टों की ऊंचाई को बढ़ाकर उपलब्ध भंडारण क्षमता का अधिक कुशलता के साथ इस्तेमाल किया जा रहा; और

(5) ढकी हुई भण्डारण क्षमता की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की लगभग 17 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त कैंप भंडारण क्षमता तैयार करने की योजना है।

निजी उद्योगों द्वारा सरकारी संस्थाओं से लिए गए ऋण

5362. **श्री श्री० विजय रामाराव :**

श्रीमती डी०के० भंडारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक निजि उद्योगपति अपना व्यापार जिसमें रुग्ण एकक भी हैं, सरकारी संस्थाओं से बहुत बड़ी धनराशि उधार लेकर काम कर रहे हैं; और

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर ने "रुग्ण" होने वाले औद्योगिक घरानों के लिए ऋण देने की शर्तों को कठोर बनाने का सुझाव दिया है ताकि सरकारी धन से काम करने वाले ऐसे घरानों द्वारा किए जा रहे इस अर्थहीन व्यय को रोका जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से औद्योगिक एककों के लिए वित्तीय सहायता की पात्रता के सम्बन्ध में मानदंड निर्धारित किए हैं। बैंक और वित्तीय संस्थायें निजी उद्योगपतियों से प्राप्त ऋण प्रस्तावों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण औद्योगिक एककों की पुन: स्थापना के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। बैंक इन मानदंडों के अन्दर रहते हुए उन रुग्ण एककों को राहत और रियायतें दे सकते हैं, जिसके अर्थक्षम होने की संभावना होती है।

पंजाब और हरियाणा में खाद्यान्नों के भंडार एकत्र होना

5363. **श्री मेवासिंह गिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और पंजाब में एक करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न के भंडार एकत्र हो गए हैं और उसमें से 20 लाख टन से अधिक खुले में पड़ा है और सड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलों द्वारा एक वर्ष में 70 लाख टन से अधिक खाद्यान्न की ढुलाई नहीं की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने शेष भंडार को उपभोक्ता क्षेत्रों को भेजने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि वर्ष 1985 में पंजाब के राज्य संगठन द्वारा भारतीय खाद्य निगम की ओर से खरीदा गया 55 लाख टन खाद्यान्न भंडार अभी भी राज्य संगठन के पास पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य संगठन को इससे राहत दिलाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) पंजाब और हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम और अन्य एजेंसियों के पास कुल 117 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के स्टाक हैं जिनमें से लगभग 39 लाख मीटरी टन स्टाक कैप भण्डारण में है। स्टाक का उचित ढंग से परिक्षण किया जा रहा है।

(ख) 1985-86 के 11 महीनों के दौरान फरवरी, 1986 तक पंजाब और हरियाणा से 91 लाख मीटरी टन की मात्रा भेजी गई है।

(ग) जब कभी अपेक्षित होता है तब रेल और सड़क द्वारा शेष स्टाक को भी खपत केन्द्रों को भेजा जा रहा है।

(ग) 1985-86 में पंजाब में राज्य एजेंसियों ने लगभग 44 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की थी जिसमें से लगभग 32 लाख मीटरी टन की मात्रा अभी उन्हीं के पास है।

(ङ) रेलवे के निकट समन्वय से पंजाब और हरियाणा से स्टाक के संचलन में वृद्धि की जा रही है। पिछले एक वर्ष के दौरान लदान में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की गई है। पड़ोसी राज्यों को भी सड़क द्वारा खाद्यान्नों का संचलन किया जा रहा है।

बैंकों में कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियां

5364. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बैंक बिना कार्यकारी निदेशकों के कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन बैंकों के नाम क्या हैं; और

(घ) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) इस समय 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से पांच अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक, न्यू बैंक आफ इण्डिया, विजय बैंक, कारपोरेशन बैंक और पंजाब एण्ड सिंध बैंक में कार्यपालक निदेशक नहीं है। ये पद अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग कारणों से खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करने पर बराबर विचार किया जा रहा है।

चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के बिना काम कर रही राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

5365. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कितनी मिलें इस समय चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक के बिना काम कर रही हैं और ये पद कितने समय से रिक्त पड़े हैं तथा उसके क्या कारण हैं;

(ख) चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशकों के न होने से इन मिलों के सुचारु रूप से कार्य करने पर कहां तक प्रभाव पड़ा है और इन मिलों को वर्ष 1984 के दौरान हुई हानि की तुलना में वर्ष 1985 के दौरान कितनी हानि हुई है; और

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में उच्चतम स्तर के इन पदों को भरने के लिये क्या उपाय किये हैं स

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तीन सहायक निगम बिना अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के काम कर रही हैं इनके ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

सहायक निगम का नाम	पद किस तारीख से रिक्त हैं	टिप्पणी
एन. टी. सी. (मध्य प्रदेश), इन्दौर	25-12-1985	इस सहायक निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक 24-12-85 को अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले 1-10-1985 से छुट्टी पर चले गए।
एन. टी. सी. (उत्तर प्रदेश), कानपुर	29-11-1985	इस सहायक निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक ने 13-9-1985 को त्याग-पत्र दे दिया। उनका त्याग-पत्र 28-11-1985 (अपराह्न) से स्वीकार किया गया।
एन. टी. सी. (महाराष्ट्र), बम्बई	1-3-1986	अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर अध्यक्ष-सह प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल 28-2-1986 को समाप्त हो गया।

(ख) इन तीनों सहायक निगमों के कार्यचालन में कुल मिलाकर रुकावट नहीं आई है क्योंकि अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशकों के कार्य संबंधित प्रबन्ध समितियों द्वारा निष्पादित किये गये हैं। उपरोक्त तीनों सहायक निगमों की 1984-85 तथा 1985-86 (अप्रैल से दिसम्बर, 1985 तक) के वर्षों के लिए लाभ/हानि स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न।

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए उपयुक्त अभ्यार्थियों के चयन संबंधी कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

विवरण

एन. टी. सी. (एम. पी.) लि०, एन. टी. सी. (यू. पी.) लि. तथा एन. टी. सी. (एम.एन.) लि. की 1984-85 तथा 1985-86 (अप्रैल से दिसम्बर, 1985) के वर्षों के लिए लाभ/हानि संबंधी स्थिति

(करोड़ रु० में)

सहायक निगम का नाम	1985	1985-86 (अप्रैल से दिसम्बर, 1985
एन. टी. सी. (एम. पी.) लि.	—17.35	— 6.24
एन. टी. सी. (यू. पी.) लि.	—17.64	—10.20
एन. टी. सी. (एम. एन.) लि.	—23.74	—11.66

मैसर्स मोहन मशीन्स लिमिटेड को आयात लाइसेंस देना

5366. **श्री आनन्द पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स मोहन मशीन्स लिमिटेड को वातित जल के लिए मशीनों का निर्माण करने हेतु लाइसेंस दिया गया था;

(ख) यदि हां तो मैसर्स मोहन मशीन्स लिमिटेड को वातित जल बनाने की मशीन का आयात करने के लिए 10 नवम्बर. 1984 को लाइसेंस किस आधार पर दिया गया था;

(ग) क्या मूल्य से अधिक के बीजक बनाने के बारे में कोई शिकायत की गई है;

(घ) क्या सरकार ने. जिस मूल्य पर इस मशीन का आयात किया गया है, उसकी जांच इसी प्रकार की मशीनों के साथ की है; और

(ङ) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) और (ख) मैसर्स मोहन मशीन लि., नई दिल्ली ने नवम्बर 1984 के शुरू में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान नष्ट/क्षतिग्रस्त हुई बताई गयी मशीनरी के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के लिए एक आवेदन दिया था। उन पर उद्योग मंत्रालय में संबंधित तकनीकी प्राधिकारियों से ऐसे एककों के शीघ्र पुनस्थापन के लिए अपनायी जाने वाली नीति के अनुसार परामर्श करके विचार किया गया और निर्बाधित किया गया। तदनुसार नं० 1 आटोमैटिक बाटल फिलिंग रथा क्राउनिंग एसेम्बली कैप 320 बोतल प्रति मिनट तथा गैर मादक पेयों के लिए नं० 1 इन्टमिश कार्बोनेटिंग तथा मिक्सिंग प्लांट व अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए एकक को 65 लाख सीआईएफ मूल्य के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी०/सीजी/2096978 दिनांक 10-11-1984 जारी किया गया।

(ग) से (ङ) फर्म को आयात लाइसेंस मूल्य, आयात का देश, माल के ब्यौरे तथा उनकी क्षतिग्रस्त मशीनों से समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के ब्यौरे जिन्हें कि विधिवत रूप से चार्टड इंजीनियरों/बीमा कम्पनी द्वारा प्रमाणित किया था तथा फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए हलफनामें के आधार पर जारी किया गया।

दिल्ली में एशियाड के लिये निर्मित पंचतारा होटल

5367. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मूलतः एशियाड के संबंध में मंजूर किए गए पंचतारा होटलों का वर्तमान संचालन दर्जा क्या है;

(ख) प्रत्येक होटल में कितने बिस्तर हैं और वाणिज्यिक शापिंग स्थल का क्षेत्र कितना है; और

(ग) 1 जनवरी, 1986 को इन होटलों में से प्रत्येक होटल में कमरे का अधिकतम और न्यूनतम किराया कितना था।

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री० एच० के० एल० भगत) : (क) जो 10 होटल परियोजनाएं (एक के विस्तार सहित) एशियाड के लिए स्वीकृत की गई थीं उनमें से 6 पूर्णतः और एक अंशतः चालू हो चुकी हैं। शेष तीन अभी पूरी होनी हैं।

(ख) और (ग) प्रत्येक कार्यरत होटल में बैड्स की संख्या, वाणिज्यिक शापिंग-स्थल क्षेत्र, और सिंगल तथा डबल रुम्स के लिए पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित टैरिफ संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

होटल का नाम	बैड्स की संख्या	वाणिज्यिक शापिंग-स्थल का क्षेत्र	टैरिफ रुपयों में सिंगलवातानुकूलित कमरा	डबल वातानुकूलित कमरा
1. ह्यात रिजेंसी	813	1250 वर्गमीटर (लगभग)	700	800
2. सोफीताल सूर्या	241	1036 वर्गमीटर	600	700
3. सिद्धार्थ कांटिनेंटल	294	3000-00 वर्ग फुट	800	900
4. ताज पैलेस	793	5114 वर्ग फुट	880	990
5. मौर्य टावर्स	240	7176 वर्ग फुट	880	990
6. सम्राट	528	5208 वर्ग फुट	725	825
7. दि सेंटोर	592	303.8 वर्ग मीटर	580	660

आंध्र प्रदेश के गुंटूर और प्राकाशम जिलों में भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

5368. **श्री सी० सम्बु** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति और तूफान से प्रभावित मौसम के कारण वर्ष 1985-86 में कपास कुछ घटिया किस्म की हुई है;

(ख) क्या इस स्थिति का बहाना बनाकर भारतीय कपास निगम कपास उत्पादकों से कपास नहीं खरीदना चाहता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिलों में वर्ष 1985-86 के दौरान पैदा हुई कपास की खरीद करने हेतु भारतीय कपास निगम को निदेश देने के लिए यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या की है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां): (क) जी हां। आन्ध्र प्रदेश में 1985-86 के दौरान उत्पादित रुई की भारी मात्रा काफी घटिया किस्म की पाई गई है।

(ख) भारतीय रुई निगम ने आंध्र प्रदेश में चालू रुई मौसम के दोरान अब तक साधारण औसत किस्म की अथवा मामूली सी निम्न स्तर की कपास की लगभग 3.00 लाख गांठे खरीदी हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में काम कर रहे केरल के लोगों द्वारा विदेशी मुद्रा भेजा जाना

5369. **श्री वक्कम पुरुषोत्तम** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में काम कर रहे भारतीयों के माध्यम से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है; और

(ख) विदेशों में काम रहे केरल के लोगों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) क्योंकि मौजूदा नियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत डीलरों को ,10000/- रुपए या उससे कम की राशि के प्रेषणों के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए केवल विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से प्राप्त प्रेषणों के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, गैर-सरकारी अन्तरण प्राप्तियों की राशि, जिनमें अन्य प्राप्तियों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीकता के अनिवासियों से प्राप्त रकमें भी शामिल हैं, 1983-84 में समाप्त होने वाले 3 वर्षों के दौरान भुगतान शेष आंकड़ों में दी गई स्थिति (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) के आधार पर इस प्रकार है:—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
1981-82	2082.8
1982-83	2430.7
1983-84	2648.7

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

चाय की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु चाय बागानों में भूमि में वृद्धि करना

5370. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी बाजार के लिए और निर्यात व्यापार के लिए चाय की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मांग पूरी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक भूमि को चाय की खेती के अन्तर्गत लाने का है;

(घ) क्या यह सच है कि चाय बागानों में फालतू श्रमिकों की संख्या खतरा बन गई है और फालतू श्रमिकों को खपाने के लिए चाय बागानों का तत्काल विस्तार करना अनिवार्य हो गया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भूमि की अधिकतम सीमा विधान के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिगृहित की गई चाय बागानों की भूमि वापस लौटाने का है ।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) घरेलू मांग और साथ ही आयातित देशों में चाय की मांग में वृद्धि हुई है । उत्पादकता और साथ ही चाय के अन्तर्गत क्षेत्र दोनों में वृद्धि के लिए कदम उठाए गए हैं । उत्पादन में वृद्धि तथा निर्यातों में सहायता देने के लिए बोर्ड कई योजनाओं को चलाता है । चाय उत्पादन के लिए भूमि चाय कम्पनियों/संबंधित राज्य सरकारों के उपजकर्ताओं के पास है ।

(ग) भारत सरकार चाय के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए है ।

(घ) चाय बोर्ड के पास ऐसे कोई सूचना नहीं है ।

(ङ) विषय राज्यों से संबंधित है और केन्द्र सरकार के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

चण्डीगढ़ में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ता

5371. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन का पांच प्रतिशत विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते के रूप में मिलता था जो कि अब घटाकर 10 रुपए प्रतिमाह की नगण्य राशि कर दिया गया है जिसके कारण चण्डीगढ़ में जीवनयापन की उच्च लागत के परिणामस्वरूप दिक्कतें हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दृष्टि से इसकी दर को पुनः बढ़ाया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मध्यस्थता बोर्ड केअधिनिर्णय के अनुसार चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के ग्रुप "ग" और "घ" कर्मचारियों को 1.6.73 से वेतन का 5% विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता इस शर्त पर दिया गया था कि यह तब तक दिया जाता रहेगा जब तक पजाब सरकार चण्डीगढ़ में अपने कर्मचारियों को चण्डीगढ़ प्रतिपूर्ति भत्ता देती रहेगी अथवा तब तक जबतक चण्डीगढ़ नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के लिए योग्य हो। 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चण्डीगढ़, वहां पर तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1.2.82 से नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिए "ख-2" श्रेणी नगर के रूप में वर्गीकरण के लिए योग्य हो गया। तदनुसार, चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की मंजूरी के साथ ही कर्मचारियों को पहले से स्वीकार्य विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते की रियायत को वापस लिया समझा गया तथा उनके पुनः स्थापित होने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चाय की पाकिस्तान को तस्करी

3572. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और राजस्थान की सीमाओं से प्रतिवर्ष अत्यधिक मात्रा में भारतीय चाय की तस्करी की जा रही है;

(ख) क्या सीमा पार चाय की कथित तस्करी रोकने के लिए भारत पाकिस्तान व्यापार समझौते में कोई व्यवस्था की जाएगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान, चीन और अर्जेन्टीना से घटिया किस्म की चाय का आयात कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि दक्षिण भारत की सामान्य और मध्यम किस्म की चाय को चीन और अर्जेन्टीना की चाय के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गम्भीरता के साथ पाकिस्तान में चाय बाजार में प्रवेश करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट यह संकेत नहीं देती है कि भारत से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर चाय की तस्करी की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पाकिस्तान श्रीलंका, चीन, अर्जेन्टीना, केन्या तथा साथ ही भारत जैसे कई देशों से चाय का आयात करता है। चीन और अर्जेन्टीना से आयात की गई चाय का इकाई मूल्य सामान्यतः अन्य देशों से इकाई आयात मूल्यों की तुलना में निम्नतम है।

(घ) पाकिस्तान को दक्षिण भारतीय चाय के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ङ) जी हां।

(च) भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार करार का अभिप्राय, अन्य बातों के साथ साथ भारत से इस देश को चाय के निर्यात को बढ़ाना है।

इंडोनेशिया में संयुक्त उद्यम में निवेश करने में वृद्धि

5373. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इन्डोनेशिया में संयुक्त उद्यम में अपने पूंजी निवेश में वृद्धि करने और उस देश में लघु उद्योगों तथा तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में अधिक निकट सहयोग करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते तथा विचार-विमर्श में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिए गए ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) फरवरी, 1986 में सरकारी व्यापार वार्ताओं के दौरान इंडोनेशिया में और अधिक संयुक्त उद्यमों में भारतीय पार्टियों की भागीदारी की सम्भाव्यताओं और लघु उद्यमों तथा तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर विचार-विमर्श हुआ।

(ख) भारत सरकार के उन प्रतिनिधियों के ब्यौरे, जिन्होंने जकार्ता में 17-18 फरवरी, 1986 को हुई व्यापार तथा आर्थिक मामलों संबंधी भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय बातचीत में भाग लिया, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उपरोक्त विषयों पर निम्नलिखित निर्णय लिए गये;

(1) विकासशील देशों के बीच सहयोग के एक उपाय के रूप में भारत इंडोनेशिया में नए निवेश क्षेत्रों जैसे कि मशीन औजार तथा सहायक सामग्री, दस्ती औजार, फोर्जिंस फाउंड्रीज, भारी विद्युत मशीनें, पम्प तथा कम्प्रेशर्स, रसायन, कागज लुगदी, चीनी उत्पादन, मछली संसाधन आदि में संयुक्त उद्यमों का संवर्धन करेगा। इंडोनेशिया द्वारा "1986 के लिए निवेश की वरीयता सूची" के प्रकाशन के बाद इस सूची की समीक्षा की जायेगी।

(2) दोनों पक्ष इंडोनेशिया में लघु उद्योगों के महानिदेशक और भारतीय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन० एस० आई० सी०) के बीच 14 मार्च, 1986 को जकार्ता में हस्ताक्षर किए गए संलेख को कार्यान्वित करने के प्रयास करेंगे। एन० एस० आई० सी० सम्बन्धित इंडोनेशियाई संगठनों को इंडोनेशिया में लघु उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना का विकास करने के लिए सहयोग प्रदान करने हेतु उपलब्ध रहेगा।

(3) वर्ष 1986-87 में तकनीकी सहयोग आधार पर एक दूसरे को दस फैलोशिप पेशकश की जाएगी।

विवरण

1. श्री प्रेम कुमार वाणिज्य सचिव भारत सरकार	नेता
2. श्री विनोद सी खन्ना भारतीय राजदूत	सदस्य
3. श्री के० शर्मा संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय	सदस्य
4. श्री रवि साहनी सचिव वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
5. श्री पी०के० शुंग्लू कार्यकारी निदेशक भारतीय राज्य व्यापार निगम	सदस्य
6. श्री राजीव भाटिया काउंसलर भारतीय दूतावास जकार्ता	सदस्य
7. श्री पी० के० शास्त्री वरिष्ठ महाप्रबंधक (नन फेरअस मेटल्स) भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम लि०,	सदस्य
8. श्री के०के० राल्हन क्षेत्रीय प्रबन्धक इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद जकार्ता	सदस्य

टिप्पणी

इसके अलावा जकार्ता में वार्ताओं के दौरान निम्नलिखित भी उपस्थित थे :—

1. श्री सी० एस० विट्ठल राव
महाप्रबंधक
रेल इण्डिया टेकनीकल एण्ड इकानामिक
सर्विसीज लि० (रिटेज)

2. श्री के० के० बालासुब्रमण्यम
भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० (भेल)
3. श्री सी० आर० नगेन्द्राजन
कार्यकारी निदेशक
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० (एच एम टी)
4. श्री अनूप सिंह
उप क्षेत्रीय प्रबन्धक
राज्य व्यापार निगम सिंगापुर।

शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक कार्यालय द्वारा शत्रु संपत्ति दावों का निपटान

5374. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक कार्यालय द्वारा दावों के निपटान में अब तक कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ख) दावेदारों द्वारा किए गए रिकार्डों के सत्यापन के लिए, यदि कोई, छानबीन की जाती रही है तो वह क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई निर्धारित नियम अथवा मैनुअल भी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निश्चित नियमों के अभाव में और दस्तावेजों का सत्यापन सदैव न कर पाने की स्थिति में भ्रष्ट व्यक्तियों का फलना-फूलना आसान नहीं हो जाता;

(ङ) अभिरक्षक कार्यालय के पास कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं और ये कितनी धनराशि के हैं; और

(च) बम्बई स्थित अभिरक्षा कार्यालय द्वारा इस प्रकार के दावों की धनराशि के वितरण में क्या नियंत्रण रखा जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) फरवरी, 1986 तक 58.32 करोड़ रु० की राशि वितरित की जा चुकी है।

(ख) से (घ) मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जा चुके हैं जिनके अनुसार मूल स्वरुप के दस्तावेज, जैसे कि खरीद, खतियान और आयकर मूल्यांकन आदेश, जांच के आधार बनने चाहिए दावों की जांच, पैनलों द्वारा की जाती है जिनकी अध्यक्षता विशेष कार्य अधिकारी करता है और जिसमें पश्चिमी बंगाल के सेवानिवृत न्यायाधीश/राजस्व/सर्वेक्षण अधिकारी शामिल होते हैं।

(ङ) 14606 दावों संबंधी मामलों पर कार्यवाही की जानी है। लम्बित मामलों में लगी हुई राशि बताना संभव नहीं है।

(च) धनराशि वितरण से पहले दावेदारों से बिल फार्म, क्षतिपूर्ति पत्र, हलफनामा ले लिए जाते हैं।

शुल्क वापसी सुविधा का दुरूपयोग

5375. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकेन्द्रीयकृत क्षेत्र में भारी संख्या में उत्पादन की जाने वाली निर्यात मदों पर शुल्क वापसी की अधिकतम सुविधा प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मदों के नाम क्या हैं; और

(ग) शुल्क वापसी सुविधा के दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्रतिअदायगी भुगतान संबंधी आंकड़े सैक्टर-वार अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं। अतः विकेन्द्रीकृत सैक्टर द्वारा शुल्क प्रतिअदायगी के कितने शेयर का दावा किया है इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, इस सैक्टर में अधिकाश: में उत्पादित कुछेक उत्पादों को शुल्क प्रतिअदायगी योजना के अन्तर्गत समाहित किया गया है, यथा तैयार चमड़ा, चमड़े की वस्तुयें, जूते, शाल, निटविअर्स, सिली सिलाई पोशाकें पीतल की वस्तुयें और ई० पी० एन० एस० बर्तन, अगरबत्तियां और धूप आदि।

(ग) जिस माल के संबंध में प्रतिअदायगी का दावा किया जाता है उसकी जांच सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा निरपवाद रूप से पोतलदान से पूर्व की जाती है और जहां कहीं भी आवश्यक होता है, निर्यातकर्ता की घोषणा की तसदीक करने और प्रतिअदायगी अनुसूची में निर्यात किये जाने वाले उत्पाद का वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधिक नमूनों की जांच की जाती है। इससे ठीक-ठीक जांच सुनिश्चित होती है और शुल्क प्रतिअदायगी सुविधा के दुरुपयोग के संभावित प्रयासों पर रोक लगती है।

कपास के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

5376. **श्री सी० सम्बु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास सलाहकार बोर्ड के सदस्य उत्पादन आंकड़ों को गलत दिखाकर कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने तथा "सिन्थेटिक फाइबर के आयात की अनुमति देने के लिये सरकार पर दबाव डाल रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के दौरान कपास का निर्यात करने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत सरकार निर्यात के लिए रुई की ऐसी किस्में/मात्राएं रिलीज करती है जो कि घरेलू वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं से वेशी समझी जाती है। सरकार द्वारा देश में रुई की मांग तथा सप्लाई स्थिति तथा रुई की कीमतों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और रुई के निर्यात के संबंध में समुचित निर्णय लिए जाते हैं।

आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों के समीप पर्यटक होटलों की स्थापना करने का प्रस्ताव

5377. **श्री सी० सम्बु** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों के समीप पर्यटक होटल स्थापित करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों पर पर्यटक विश्राम स्थल स्थापित करने का भी है;

(ग) क्या प्रकाशम जिले में "वडारेवु" को एक पर्यटक विश्राम स्थल के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) पर्यटन विभाग ने आंध्र प्रदेश सरकार को ऋषिकोण्डे में 12 समुद्र-तट कुटीरों के निर्माण के लिए 20.80 लाख रु० अनुमोदित किए हैं । इसमें से 5.00 लाख रु० की एक राशि पेशगी के रूप में पहले ही रिलीज की जा चुकी है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरजेकोट, महाराष्ट्र में हस्तशिल्प केन्द्र को वित्तीय सहायता

5378. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र काकंण में सिन्धु दुर्ग जिले के मालवन तालुकके सरजेकोट नामक स्थान पर मालवन तालुक मंत्रिमंडल द्वारा संचालित हस्तशिप केन्द्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता अपर्याप्त है क्योंकि केन्द्र के प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को दी जाने वाली 100 रुपए की शिक्षावृति काफी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या हस्तशिल्प केन्द्र को प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को दी जाने वाली शिक्षा-वृति दुगुनी करने की अनुमति दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की जायेगी ताकि प्रशिक्षणार्थी को अधिक शिक्षावृत्ति दी जा सके ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मछुआरों को परमिट जारी करने में विलम्ब

5379. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में गुहागर तालुक में पालशेट स्थित सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा मछुआरों को परमिट जारी करने में दो से तीन महीने का विलम्ब किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विलम्ब से मछुआरों को व्यापार में भारी हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस हानि की क्षतिपूर्ति की जायेगी; और

(घ) क्या मछुआरों को असुविधा और हानि से बचाने के लिए सरकार का विचार मछु-आरों को 21 दिन का परमिट देने के बजाय एक वर्ष के लिए परमिट जारी करने का है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) स्थिति का पता लगाया जा रहा है और इससे सम्बन्धित सूचना सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

पटसन का उत्पादन

5380. **चिंतामणि जेना :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान पटसन का कुल कितना उत्पादन हुआ और पटसन का उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की कितनी मात्रा में और किस दर पर खरीद की गई;

(ग) क्या यह सच है कि पटसन की उत्पादन लागत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से अधिक है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार पटसन उत्पादकों को बरबाद होने से बचाने के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य में संशोधन करने पर विचार करने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) चालू जूट सीजन 1985-86 के दौरान कच्चे जूट तथा मेस्टा के राज्यवार उत्पादन के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, कच्चे जूट तथा मेस्टा का कुल उत्पादन इस समय लगभग 95-100 लाख गांठे आंका गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है :—

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा कच्चे जूट की न्यूनतम सांविधिक कीमत कृषि लागत तथा कीमत आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद निर्धारित की जाती है। आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ न केवल उत्पादन लागत पर विचार करता है बल्कि उत्पादन वृद्धि के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए लाभ मार्जिन की व्यवस्था भी करता है। चूंकि सरकार द्वारा 1986-87 सीजन के लिए कच्चे जूट की न्यूनतम सांविधिक कीमत की घोषणा सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए की गई है अतः कीमतों में संशोधन करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

भारतीय जूट निगम द्वारा चालू जूट सीजन 1985-86 के दौरान 18 मार्च, 1986 तक खरीदे गए कच्चे जूट/मेस्टा की कुल मात्रा लगभग 27.63 लाख गांठें हैं। खरीद कीमत-सीमा निम्नोक्त प्रकार है :—

राज्य	मुख्य किस्म	खरीद कीमत सीमा (रु०/क्वि) न्यूनतम	अधिकतम
असम	डब्ल्यू-5	215	240
बिहार	डब्ल्यू-5	225-50	251
मेघालय	मेस्टा बीओटी	189	189
उड़ीसा	डब्ल्यू-5	231	256
त्रिपुरा	मेस्टा बीओटी	195-50	195-50
उत्तर प्रदेश	डब्ल्यू-5	230-5C	230-50
प० बंगाल	टी डी 5	235-50	273
आंध्र प्रदेश	बिमली बीओटी	201	201

टिप्पणी—न्यूनतम कीमत सरकार द्वारा 1985-86 जूट सीजन के लिए निर्धारित न्यूनतम सांविधिक कीमत भी है।

ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करना

5381. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य स्तर पर एक विचार-विमर्श मंच (फोरम) बनाया गया है;

(ख) अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ को राज्य-स्तरीय मंच में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान संबंधित राज्य सरकारों के कर्मचारियों के समकक्ष पदों के वेतन ढांचे के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। अतः प्रत्येक राज्य में मात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए एक मंच स्थापित किया गया है। इस मंच में अलग-अलग ग्रामीण बैंकों द्वारा उठाई गई समस्याओं के बारे में बैंक के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा और यह मंच इन समस्याओं का हल ढूंढने में उसकी सहायता करेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि कर्मचारियों के साथ बातचीत करना विशुद्ध रूप से प्रबन्धक मण्डल का मामला है। अत: यह बातचीत संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

एक, दो और तीन सितारा होटल बनाने के प्रस्ताव

5382. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक, दो और तीन सितारा होटलों के निर्माण के लिए 1 जनवरी 1986 को कितने प्रस्ताव केन्द्रीय होटल कोष से ऋण की मंजूरी के लिए लम्बित पड़े थे;

(ख) ऐसे अभ्यावेदनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1985 में ऐसे कितने अभ्यावेदन मंजूर किए गए और उन्हें राज्यवार कुल कितना ऋण दिया गया; और

(घ) बिहार के उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां ऐसे होटलों के निर्माण के प्रस्ताव मंजूर किए जा चुके हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) होटलों को ऋण प्रदान करने के लिए पर्यटन विभाग में कोई केन्द्रीय होटल निधि नहीं है। अतः होटलों की स्थापना के लिए निधि से ऋण की मंजूरी के लिए प्रस्तावों के लम्बित होने का प्रश्न नहीं उठता।

बैंकिंग प्रणाली का पुनर्गठन

5383. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बैंकिंग प्रणाली के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या पूरे देश में एक ही बैंक की शाखाओं के प्रयुरोद्भवन को रोकने के लिए लीड बैंक की संकल्पना को अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा;

(ग) क्या पूरे देश से मुख्य केन्द्रों में कृषि, उद्योग, व्यापार या सामान्य व्यापार से सम्बन्धित और शाखायें खोलकर बैंक प्रणाली में विशिष्टिकरण में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) ऐसे विशिष्टिकृत बैंकों के नाम क्या हैं और 28 फरवरी, 1986 को कुल कितनी शाखाएं थीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों के सम्मुख रखे गए सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बैंकिंग संरचना की उपयुक्तता पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार विचार किया जाता है। वर्तमान बैंकिंग प्रणाली का पुनर्गठन करने के लिए इस समय कोई विशेष प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) लीड बैंक संकल्पना में लीड जिम्मेदारी के क्षेत्रों में बैंकिंग कारबार में लीड बैंकों के एकाधिकार की परिकल्पना नहीं की गई है। इस संकल्पना का उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार का विनियमन करना भी नहीं है। शाखायें खोलने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार दी जाती है।

(ग) और (घ) हालांकि सरकार क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के बीच परिचालनों में किसी प्रकार की विशेषज्ञता प्राप्त करने का कोई कार्यक्रम नहीं है लेकिन इन में से कुछ बैंक विशिष्ट प्रकार का कारबार करने के लिए प्रयोग के तौर पर विशेष शाखायें खोल रहे हैं।

अधिक "सिक्योरिटी प्रेस" स्थापित करना

5384. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन स्थानों पर "सिक्योरिटी प्रेस" है,

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कोई और "सिक्योरिटी प्रेस" स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो किस स्थान पर और उस पर कितनी लागत आएगी तथा उसमें कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) (1) इण्डिया सिक्युरिटी प्रेस, नासिक रोड; महाराष्ट्र;

(2) सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात कोटे के कार्य का एक सांविधिक निकाय को अन्तरण करने का प्रस्ताव

5385. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई कानूनी सलाह दी गई है, जिसमें सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात कोटे का कार्य एक सांविधिक निकाय को अन्तरित करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक सांविधिक निकाय बनाने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कोटा संबंधी कार्य के लिए पहले की तरह ही रहने दिये जाने और इसे एक सांविधिक निकाय को अन्तरित न किए जाने की स्थिति में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) सम्बन्धित मुद्दों पर लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। सरकार इसकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता

5386. **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी व्यक्ति के लिए स्टाक और शेयर के हैं दलाल के रूप में कार्य करने के लिए क्या-क्या शैक्षणिक अथवा व्यवसायिक अर्हतायें आवश्यक है,

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार का कारोबार करने के लिए किसी व्यक्ति को स्टाक एक्सचेंज का सदस्य होना चाहिए और इसके लिए उसके पास 'स्टाक एक्सचेंज' के कुछ शेयरों का होना आवश्यक है,

(ग) क्या स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता पुस्तैनी और अन्तरणीय है,

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता का वर्तमान बाजार मूल्य 7 और 8 लाख रुपए के बीच है, और

(ङ) क्या दिल्ली स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता पर प्रतिबन्ध लगाकर किसी लोक हित की पूर्ति हो रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) एक मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता की प्राप्ति की अर्हताएं, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के नियम 8 में निर्धारित की गई हैं। मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों को सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए निदेश के अनुसार स्टाक एक्सचेंजों के नए सदस्यों की ग्राह्यता के लिए न्यूनतम बुनियादी शैक्षणिक योग्यताएं यह होगी, कि वे बारहवीं श्रेणी या उसकी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हुए होने चाहिए।

(ख) ऐसे क्षेत्रों में, जिन पर प्रतिभूति संविधा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 13 को लागू किया गया है, प्रतिभूतियों संबंधी संविदें, एसे क्षेत्रों में किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों के साथ उनकी मारफत या उनके बीच पारस्परिक आधार पर ही निष्पन्न किए जा सकेंगे। एक ऐसे स्टाक एक्सचेंज के सदस्य को जिसे शेयरों द्वारा मर्यादित कम्पनी के रूप में गठित किया गया हो, स्टाक और शेयरों का कारोबार करने के लिए, निर्धारित संख्या में शेयर धारित करने होंगे। तथापि प्रतिभूतियों की हाजिर सुपुर्दगी के संविदाओं के निष्पादन के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज का सदस्य होना जरूरी नहीं है।

(ग) स्टाक एक्सचेंजों की सदस्यता, स्टाक एक्सचेंजों के नियमों/संस्थान नियमों में विहित कतिपय शर्तों के अधीन, सामान्यतः अन्तरणीय तथा उत्तराधिकार द्वारा प्राप्तव्य अधिकार के रूप में हैं।

(घ) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, एक्सचेंज को हाल ही में जो हस्तांतरण लेख समर्पित हुआ है उसमें एक लाख रुपए के एवजाने का उल्लेख है।

(ङ) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई इरादा नहीं है।

स्टाक एक्सचेंज भवन, दिल्ली

5387 **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली में वर्तमान स्टाक एक्सचेंज भवन में जगह की बहुत तंगी हो गई है और यह प्रति वर्ष किये जाने वाले कारबार को देखते हुए अपर्याप्त है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जगह की तंगी एक मुख्य बाधा है। जिसका सामना दिल्ली स्टाक एक्सचेंज सहित कई स्टाक एक्सचेंजों को करना पड़ रहा है।

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज

5388. **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1965 और 31 दिसम्बर, 1985 को दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में स्टाक और शेयर कारबार करने वाले दलालों की संख्या क्या थी;

(ख) 1 जून, 1965 तथा 31 दिसम्बर, दिसम्बर, 1985 को दिल्ली स्टाक एक्सचेंज की सूची में कितनी कम्पनियों के नाम दर्ज थे; और

(ग) 1 जून, 1965 तथा 31 दिसम्बर, 1985 को दिल्ली स्टाक एक्सचेंज की सूची में सम्मिलित कम्पनियों के कुल कितने शेयर थे और उनकी प्रदत्त पूंजी कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना निम्न प्रकार से है :—

	1 जून, 1965 के अनुसार स्थिति	31 दिसम्बर, 1985 के अनुसार स्थित
(i) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में स्टाक और शेयरों में कारोबार करने वाले दलालों की संख्या	100	114
(ii) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनियों की संख्या	133	1283
(iii) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध कम्पनियों के पास कुल प्रदत्त पूंजी	155.00 करोड़ रुपए	3770.23 करोड़ रुपए

स्टाक एक्सचेंज, सूचीबद्ध कम्पनियों के शेयरों की संख्या से सम्बन्धित सूचना संकलित नहीं करता है।

सुपर बाजार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

5389. **श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) दि कोआपरेटिव स्टोर्स लि० (जो सुपर बाजार के नाम से लोकप्रिय है नई दिल्ली में सुपर बाजार की भर्ती तथा पदोन्नति नियमों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के पदों का 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। 1.1.1986 को सुपर बाजार में कार्य कर रहे कुल 1260 कर्मचारियों में से 140 कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबन्धित थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंक ऋणों की कम वसूली

5390. **श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसियों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच उचित समन्वय के अभाव में उड़ीसा में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण निर्धनों के लिए आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम, शिक्षित युवा बेरोजगारों संबंधी स्व-रोजगार कार्यक्रम जैसे प्राथमिक क्षेत्र में ग्रामीण योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिए गए बैंक ऋण की वसूली में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने और इन योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा में ग्रामीण लाभग्रहियों को बेंकों द्वारा ऋण दिए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना जैसे कार्यक्रमों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को अधिक ऋण देने और नजर रखने के लिए सरकारी एजेंसियों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच जिला स्तर और राज्य स्तर पर अतिरिक्त समन्वय स्थापित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

समन्वय समितियां और राज्य स्तरीय समन्वय मंच का काम करती हैं। वाणिज्यक बेंकों और सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए खण्ड स्तर पर भी अतिरिक्त व्यवस्था विद्यमान है।

बेंककारी कम्पनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 के अंतर्गत स्थापित क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा वाणिज्यक बेंकों के प्रतिनिधि होते हैं। इस समिति में किसी वर्ष विशेष में बेंकों के कार्य-निष्पादन

की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और बैंकों तथा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ख) बैंकों के वसूली संबंधी कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के नाम अनुदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में नियंत्रक कार्यालयों और क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत और चुस्त बनाना शामिल है। इन अनुदेशों में ऋण देने के मामले में योजनागत दृष्टिकोण अपनाने, ऋण-पूर्व मूल्यांकन व्यवस्था और ऋणोत्तर निरीक्षण तकनीकों और ऋण की निगरानी की व्यवस्था को चुस्त बनाने, फसल की कटाई के साथ वसूली अभियान चलाने और राज्य सरकारों के साथ मिलकर खण्ड स्तर पर वसूली अभियान चलाने, निकटवर्ती शाखाओं के लिए सामूहिक रूप से अलग वसूली कक्ष स्थापित करने आदि जैसी बातें कही गयी हैं।

कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) में ग्रामीण बैंकों की नई शाखायें खोलना

5391. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल ग्रामीण बैंक ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की देहरा तहसील में चनोर, संसारपुर टेटेन्स और अधेड़ियां हट्टियां में नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस मंजूर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक को लाइसेंस मंजूरी करने के लिए आवेदन-पत्र किन-किन तारीखों को प्राप्त हुए थे तथा किन-किन तारीखों को लाइसेंस मंजूर किए गए; और

(ग) यदि अभी तक लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा किस तारीख तक लाइसेंस जारी किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि हिमाचल ग्रामीण बैंक ने हिम चल प्रदेश के कांगड़ा जिले में चनौर, संसारपुर टैरिस तथा अधेड़िया हट्टियां में शाखाएं खोलने के लिए जून 1984 में आवेदन किया था। यह आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसलिए लम्बित रखा गया क्योंकि कांगड़ा जिले के लिए 1982—85 का शाखा विस्तार कार्यक्रम पूरा हो चुका था और 1985—90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1985-90 के लिए नई शाखा लाइसेंसिंग नीति तैयार कर ली है। इस नीति के अनुसार प्रत्येक खंड में प्रति 17,000 की आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय खोला जाएगा। इस नीति में स्थानिक दूरियों को समाप्त करने की भी परिकल्पना की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि चनौर, संसारपुर टैरिस और अधेड़िया हट्टियां उन खंडों के अन्तर्गत आते हैं जहां बैंकों की पहले से ही अधिक शाखाएं हैं। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को यह परामर्श दिया है कि वह इन केन्द्रों को उस ग्रुप के सम्मुख रखे जिसका 1985—90 की शाखालाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत बैंक कार्यालय खोलने के लिए केन्द्रों का पता लगाने के वास्ते गठन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन केन्द्रों में कार्यालय खोलने के प्रश्न पर शाखा लाइसेंसिंग नीति के प्रकाश में ही विचार किया जाएगा। यदि ये केन्द्र बैंक कार्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार

द्वारा अन्तिम रूप से विचार किए गए केन्द्रों की सूची में शामिल हों और इनकी राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई हो।

दो/तीन तारा होटलों का वित्त पोषण करने के लिए होटल ऋण कोष

5392. **श्री आर०एम० भोए :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो और तीन तारा श्रेणियों के नए होटलों का वित्तपोषण करने के लिए होटल ऋण कोष प्रारम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) होटलों के लिए अलग से ऐसी कोई निधियां नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थायें होटलों को मियादी ऋण (टर्म लोन) प्रदान करती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोवियत संघ के साथ व्यापार

5393. **श्री एन० डेनिस :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के साथ हमारा व्यापार प्रतिवर्ष बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान सोवियत संघ से आयात किए गए तथा वहां को निर्यात किये सामान के नाम क्या हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग कितने मूल्य का और कितनी मात्रा का व्यापार किया गया; और

(घ) सोवियत संघ के साथ व्यापार और बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी हां। भारत से सोवियत संघ को निर्यात की जाने वाली मदें हैं—कृषि उत्पाद, खनिज एवं अयस्क, रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद, चमड़ा और चमड़ा निर्मित उत्पाद, टेक्सटाइल वस्तुएं, इन्जीनियरी सामान, आदि। सोवियत संघ से भारतीय आयातों में शामिल हैं : मशीनरी, उपस्कर और स्पेयर पार्टस्, कच्चा तेल तथा पैट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, रासायनिक तथा भेक्षजिकीय उत्पाद, स्टील उत्पाद, अलौह धातु आदि।

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा व्यापार के मूल्य, और मात्रा के संबंध में अलग से ब्यौरे नहीं रखे जा रहे हैं। 1983-84 तथा 1985 जिस अवधि के लिए सूचना उपलब्ध है, के दौरान सोवियत संघ से आयात एवं सोवियत संघ को निर्यात, का अनन्तिम आधार पर कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :—

(करोड़ रु० में)

	1983-84	1984-85
सोवियत संघ से आयात	1958.58	1803.38
सोवियत संघ को निर्यात	1305.87	1654.59

सूचना का मदवार, क्षेत्रवार अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) व्यापार मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेना, वाणिज्यिक प्रतिनिधिमण्डलों का आदान प्रदान, अन्ततः सरकारी संयुक्त कमीशन की बैठकें आयोजित करना, कार्य समूह बैठकें वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए वार्षिक व्यापार संलेखों के निष्कर्ष आदि जैसे कदमों सहित सोवियत संघ के साथ व्यापार में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

तमिलनाडु में बैंक शाखायें खोलना

5394. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंकवार कितनी शाखाएं कार्यरत हैं; और

(ख) इस राज्य में चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी नयी शाखाएं खोलने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 30 नवम्बर, 1985 को तमिलनाडु में कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की शाखाओं की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1985-90 की शाखालाइसेंसिग नीति का उद्देश्य प्रत्येक खण्ड के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने का है। नीति का लक्ष्य प्रत्येक गांव से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर एक बैंक कार्यालय खोलकर स्थानिक दूरी को कम करना भी है। अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने के लिए लाईसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1985-90 की अवधि के लिए चालू शाखा लाइसेंसिग नीति में निर्धारित उद्देश्यों और नीति के संदर्भ में कार्यालय खोलने के लिए पता लगाए गए सम्भावितविकास केन्द्रों के आधार पर मंजूर किए जायेंगे। तमिलनाडु राज्य में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक कार्यालय खोलने के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।

विवरण

दिनांक 30 नवम्बर, 1985 तक तमिलनाडु में कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की शाखाओं की संख्या को दिखाने वाला विवरण

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	515
भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	98
इलाहाबाद बैंक	15
आन्ध्रा बैंक	27
बैंक आफ बड़ौदा	73
बैंक आफ इंडिया	76
बैंक आफ महाराष्ट्र	11
केनरा बैंक	373
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	133
कारपोरेशन बैंक	50

देना बैंक	19
इंडियन बैंक	479
इंडियन ओवरसीज बैंक	468
न्यू बैंक आफ इंडिया	10
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	6
पंजाब नेशनल बैंक	53
सिंडिकेट बैंक	82
यूनियन बैंक आफ इंडिया	97
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	8
यूको बैंक	56
विजया बैंक	33
जोड़	2684

जाली नामों से औषधों और औषध "इंटर मीडिएट्स" का आयात

5395. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आये हैं जिनमें कतिपय औषधियों के नाम पर अन्य औषधियों और "औषध इंटरमीडिएट्स" का आयात किया जा रहा है जिन पर या तो सीमा शुल्क में रियायत है या जो सीमा शुल्क से मुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) : सरकार की जानकारी में चार मामले आए हैं जिनमें कुछ फर्मों ने औषधों को ऐसी औषधों के रूप में गलत घोषणा करके आयाय करने के प्रयास किए हैं जिन पर या तो शुल्क की रियायती दरें प्रभार्य है अथवा जो पूर्णत: शुल्क से मुक्त हैं

ऐसे मामलों का ब्यौरा निम्न रूप में हैं :—

(i) मैं पीयूगेयोट लेबोट्रीज, हरियाणा के 12 ड्रमों का आयात किया था, जिनमें सेफालाक्सिन मोनोहाइड्रेट होने की घोषणा की गई थी लेकिन उनमें से 8 ड्रमों में कुछ अन्य सामग्री पाई गई थी। 2 ड्रमों में नीफाडिमाइन्पाई गई थी और केवल 2 ड्रमों में सेंफालक्सिन थी। जैसा कि घोषणा की गई थी।

(ii) मै० भारवी फर्मा स्यूटिकल, बड़ौदा ने 10 ड्रम आयात किए थे, जिनमें सेफालाक्सिन मोनोहाइड्रेट होने की घोषणा की गई गी। नमूने लिए गए थे और संफालाक्सिन से भिन्न माल पाया गया था।

(iii) मै० पेलेथिको फार्मा, इन्दौर ने 12 ड्रम आयाम किए थे, जिनमें सेफालक्सिन होने की घोषणा की गई थी जिनमें से 4 ड्रमों में सेफालाक्सिन मोनोहाइड्रेट और 8 ड्रमों में कुछ अन्य सामग्री पाई गई थी, जिसकी अभी पहचान की जा रही है।

(iv) मै० भारत कैमिकल लेबोटैरिज, कजोल, गुजरात ने 12 ड्रम आयात किये थे, जिनमें एल-डोया होने की घोषणा की गई थी लेकिन माल की जांच करने पर उसमें लेवा मिसोत हाइड्रोक्लो राइड पाया गया था।

(ग) उपरोक्त (i) पर उल्लिखित मामले में न्यायनिर्णय हो गया है और गलत घोषित माल अर्थात् सीफाडिपाइन और अमोएक्सलीन ट्रीहाइट्रेट को पूर्णता जब्त कर लिया गया है। दो ड्रमों को, जिनमें सेफालाक्सिन थी, जब्त कर लिया गया है। लेकिन 1 लाख रु० के जुमाना की अदायगी करने पर छुड़वा लेने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त आयातकर्ताओं पर एक लाख रु० का अर्थदण्ड लगाया गया है।

ऊपर (iv) पर उल्लिखित मामले में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। दो अन्य मामलों में जांच पड़ताल की जा रही है और कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

भारत द्वारा बड़े पैमाने पर विदेशी ऋण लेना

5396. **श्री मुल्लापल्लि रामचन्द्रन :**

श्री मुरलीधर माने : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार अ-निवासी भारतीयों द्वारा किए गए पूंजीनिवेश के अलावा अन्य स्रोतों से बड़े पैमाने पर नया विदेशी ऋण लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा विदेशी ऋण की मात्रा निश्चय विभिन्न बातों जैसे परियोजनाओं की आवश्यकताओं, नरम शर्तों वाले ऋण की उपलब्धता, भुगतान शेष की स्थिति तथा सबसे अधिक विदेशी ऋणों के बारे में ऋण परियोधन सम्बन्धी देनदारियों को विवेकपूर्ण सीमाओं में रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर वर्ष-प्रतिवर्ष के आधार पर किया जाता है।

अलग-अलग व्यक्तियों और कम्पनियों द्वारा विमानों का आयात

53>7. **श्री एम. रघुमा रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में अलग-अलग व्यक्तियों और भारतीय कर्मचारियों द्वारा विमानों के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दी गई है;

(ख) उन विमानों तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे उन्होंने विमान खरीदे हैं;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें इस प्रकार की अनुमति दी गई थी; और

(घ) विमानों का आयात करने के कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	व्यवसायी का नाम	वर्ष	वायुयान का नाम	जिस देश से आयात किया गया	जारी की गई विदेशी मुद्रा	आयात का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1.	इंडियन एअर लाइन्स	1981	बोइंग 737—चार एअर बस—दो	संयुक्त राज्य अमेरिका एअर बस उद्योग संघ जिसका प्रबंध चार देशों फ्रांस, पश्चिम जर्मनी यू०के० और स्पेन द्वारा किया जाता है	18.347 करोड़ अमरीकी डालर	इंडियन एअर लाइन्स के कुल कामकाज की ट्रैफिक आवश्यकता को पूरा करना
2.	एअर इंडिया	1982	एअर बस ए 300 बी 4—तीन	—वही—	19.853 करोड़ अमरीकी डालर (168.75 करोड़) रुपए	बी०-707 वायुयान बेड़े को बदलने के लिए एअर इंडिया के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
3.	मै० टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, बंबई	1982	सेसना माडल-303 क्रूसेडर-II एअर क्राफ्ट	संयुक्त राज्य अमेरिका	24.95 लाख रुपए	प्रतिस्थापन आवश्यकता
4.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब, नई दिल्ली	1982	सेसना 152 एअरोबेट एअर क्राफ्ट	संयुक्त राज्य अमेरिका	57,950 अमरीकी डालर (5,21,550 रुपए)	—तदेव—
	बहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट	1982	—तदेव—	संयुक्त राज्य अमेरिका	55,700 अमरीकी डालर (5,37,375 रुपए)	—तदेव—

1	2	3	4	5	6	7
6.	सरकारी उड़ान प्रशिक्षण स्कूल, बंगलौर	1982	सेसना 152 एअरोबेट एअर क्राफ्ट	संयुक्त राज्य अमेरिका	65,265 अमरीकी डालर (6,38,620 रुपए)	प्रतिस्थापन आवश्यकता
7.	वायुदूत, नई दिल्ली	1984	डोरनियर 228 —दो	पश्चिम जर्मनी	446.24 लाख रुपए (1.116 करोड़) ड्यूश मार्क	वाणिज्यिक अनुसूची सेवाओं के लिए
8.	भैं० भारतीय स्टील प्राधिकरण (भिलाई इस्पात संयंत्र)	1984	किंग एअर एफ 90 एअर क्राफ्ट	संयुक्त राज्य अमेरिका	1,416,696 अमरीकी डालर	प्रतिस्थापन आवश्यकता
9.	एअर इंडिया	1985	* ए-310 एअर क्राफ्ट—छ:	एअर बस उद्योग संघ जिसका प्रबंध चार देशों फ्रांस, पश्चिम जर्मनी यू० के० और स्पेन द्वारा किया जाता है	44.35 करोड़ अमरीकी डालर	बी०-707 वायुयान बेड़े को बदलने के लिए एअर इंडिया के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
10.	भारतीय एअरो क्लब नई दिल्ली	1985	29 सेसना 152 एअरोबेट एअर क्राफ्ट	संयुक्त राज्य अमेरिका	1,707,810 अमरीकी डालर (2239:298 रुपए)	भारत में एअरोस्पोर्ट्स का विकास
11.	वायुदूत, नई दिल्ली	1985	डोरनेयर-228—तीन	पश्चिम जर्मनी	635.48 लाख रुपए (1.589 करोड़) ड्यूश मार्क	वाणिज्यि अनुसूची सेवाओं के लिए

*1986 में वायुयान की सुपुर्दगी के लिए

महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखानों द्वारा गन्ना हथियाना

5398. **श्री आर. एम. भोये** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि महाराष्ट्र में चीनी कारखानों, विशेषकर सहकारी चीनी कारखानों ने गन्नों का विशाल भंडार जमा कर लिया है। हथिया लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप निजी चीनी कारखानों को गन्ने की कम सप्लाई मिल रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचनानुसार सहकारी चीनी फैक्ट्रियों ने गन्ने का कोई विशाल भंडार जमा नहीं किया है/हथियाया नहीं हैं।

(ख) और (ग) : ऊपर भाग (क) के उत्तर की दृष्टि में, प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बेंकों द्वारा आवास बोर्डों को वित्तीय सहायता

5399. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवास हेतु वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी वर्तमान मार्गनिर्देशों में वाणिज्यिक बेंकों के आवास बोर्डों द्वारा मकान बनाने के लिए स्थान खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति नहीं दी गई है; और

(ख) क्या सरकार का बेंकों को यह सुविधा देने के लिए कदम उठाने का विचार है जिससे कि वे आवास बोर्डों को भूमि अधिग्रहण और इसके विकास के लिए एक मुश्त ऋण देकर प्रयाप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मकानों के स्थानों को एक आधारभूत सुविधा माना जाता है। इस प्रयोजन के लिए निवेश की व्यवस्था राज्य सरकारों/आवास बोर्डों द्वारा अपने स्रोतों से की जानी होती है। मूलतः बेंक उद्योगों और अन्य क्षेत्रों की अल्पावधिक जरूरतों को पूरा करते हैं तथा सावधि ऋणों के मामले में उनसे युक्तियुक्त सीमाओं के अन्दर-अन्दर सहायता देने की अपेक्षा की जाती है। आवास के लिए वित्तीय सहायता का स्वरूप दीर्घावधिक होता है। फिर भी, बेंक मकान बनाने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों आवास विकास वित्तीय निगमों तथा अन्यों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता तथा हुडको, राज्य आवास बोर्डों आदि को बांडों/ऋण पत्रों में अभिदान के द्वारा अप्रत्यक्ष सहायता दे रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी संस्थान की स्थापना

5400. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कानपुर में स्थापित संस्थान के समान अधिकार पर दक्षिण के किसी राज्य में एक राष्ट्रीय चीनी संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में मिर्जापुर में एक ऐसा संस्थान स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने 1983 में उस स्थान का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो मिर्जापुर जिला मेडक में इस संस्थान के कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार आंध्र प्रदेश में, जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है अब संस्थान स्थापित करने पर विचार करेगी ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) स्वीकृत सातवीं योजना में परिव्यय में कानपुर की संस्था के आधार पर राष्ट्रीय शर्करा संस्था स्थापित करने के लिए कोई व्यवस्था शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में एक शर्करा संस्था स्थापित करने और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार के एक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्था कानपुर और दक्कन शर्करा संस्था, पुणे के निदेशकों को शामिल कर एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था। केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा 1983 में हैदराबाद और मेडक जिले का दौरा करने के बाद, राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित समिति का गठन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। तदुपरांत राज्य सरकार ने सुझाव दिया था कि ऐसी समिति का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई शर्करा संस्था स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

स्यूक्रोस के लिए प्रौद्योगिकी का आयात

5401. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व में स्यूक्रोस (चीनी) की खपत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्यूक्रोस (मक्की और अन्य फसलों से चीनी) के लिए प्रौद्योगिकी के आयात को अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को प्रौद्योगिकी के आयात के लिए अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान उनमें से कितनों को मंजूरी दी गई है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पांजा) (क) मक्का और उसी प्रकार की अन्य फसलों में सुक्रोज उपलब्ध नहीं होता है और इसलिए इन फसलों से इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने की इजाजत देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मक्की, ज्वार और अन्य फसलों से स्यूक्रोस का उत्पादन

5402. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष मक्की, ज्वार और अन्य फसलों से मीठा करने वाले पदार्थों (शक्कर) का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मक्का, ज्वार और इसी प्रकार की अन्य फसलों में सुक्रोज उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए इन फसलों से इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है।

चाय बागान के अन्तर्गत क्षेत्र

5403. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में देश में कुल कितनी हेक्टेयर भूमि चाय बागान के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(ख) वर्ष 1985-86 में अब तक कितनी हेक्टेयर भूमि चाय बागान के अन्तर्गत लाई गई है; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा में चाय बागान के अन्तर्गत लाये गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) चाय के लिए सातवीं योजना के दस्तावेज के अनुसार 1985-86 के दौरान नयी खेती के लिए 4300 हैक्टेयर का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) वर्ष 1985-86 के दौराम पूरे भारत में चाय के अन्तर्गत लाये गए नए क्षेत्र से संबंधित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। उड़ीसा में 4-11-1985 तक चाय की खेती के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र 31.47 हेक्टेयर था।

केरल में इलायची का उत्पादन

5404. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में इलायची के उत्पादन की क्या स्थिति रही है;

(ख) यदि उत्पादन में कमी हो रही है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) केरल में इलायची का उत्पादन 1982-8 के 1900 मे० टन और 1983-84 के 1100 मे० टन से बढ़कर 1984-85 में 2850 मे० टन हो गया है। सूखा 1982-83 तथा 1983-84 के अपेक्षाकृत कम उत्पादन मुख्य कारण है।

(ग) इलायची बोर्ड, इलायची पुनर्रोपण योजना, विस्तार सलाहकार योजना प्रमाणित नर्सरियां आदि स्थापित करने की योजना जैसी विकास योजनायें कार्यान्वित कर रहा है।

अमरीका से गैस टरबाईन खरीदने के लिए कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड के लिए अमरीका के निर्यात आयात बैंक द्वारा ऋण

9405. **श्री के०बी० शंकरगौड़ा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के निर्यात-आयात बैंक ने अमरीका से गैस टरबाइन खरीदने के लिए कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड को 30 मिलियन डालर का ऋण देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या फरवरी, 1986 में इस संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस ऋण का किस सीमा तक उपयोग किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बताया जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक ने गैस टरबाइन खरीदने के लिए कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड को तीन करोड़ डालर का ऋण देने की पेशकश की है। इस ऋण का उपयोग तभी किया जा सकेगा यदि टरबाइन के लिए बोली देने वाली किसी अमरीकी कम्पनी को यह कार्य मिल जाए।

(ख) किसी भी करार पर हस्ताक्षर किए जाने की अभी कोई सूचना नहीं है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल जटा के निर्यात को बढ़ावा देना

5406. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नारियल जटा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी है और इसलिए सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए मूल्य की नारियल जटा का भंडार बेकार पड़ा है; और

(ख) क्या सरकार का विचार यथाशीघ्र नारियल जटा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार को जानकारी है कि वस्तुतः सेंश्लिष्ट स्थानापन्नों से स्पर्धा होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कयर तथा कयर उत्पादों की मांग में कुछ मन्दी है।

(ख) सरकार कयर तथा कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय करती रही है जिसमें व्यापार प्रतिनिधि दल भेजना, बाजार अध्ययन तथा बाजार अनुसंधान करना विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराना, प्रचार सामग्री वितरण, मेलों में भाग लेना, क्वालिटी सुधार और निर्यात प्रोत्साहन देना शामिल हैं।

[हिन्दी]

अकाल के कारण बीकानेर से ऊनी कालीनों का निर्यात बन्द होना

540ˉ. **श्री विष्णु मोदी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर जिसे ऊन के मामले में भारत का डेनमार्क कहा जाता है को गंभीर अकाल का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप वहां ऊनी उद्योगों द्वारा बनाए जाने वाले कालीनों का निर्यात बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बीकानेर में ऊनी उद्योग में कार्यरत लोगों का विशेष राहत देने और बीकानेर में ऊन कताई एककों पर पड़ रहे अकाल के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और उन्हें अच्छी किस्म की ऊन उपलब्ध कराने तथा कालीनों के निर्यात को बढ़ावा देने का विचार है।

(ग) यदि हां, तो उन्हें कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार ऊनी कालीनों के निर्यात से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) बीकानेर में अकाल परिस्थितियों के कारण क्षेत्र से कालीनों के निर्यात बन्द हो जाने के बारे में कालीनों के निर्यातकों से कोई औपचारिक अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कालीन उद्योग की सहायता के लिए सरकार ने आर. ई. पी. लाइसेंसों के आधार पर ऊन के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है और कच्चे ऊन के आयात पर शुल्क को भी 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।

[अनुवाद]

गेहूं के निर्गम मूल्य में वृद्धि के लिए अभ्यावेदन

5408. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें गेहूं का निर्गम मूल्य 1 फरवरी, 1986 से बढ़ा कर 190 रुपये प्रति क्विटल करने तथा 1 अप्रैल, 1986 से इसमें और वृद्धि करके 220 रुपये प्रति क्विंटल करने का विरोध किया गया है;

(ख) क्या उनका कहना है कि गेहूं निर्गम मूल्य में वृद्धि से पश्चिम बंगाल की आटा मिलों के हितों पर कुप्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या कमी वाले अन्य राज्यों की आटा मिलों के प्रतिनिधियों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) निर्गम मूल्यों में वृद्धि संबंधी निर्णय में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है और एसोसिएशन को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।

उड़ीसा में निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना

5409. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनी इकाइयों ने अब तक वाणिज्यक उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली और इकाइयां स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में शतप्रतिशत निर्यात करने वाली ऐसी कितनी नई इकाइयां स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) इन इकाइयों की स्थापना किन स्थानों पर की जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक योजना के अधीन उड़ीसा में स्थापित किये जाने वाले छह एकक अनुमोदित कर दिए गए हैं। इन एककों में से दो एकक वाणिज्यिक उत्पादन में लगे हैं।

(ग) से (ङ) सरकार एककों की स्थापना के लिए आवेदन, जैसे ही व जब प्राप्त होते हैं उन पर केवल विचार करती है।

[हिन्दी]

"आपरेशन काल भैरव" के दौरान पकड़े गए लोगों को छोड़ना

5410. **श्री विष्णु मोदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 फरवरी, 1986 के "जनसत्ता" में "आपरेशन काल भैरव के शिकार छूटने लगे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सैन्ट्रल नार्कोटिक्स ब्यूरो और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दो महीने पहले "आपरेशन काल भैरव" के अन्तर्गत 100 व्यक्तियों पर छापे मारे गए और उनके पास से गंभीर अपराधों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज पकड़े गए परन्तु अब इन अपराधियों में से अधिकांश को छोड़ा जा रहा है; और

(ग) उपर्युक्त "आपरेशन" के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए और छोड़े गये लोगों की कुल संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) "काल भैरव" कूट नाम के एक दिन के संकार्य के अन्तर्गत दिनांक 23-12-85 को छापे मारे गए थे जिसमें 11 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के ८35 स्थान आते हैं। मादक द्रव्यों का गैर कानूनी धंधा करने वालों, मादक द्रव्यों के संदिग्ध गोदामों और मादक द्रव्यों के वितरण स्थलो के विरुद्ध तलाशियां आयोजित की गई थीं। वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय आर्थिक गुप्तचर्या ब्यूरो द्वारा ये छापे समन्वित किए गए थे; जिनमें केन्द्र के साथ-साथ राज्यों की विभिन्न प्रवर्त्तन एजेंसियों का भी सहयोग लिया गया था। गिरफ्तार/नजरबन्द किए गए व्यक्तियो की संख्या 40 थी, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल थे, जिन्हें पूछताछ के लिए लिया गया था।

अपराधियों के विरुद्ध इस्तगासे की कारंवाई शुरु कर दी गई है मामला न्याय निर्णयाधीन है। फिर भी, मुकदमे की कारंवाई पूरी होने तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा गोदामों का निर्माण

5411. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्यों (महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आदि) में पटसन, उर्वरक आदि के भंडारण के लिए गोदामों का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार में गोपालगंज जिले में वहां का पिछड़ापन दूर करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से गोदाम का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब;

(घ) उस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री (ए० के० पांजा) : (क) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने भारतीय खाद्य निगम की विश्व बैंक की सहायता प्राप्त भंडारण परियोजना के अधीन विभिन्न राज्यों के कुछेक गोदामों का निर्माण किया है। ये गोदाम केवल खाद्यान्नों का भंडारण करने के प्रयोजन हेतु हैं।

(ख) से (ङ) : मन्त्रालय अथवा इसके प्रतिष्ठानों का विश्व बैंक की सहायता से गोपालगंज जिले में किसी भी भंडारण गोदाम का निर्माण करने का कोई विचार नहीं है। भारतीय खाद्य और बिहार राज्य भांडागार निगम दोनों के पास उक्त जिले में 7,000 मीटरी टन भंडारण क्षमता है। इसके अलावा, बिहार राज्य भांडागार निगम का उक्त जिले में 3,000 मीटरी टन की अतिरिक्त मंडारण क्षमता का निर्माण करने का विचार है।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गए ऋण की वापसी

5412. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा देखा है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण के रूप में दी गई धनराशि लाभार्थियों द्वारा लौटाई नहीं गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में ऋण के रूप में दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बैंकों ने ऋण गारन्टी योजना की मांग की है, जिसके अन्तर्गत दिये गए ऋण की वापसी संबंधी बीमा किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 1984 में किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1982-83 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए ऋणों की मांग के मुकाबले वसूली लगभग 69 प्रतिशत थी। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि लगभग 57प्रतिशत नमूना हिताधिकारी नियमित रूप से अदायगी करते हैं। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के किए गए मूल्यांकन की रिपोर्ट से भी यह पता चलता है कि नमूना हिताधिकारियों में से केवल 9 प्रतिशत ने ऋणों की कोई रकम वापस नहीं की है और लगभग 71 प्रतिशत नमूना हिताधिकारियों ने 40 प्रतिशत और शतप्रतिशत के बीच ऋण की रकम चुकाई है।

(ख) छठी पंचवर्षीय आयोजना अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा संवितरित सावधि ऋणों की राशि 3,101.61 करोड़ रुपए थी।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋण निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम की ऋण गारन्टी योजना के अन्तर्गत आते हैं बशर्ते कि वे निगम द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क नीति के विरुद्ध लघु उद्योग एककों का विरोध

5413. **श्री काली प्रसाद पांडेय :**

श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के लगभग पचास हजार लघु उद्योग एकक उत्पाद शुल्क सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की नीति के विरोध में 10 मार्च, 1986 को बन्द रहे;

(ख) यदि हां, तो क्या लघु उद्योग एसोसिएशनों के संघ ने उत्पाद शुल्क में छूट की अधिकतम सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) लघु उद्योग संघ के महासंघ और लघु उद्योग एककों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संघों ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के प्रयोजनार्थ लघु उद्योग एककों के लिये पूर्ण छूट की सीमा को बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध किया है। अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है और लघुउद्योग एककों के लिये पूर्ण छूट सीमा को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किए जाने का निर्णय किया गया है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की एक से अधिक शीर्ष के अन्तर्गत माल का निर्माण करने वाले एककों के मामले में पूर्ण छूट सीमा 30 लाख रुपये तक उपलब्ध होगी। इस प्रयोजनार्थ छूट सम्बन्धी अधिसूचना सरकार द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है।

(अनुवाद)

चीनी उद्योग द्वारा निजी तौर पर खपत की जाने वाली मदों पर उत्पाद शुल्क में दी गई छूट वापिस लिया जाना

5414. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग द्वारा निजी तौर पर खपत की जाने वाली विभिन्न मदों पर उत्पाद शुल्क में दी गई छूट वापिस ले ली है;

(ख) यदि हां, तो इससे इस उद्योग पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा;

(ग) उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली चीनी के मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) चीनी के कारखानों में प्रयोग की जाने वाली भाप, सल्फर डाइआक्साइड, चूना और क्लोरीन गैस को के० उ० शुल्क के भुगतान से छूट दे दी गई है।

भारतीय खाद्य निगम की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि

5415. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसकी पेचीदगियां क्या हैं; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम को कोई सहायता दी जा रही है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी को 450 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13-2-1986 से 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऐसा मौजूदा सरकारी ऋणों को इक्विटी में बदलने के लिए और गोदामों का निर्माण करने के लिए इक्विटी के रूप में धनराशि मुहैया करने के लिए किया गया है, जोकि केवल वर्ष 1985-86 से किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, निगम की प्रदत्त पूंजी, जोकि 31-3-1985 को 307.51 करोड़ रुपये थी, बढ़कर 31-3-1986 को 727.67 करोड़ रुपये हो गई है।

मिदनापुर जिले का विभाजन करके एक नया जिला बनाने का प्रस्ताव

5416. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्तमान मिदनापुर जिले का विभाजन करके एक नया जिला बनाने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और केन्द्रीय सरकार से धन आवंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अयोध्या की पहाड़ियों, पुरूलिया, (पश्चिम बंगाल) में पर्यटन गृहों के निर्माण के लिए राशि आवंटन

5417. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल को पुरूलिया (पश्चिम बंगाल) में अयोध्या की पहाड़ियों पर पर्यटन गृहों का निर्माण करने के लिए धनराशि दी जानी थी; और

(ख) यदि हां, तो धनराशि अभी तक न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1984-85 के दौरान अयोध्या पहाड़ियों पर पुरूलिया में आठ कुटीरों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है। इसके लिए 8.52 लाख रुपये की एक राशि अनुमोदित की गई थी और राज्य सरकार को 2.13 लाख रुपये व 3.00 लाख रुपये की दो किश्तें पेशगी के रूप में रिलीज की गई थीं। शेष राशि राज्य सरकार को कार्य के पूरा होने पर रिलीज की जायेगी।

बैंकों द्वारा आंध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मंजूर किए गए ऋण

5418. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आन्ध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र को वर्ष 1985-86 के दौरान कुल कितनी धनराशि के ऋण मंजूर किए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में कृषि कार्यों के लिए उसी पैमाने पर ऋण मंजूर किए गए हैं; जैसे कि अन्य राज्यों में;

(ग) क्या बैंकों द्वारा सभी किसानों को बिना किसी भेदभाव के ऋण दिए जा रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1986-87 के दौरान किसानों को ऋण देने के कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी (क) से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर 1984 के अंतिम शुक्रवार को आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि अग्रिमों की 992.29 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी । यह राशि उस तारीख को देश भर के कुल कृषि अग्रिमों का 13.5 प्रतिशत बैठती है और यह प्रतिशत उस तारीख को विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि अग्रिमों का अधिकतम प्रतिशत था । सभी किसान अर्थक्षम उत्पादक योजनाओं के लिए कृषि ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं ।

(ङ) और (च) बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मार्च 1987 तक प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों का हिस्सा उनके कुल ऋणों का 16 प्रतिशत हो जाना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए अलग-अलग राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

अल्पाहार, आइसक्रीम और अन्य खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के परिसरों पर छापे

5419. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महानगरों में अल्पाहार, आइसक्रीम और अन्य छोटे-मोटे खाद्य पदार्थ विक्रेता प्रति वर्ष लाखों रुपए कमा रहे हे और उन्होंने आयकर/बिक्री कर विभाग को एक भी पैसा नहीं दिया है;

(ख) क्या बम्बई में आयकर अधिकारियों ने अल्पाहार, आइसक्रीम और अन्य खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं के परिसरों पर हाल ही में में छापे मारे हैं और उनके पास लाखों रुपए की नकदी सोना और हीरे जवाहरात आदि मिले हैं; जैसाकि 13 मार्च, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ; और

(ग) देश के महानगरों में प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के प्रमुख विक्रेताओं पर छापे मारने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार को स्नैक (अल्पाहार), आइसक्रीम और अन्य खाद्य पदार्थ विक्रेताओं द्वारा किए जा रहे कर अपवंचन की जानकारी है। दिनांक 20-2-1986 को ली गई कुछ तलाशियों में ऐसे मामलों में बड़ी संख्या में अपराध आरोपणीय दस्तावेजों, लेखा पुस्तकों के अलावा, प्रथम दृष्टया लगभग 7.18 लाख रु० की लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गईं।

(ग) प्राप्त हुई विशिष्ट सूचना अथवा अन्यथा एकत्रित सूचना के आधार पर प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के प्रमुख विक्रेताओं सहित कर अपवंचकों के मामलों में तलाशियां ली जाती हैं।

मूल्य नीति को दोष-रहित बनाने के लिए श्वेत पत्र

5420. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य नीति को दोषरहित बनाने के लिए एक श्वेत पत्र जारी करने का विचार है, जैसाकि दिनांक 8 मार्च, 1986 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे यह बात लिखित रूप में बताई जाएगी कि किस प्रकार एक औसत आय वाले कर्मचारी और उसके परिवार को मूल्यों में हुई वृद्धि का सामना करना है;

(ग) क्या श्वेत पत्र में सभी वेतन-भोगी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार का सहारा लिए बिना पर्याप्त आर्थिक मुआवजा देने के उपायों का भी उल्लेख होगा; और

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नई मूल्य नीति के अन्तर्गत मध्यम स्तर के कर्मचारियों के पोषण स्तर की पूर्ण सुरक्षा की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार शासित मूल्यों के संबंध में नीति विषयक मसौदा तैयार कर रही है जिसमें शासित मूल्यों में संशोधन करने के बारे में दृष्टिकोण और नीति की रूपरेखा बताई जाएगी। विषयवस्तु के ब्यौरे मसौदे को अन्तिम रूप देने के पश्चात उपलब्ध होंगे।

जीवन बीमा निगम की विभिन्न पालिसियों के अन्तर्गत बीमा कराए गए व्यक्ति

5421. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोगों ने जीवन बीमा योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न बीमा पालिसियों के अधीन अपना जीवन बीमा करवाया हुआ है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 22.25 करोड़ कामकाजी व्यक्तियों में से मुख्य-मुख्य काम-धंधों में लगे लगभग 13 प्रतिशत व्यक्तियों ने बीमा करवा रखा है।

(ख) 31 मार्च, 19 5 को निगम की चालू पालिसियों की संख्या कुल मिलाकर 2.65 करोड़ थी। इसके अलावा 31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार 79 लाख व्यक्ति सामूहिक बीमा योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

अमरीका, ब्रिटेन आदि में चुकन्दर और गन्ने की खपत में कमी आना

5422. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में अमरीका, ब्रिटेन और विश्व के अन्य भागों में चुकन्दर और गन्ने की खपत में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश में कितनी कमी आई है; और

(ग) अमरीका, ब्रिटेन आदि में चुकन्दर और गन्ने की खपत में कमी आने को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार देश में गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग के हितों की किस प्रकार रक्षा करने का है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा): (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है, जिसमें 1980 से 1984 तक विभिन्न देशों में चुकन्दर और गन्ने से चीनी के उत्पादन और खपत का ब्योरा दिया गया है। इस विवरण को देखने से विदित होगा कि इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर विश्व में चीनी (दोनों चुकन्दर और गन्ने से उत्पादित) की खपत में वृद्धि हुई है। वर्ष प्रतिवर्ष चुकन्दर और गन्ने की पैदावार और अन्य तथ्यों पर निर्भर करते हुए विश्व में चीनी के उत्पादन में उतार चढ़ाव हुआ है।

(ग) गन्ना उत्पादकों और गन्ना उद्योग के हितों की पहले से ही सुरक्षा की जा रही है। केन्द्रीय सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है । और कोई भी चीनी फैक्ट्री इससे कम मूल्य अदा नहीं कर सकती है और वास्तव में किसानों को सांविधिक मूल्य से अधिक मूल्य मिल रहे हैं। चीनी फैक्ट्रियों से मौसम में काम बन्द करने से पूर्व गन्ने की सहमत मात्रा की पिराई करने की अपेक्षा की जाती है। व्यवहार्यतः देश में चीनी के उत्पादन की समूची क्षमता गन्ने पर आधारित है और सभी विस्तार अथवा नयी क्षमता की स्थापना भी कच्चे माल के रूप में गन्ने पर आधारित है।

विवरण

विभिन्न देशों में 1980-1984 में चुकन्दर और गन्ने से चीनी के उत्पादन और चीनी की खपत के ब्यौरे बताने वाला विवरण :
आंकड़े लाख मीटरी टन में-रा-वेल्यू

क्रम सं॰	देश	1980 उत्पादन	1980 खपत	1981 उत्पादन	1981 खपत	1982 उत्पादन	1982 खपत	1983 उत्पादन	1983 खपत	1984 उत्पादन	1984 खपत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. संयुक्त राज्य	(च)	27	—	29	—	29	—	23	—	28	—
अमेरिका	(ग)	26	—	29	—	25	—	29	—	25	—
	जोड़	53	93	58	90	54	83	52	81	53	77
2. यूरोपीयन	(च)	132	—	152	—	152	—	120	—	130	—
आर्थिक समुदाय	(ग)	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—
	जोड़	135	110	155	106	155	107	123	105	133	107
3. सोवियत रूस	(च)	72	128	64	129	74	129	88	131	88	132
4. अर्जेन्टीना	(ग)	17	10	16	10	16	10	16	10	15	10
5. ब्राजील	(ग)	83	63	87	59	89	61	96	59	93	62
6. आस्ट्रेलिया	(ग)	34	8	35	8	37	8	33	8	36	7
7. क्यूबा	(ग)	68	5	79	5	80	6	75	7	78	7
8. जर्मन जनवादी गणराज्य	(च)	7	8	7	8	8	8	7	8	7	7

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	फिलीपीन	(ग)	23	12	24	11	27	11	21	12	26	13
10.	विश्व	(ख)	330	—	357	—	373	—	362	—	375	—
		(ग)	515	—	570	—	643	—	607	—	617	—
	जोड़ :	(ख)	845	886	927	900	1016	925	969	935	992	962
	% के रूप में चुकदर की चीनी %	(ग)	38.7	—	39.1	—	38.5	—	36.6	—	37.8	—
		(ग)	61.3	—	60.9	—	61.5	—	63.4	—	62.2	—

कुल उत्पादन के गन्ने की चीनी का प्रतिशत (ख) = चुकंदर (ग) = गन्ना

—1984 स्रोत : चीनी वर्ष पुस्तक—1984

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, लंदन

वित्तीय वर्ष बदलने का प्रस्ताव

5423. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखायें और प्रतिनिधि कार्यालय

5424. **श्री राममूर्ति भट्टम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 1985 के अंत तक विदेशों में भारतीय बैंकों की कितनी शाखायें और प्रतिनिधि कार्यालय थे;

(ख) विदेशों में भारतीय बैंकों के कितने सहायक बैंक हैं और कितने विदेशी बैंक इनसे संबध हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या टिप्पणियां की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 30.6.1985 को भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की संख्या 141 और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 12 थी।

(ख) आज की तारीख तक विदेशों में भारतीय बैंकों के पूर्ण स्वामित्व वाले 5 (अनुषंगी बैंक (जमा स्वीकार करने वाली कम्पनियों सहित) 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी भागीदारी के 2 अनुषंगी बैंक और 50 प्रतिशत से कम इक्विटी भागीदारी के 5 सम्बद्ध बैंक हैं।

(ग) और (घ) भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के कार्य निष्पादन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सतत आधार पर समीक्षा की जाती है और उनके काम में सुधार करने के लिए समय समय पर यथोचित उपाय किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास

5425. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग को राज्यों में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए नए अनुदान दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्यवार अनुदानों का आवंटन नहीं करता बल्कि राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई अलग-अलग परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ऐसी परियोजना के गुण-दोष और निधियों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है। मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है:—

स्कीम	(लाख रुपयों में) स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1. बांधवगढ़ में वनगृह	21.4	10.00
2. शिवपुरी में पर्यटक गांव	44.83	40.00
3. पन्ना राष्ट्रीय उद्यान परिवहन सुविधा	3.21	2.89
4. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में परिवहन सुविधा	2.44	2.19
5. सांची में कैफेटेरिया	8.33	2.00
6. केसकल में मार्गस्थ सुविधाएं	4.90	2.00
7. दिओरी गांव में आवास सहित मार्गस्थ सुविधाएं	13.71	2.00
8. जगदलपुर में पर्यटक कम्पलैक्स का निर्माण	31.86	5.00
9. खजुराहो में चंदेला सांस्कृतिक केन्द्र (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वित किया जाना है)	22.00	5.00
10. ग्वालियर किले पर ध्वनि-व-प्रकाश शो	28.83	5.00
	181.15	76.08

भारतीय निर्यात आयात बैंक का भारतीय निर्यातकों तथा निर्यातोन्मुखी उद्योगों के लिए योगदान

5426. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा निर्यातकों तथा भारत में निर्यातोन्मुखी उद्योगों के लिए कितना योगदान दिया गया है;

(ख) क्या इसने इस अवधि के दौरान विदेशों में अपनी नई शाखाएं भी खोली हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय निर्यात आयात बैंक भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए ऋण और गारंटी की सुविधाएं प्रदान करता है। पिछले दो वर्षों के दौरान बैंक द्वारा प्रदान किए गए निधिक ऋणों और अनिधिक गारंटियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(उपयोग) राशि (करोड़ रुपए) (लगभग)	
वर्ष	निधिक	अनिधिक
1984	353	57
1985	381	68

वर्ष 1984 से भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों और मुक्त व्यापार क्षेत्र के एककों को ऋण देने के अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की।

बैंक ने वर्ष 1985 में विदेशों में आविदाजान और वाशिंगटन डी० सी० में दो कार्यालय खोले हैं।

सांची और खजुराहो में होटलों में ठहरने के लिए स्थान की कमी

5427. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांची और खजुराहो अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वहां प्रतिवर्ष औसतन कितने पर्यटक आये हैं;

(ग) क्या उक्त स्थानों पर होटलों में उपलब्ध ठहरने के स्थानों का पूरा उपयोग नहीं किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) जी, हां।

(ख) तुरंत-सुलभ आंकड़ों के अनुसार सांची और खजुराहो में पिछले तीन वर्षों के दौरान औसतन निम्नलिखित पर्यटक आए :—

वर्ष	खजुराहो	सांची
1982-83	1.63 लाख	36,800
1983-84	1.66 ,,	37,500
1984-85	1.55 ,,	38,000

(ग) और (घ) जी, हां। इसका मुख्य कारण वहां आने वाले ऐसे पर्यटकों की संख्या का कम होना था जो सांची और खजुराहो में रात भर के लिए ठहरते थे।

सांची, मध्य प्रदेश का बौद्ध पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

5428. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने एशियाई देशों से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण बौद्ध केन्द्रों का विकास करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में सांची को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन विभाग द्वारा कुशीनगर, श्रावस्ती, पीपरवाह (कपिल वस्तु), बोधगया, राजगीर, और नालंदा की मास्टर प्लान्स भारत सरकार के नगर व ग्राम आयोजना संगठन के जरिए और श्रावस्ती-कुशीनगर की माइक्रो प्लान्स राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के जरिए तैयार कराई जा चुकी हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में, उपर्युक्त मास्टर प्लानों को तैयार कराने, गोतमवन का विकास करने, कालचक्र त्योहार मनाने और बोधगया में भारत पर्यटन विकास निगम के यात्री-गृह का विस्तार करने; श्रावस्ती में पर्यटक परिसर का निर्माण करने, अजंता तलहटी (फुट-हिल्स) का विकास करने, नागार्जुन सागर पर आवास सहित कैफेटेरिया का निर्माण करने और सांची में कैफेटेरिया का निर्माण करने के लिए, विभाग ने 214.93 लाख रुपए की कुल राशि मंजूर की है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा सांची में एक कैफेटेरिया के निर्माण के लिए 8.32 लाख रुपए की धनराशि पहले ही मंजूर की गई है।

शहरी उपभोक्ता सहकारी भण्डार विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव

5429. **श्री अनादि चरण दास :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शहरी उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विकास करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किये थे और प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे;

(ख) कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं और तत्संबंधी ब्योरा क्या है और कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा अभी तक स्वीकृत न किये गये प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं (उड़ीसा राज्य के संबंध में) और

(ग) क्या किसी समिति द्वारा लम्बित प्रस्तावों की जांच की जा रही है तथा अथवा उड़ीसा सरकार से उनमें संशोधन कराने का विचार है, तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1971-72 में शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के आरम्भ होने के समय से 1985-86 तक उड़ीसा सरकार को 4 बहु-विभागीय भण्डार, 122 अन्य खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने तथा राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ को सुदृढ़ करने हेतु उपभोक्ता सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए और साथ ही राज्य के 7 बीमार/कमजोर थोक बिक्री उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को पुनर्स्थापना सहायता देने के लिए कुल 115.75 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

1985-86 के अन्त में दो बहु-विभागीय भण्डार, 18 खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने तथा उपभोक्ता सहकारी समिति द्वारा एक उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने और दो बीमार/कमजोर थोक बिक्री भण्डारों की पुनर्स्थापना के लिए लगभग 28 लाख रुपये की कुल सहायता राशि वाले 11 प्रस्ताव, सम्भाव्यता रिपोर्ट, व्यवसाय परिसरों की उपलभ्यता तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं जैसी जानकारियों के अभाव में विचार हेतु लम्बित पड़े थे। राज्य सरकार से मांगी गई सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार से जैसे ही अपेक्षित जानकारी/कागजात प्राप्त होंगे, इन प्रस्तावों पर 1986-87 में विचार किया जाएगा।

ओपन जनरल लाइसेंसों (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत आयात किये जाने वाली वस्तुओं की सूची में नये मशीनी औजार शामिल करना

5430. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1985-86 की आयात नीति के अन्तर्गत आयात की जाने वाली वस्तुओं की अपनी सूची में 9 मशीनी औजार शामिल किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इन औजारों का निर्माण किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका ओपन जनरल लाइसेंसों के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) ये मदें दिनांक 3-3-86 की सार्वजनिक सूचना सं० 77 आई०टी०सी०(जी०एन०) 85-88 द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखी गई है, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। खपत मदों को खुले सामान्य लाइसेंस सूची के अन्तर्गत शामिल करने का कारण है व्यापार नीति संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार टैरिफ के संबंध में वास्तविक प्रतिबंधों के माध्यम से आयातों के विनियमन के परिवर्तन की प्रक्रिया को आरम्भ करना।

"मोडवाट" योजना लागू करने से निर्माताओं को लाभ

543 . **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "मोडवाट" योजना लागू करने से निर्माताओं को कम से कम 700 करोड़ रुपए का लाभ होगा; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका लाभ उपभोक्ता को मिले, क्या कदम उठाने का विचार है।

मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) माडवेट योजना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम के 37 अध्यायों के अन्तर्गत आने वाली निविष्टियों पर प्रदत्त उत्पादन शुल्क और अतिरिक्त सीमाशुल्क के क्रेडिट की उस हालत में व्यवस्था की गई है जब उनका इस्तेमाल इन अध्यायों में से किसी भी अध्याय के अन्तर्गत आने वाले अन्त्य उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा, शुल्क क्रेडिट निविष्टियों के रूप में कागज तथा कागज की वस्तुओं पर भी उपलब्ध है। इस योजना के अधीन क्रेडिट का उपयोग इन 37 अध्यायों के अन्तर्गत आने वाले अन्त्य उत्पादों पर उत्पादन शुल्क की अदायगी के लिए किया जा सकता है। अन्त्य उत्पादों को मोटे तौर पर संलग्न विवरण में सूचीबद्ध किया गया है।

अन्त्य माल पर प्रदत्त शुल्कों के मौजूदा क्रेडिट की उपलब्धता और लाभ लागत की परिणामी कमी के कारण, अन्त्य की लागत कम हो जाएगी। तथापि, उत्पादन शुल्क की पूर्ववर्ती स्तर पर वसूली को बनाए रखने के लिए, कुछ मामलों में अन्त्य उत्पादों पर शुल्कों की दरों को बढ़ाया गया है। इस प्रकार मॉडवैट मे, मोटे तौर पर राजस्व निरपेक्ष होने के कारण स्वतः ही उपभोक्ता कीमत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

विवरण

वे 37 अध्याय जिनकी बाबत उ० म० य० क० अनुतोष मिलता रहेगा, निम्नलिखित है :—

अध्याय वर्णन

28. अकार्बनिक रसायन, बहुमूल्य धातुओं के, दुर्लभ मृत्तिका धातुओं के, रेडियोएक्टिव तत्वों के या आइसोटोपों के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक,

29. कार्बनिक रसायन,

30. भैषजिक उत्पाद,

32. चर्मशोधन या रंजक सार, टेनिन और उनकी व्युत्पत्तियां, रंजक, रंग पेंट और वार्निश, पुट्टी फिल्टर और अन्य मैस्टिक स्याहिया

33. वनस्पति तेल और रेजिनायड सुगंधित सामग्री, प्रसाधन सामग्री या प्रसाधन निर्मितियां

34. साबुन, कार्बनिक-पृष्ठ सक्रिय कर्मक, धोने की निर्मितियां, स्नेहक निर्मितियां, कृत्रिम मोम, निर्मित मोम, पालिश या निर्धारण निर्मितियां, मोमबत्तियां और वैसी ही वस्तुएं, प्रतिरूपण पेस्ट, दंत मोम और प्लास्टर के आधार सहित दंत निर्मितियां,

35. एल्बमिनाइडल पदार्थ रुपांतरित स्टार्च, सरेस, एन्जाइम,

36. विस्फोटक, अतिशबाजी उत्पाद, स्वतः ज्वलनशील वस्तुएं कुछ बाह्य निर्मितियां (दियासलाइयों को छोड़कर),

37. फोटोचित्र और चलचित्र वस्तुएं उदभासित फिल्मों को छोड़कर।

38. प्रकीर्ण रसायनिक उत्पाद,

39. प्लास्टिक और उसकी वस्तुएं,

40. रबड़ और उसकी वस्तुएं,

70. कांच और कांच का सामान,

72. लोहा और इस्पात,

73. लोहे या इस्पात की वस्तुएं,

74. तांबा और उसकी वस्तुएं,

75. निकल और उसकी वस्तुएं,

76. एलमिनियम और उसकी वस्तुएं,

78. सीसा और उसकी वस्तुएं,

79. जस्ता और उसकी वस्तुएं,

80. टिन और उसकी वस्तुएं,

81. अन्य आधार धातुएं, सिमेंट, और उसकी वस्तुएं,

82. आधार धातु के औजार, उपकरण, कलटरी चम्मच और कांटे, आधार धातु के भाग,

83. आधार धातु की प्रकीर्ण वस्तुएं,

84. न्यूकलीय रिऐक्टर, बायलर, मशीनरी और यांत्रिक साधित्र, उनके पुर्जे

85. विद्युत मशीनरी और उपस्कर और उनके पुर्जे, ध्वनि अभिलेखी और पुनरुत्पादि दूरदर्शन प्रतिबिम्ब और अभिलेखी और पुनरुत्पादित्र और ऐसी वस्तुओं के पुर्जे और उपसाधन ।
86. रेल या ट्राम लोकोमोटिव, चलस्थाक और उनके पुर्जे, रेल या ट्राम पथ फिक्सचर और फिटिंगे और उनके पुर्जे, सभी प्रकार के यांत्रिक यातायात संकेतन उपस्कर (जिसके अन्तर्गत विद्युत यांत्रिक भी है ।)
87. रेल या ट्राम चल-स्टाक के भिन्न यान, और उनके पुर्जे तथा उपसाधन ।
88. वायुयान, अन्तरिक्षयान और उनके पुर्जे,
89. पोत, नावें और प्लवी मान संरचनाएं,
90. प्रकाशीय फोटोग्राफिक, चलचित्रीय, मापाने, जांचने, प्रमितता, चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय यंत्र और उपकरण उनके पुर्जे और उपसाधन,
91. दीवार घड़ियां और घड़ियां तथा उनके पुर्जे,
92. वाद्य यंत्र ऐसी वस्तुओं के पुर्जे और उपसाधन ।
93. आयुध और गोलाबारूद, उनके पुर्जे और उपसाधन,
94. फर्नीचर, बिछौने, गद्दे, गद्दों आधार पर गद्दियां और वैसे ही भरे हुए साज-सामान, लैम्प और प्रकाश फिटिंगे, जो कहीं और विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, प्रदीप्त चिन्ह, प्रदीप्त नाम-पट्ट और वैसी ही वस्तुए पूर्वसंविरिचित भवन
95. खिलौने खेल और खेल-कूद का सामान, उनके भाग और उपसाधन
96. प्रकीर्ण विनिर्मित वस्तुए ।

पटसन उद्योग के लिए आधुनिकीकरण योजना

5432. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने पटसन उद्योग के लिए एक 400 करोड़ रुपये की विस्तृत आधुनिकीकरण योजना तैयार की है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में 25 प्रतिशत की कमी हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है; और

(ग) योजना का ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) लागतों में कमी लाने तथा प्रतियोगिता क्षमता में वृद्धि करने के लिए जूट उद्योग के आधुनिकीकरण किए जाने की अत्यधिक जरूरत है । यद्यपि जूट उद्योग के आधुनिकीकरण सम्बन्धी सुलभ ऋण योजना कई वर्षों से चलाई जाती रही है किन्तु उद्योग से इसकी प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं रही है । बताया जाता है कि भारतीय जूट मिल एसोसिएशन जूट उद्योग का आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए कार्यवाही कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि व लागत में कमी हो सके ।

ठेका श्रमिकों की स्थायी आधार पर नियुक्ति

5433. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में कितने ठेका श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे अधिकतर श्रमिकों को स्थाई नहीं किया जाता है; यदि हां, तो ऐसे कितने श्रमिक हैं जिन्होंने दस अथवा उससे अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर ली और वे अभी तक अस्थाई हैं;

(ग) उन श्रमिकों को स्थाई करने के क्या मानदण्ड हैं; और

(घ) क्या उन श्रमिकों को स्थाई आधार पर नियुक्ति का कोई प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) भारतीय खाद्य निगम के परिचालन एक मौसम से दूसरे मौसम में और दिन प्रति-दिन भी भिन्न-भिन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में, जब परिचालन एक समान नहीं होते हैं, वे सर्विस ठेकेदारों के जरिये किये जाते हैं जो कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने श्रमिकों को काम पर लगाते हैं। उनके द्वारा काम पर लगाए गए श्रमिकों की संख्या डिपुओं में कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए घटती-बढ़ती रहती है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम सर्विस ठेकेदारों द्वारा लगाए गए श्रमिकों के साथ सीधे नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध नहीं रखता है। अतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन्हें स्थाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों के वितरण के बारे में बिहार से प्राप्त शिकायतें

5434. **श्री कुंवर राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन शिकायतों के बारे में जांच की है जिनमें यह कहा गया है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों द्वारा किसानों को पम्प सेट के लिये दी गई 4500 रुपए की धनराशि के स्थान पर उनसे 6500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं ?

(ख) बिहार से इस तरह की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनमें से कितनी ठीक पाई गई हैं; और

(ग) भोले-भाले ग्रामीणों को इस प्रकार के भ्रष्टाचार से बचाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) बिहार में पम्पसैटों की सप्लाई में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सरकार को गत समय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि ये शिकायतें विभिन्न अधिकारियों को सम्बोधित की गई थीं इसलिए इनकी कुल संख्या और उन शिकायतों का रिकार्ड रखना सम्भव नहीं है जो ठीक पाई गई हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी कुछ मामलों की जांच की है और ब्यूरो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इन में प्रथम दृष्टया अपराध का मामला बनता है। सम्बन्धित बैंक ने अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) पम्पसेटों के सप्लायरों और बैंक अधिकारियों के बीच सम्भावित मिली-भगत से ऋणकर्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बैंकों से अपनी ग्रामीण शाखाओं के निरीक्षण में सुधार करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल असरदार कारंवाई करने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

पान के पत्तों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

5435. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश ने 1985 के दौरान पान के पत्तों का निर्यात करके कितनी विदेशी मुद्रा कमाई; और

(ख) पान के पत्तों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान पान के पत्ते का निर्यात 448 मे० टन था जिसका मूल्य लगभग 74 लाख रु० था।

(ख) पान के पत्ते का बाजार सीमित है और मुख्यत: मध्य पूर्व देशों तक ही है जहां काफी मानवजाति जनसंख्या है। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में इसकी मांग है जहां अपने निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से हमने पहले से ही मद्रास करांची क्षेत्र में पान के पत्तों के लिए विशेष वस्तु दर निर्धारिण कर रखी है।

भारतीय कपास निगम द्वारा कर्नाटक कपास की खरीद

5436. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष भारतीय कपास निगम ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में कितनी मात्रा में कपास की खरीद की।

(ख) निगम ने कर्नाटक के किनकिन जिलों में औसत दरों पर कपास खरीदी; और

(ग) क्या भारतीय कपास निगम को जनता से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि जहां तक संभव हो सके कमीशन एजेंटों की व्यवस्था समाप्त की जाए और बिलों का भुगतान मौके पर ही कर दिया जाए ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जानकारी निम्नोक्त प्रकार है :—

राज्य	21-3-86 तक खरीदी गई मात्रा (गाठों में)
कर्नाटक	93,000
आंध्रप्रदेश	300,000
गुजरात	250,000

भारतीय रुई निगम महाराष्ट्र में कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा वहा पर रुई एकाधिकार खरीद योजना आरम्भ की गई है।

(ख) कर्नाटक के जिन जिलों में भारतीय रुई निगम रुई खरीद रहा है उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

बीजापुर	:	बीजापुर, जम खंडी
बेलगांव	:	बेलह् नगल व सोनदत्ती, नरगुंड नवलगुंड गोकक।
बेल्लारी	:	बेल्लारी दावनगीर कोट्टूर हपनाकल्ली।
चित्रदुर्ग	:	चित्रदुर्ग
धारवाड़	:	बेरी रानीबेन्नूर हुवली धारवाडगडग अन्नीगेरी हीराकोर कलगट्टी
रायचूर	:	रायचूर सिधनूर

(ग) जी हां। अगर राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के उपबंधों को संशोधित कर दिया जाए तथा कमीशन एजेन्टों को हटाना संभव होगा। मौके पर बिलों का भुगतान करना बहुत कठिन है।

बैंकों द्वारा अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना

5438. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कुल कितनी धनराशि के अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले; और

(ख) उन्हें अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डालने से पहले उनकी वसूली करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक हर साल अपनी वार्षिक आमदनी में से संदिग्ध और अशोध्य ऋण के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों की तसल्ली के अनुसार कुछ व्यवस्था करते हैं और इस प्रकार की गई व्यवस्था में से उन ऋणों को बट्टे खाते डाल देते है जिन्हें बैंक के प्रबन्धक अन्ततोगत्वा वसूल न हो सकने वाला मान लेते हैं। बैंककारीविनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण के प्रपत्रों के अनुसार, जिनका सभी बैंकों को कड़ाई से पालन करना होता है, बैंकों को उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि अथवा ब्यौरे प्रकट करने से सांविधिक सुरक्षा प्राप्त है जिनके लिए उनके लेखा-परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था की जाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंक संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के लिए की गई व्यवस्था में से ऐसे ऋणों को बट्टे खाते डाल देते हैं। संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के संबंध में, जिनके लिये बैंकों द्वारा व्यवस्था कर ली गई होती है, बैंकों को प्रदान की गई सुरक्षा को देखते हुए और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियन्त्रण करने वाले कानूनों के अनुसार तथा बैंकरों में प्रचलित रीतियों एवं प्रथाओं के अनुसार अशोध्य ऋणों के रूप में बट्टे खाते डाली गई राशि प्रकट नहीं की जा सकती।

(ख) बैंक अपने ऋण वसूल करने के लिए कई उपाय करते हैं, जैसे प्रतिभूतियों की रकम वसूल करना, और उनकी बिक्री करना, यथा उपलब्ध गारंटियों की मांग करना और यथा

उपलब्ध बीमा कवच से वसूली करना । बैंक अपने ऋणों की वसूली के लिए दीवानी मुकदमे भी दायर करते हैं और डिग्रियां प्राप्त करते हैं तथा उनकी तामील करवाते हैं। बैंक अशोध्य ऋणों के रूप में ऋणों को तभी बट्टे खाते डालते हैं जब उनकी वसूली के सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा आरंभ की गई राज सहायता और सहायता योजनायें

5439. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा आरम्भ की जा रही नौ राज-सहायता योजनाओं और दो सहायता योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की इन राज सहायता योजनाओं का शुरू से अब तक लाभ उठाने वाले उद्यमियों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 12 संवर्धन योजनाएं चला रहा है, जिनका ब्योरा संलग्न विवरण एक और दो में दिया गया है ।

विवरण एक

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा चलाई जाने वाली 9 "आर्थिक सहायता योजनाओं" का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

योजना का नाम	कब से चलाई जा रही है	आर्थिक सहायता से लाभ उठाने वाले उद्यमियों की संख्या	उद्देश्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) स्वदेशी प्रोद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता की योजना	30.11.77	4	इस योजना को लागू करने का उद्देश्य उन परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करना है, जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।	अति लघु और लघु परियोजनाओं के लिए यह योजना राज्य वित्तीय निगमों द्वारा चलाई जा रही है और अन्य परियोजनाओं के लिए यह योजना सीधे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा चलाई जा रही है।
(2) बाजार अध्ययन आदि की लागत को पूरा करने के लिए नए उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने की योजना	30.11.77	28	इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य नए उद्यमियों को अपने परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में उचित अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना ।	
(3) व्यवहार्यता अध्ययन की लागत को पूरा करने के लिए ग्रामीण, कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने की योजना	1.7.78	5318	इस योजना का उद्देश्य तकनीकी परामर्शदाता संगठन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लघु उद्यमियों में से अति लघु उद्यमियों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए प्रोत्साहन देना ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(4) सहायक और लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए आर्थिक सहायता की योजना	1.9.78	123	इस योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उन सहायक और लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना है जो लघु, मध्यम और बड़े क्षेत्रों के एककों को मध्यवर्ती समान और संघटक तथा सेवाएं प्रदान करते हैं ।	
(5) अति लघु और लघु एककों को पुनरुज्जीवित करने के लिए आर्थिक सहायता की योजना	28.6.82	167	इस योजना का उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र के उन रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करना है जो वस्तुतः अर्थक्षम है, ताकि पुनरुज्जीवन प्रक्रिया न केवल वर्तमान निवेश को उत्पादक बनाए बल्कि वह उन नये उद्यमियों में फिर से विश्वास पैदा करे जो ऐसी परियोजनाओं को हाथ में लेना चाहते हैं ।	
(6) लघु उद्योग एककों को विपणन सहायता देने के लिए आर्थिक सहायता की योजना	1.8.85	—	इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण, कुटीर और अति लघु उद्योग एककों को तकनीकी परामर्शदाता संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली विपणन सुविधा सहायता से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(7) महिला उद्यमियों के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता की योजना	1.1.86	—	इस योजना का उद्देश्य महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है ताकि वे देश के औद्योगिक विकास में अपना अंशदान दे सकें।	यह योजना राज्य वित्तीय निगमों द्वारा चलाई जा रही है।
(8) अति लघु और लघु सहायक एककों को आधुनिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते आर्थिक सहायता की योजना	1.1.86	—	इस योजना का उद्देश्य तकनीकी परामर्शदाता संगठन के माध्यम से उचित आधुनिकीकरण प्रस्तावों की योजना बनाने और तैयार करने के लिए उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है।	बाकी सभी योजनाएं विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य स्तर पर बैंकों के सहयोग से स्थापित तकनीकी परामर्शदाता संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही हैं।
(9) लघु और मध्यम दर्जे के एककों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सहायता की योजना	1.1.86	—	यह योजना औद्योगिक एककों को प्रदूषण रोकने और उसे नियंत्रित करने के प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते बनाई गई है।	

विवरण दो

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा चलाए जाने वाली "सहायता योजना" का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

योजना का नाम	कब से चलाई जा रही है	आर्थिक सहायता से लाभ उठाने वाले उद्यमियों की संख्या	उद्देश्य	टिप्पणी
(1) बेरोजगार युवकों के स्वरोजगार, स्वविकास में सहायता देने की योजना	28.6.82	—	इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को, जिनके पास अन्यथा काम नहीं है, उद्यमवृति का विकास करने के बाद उद्योग अथवा औद्योगिक धंधों में लगाने और स्वरोजगार की प्रक्रिया के द्वारा काम पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है।	यह योजना विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य स्तर पर बेंकों के सहयोग से स्थापित तकनीकी परामर्शदाता संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही है।
(2) संस्थान के अन्दर अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के जरिए प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए सहायता की योजना	1.7.84	—	निगमित (गैर-सरकारी, संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों) सहायक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अपने-अपने संस्थानों में किए जाने वाले अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के माध्यम से प्रयोगशाला से लेकर वाणिज्यिक स्तर तक स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सहायता देना।	यह योजना भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सीधे ही चलाई जा रही है।

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऋण देने के संबंध में दिशा निर्देश

5440. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऋण देने के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक अधिकारियों द्वारा उन दिशा निर्देशों का पालन किए जाने के संबंध में समय-समय पर कोई पुनरीक्षा की जाती है; और

(घ) सरकार का दोषी बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की सहायता के लिए चलाए गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में ऋण आवेदन पत्रों को 14 दिन की अवधि के अन्दर-अन्दर निपटाने; 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लेने; कृषि अग्रिमों के मामलों में चालू देय रकमों पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगाने; 5,000 रुपए तक के ऋणों से बनाई गई परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधक की जमानत के अलावा कोई और जमानत न मांगने; समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को पास-बुकें जारी करने आदि की परिकल्पना की गई है।

(ग) इस संबंध में निर्देश पहले से ही हैं कि मुख्य कार्यपालकों और अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों को समय-समय पर ग्रामीण शाखाओं का दौरा करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण देने की विभिन्न पहलुओं पर जारी निर्देशों का शाखाओं द्वारा ठीक-ठीक पालन किया जा रहा है या नहीं। यह भी निर्णय लिया गया है कि पर्यवेक्षी अधिकारियों को प्रत्येक ग्रामीण शाखा का कम से 3 महीने में एक बार दौरा अवश्य करना चाहिए।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि उन मामलों में जहां शाखायें अवांछनीय प्रक्रिया अपनाते हुए पाई जाएं, वहां कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए तथा कर्मचारियों के विरुद्ध तुरन्त और कड़ी कारंवाई की जाए।

सिंगल "विन्डो एक्सपोर्ट क्लिअरेंस" उपलब्ध करने का सुझाव

544'. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इन्जीनियरी उद्योग एसोसिएशन ने निर्यात संवर्धन संबंधी सभी प्रस्तावों के लिए एक "सिंगल विडों क्लिअरेंस" उपलब्ध करने हेतु एक राष्ट्रीय निर्यात प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) निर्यात संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ए० आई० ई० आई० ने राष्ट्रीय निर्यात प्राधिकरण के गठन का सुझाव दिया है जिसे किसी अन्य अभिकरण, मंत्रालय अथवा निकाय को भेजे बिना निर्यात के सभी पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।

(ख) सरकार ने इस सुझाव को नोट कर लिया है।

(ग) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। अच्छी निर्यात सभ्यता

वाले उद्योगों का पता लगाया गया है और इन क्षेत्रों में गति लाने के लिए नीतियों तथा प्रोत्साहनों को अनुकूल बनाया जा रहा है। इस प्रकार स्वदेशी उद्योग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियों को उदार बनाने तथा नई प्रौद्योगिकी को आरम्भ करने के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। नकद मुआवजा योजना की अवधि को 31.3.1986 के बाद बढ़ाने तथा स्वदेशी करों के क्रमप्रपाती प्रभाव के लिए उद्योग को मुआवजा देने का भी विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्यात उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पर इस्पाती माल की व्यवस्था करने के लिए मिश्र धातु तथा अन्य प्रकार के इस्पातों को अन्तर्राष्ट्रीय कीमत वापसी योजना में शामिल कर लिया गया है। विनिर्माता-निर्यातकों के लिए 1.1.1986 से आयात-निर्यात पास बुक योजना आरम्भ की गई है ताकि निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त आयातों की सुलभ प्राप्ति की व्यवस्था हो सके।

पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण की योजना

5442. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण की कोई योजना सरकार को प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसोसिएशन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में पटसन से बनी वस्तुओं की मांग 13 लाख मीट्रिक टन से घटकर 8 लाख मीट्रिक टन रह जाएगी; और

(घ) क्या पटसन उद्योग को मजबूत बनाने में इस उद्योग की सहायता करने के लिए पटसन से बनी वस्तुओं की लागत कम करने और उसके प्रति उपभोक्ताओं की रुचि बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पता चला है कि भारतीय जूट मिल एसोसियेशन (आई०जे०एम०ए०) जूट उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के लिए योजना बनाने हेतु पहल कर रही है जिससे उत्पादकता में वृद्धि, लागत में कमी और उपभोक्ता स्वीकृति में सुधार होगा। आई०जे०एम०ए० द्वारा अनुमान लगाया गया है कि उपयुक्त उपायों के अभाव में आगामी कुछ वर्षों में जूट माल की मांग में पर्याप्त कमी हो सकती है।

सरकार, विभिन्न उपायों द्वारा घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जूट उद्योग की निरंतर सहायता कर रही है, जिनमें शामिल है :

(i) जूट उद्योग से लागत और नियत लाभ आधार पर सरकार (डी.जी.एस. एंड डी.) द्वारा जूट माल की खरीद;

(ii) सीमेंट उद्योग द्वारा 100% नए जूट बेगों का अनिवार्य प्रयोग;

(iii) राजकोषीय तथा आर० एण्ड डी० प्रयासों के माध्यम से संश्लिष्ट स्थानापन्न वस्तुओं के साथ-साथ जूट माल की प्रतियोगी शक्ति में सुधार करना;

(iv) जूट माल के सक्रिय क्षेत्रों में अधिक नकद मुआवजा सहायता (सी०सी०एस०) देना;

(v) 50:50 हानि के हिस्सेदार बनने के आधार पर एस०टी०सी० जूट उद्योग संघि संघ बनाकर कालीन अस्तर कपड़े (सी०बी०एस०) का निर्यात करने में सहायता के लिए एन०टी०सी० को शामिल करना;

(vi) आर० एण्ड डी० प्रयासों तथा निर्यात संबंधंन आदि को बढ़ावा देने के लिए नई जूट विनिर्माण विकास परिषद गठित करना।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु विश्व बैंक ऋण

5443. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने 3750 लाख डालर का ऋण देने की घोषणा की है जिससे देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इससे भारतीय किसानों विशेषकर छोटे किसानों को किस प्रकार से लाभ होने की संभावना है और उन्हें यह लाभ किस प्रकार उपलब्ध कराया जायेगा;

(ग) इस धन का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा; और

(घ) क्या उड़ीसा के कुछ जिलों को भी उन 17 जिलों में शामिल किया जायेगा जिनमें कृषि ऋण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण की परियोजना आरम्भ की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक) के साथ 37.5 करोड़ डालर के एक ऋण के संबंध में विचार-विमर्श किया गया है लेकिन करार पर अभी हस्ताक्षर होना बाकी हैं।

(ख) विश्व बैंक ऋण का उपयोग एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लघु सिंचाई, भूमि विकास बागान और बागवानी, पशु पालन, मीन उद्योग, वन पालन और यंत्रीकरण जैसे प्रयोजनों के लिए छोटे किसानों समेत कृषकों को बहुत सी संस्थाओं के जरिए ऋण देकर किया जाएगा। परियोजना के अन्तर्गत ऋण की कम से कम 65 प्रतिशत राशि छोटे किसानों को दी जाएगी।

(ग) भारत सरकार प्रस्तावित ऋण की राशि को आगे ऋण के रूप में "नाबार्ड" को दे देगी जो इस राशि का उपयोग छोटे किसानों तथा अन्यों को ऋण देने के वास्ते राज्य भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देने के लिए करेगा।

(घ) "नाबार्ड" द्वारा जिलों का चयन अभी किया जाना है।

भारत अमरीका आयोग की बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता के लिए भारत का मामला

:444. **श्री के० प्रधानी**

डा० बी० एल० शैलेश : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों के संबंध में भारत अमरीका आयोग की बैठक के दौरान भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता अथवा हाल ही में व्यापार को उदार

बनाये जाने के आधार पर रियायती दरों पर धन देने के लिए अमरीकी पैनल के समक्ष जोरदार मामला उठाया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता की कितनी धनराशि प्राप्त होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से विदेशी दाताओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ सहायता रियायती दरों पर अधिक धन देने की आवश्यकता पर बल देता रहा है। हाल ही की भारत-अमरीका आर्थिक और वाणिज्यिक उप आयोग की बैठक के अवसर पर हमने अपनी स्थिति को फिर से दोहराया था। अमरीका पक्ष ने भारत की आवश्यकताओं को नोट कर लिया है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता (आई ०डी० ए०-8) का आठवां पुनर्भरण जुलाई 1987 से प्रभावी होगा। पेरिस में मुख्य दाता देशों के प्रतिनिधियों की पहली बैठक के साथ ही जनवरी, 1986 में आई०डी०ए०-8 के लिए बातचीत आरम्भ हो गई है। इस बैठक में आई० डी० ए०-8 के आकार अथवा इसमें भारत के हिस्से के बारे में किसी निर्णय के लिये जाने की कोई सूचना नहीं है।

अनन्तपुर में नेशनल "इंश्योरेंस कम्पनी" का डिवीजनल कार्यालय खोलना

5445. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनरल इंश्योरेंस कम्पनी की सहायक कम्पनी "नेशनल इंश्योरेंस कंपनी" ने आन्ध्र प्रदेश के पायला मीमा क्षेत्र के एक पिछड़े जिले अनन्तपुर में अपना डिवीजनल कार्यालय खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोलने का विचार है; और

(ग) क्या कंपनी ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाये है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) "नेशनल" इंश्योरेंस कंपनी का 1986 के दौरान अनन्तपुर में एक मंडलीय कार्यालय खोलने का विचार है जिसके लिए एक उपयुक्त इमारत की तलाश की जा रही है। इमारत के बारे में अंतिम रूप से निर्णय होते ही कंपनी वहां अपना मंडलीय कार्यालय खोलने की स्थिति में हो जाएगी।

राज्यों को दिये गये चावल पर राजसहायता

5446. **श्री जंगा रेड्डी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को बिक्री के लिए प्रत्येक राज्य को दिये गये चावल पर कितनी राशि की राजसहायता दी गई है;

(ख) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में आंध्र प्रदेश से केन्द्रीय पूल के लिए कितनी मात्रा में चावल की वसूली की गई है ;

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में आंध्र प्रदेश को रियायती दरों पर कितनी मात्रा की अनुमति दी गई थी; और

(घ) आंध्र प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारियों की अनुमानित वार्षिक खपत कितनी है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा) (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1983-84 और 1984-85 के दौरान केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यवार/क्षेत्रवार चावल के उठान और उस पर दी गई उपभोक्ता राजसहायता की राशि का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश में विपणन मौसम 1983-84 और 1984-85 के दौरान क्रमशः 14.84 लाख मीटरी टन और 17.83 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) की वसूली की थी।

(ग) आन्ध्र प्रदेश को 1983-84 और 1984-85 के वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल से क्रमशः 12.47 लाख मीटरी टन और 9.76 लाख मीटरी टन चावल जारी किया गया था।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की उनकी वार्षिक आवश्यकता अनुमानतः 22 लाख मीटरी टन है।

विवरण

अखिल भारत आधार पर एकीकृत लागत पर 1983-84 और 1984-85 के लिए चावल पर राज्यवार/क्षेत्रवार उपभोक्ता राजसहायता

मात्रा लाख मीटरी टनों में
धनराशि करोड़ रुपयों में

राज्य/क्षेत्र	1983-84		1984-85	
	उठाई गई मात्रा	राजसहायता की राशि	उठाई गई मात्रा	राजसहायता की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश	12.47	83.06	9.76	73.49
असम और अरुणाचल प्रदेश	3.57	23.74	2.87	21.61
बिहार	1.87	12.44	0.53	3.99
गुजरात, दमन, दीव, दादर, और नगर हवेली	0.96	6.38	0.95	7.15
हरियाणा	0.26	1.73	0.15	1.13
हिमाचल प्रदेश	0.30	2.00	0.36	2.71
जम्मू तथा कश्मीर	1.53	10.18	1.46	10.99
कर्नाटक	2.30	15.30	2.51	18.90
केरल, लक्षद्वीप तथा पाण्डिचेरी का भाग	13.47	89.58	13.17	99.16
मध्य प्रदेश	2.45	16.29	1.65	12.42
महाराष्ट्र तथा गोआ	3.54	23.41	3.43	26.20
एन०ई०एफ०, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैण्ड	2.49	16.56	3.02	22.74

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उड़ीसा	1.31	8.72	0.59	4.44
पंजाब तथा चण्डीगढ़	0.65	4.32	0.22	1.66
राजस्थान	0.14	0.93	0.11	0.83
तमिलनाडु, पांडिचेरी का भाग और अ० तथा न० द्वीपसमूह का भाग	4.09	27.20	3.42	25.75
उत्तर प्रदेश	3.02	20.08	2.11	15.89
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अ०तथा नि० द्वीपसमूह का भाग और पत्तन परिचालन (कलकत्ता)	13.95	92.68	9.57	72.06
दिल्ली	1.79	11.90	1.52	11.44

आयकर छूट सीमा और रुपए का मूल्य

5447. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 की तुलना में रुपए का वर्तमान मूल्य क्या है;

(ख) आयकर छट की सीमा उस समय कितनी थी और अब कितनी है; और

(ग) क्या समानुपातिक परिवर्तन करने का कोई विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) रुपए की क्रय-शक्ति, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक (आधार वर्ष 1960 = 100 पैसे) के पारस्परिक सम्बन्धसूचक के रूप में आंकने पर, वर्ष 1947 में 138.89 पैसे निकलती है और जनवरी 1986 में 15.90 पैसे (जो नवीनतम उपलब्ध आंकड़े हैं)।

(ख) व्यष्टि, अविभाजित हिन्दू परिवार, अपंजीकृत फर्म और व्यक्तियों के अन्य संगम (कंपनी और स्थानीय प्राधिकरण को छोड़कर) के मामले में लागू आयकर की छूट-सीमा वर्ष 1947-48 में 500/-रु० थी। उपर्युक्त श्रेणियों के संबंध में कर निर्धारण वर्ष 1987-88 के लिए आयकर की छूट सीमा 18,000 रु० है।

(ग) इस समय आयकर की छूट-सीमा को रुपए की क्रय-शक्ति के अनुपात में रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि समय-समय पर छूट-सीमा पर पुनर्विचार करते समय मुद्रा-स्फीति के कारण पर उपयुक्ततः विचार किया जाता है।

चीनी विकास निधि से ऋण प्राप्त करने के लिए चीनी कारखानों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव

5448. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में चीनी कारखानों से चीनी उप-कर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत 1985 तक चीनी उप-कर के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की;

(ख) उक्त धनराशि में से महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादकों और चीनी कारखानों को पुनरुजीवित करने के लिए कितनी धनराशि का उपयोग किया गया, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) चीनी विकास निधि से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले नये चीनी कारखानों की संख्या कितनी है; और

(घ) गन्ने का उत्पादन बढ़ाने हेतु उक्त निधि का पैसा चीनी कारखानों में लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) केन्द्रीय सीमा शुल्क और आबकारी बोर्ड के कार्यालयों के माध्यम से चीनी उपकर एकत्रित किया जा रहा है। केन्द्रीय सीमा-शुल्क और आबकारी बोर्ड के अनुसार, एक से अधिक राज्य/संघ शासित प्रदेश के मामले में उनके कुछ वेतन और लेखा कार्यालय इसे एकत्रित करने में लगे हुए हैं। प्रत्येक राज्य के बारे में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार के पास आधुनिकीकरण/पुनर्वासन के लिए चीनी विकास निधि से ऋण प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र की चीनी फैक्ट्रियों से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 9 चीनी फैक्ट्रियों, जिनमें वे दो फैक्ट्रियां भी शामिल हैं, जिन्होंने अभी उत्पादन करना शुरू नहीं किया है, से गन्ना विकास के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन आवेदन पत्रों पर अधिकारियों की एक समिति द्वारा विचार किया गया था और उन्हें कई मामलों में अपूर्ण पाया गया था। दोनों, आवेदनकर्ता फैक्ट्रियों और राज्य सरकारों को पूर्ण सूचना के साथ अपने आवेदन पत्र पुनः प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

(घ) चीनी विकास निधि नियमों में चीनी फैक्ट्रियों के प्लांट और मशीनरी का आधुनिकीकर/पुनर्वासन करने तथा गन्ने का विकास करने के लिए ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है। हाल ही में इन ऋणों को मन्जूर करने अथवा उन्हें वापस करने की शर्तों को उदार बना दिया गया है।

जहां तक आधुनिकीकरण/पुनर्वासन करने के लिए ऋण देने का सम्बन्ध है, इस ऋण को 13 वर्षों की अवधि में वापस करना होगा, जिसमें 8 वर्षों की अधिस्थगन की अवधि भी शामिल है।

गन्ने के विकास के लिए ऋण को 7 वर्षों में वापस करना होगा जिसमें 3 वर्षों की अधिस्थगन की अवधि भी शामिल है।

दोनों श्रेणियों के ऋणों के लिए ब्याज की दर 6 प्रतिवर्ष प्रतिशत हैं।

[हिन्दी]

धातु और खनिज व्यापार निगम द्वारा मूल्यवान पत्थरों का निर्यात

5449- **श्री हरीश रावत** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु और खनिज व्यापार निगम ने हीरों, मोतियों और पन्ना आदि जैसे मूल्यवान पत्थरों का व्यापार अपने हाथ में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो खनिज धातु और व्यापार निगम ने 1985-86 के दौरान कितने मूल्य के मूल्यवान पत्थरों का निर्यात किया और कितना लाभ कमाया ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1981-82 में हीरा व्यापार में प्रवेश किया है और आगे 1984-85 में पन्ना व्यवसाय भी शुरू किया है।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 1985-86 (15 मार्च, 1986 तक) में लगभग 8 लाख रुपए का व्यापारिक लाभ के साथ लगभग 18.55 करोड़ रु. के मूल्यवान रत्नों का निर्यात किया।

मैगनेसाइट का आयात

5450. **श्री हरीश रावत : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित मैगनेसाइट को खरीदने के बजाय इसका आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या आयातित मैगनेसाइट हमारे देश में उत्पादित मैगनेसाइट की तुलना में अच्छी किस्म का है; और

(ग) मैगनेसाइट के आयात पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सिलिका की अधिक मात्रा तथा अधिक यूना होने की जह से रिफरैक्टरियां बनाने के लिए स्वदेशी मैगनाइट उपयुक्त नहीं है और इसीलिए आयात नीति के अन्तर्गत इसके आयात की अनुमति है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1981-82 के दौरान लगभग 20.46 लाख रु० का मैगनाइट (बिना फुका) आयात किया गया।

अल्मोड़ा जिले (उत्तर प्रदेश) में चिलियांनौला और देवलघाट में बैंक शाखाएं खोलना

5451. **श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी बैंक ने उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में चिलियांनौला और देवलघाट में अपनी शाखा खोलने के लिए आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस वाणिज्यक बैंक का नाम क्या है और ये शाखायें कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ओरियंटल बैंक आफ कामर्स ने मई 1985 में चिलियांनौला में शाखा खोलने के लिए आवेदन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि उसने 16 अक्तूबर, 1982 को भारतीय स्टेट बैंक को देवलघाट में शाखा खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक ने वहां पर अभी तक शाखा नहीं खोली है।

चूंकि चिलियांनौला में शाखा खोलने के लिए ओरियंटल बैंक आफ कामर्स का आवेदन 198 -85 की अवधि की शाखा लाइसेंसिंग नीति के समाप्त होने के बाद प्राप्त हुआ था, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उस आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों और अग्रणी बैंकों से 1985-90 की अवधि की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्यालय खोलने के लिए केन्द्रों का पता लगाने के वास्ते कहा है। भारतीय रिजर्व-बैंक द्वारा उपर्युक्त दो केन्द्रों में बैंक कार्यालय खोलने के प्रश्न पर वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार तभी विचार किया जाएगा यदि इन केन्द्रों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और उनकी सिफारिश कर दी जाती है।

उत्तर प्रदेश में बैंकों की शाखायें खोलना

5452. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों की शाखायें खोलने का नई नीति के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश में तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखायें खोली गई और जिन अतिरिक्त शाखाओं को खोलने के लिये लाइसेंस दिये गये थे, उनमें से कितने लाइसेंस अप्रयुक्त रहे;

(ख) क्या उन चुने हुए स्थानों पर जिनके लिये लाइसेंसों का प्रयोग नहीं हो सका था, बैंकों की शाखायें खोली जायेंगी;

(ग) बैंकों की शाखायें खोलने के संबंध में नई नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में वर्ष 1986-87 के दौरान कितनी शाखायें खोलने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी बैंक-वार और जिला-वार ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पहली अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1985 तक की 3 वर्ष की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश म वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कुल 7008 शाखाएं खोली गई। 31 मार्च, 1985 को बैंकों के पास 518 लाइसेंस/प्राधिकार पत्र लम्बित पड़े थे।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बैंक उन खण्डों में स्थित केन्द्रों के बारे में लम्बित लाइसेंस/प्राधिकार पत्रों के आधार पर शाखाएं खोलने के लिये कार्रवाई न करें जिनमे पहले ही निर्धारित मापदडों से अधिक बैंक कार्यालय हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह परामर्श दिया है कि ऐसे लाइसेंसों के अन्तर्गत उन खण्डों में शाखाएं खोली जाएं, जहां पर बैंकों की शाखाएं कम हैं। कम बैंकों वाले खडों में लम्बित लाइसेंस/प्राधिकार पत्रों के प्रयोग को सहज बनाने के लिये इनकी अवधि प्रत्येक बैंक के मामले में, गुण-दोषों के आधार पर, 31 मार्च, 1985 और बाद में 30 जून, 1986 तक बढ़ा दी गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक खण्ड क ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति 17,000 की आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय हो। इस नीति का उद्देश्य स्थानिक दूरियों को भी समाप्त करना है ताकि प्रत्येक गांव के 10 किलोमीटर के अन्दर-अन्दर कम से कम एक बैंक कार्यालय सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों/अग्रणी बैंकों को उन संभावित विकास केन्द्रों का पता लगाने के लिये कहा है जहां पर बैंकिंग सुविधाओं की आवश्यकता है। इन केन्द्रों का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्डों क अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार का पता लगाए गए केन्द्रों की सूची भारतीय रिजर्व बैंकों को भेज दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त कार्यालय खोलने के लिये लाइसेंस, 1985-90 की अवधि की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति म निर्धारित उद्देश्यों को देखते हुए ही दिए जाएंगे। अत: उत्तर प्रदेश में 1986-87 मे बैंक कार्यालय खोलने क लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नही किया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज और चीनी का आयात

5453. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अखबारी कागज और चीनी का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो इन दो वर्षों के दौरान प्रत्येक का पृथक-पृथक कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) किन-किन देशों से इनका आयात किया गया और किस मूल्य पर किया गया तथा देश में उपभोक्ताओं को किस-किस मूल्य पर यह मदें उपलब्ध कराई गईं; और

(घ) इन मदों के भंडारण और परिवहन पर कितनी राशि खर्च की गई ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी हां।

(ख) इन दो वर्षों के दौरान अखबारी कागज़ तथा चीनी के आयात निम्नोक्त प्रकार रहे :—

(मात्रा लाख एम० टी० में)

वर्ष	अखबारी कागज	चीनी
1984-85	2.40	4.96
1985-86 (अनन्तिम)	1.95	19.49

(ग) और (घ) अखबारी कागज सोवियत संघ, रूमानिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य यूगोस्लाविया, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, नार्वे, न्यूजीलैंड तथा बंगलादेश से आयात किया गया था।

चीनी उन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों ने खरीदी जाती है जो इजराइल, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत को छोड़कर किसी भी उद्भव की चीनी सप्लाई कर सकते हैं। आयातित चीनी के उद्भव थे : ब्राजील, क्यूबा, पोलैंड, बल्गारिया, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, फिलिपाइन्स, थाइलैंड, वियतनाम, चीन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूगोस्लाविया, सं०रा० अमरीका, मारीशस आदि।

एक विवरण संलग्न है जिसमें वे कीमतें दर्शाई गई हैं जिन पर ये वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई हैं।

खरीद कीमतों तथा इन वस्तुओं के भंडारण एवं ढुलाई पर खर्च की गई राशि के ब्यौरे देना वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

विवरण

***अखबारी कागज की प्रत्येक तिमाही के लिए यथा निर्धारित बिक्री कीमतें**

(रु० प्रति एम० टी०)

तिमाही	मानक		ग्लेज्ड	
	हाई सी बिक्री	बफर स्टाक	हाई सी बिक्री	बफर स्टाक
1984-85				
अप्रैल-जून	5750	5800	6130	6180
जुलाई-सित०	5730	5800	6330	6380
अक्तूबर-दिस०	5760	5810	6540	6590
जनवरी-मार्च	5940	5990	6750	6800

1985-86				
अप्रैल-जून	6330	6380	7185	7235
जुलाई-सित०	6595	6645	7055	7105
अक्तूबर-दिस.	6745	6795	7510	7560
जन.-मार्च	6980	7030	8275	8325

*यथा लागू सीमाशुल्क, चुंगी तथा अन्य स्थायी लेवियों को छोड़कर। मध्यम तथा लघु श्रेणियों के संबंध में लागू हाई सी कीमतें मध्यम श्रेणी के लिए 275 रु० प्रति एम० टी० तथा लघु श्रेणियों के लिए 550 रु० प्रति एम० टी० कम है। बिक्री कीमतें जिन पर आयातित चीनी उपभोक्ताओं को बेची गई।

(क) नियंत्रित माध्यमों के जरिए राज्य सरकारों द्वारा बिक्री।

(I) जून 85 से 6 रु० प्रति किग्रा० अधिकतम कीमत पर

(II) 2·8·85 से 5.80 रु० प्रति किग्रा० की अधिकतम कीमत पर

(ख) राज्य सरकारों द्वारा इनके मासिक लेवी कोटा में से बिक्री

1-12-1985 4.80 रु० प्रति किग्रा

ग्रामीण बीमा योजना

5454. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण बीमा योजना की पुनरीक्षा के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या आधार है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नये कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों तथा जीवन बीमा निगम के माध्यम से ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं और हितों के अनुरूप कई बीमा स्कीमें चलाई जा रही हैं। अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इन स्कीमों का सतत रूप से पुनरीक्षण किया जाता है।

[अनुवाद]

कोचीन में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे चावल का खराब होना

5455. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखा चावल खराब हो गया था।

(ख) यदि हां, तो कितना चावल खराब हुआ; और

(ग) भविष्य में ऐसे नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में चाय बागानों को राजसहायता देने का प्रस्ताव

5456. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय पर समान दर पर उत्पाद शुल्क लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या केरल में चाय बागानों को राजसहायता देने का प्रस्ताव है क्योंकि यहां पैदा होने वाली चाय घटिया किस्म की है और श्रम लागत अधिक है ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) चाय बोर्ड की विद्यमान उपदान योजनाएं केरल के चाय बागानों के संबंध में भी लागू होती हैं ।

कोचीन निर्यात संवर्धन क्षेत्र

5457. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में कितने निर्यात संवर्धन क्षेत्र प्रारंभ करने का विचार है; और

(ख) कोचीन निर्यात संवर्धन की क्या स्थिति है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) दो विद्यमान तथा क्रियाशील निर्यात संसाधन जोन हैं :

(I) सान्ताक्रुज इलेक्ट्रानिक निर्यात संसाधन जोन, बम्बई ।

(II) कांडला मुक्त व्यापार जोन, गांधी धाम ।

चार नये जोनों की स्थापना की जा रही है :

(I) पश्चिमी बंगाल में फाल्टा निर्यात संसाधन जोन ।

(II) तमिलनाडु में मद्रास निर्यात संसाधन जोन ।

(III) केरल में कोचीन निर्यात संसाधन जोन ।

(IV) उत्तर प्रदेश में नोएडा निर्यात संसाधन जोन ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में अभी तक कोई नया निर्यात संसाधन जोन शामिल नहीं किया गया है ।

(ख) कोचीन निर्यात संसोधन जोन की स्थापना के लिए धन आवंटित कर दिया गया है, भूमि अर्जित करली गई है और सिविल निर्माण-कार्य चल रहा है । विशेषरूप से चार दीवारी का निर्माण पूरा हो चुका है और जोन को सीमाशुल्क वद्ध क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

सहर हवाई अड्डे पर सोने के बिस्कुटों का पकड़ा जाना

5458. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

श्री सुभाष यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1986 के "फ्रि प्रेस जर्नल" बम्बई में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजस्व आसूचना निदेशालय, बम्बई ने सहर हवाई अड्डे पर 61.43 लाख रु० मूल्य के सोने के 150 बिस्कुट पकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) . (क) और (ख) जी, हां। मामले के तथ्य नीचे दिए जा रहे हैं :—

दिनांक 10/11-3-86 को राजस्व गुप्तचर्या जोनल एकक बम्बई और वायु गुप्तचर्या एकक बम्बई के अधिकारियों ने सूचना प्राप्त होने पर एयर इंडिया की उड़ान सं० ए आई– 403 द्वारा सिंगापुर से लाए गए कार्गो आधानों को जांच की। इसके परिणामत: 241 कि०ग्रा० वजन के 6 पैकटों को रोका गया था। इन पैकटों को न तो सूची में दिखाया गया था और न ही इन्हें एयर वे बिल में दिखाया गया था और इन्हें आधिक्य में पाया गया था। पैकटों की जांच पड़ताल करने पर सोने की 150 छड़ें जिनका वजन 1500 तोला था, 4233 कलाई घड़ियां और 4950 घड़ी के कलपुर्जे, कुल मिलाकर जिनका मूल्य 61.43 लाख रु० था बरामद किए गए और सीमाशुल्क अधिनियम के तहत अभिगृहीत किए गए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर कानून के तहत उचित कारवाई की जाएगी।

पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ गैर-सरकारी व्यापार पर प्रतिबंध का हटाया जाना

5459. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री सुभाष यादव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ गैर-सरकारी व्यापार पर से 10 वर्ष पुराना प्रतिबंध हटा लिया है ताकि उनके व्यापारी अनेक मदों का आयात कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मदों के नाम तथा संख्या क्या है जिनसे प्रतिबंध हटाया गया है; और

(घ) इस देश को इससे कहां तक लाभ पहुंचेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) पाकिस्तान ने संलग्न **विवरण में दी गई सूची के** अनुसार भारत से 42 मदों का आयात करने के लिए अपने गैर सरकारी व्यापारियों को अनुमति दी हैं।

(घ) भारतीय निर्यातकों के लिए इससे इस सीमा तक मदद मिल सकती है कि पाकिस्तानी व्यापार निगम से स्वीकृति लेने की क्रियाविधि संबंधी औपचारिकताओं की आगे आवश्यकता नहीं रहेगी।

विवरण

भारत से गैर सरकारी क्षेत्र के लिए आयातों की मदों की सूची

क्रमांक मदों का विवरण

1. चाय (क्यू आर)
2. लकड़ी तथा टिम्बर
3. पान के पत्ते (क्यू आर)

4. सुपारी (क्यू आर)
5. अदरक
6. इमली
7. बीज वाली सब्जियां, फल तथा फूल
8. रंगाई के लिए वनस्पति पौधे
9. कत्था तथा गैमबीयर
10. संगध तेल
11. पुस्तकें (केवल तकनीकी व्यवसायिक तथा धार्मिक)
12. मसाले, लाल मिर्च, हल्दी तथा जीरे को छोड़कर
13. रेजर ब्लेड बनाने के लिए इस्पात की पत्तियां
14. विस्कोस, रेशा तथा धागा
15. लोह मिस्र धातु
16. कैलकूलेटर, कैलकूलेटिंग मशीन
17. बाल बीयरिंग (केवल अनुमत आकार के)
18. लिफ्टें तथा एस्कलेटर्स
19. कैन प्लांटर
20. कटर बिल्डर
21. आलू/प्याज खोदने के औजार
22. चावल अकुरित करने वाले ट्रांसप्लान्टर्स
23. रोटेरी कटर
24. रोटर बिल्डर्स
25. स्पिनर ब्रोडकास्टर
26. ड्रिलिंग रिग्स
27. पोस्टल फैंकिग मशीनें
28. कार्बन इलेक्ट्रोडेस
29. एयरकन्डीशनिंग प्लान्ट के लिए कमप्रैशर यूनिट
30. घरेलू रैफ्रीजिरेटर के लिए कमप्रैशर यूनिट
31. फायर इंजिन
32. माइक्रोस्कोप तथा प्रयोगशाला संबंधी अन्य संयंत्र
33. पेपर मिलों के लिए फैल्ट
34. पैथालिक (संश्लिष्ट रेजिन के लिए कच्चा माल)
35. सीट्रिक एसिड
36. लैक्ट्रक एसिड
37. शर्करीय
38. एल्यूमीनियम पाउडर तथा पेस्ट
39. कैस रजिस्टर्स इनकापोरेटिंग कलकूलेटिंग डिवाइज

40. डूपल केटिंग मशीनें

41. बीड़ी के पत्ते

42. प्याज

कपास के निर्यात को बढ़ाने के लिए नीति में परिवर्तन

5460. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री सुभाष यादव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में उत्पन्न कपास की किस्म की विदेशी बाजार में प्रशंसा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कपास के निर्यात के लिए एक स्थाई आधार बनाने और कुछ उपयुक्त नीति सम्बन्धी परिवर्तन करने का है जिससे कि कपास के निर्यात को बढ़ाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां। भारतीय रुई की क्वालिटी साधारणतः विदेशी बाजार में स्वीकार की जाती है।

(ख) और (ग) इस समय रुई के निर्यात के सम्बन्ध में विनिश्चय देश में रुई की मांग तथा सप्लाई स्थिति एवं बाजारों में चल रही रुई की कीमत प्रवृत्ति के आधार पर किए जाते हैं। देश में रुई की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और रुई की जो भी मात्राएं/किस्में हमारी घरेलू आवश्यकताओं को देखते हुए विदेशी समझी जाती हैं, उन्हें निर्यात के लिए रिलीज कर दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा चालू रुई वर्ष के दौरान भारी मात्रा में रुई निर्यात के लिए पहले ही रिलीज की जा चुकी है।

छठी और सातवीं योजना अवधि में भंडागारों और गोदामों का निर्माण

5461. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक जोन में भंडागारों और गोदामों के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य मिर्धारित किए गए हैं;

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) क्या यह सच है कि योजना अवधि के दौरान भंडागारों और गोदामों का कम निर्माण हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सातवीं योजना के दौरान भंडागारों और गोदामों के निर्माण के बारे में क्या निर्णय लिया गया है और उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है;

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) भंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए जोनवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। छठी पंच वर्षीय योजना में सभी भारतीय खाद्य निगम; सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और राज्य भांडागार निगमों द्वारा 75.1 लाख मीटरी टन की भंडारण क्षमता का

निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके प्रति 52.6 लाख मीटरी टन की क्षमता को पूरा कर लिया गया था।

(ग) और (घ) मुख्यतया भूमि का अधिग्रहण करने और निर्माण सामग्री की उपलब्धता में अनुभव की जा रही कठिनाइयों के कारण कमी हुई है।

(ङ) सातवीं योजना के दौरान अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए 246.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इससे भारतीय खाद्य निगम, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और राज्य भांडागार निगमों द्वारा लगभग 50 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया जा सकेगा जिसमें से आशा है कि लगभग 40.00 लाख मीटरी टन की क्षमता खाद्यान्नों के लिए उपलब्ध होगी।

उच्चतम न्यायालय में आयकर के लंबित पड़े मामले

5462. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में आयकर के कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(ख) ये मामले कुल कितनी राशि के संबंध में हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 30 सितम्बर 1985 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष कर के 3302 मामले बकाया पड़े थे।

(ख) उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष कर के मामले में ग्रस्त राजस्व की कुल राशि बता पाना व्यवहार्य नहीं है। इनमें से कुछ मामले उन मुद्दों से संबंधित हैं जो कार्रवाइयों के प्रारंभिक चरणों में तथा कर निर्धारण आदेश पारित होने से पहले उठते हैं। कुछ मामले सांविधिक उपबंधों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हैं। हानि के मामलों में, इस मुद्दे पर विवाद का राजस्व प्रभाव भावी लाभ, यदि कोई हो, पर निर्भर करता है। इस सूचना को एकत्र करने में लगने वाला श्रम और व्यय इससे प्राप्त होने वाले लाभ के अनुरूप नहीं होगा।

महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

5463. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितनी राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलें हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) कितनी बंद मिलें चलाये जाने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सौंप दी गई हैं;

(ग) मिल मालिकों द्वारा बन्द कर दी गई इन निजी मिलों का अभी तक राष्ट्रीयकरण न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन बन्द मिलों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो बिना आधुनिकीकरण और भारी वित्तीय निवेश से सरकार द्वारा इन मिलों को कब तक चलाया जायेगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 22 राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलें चलाई जा रही हैं तथा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम द्वारा 7 वस्त्र मिलें चलाई जा रही हैं। इन मिलों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण सलग्न है।

(ख) बम्बई की 13 वस्त्र उपक्रमों का प्रबन्ध अधिग्रहण 1983 में केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय करण न होने तक के लिए किया गया तथा एन० टी० सी० को अभिरक्षक के साथ में नियुक्त किया गया। अधिग्रहण के समय केवल 5 मिलें आंशिक रूप से उत्पादन कर रही थीं।

(ग) से (च) वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध का अधिग्रहण) अधिनियम 1983 में राष्ट्रीयकरण होने तक बम्बई की 13 वस्त्र मिलों के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने की व्यवस्था है। राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही तथा रुपरेखाओं की संभाव्यताओं के बारे में जांच राष्ट्रीयकरण करने से पहले की जानी है। अतः इस संबंध में कोई विशिष्ठ तारीख बताना संभव नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र मिलों के नाम

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

1. इंडिया यूनाइटेड मिल नं० 1, बम्बई
2. इंडिया यूनाइटेड मिल नं० 2, बम्बई
3. इंडिया यूनाइटेड मिल नं० 3, बम्बई
4. इंडिया यूनाइटेड मिल नं० 4, बम्बई
5. इंडिया यूनाइटेड मिल नं० 5, बम्बई
6. इंडिया यूनाइटेड मिल डाई वर्क्स (नं० 6), बम्बई
7. माडल मिल, नागपुर
8. आर०एस०आर० गोपालदास मोहता स्पिनिंग तथा वीविंग मिल, अकोला
9. विदर्भ मिल (बेरर), अचलपुर
10. आर०बी०बी० ए० स्पिनिंग तथा वी विंग मिल, हिंगनघाट
11. सवनराम रामप्रसाद मिल, अकोला
12. मम्बई टैक्सटाइल मिल, बम्बई
13. औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स, औरंगाबाद
14. नानदेज टैक्सटाइल मिल, नानदेज
15. वार्षि टैक्सटाइल मिल, जिला-सोलापुर
16. अपोलो टैक्सटाइल मिल, बम्बई
17. चालीस गांव टैक्सटाइल मिल, चालीस गांव
18. न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई
19. जुपीटर टैक्सटाइल मिल, बम्बई
20. दिगविजय टैक्सटाइल मिल, लालबाग, बम्बई
21. धूले टैक्सटाइल मिल, धूले
22. भारत टैक्सटाईल मिल, बम्बई

महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम की मिलें

23. वेस्टर्न इंडिया स्पिनिंग तथा वीविंग व मैनु कं० लि०, बम्बई
24. नरसिंह गिरजय मिल (उर्स), सोलापुर

25. श्री शाहू छत्रपति मिल, कोल्हापुर
26. प्रताप स्पिनिंग तथा वीविंग व मैनु कं० लि०, अमलनर
27. विजय मैन्यु बड़नेड़ा
28. फूलगांव काटन मिल लि०, फूल गांव
29. देवागरि टैक्सटाइल मिल लि०, न्यू औरंगाबाद।

राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलें

5464. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलें हैं;

(ख) इन कपड़ा मिलों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) ऐसी राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन इस समय 103 राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलें हैं।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	6
कर्नाटक	4
केरला	5
दिल्ली	1
पंजाब	4
राजस्थान	3
गुजरात	12
मध्य प्रदेश	7
तमिलनाडु	14
महाराष्ट्र	22
पान्डिचेरी	2
उत्तर प्रदेश	5
वेस्ट बंगाल	14
आसाम	1
बिहार	2
उड़ीसा	1
योग	103

(ग) 103 राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन 103 राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलों के नाम

मिल का नाम

1. अजुध्या टैक्सटाइल मिल्स, आजाद पुर, दिल्ली।

2. दयाल बाग स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, पुतलीघर, अमृतसर।
3. खरार टैक्सटाइल मिल्स, जिला रोपड़, खरार।
4. पानीपत वूलिन मिल्स, जिला रोपड़, खरार।
5. सूरज टैक्सटाइल मिल्स, मलौत मंडी।
6. महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर।
7. एडवर्ड मिल्स, ब्यावर।
8. श्री विजय काटन मिल्स, विजय नगर।
9. मयूर मिल्स, सिविल लाइन्स, कानपुर।
10. न्यू विक्टोरिया मिल्स, 14/1, सिविल लाइन्स, कानपुर।
11. बिजली कोटन मिल्स, मेंडू रोड, हाथरस।
12. लोर्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर।
13. श्री विक्रम कोटन मिल्स, तालकटोरा रोड, लखनऊ।
14. बंगाल नागपुर कोटन मिल्स, राजनन्दगांव।
15. न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स, चांदर भोपाल।
16. हीरा मिल्स, आगरा रोड, उज्जैन।
17. स्वदेशी कोटन मिल्स, सिलनाथ कैम्प, इन्दौर।
18. बरहानपुर ताप्ती मिल्स, बरहानपुर।
19. इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर।
20. कल्याणमल मिल्स, 15-सिलनाथ कैम्प, इन्दौर।
21. न्यू मानक चौक टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद।
22. अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद।
23. हिमान्द्री टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद।
24. राजकोट टैक्सटाइल मिल्स, राजकोट।
25. महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, भावनगर।
26. पेटलैण्ड टैक्सटाइल मिल्स, पेटलैण्ड।
27. जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद।
28. अहमदाबाद जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद।
29. राज नगर टैक्सटाइल मिल्स, यूनिट नं० 1, अहमदाबाद।
30. राज नगर टैक्सटाइल मिल्स, यूनिट नं० 2, अहमदाबाद।
31. फाइन निटिंग मिल्स, अहमदाबाद। (कोर्ट मामले की वजह से अभी तक कब्जा नहीं लिया गया)।
32. विरामपुर टैक्सटाइल मिल्स, विरामपुर।
33. बंगाल टैक्सटाइल मिल्स, कोसिम बाजार।
34. मनिन्द्रा मिल्स, कोसिम बाजार।
35. सेन्ट्रल कोटन मिल्स, 212, गिरीश घोष रोड (हावड़ा)

36. बंगाल लक्ष्मी कोटन मिल्स, सेरामपुर जिला हुगली ।
37. बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड वीविंग, (1) कन्नागर, जिला हुगली ।
38. श्री महालक्ष्मी मिल्स, पल्टा ।
39. रामपुरिया कोटन मिल्स, सेरामपुर ।
40. लक्ष्मी नरायण कोटन मिल्स, रिश्रा, जिला हुगली ।
41. आरती कोटन मिल्स, दास नगर, हावड़ा ।
42. बंग श्री कोटन मिल्स, सोदेपुर, पो० ओ० सुकचर ।
43. बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स (11), कटगंग, जिला नादिया ।
44. ज्योती वीविंग फैक्ट्री, 69, एस० के० डे० रोड, कलकत्ता ।
45. कनोरिया इण्डस्ट्रीज (कोटन मिल्स सेक्सन), कन्नागढ़ ।
46. सोदेपुर कोटन मिल्स, सोदेपुर ।
47. एसोसिएटिड इण्डस्ट्रीज, (असम), (स्पिनिंग यूनिट) चन्द्रपुर, जिला कामरूप ।
48. बिहार को-आपरेटिव वीविंग स्पिनिंग मिल्स, मोकामेह ।
49. गया काटन एण्ड जूट मिल्स, गया ।
50. उड़ीसा काटन मिल्स, भगतपुर, कटक ।
51. माडल मिल्स नगर, उमरेर रोड, नागपुर ।
52. आर० एस० आर० गोपालदास मेहुता स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, अकोला ।
53. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, मिल नं० 1, बम्बई ।
54. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, मिल नं० 2, बम्बई ।
55. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, मिल नं० 3, बम्बई ।
56. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, मिल नं० 4, बम्बई ।
57. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, मिल नं० 5, बम्बई ।
58. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, मिल नं० 6, बम्बई ।
59. आर० बी० बी० ए० स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, हिंगनघाट ।
60. राम प्रसाद मिल्स, अकोला ।
61. विदर्भ मिल्स, (बिरोर), अचलपुर ।
62. कोयम्बटूर मुरूगन मिल्स, कोयम्बटूर ।
63. सोमासुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर ।
64. कोयम्बटूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कोयम्बटूर ।
65. बालाराम वर्मा टैक्सटाइल्स शेनकाटन ।
66. कालेसवरर मिल्स 'ए' यूनिट, कोयम्बटूर ।
67. पंकज मिल्स, कोयम्बटूर ।
68. पायनियर स्पिनर्स, रामनद जिला ।
69. सरी कोठेनद्रम स्पिनिंग मिल्स, मदुरै (उत्पादन में नहीं) ।
70. कालेसवरर मिल्स, 'बी' यूनिट, कलयारकोइल (रामनद जिला) ।
71. सरी सारदा मिल्स, पोदानुर पोस्ट, कोयम्बटूर ।

72. श्री भारती मिल्स, पो० बो० नं० 10, पांडिचेरी ।
73. ओम परशक्ति मिल्स, केनपंथी, पो० ओ० कोयम्बटूर ।
74. कम्बोडिया मिल्स, कोयम्बटूर ।
75. किशनबेनी टैक्सटाइल मिल्स, कोयम्बटूर ।
76. सारी रंगविलास जिनिंग स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कोयम्बटूर ।
77. औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स, कोटवालपुरी, औरंगाबाद ।
78. दिग्विजय टैक्सटाइल मिल्स, लाल बाग, बम्बई ।
79. चालीसगांव टैक्सटाइल मिल्स, भादगांव रोड, चालीसगांव ।
80. जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स, पारेल, बम्बई ।
81. अपोलो टैक्सटाइल मिल्स, एन० एम० जोशी मार्ग, बम्बई ।
82. भारत टैक्सटाइल मिल्स, लोवर पारेल, बम्बई ।
83. बारशी टैक्सटाइल मिल्स, वारशी जिला शोलापुर ।
84. न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई ।
85. धुले टैक्सटाइल मिल्स, धुले ।
86. नान्देद टैक्सटाइल मिल्स, पो० बा० नं० 10, मिल रोड, नान्देद ।
87. बम्बई टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई ।
88. आजम जाही मिल्स, लक्ष्मीपुरी वारंगल ।
89. नैथा स्पिनिंग मिल्स, 608, इलैचीगुडा, सिकन्दराबाद ।
90. अडोनी काटन मिल्स, अलुर रोड, अडोनी ।
91. अत अनन्तपुर काटन मिल्स, येरागुन्टेपाल्ली ।
92. त्रिरुपती काटन मिल्स, रेनीगन्टा ।
93. मैसूर स्पिनिंग एण्ड मैन्यू मिल्स, मलेश्वरन, बंगलोर ।
94. मिनर्वा मिल्स, पो० बो० न० 2310, बंगलोर ।
95. महबूब शाही कुलवर्गा मिल्स, गुलबर्गा ।
96. श्री यलम्बा काटन वूलन एण्ड सिल्क मिल्स, 504/1, के०बी०. एक्सटेंशन, देवनगिरि ।
97. अलगप्पा टैक्सटाइल्स (कोचीन) मिल्स, अलगप्पा नगर, पो० ओ० ।
98. पार्वती मिल्स, पो० बो० नं० 1, किलोन ।
99. बिजयमोहिनी मिल्स, त्रिमला पो० बो० नं० 2, त्रिवेन्द्रम ।
100. कन्नानूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, पी० बी० नं० 204, कन्नानूर ।
101. केरल लक्ष्मी मिल्स, पुलाजी, त्रिचुर ।
102. नटराज स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, जिला अदीलाबाद, निर्मल ।
103. कन्नानूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, पो० बो० नं० 1 माहे ।

राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलें

5465. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों का कुल कपड़ा उत्पादन कितना है;

(ग) क्या किन्हीं राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों को किसी अन्य एजेंसियों द्वारा चलाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन एजेंसियों के नाम क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही 103 राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।[कृपया अता० प्र० संख्या 5464 (ग) के साथ संलग्न विवरण देखिए ।]

(ख) वर्ष 1985-86 (अप्रैल-दिसम्बर, 1985) की अवधि के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन राष्ट्रीयकृत मिलों ने 608 मिलियन मीटर कपड़ा और 49.2 मिलियन कि. ग्रा. मार्केट यार्न का उत्पादन किया ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों के साथ वस्तु विनिमय पद्धति

5466. **श्री हुसैन दलवाई : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को कम करने के लिए मित्र देशों के साथ वस्तु विनिमय पद्धति स्थापित करना है;

(ख) भारत के किन-किन देशों के साथ वस्तु विनिमय पद्धति के आधार पर वाणिज्यिक संबंध हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कुछ अन्य देशों के साथ भी इस वस्तु विनिमय पद्धति को स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुई हानियां

5467. **श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जो इस समय घाटे में चल रहे हैं और किस बैंक में सबसे अधिक घाटा हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाने के लिए प्रयास किए हैं जिनके कारण अधिकांश बैंकों में भारी घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक अध्ययन दल गठित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1982, 1983 और

1984 के दौरान सरकारी क्षेत्र के सभी 28 बैंकों ने लाभ कमाया। वर्ष 1985 के लिए कुछ बैंकों के खातों को अन्तिम रूप दिया गया है जिससे यह पता चलता है कि उन्हें लाभ हुआ है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

बीमा कम्पनियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए समिति

5468. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान बीमा सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न कम्पनियों के कार्यकरण और कार्यकुशलता आदि का अध्ययन करने हेतु कोई समिति गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा विभिन्न बीमा कम्पनियों के वर्तमान असंतोषजनक कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बीमा कम्पनियों, अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों के समूचे कार्य निष्पादन पर सरकार द्वारा निरन्तर नजर रखी जाती है और उसका पुनरीक्षण किया जाता है तथा समय-समय पर, यथावश्यकतानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। जहां तक पालिसीधारकों की कठिनाइयों का सम्बन्ध है, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम ने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए तंत्रों का गठन किया है। हाल ही में की गई समीक्षा के बाद इन प्रबन्धों को और अधिक सुदृढ़ और सुचारु बना दिया गया है।

बैंकों में कंप्यूटरीकरण

5469. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के शहर-वार नाम क्या हैं जहां उपभोक्ताओं को कुशल और त्वरित बैंक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए लेखाओं के रख-रखाव हेतु कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋणों के वितरण से बड़े अतिरिक्त कार्य भार के परिणाम स्वरूप बैंकिंग सेवा में आयी गिरावट को ध्यान में रखते हुए बैंकों के रिकार्डों के रख-रखाव को वैज्ञानिक और सरल बनाने, कंप्यूटरों का अधिकाधिक प्रयोग और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण आदि के लिए सरकार ने प्रबन्ध किए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की कार्य-योजना का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) बैंकों के पास रिकार्डों के रख रखाव के लिए पहले से ही वैज्ञानिक और सरलीकृत तरीके मौजूद हैं। इन पद्धतियों की स्वयं बैंकों द्वारा या भारतीय बैंक संघ तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर समीक्षा की जाती है और उन्हें दोषरहित बनाया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बड़ी शाखाओं में इलक्ट्रानिक लेजर पोस्टिंग मशीनें, उनके क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में मिनी कंप्यूटर तथा उनके केन्द्रीय कार्यालयों में मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इन उपायों से ग्राहक सेवा में सुधार करने, बेहतर आन्तरिक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अधिक कारगर प्रबन्ध सूचना प्रणाली उपलब्ध होने की अपेक्षा की जाती है। बैंकों ने विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देने के लिए विशेष पाठ्यक्रम पहले ही शुरू कर दिए हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण सामान्यता बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं से दिये जाते हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है जिससे इस बात का संकेत मिलता हो कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण वितरण के कारण ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की बैंकिंग सेवाओं में गिरावट आई है।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम द्वारा बोनस की राशि में वृद्धि

5471. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री गुरुदास कामत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने हाल ही में बोनस की राशि बढ़ाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो आजीवन बीमा पालिसी होल्डरों और बंदोबस्ती बीमा पालिसी होल्डरों को कितना तथा कब से लाभ मिलेगा;

(ग) क्या सरकार निगम द्वारा किए भारी पूंजी निवेश को देखते हुए जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1984-85 में अर्जित आय से संतुष्ट है; और

(घ) क्या सरकार को निगम के कारोबार में वृद्धि होने की आशा है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां।

जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1983-85 के द्विवार्षिक मूल्यांकन के फलस्वरूप सलाभ पूर्ण जीवन पालिसियों पर 55 रु० प्रति हजार प्रतिवर्ष और सलाभ बन्दोबस्ती पालिसियों पर 44 रु० प्रति हजार प्रतिवर्ष की ऊंची दर पर बोनस देने की घोषणा की है। यह बोनस 31.3.1985 को चालू सभी पालिसियों पर प्रभावी होगा।

(ग) जीवन बीमा निगम की जीवन निधि के निवेश पर होने वाला लाभ लगभग 9.46% है, जिसे इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निवेश का अधिकांश भाग सांविधिक रूप से केन्द्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और अन्य सामाजिक अभिमुख क्षेत्रों में लगाया जाता है, जहां पर ब्याज की दरें अपेक्षाकृत कम है, आमतौर पर संतोषजनक समझा जाता है।

(घ) पिछले कुछ वर्षों में जीवन बीमा निगम के नए कारोबार में निरन्तर वृद्धि हुई है। 28 फरवरी, 1986 से आरम्भ किए गए नए कारोबार से यह पता चलता है कि 28 फरवरी, 1985 से आरम्भ किए गए ऐसे ही नए कारोबार की तुलना में इसमें 29.3% की वृद्धि हुई है।

आयात की जाने वाली मदों में कटौती

5472. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ मदों के आयात में भारी कटौती का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन मदों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उन उद्योगों से परामर्श किया गया है जिन पर आयात में उक्त कटौती का भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) आयात में उक्त कटौती के परिणामस्वरूप सरकार को क्या लाभ होने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) अलग-अलग मदों के संबंध में आयात नीति का निर्धारण स्वदेशी उपलब्धता तथा देश की समग्र आवश्यकताओं को देखकर किया जाता है।

सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से समय-समय पर नीति की समीक्षा के लिए और विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए जब भी आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुचित और अत्याधिक आयातों का स्वदेशी उत्पादकों के वास्तविक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, एक स्थायी प्रबन्ध है।

एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री द्वारा 1986-87 के केन्द्रीय बजट की पुनरीक्षा

5473. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री द्वारा वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय बजट की पुनरीक्षा में बताए गए कई नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर विशेषकर जिनका इंजीनियरिंग उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना यथा संभव सीमा तक एकत्र की जा रही है और उसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

जाली ऋणों के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों को हानि

5474. **श्री सरफराज अहमद** :

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 फरवरी, 1986 के "जनसत्ता" में "बैंकों को करोड़ों की चपत" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने जाली खातों पर ऋण मंजूर किए और कितनी धनराशि के मंजूर किए जिन्हें अब वसूल नहीं किया जा सकता है;

(ग) सम्बन्धित बैंकों के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान सूचना प्रणाली से उस प्रकार सूचना प्राप्त नहीं होती है जिस प्रकार प्रश्न में पूछी गई है। लेकिन, भारत तथा भारत से बाहर गत 5 वर्षों में की गई धोखाधड़ियों

की संख्या, चाहे यह घटना कभी भी घटित हुई हो, और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि की समेकित सूचना जैसी कि सरकारी क्षेत्रों में 28 बैंकों द्वारा दी गई है, इस प्रकार है—

वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रु०)
1981	1892	20.36 लगभग
1982	2078	22.38 ,,
1983	2371	30.20 ,,
1984	2469	40.87 ,,
1985	218[illegible]	114.63 ,,

(आंकड़े अनन्तिम)

यह जरूरी नहीं कि इन धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त राशि अन्ततोगत्वा बैंकों को होने वाली हानि की द्योतक हो, क्योंकि बैंकों के पास कई मामलों में प्राथमिक/या सांपाश्विक प्रतिभूति होती है जिसकी राशि बकाया रकमों में समायोजित कर ली जाती है । कई मामलों में बैंक बीमा पालिसियां भी रख लेते हैं । जब ये सब उपाय कर लिए जाते हैं तभी बैंक हानि की वास्तविक रकम का अनुभाग लगा सकते हैं ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि 1983, 1984 और 1985 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर क्रमशः 50, 32 और 27 कर्मचारियों को सजा दी गई और क्रमशः 559, 478 और 387 कर्मचारियों को छोटे या बड़े दण्ड दिए गए हैं ।

(घ) बैंकों से अपने-अपने संगठनों में सतर्कता-तंत्र को चुस्त बनाने और अपनी प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों में सुधार करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं ताकि धोखाधड़ियों से बचा जा सके । तदनुसार, बैंकों ने अपने नियंत्रण तंत्रों को मजबूत बनाने और प्रबंध सूचना प्रणालियों में सुधार करने तथा कारगर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए कदम उठाए हैं । लेखा पुस्तकों के मिलान, अन्तर शाखा खातों और अन्य खातों के मिलाने के बकाया काम को पूरा करने के लिए भी सतत आधार कार्यवाही की जा रही है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में ऐसी जानकारी भी परिचारित की जाती है जिसमें धोखाधड़ियों के नये नये तरीकों का ब्योरा दिया गया होता है तथा उनसे बचने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने की सलाह भी दी जाती है । बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों में अनुदेश पुस्तक भी परिचालित की जाती है जिनमें धोखाधड़ियों से बचने के लिए सावधानियों/जांच-पड़ताल का विवरण होता है ।

व्यापार असन्तुलन

5475. **श्री सरफराज अहमद** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों के साथ व्यापार में गत एक वर्ष में निर्यात की तुलना में आयात अधिक हुआ है;

(ख) सरकार ने निर्यात और आयात के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ लोग सरकार की उदार आयात नीति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने आयात नीति में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) डी. जी. सी. आई. एण्ड एस. से उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितम्बर, 1985 के दौरान जिन प्रमुख देशों के साथ आयात व्यापार निर्यात से अधिक बढ़ गया उनमें फ्रांस, जर्मन, संघीय गणराज्य, इटली, नीदर लैंड, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, सिंगापुर, इराक, कुवैत, साऊदी अरब, यू. ए. इ, सं. रा. अमरीका तथा कनाडा शामिल हैं।

(ख) व्यापार घाटा कम करने की दृष्टि से विगत हाल में जोरदार संवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं, हमारे निर्यात बढ़ाना, हमारे उत्पादक आधार में विविधता लाना हमारे उत्पादक उपकरण का आधुनिकीकरण करना, एवं हमारी औद्योगिक तथा राजकोषीय नीतियों आदि को समय-समय पर संशोधित करना। सातवीं पंचवर्षीय योजनाविधि के दौरान विशेष रूप से बल्कि आयातों के क्षेत्र में आयात योग्य वस्तुओं के हमारे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) ऐसी कोई बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

हीरों के व्यापारियों के परिसरों में छापे

5476. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

डा० वी वेंकटेश : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग बम्बई के प्रवर्तन विंग ने हाल ही में हीरों के व्यापारियों के परिसरों में छापे मारे और करोड़ों रुपये के हीरे बरामद किए जैसा कि 13 मार्च 1986 के "इंडियन एक्सप्रैस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आयकर विभाग द्वारा बरामद किए गए अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेजों, सोना/हीरों और अन्य अवैध संपत्ति का ब्योरा क्या है;

(ग) व्यापारियों का पूर्ण ब्योरा क्या है और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(घ) सरकार का विचार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) जी, हां। आयकर विभाग ने हीरों के अनेक व्यापारियों के मामलों में तलाशियां ली हैं जिनमें भारी संख्या में अपराध आरोपणीय दस्तावेजों के अलावा प्रथमदृष्ट्या काफी मूल्य की लेखा-बाह्य परिसंपत्तियां पकड़ी गई है। जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गई उनके ब्यौरे और पकड़ी गई परिसपत्तियों का मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

क्र० सं० पार्टी का नाम	पकड़ी गई परिसंपत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)
1. मेसर्स एस० बी० एन्टरप्राइसिज	19.39
2. श्री बसीलाल एन० जावेरी	122.72

3. श्री नेमचन्द राख्यान मार्फत मेसर्स एरीबेंट डायमंड्स	28.10 (तथा 37 पेंटिंग)
4. श्री मणीलाल बाबू भाई	16.00
5. श्री के० डी मेहता	6.80
6. श्री भारत गोहिल	10.15
7. श्री एच० जी० राजगुरु	21.00
8. श्री श्रीश पी० शाह	10.30
9. मेसर्स योगे डायमंड्स	29.16
10. श्री प्रकाश एम० शाह	5.00
11. श्री चिन्तामणि जैन	161.85 (तथा 1700 बेल्जिन फ्रैंक)
12. मेसर्स दिनेश ब्रदर्स एण्ड कं०	10.91
13. श्री हीरालाल छगनलाल	4.00
14. श्री माना लाला एल० जावेरी	0.41
15, श्री सारा लाल एल जावेरी	0.25

कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि आयकर अधिनियम में तलाशी की कार्यवाही के दौरान गिरफ्तार करने की व्यवस्था नही है।

(घ) जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गई है उनके खिलाफ प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

दिल्ली के व्यापारियों द्वारा धोखाधड़ी से पौलिएस्टर कपड़े का आयात

5477. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वित्तमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय दिल्ली ने नगर के तीन व्यापारियों के घरों पर छापा मारा था जिन्होंने धोखाधड़ी से पोलिएस्टर कपड़े का आयात किया था और उसे बाजार में बेचा था जैसा कि 7 मार्च, 1986 के इंडियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो छापों के बारे में पूरा ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार ने उन्हें आयात-निर्यात लाइसेंस कब दिया था; और

(घ) सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) : दिनांक 7 मार्च, 1986 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार में उल्लिखित मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :—

कतिपय निर्यातकर्ताओं द्वारा शुल्क छूट हकदारी प्रमाण-पत्र योजना का दुरुपयोग किए जाने से संबंधित सूचना के अनुसरण में, राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने मैं० संदीप ट्रेडर्स के मैनेजिंग पार्टनर, श्री एम० एल० गुप्ता, और उसकी सहायक कंपनी के आवासीय और व्यवसायिक परिसरों की दिनांक 11-9-85, 30-9-85 तथा 4-11-1985 को तलाशियां लीं।

परिणामत :, शुल्क छूट हकदारी प्रमाम-पत्र योजना के अन्तर्गत जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम के तहत बम्बई, दिल्ली में

अपराध आरोपणीय दस्तावेज और 2.62 करोड़ रुपए मूल्य के पौलिएस्टर फैब्रिक्स अभिगृहीत किए गए थे। मैं० संदीप ट्रेडर्स और उसकी सहायक कंपनी के नाम जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों को अब लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया है।

इस प्रकार की परिस्थितियों में मैं० नारंग एंटरप्राइसेस के श्री के० एल० नारंग, व्यवसायिक तथा आवासीय परिसरों की भी दिनांक 9-12-1985 को तलाशियां ली गई थीं, जिसके परिणामतः अपराध आरोपणीय दस्तावेजों और 47.33 लाख रुपए मूल्य के पौलिस्टर फैब्रिक्स का अभिग्रहण किया गया था। इस मामले में भी लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को लिखा गया है कि वे उक्त पार्टी को जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस को रद्द करें। श्री बी० एल० गोयल के व्यवसायिक और आवासीय परिसरों की तलाशियां भी दिनांक 9-11-85 को ली गई थीं किंतु कुछ भी बरामद नहीं हुआ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) श्री एम० एल० गुप्ता और श्री के० एल० नारंग को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, के अधीन नजरबंद कर लिया गया है। जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के बाद, सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय न्यायनिर्णयण तथा अभियोजन हेतु समुचित कारंवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

अरब देशों के साथ चावल निर्यात करार को समाप्त करना

5478. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब देशों के साथ चावल निर्यात सौदे को समय पर मूल्यों के संबंध में समझौता न होने के कारण समाप्त करना पड़ा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यापार करार मूल्य करार फसल कटाई समाप्त हो जाने पर ही किया गया था;

(ग) क्या मूल्यों में वृद्धि के कारण सप्लाई में घाटे की आशंका के कारण भारतीय व्यापारी निविदायें नहीं भर सके और समय पर चावल की सप्लाई न किए जाने के कारण व्यापार करार समाप्त कर दिया गया; और

(घ) राज्य व्यापार निगम का इस सम्बन्ध में कितना दोष है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम ने दिसंबर, 1985 में, पहली बार खाड़ी सहयोग परिषद् के सदस्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान सुपुर्दगी के लिए बासमती चावल के निर्यात के लिए एक दीर्घावधि संविदा करने की सम्भाव्यता का पता लगाया। तथापि, बासमती चावल की दीर्घावधि सप्लाई के लिए कीमतों के बारे मे कोई करार नहीं हो सका।

[अनुवाद]

पूर्ति और निपटान महानिदेशक द्वारा कम्बलों की खरीद

5479. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्ति और निपटान महानिदेशक ने कंबलों की खरीद के लिए

बड़ी संख्या में ठेके किए हैं जिसके फलस्वरूप कच्ची अपरिष्कृत ऊन की भारी कमी हो गई है और बाजारों में कंबलों की कीमतों में वृद्धि हो गई है जिससे गरीब लोगों का जीना दूभर हो रहा है,

(ख) वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान कुल कितने कंबलों की खरीद के ठेके दिए गए हैं, और

(ग) सम्पूर्ण खरीददारी इसी वर्ष किये जाने के क्या कारण हैं और उन्हें कुछ वर्षों में चरणबद्ध रूप से क्यों नहीं खरीदा गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) यह सच है कि टाइप "ए" कम्बल (बैरक), जिनके लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान ठेके निर्णीत किए गए है, उनकी संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अनुपात में अधिक है । इन कंबलों में, प्राकृतिक सलेटी/काली/सफेद ऊन का प्रयोग होता है, जबकि गरीब लोगों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले कम्बल, घटिया ऊन से बनाये जाते हैं । पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय खरीद से, सामान्य उपभोक्ता बाजार के लिए कम्बल बनाने के लिए आवश्यक, कच्ची घटिया ऊन की मात्रा में कमी या मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होनी चाहिए ।

(ख) वर्ष	ठेके दिए कम्बलों (बैरकों) की संख्या
1983-84	3,89,101
1984-85	19,78,429
1985-86	7,49,425

(ग) वर्ष 1983-8 के दौरान खरीदे गए कम्बलों की संख्या सामान्य से कम थी क्योंकि कम्बलों की घटिया क्वालिटी होने की कुछ शिकायतों की जांच की जा रही थी और ट्रेड ठेकों को करने का इच्छुक नहीं था । इसके परिणामस्वरुप परवर्ती वर्षों में इसकी मांग में वृद्धि हुई ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कपड़ा मिलों को बन्द करना

5480. **श्री मूल चन्द्र डागा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा गठित एक सरकारी समिति ने लगभग एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत किए गए अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की उन आठ मिलों को बंद करने का सुझाव दिया था; जो बहुत अधिक घाटे में चल रही है और जिन्हें सक्षम नहीं बनाया जा सकता ;

(ख) यदि हां, तो (एक) उन आठ कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं (दो) ऐसी प्रत्येक कपड़ा मिल के कर्मचारियों की संख्या कितनी हैं (तीन) उक्त प्रत्येक रूग्ण मिल पर प्रति मास औसतन कितना व्यय किया जा रहा है और (चार) इन मिलों को कब रूग्ण घोषित किया गया और उनमें कब से उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ग) उन्हें सक्षम न बनाये जाने के क्या कारण हैं और क्या उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए उठाए कदम असफल रहे हैं; और

(घ) इन मिलों को अंतिम रूप से कब बंद किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अध्ययन दल ने बताया है कि केवल अतिरिक्त निवेश से ये मिलें अर्थ क्षम नहीं बनेंगी ।

(ख) 8 वस्त्र मिलों के नामों, प्रत्येक वस्त्र मिल में कामगारों की संख्या तथा 1985-86

(अप्रैल से दिसम्बर, 1985) की अवधि के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक रूग्ण एकक पर किए जा रहे मासिक औसत व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत मिलों के कार्य निष्पादन की समीक्षा से पता चला है कि उस समय वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान कुल हानियों के बड़े भाग के लिए 22 मिलें (19 राष्ट्रीयकृत तथा तीन प्रबन्धित) उत्तर दायी रही हैं। सबसे कमजोर 8 मिलों के कार्य संचालन का गहराई से अध्यतन करने के लिए सरकार ने अध्ययन दल का गठन किया। ये सभी 8 मिलें उत्पादन कर रही हैं।

(ग) समय-समय पर विभिन्न कदम उठाने के बावजूद, ये मिलें राष्ट्रीयकरण की तारीख से निरन्तर भारी घाटे उठा रही हैं। अध्ययन दल के अनुसार जिसने इन मिलों के कार्य संचालन का गहराई से अध्ययन किया, इनमें निरन्तर घाटों के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:—

(1) अप्रचलित तथा पुरानी मशीनरी,

(2) दोषपूर्ण नक्शा,

(3) घटिया रख-रखाव

(4) अपर्याप्त आधुनिकीकरण,

(5) उच्च श्रमिक संख्या,

(6) कम उत्पादकता,

(7) उत्पाद की घटिया क्वालिटी तथा कम बिक्री वसूली।

(घ) अभी तक किसी मिल के बन्द होने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	8 भारी घाटे वाली मिलों के नाम	रोजगार में कामगारों की संख्या	1985-86 (अप्रैल-दिसंबर, 85) के दौरान होने वाला औसत मासिक व्यय
1.	मैसूर स्पि० तथा वीवि० मिल्स, बंगलौर	2775	150.06
2.	आजम जाही मिल्स, वारंगल।	4063	115.32
3.	लार्ड कृष्ण टैक्टाइल मिल्स, सहारनपुर,	2878	107.70
4.	सेन्ट्रल काटन मिल्स, हावड़ा	2780	56.73
5.	इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर,	6061	171.11
6.	कल्याण मल मिल्स, इन्दौर	4948	115.07
7.	स्वदेशी काटन तथा फ्लोर, उज्जैन,	2937	83.05
8.	हीरा मिल्स, उज्जैन,	3851	90.50
	योग :	30293	890.54

[हिन्दी]

विदेशों में पर्यटन कार्यालय खोलना

5481. **श्री मूलचन्द डागा : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पर्यटन विभाग ने विदेशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वहां किन-किन स्थानों पर कितने-कितने पर्यटन कार्यालय खोले और प्रत्येक कार्यालय पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता है;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान इनमें से प्रत्येक पर्यटन कार्यालय पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है :

आपरेशन-वार कार्यालय	**1984-85 के दौरान आपरेशन-वार व्यय** (लाख रु० में)
1. **अमरीका**	
(क) न्यूयार्क	
(ख) लास एंजेल्स	150.24
(ग) शिकागो	
(घ) टोरांटो	
2. **यू० के०**	
(ङ) लंदन	55.34
3. **यूरोप**	
(च) जनेवा	
(छ) पैरिस	
(ज) ब्रुशल्ज	
(झ) फ्रेंकफर्ट	162.45
(ञ) स्टाक होम	
(ट) वीयाना	
(ठ) मिलान	
4. **आस्ट्रेलेशिया**	
(ड) सिडनी	
(ढ) सिंगापुर	74.53
(ण) कुआला लामपुर	
5. **पूर्व एशिया**	
(त) टोकियो	
(थ) बेंकाक	66.96

6. पश्चिम एशिया

(द) कुवैत

(घ) दुबई 49.08

7. काठमांडु में एक व्यक्ति वाला कार्यालय ।

(ग) आपरेशन-वार पर्यटक आगमन इस प्रकार हैं—

क्रम सं.	आपरेशन का नाम	1984	1985 (अनन्तिम)	(+) वृद्धि/ (—) कमी
1.	अमरीका	128,803	128,884	(+)0.1
2.	यू०के०	126,434	122,189	(—)3.4
3.	यूरोप	200,417	195,000	(—)2.7
4.	आस्ट्रेलिशिया	74,445	69,463	(—)6.7
5.	पूर्व एशिया	45,512	46,030	(+)1.1
6.	पश्चिम एशिया	95,662	120,515	(+)26.0
7.	देश जो "आपरेशन" स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते	164.230	154,827	(—)5.7
	जोड़	835,503	836,908	(+)0.2

[अनुवाद]

सुपर बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में निजी पार्टियों को किराये पर दिए गए "स्टाल"

5482. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में निजी पार्टियों ने किराये पर स्टाल लिये हैं ।

(ख) यदि हां, तो (एक) कितने स्टाल (दो) उनसे कितना मासिक किराया वसूल किया जाता है (तीन) किन आधारों पर स्टाल किराया पर दिये जाते हैं;

(ग) क्या सुपर बाजार और स्टाल लेने वाले लोगों के बीच इस प्रकार की कोई शर्त निर्धारित है कि निजी स्टाल वाले उपभोक्ताओं से उचित मूल्य वसूज करेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें किस प्रकार लागू किया जाता है;

(ङ) क्या ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं कि यह स्टाल मालिक उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूल करते हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) सुपर बाजार, दि कोआपरेटिव स्टोर्स लि०, नई दिल्ली द्वारा, 1966 में,

अपने कार्य के आरम्भिक वर्षों में कनाट प्लेस स्थित अपनी शाखा में अतिरिक्त स्थान 16निजी पार्टियों को एक करार के तहत, जिसके अनुसार सुपर बाजार को इन यूनिटों (जिन्हें सुविधाग्राही यूनिटों के नाम से जाना जाता है) की बिक्री पर सर्विस प्रभारों के रूप में परस्पर सहमत प्रतिशत प्राप्त होना था, लाइसेंस आधार पर निर्धारित अवधि के लिए दिया गया था किराया आधार पर नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। करार के एक खण्ड में कहा गया है कि इन सुविधाग्राही यूनिटों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्य सुपर बाजार के परामर्श से नियत किए जाएंगे और इस तरह नियत मूल्य बाजार में प्रचलित दरों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धात्मक होंगे। तथापि, सुपर बाजार ने सूचित किया है कि इन सुविधाग्राही यूनिटों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों तथा क्वालिटी पर कारगर नियंत्रण रखने के लिए उनके पास पर्याप्त तंत्र नहीं हैं।

(ङ) से (छ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्हें इन सुविधाग्राही यूनिटों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की क्वालिटी तथा अधिक मूल्य लिए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ऐसी शिकायतों की जाच की गई तथा अलग-अलग मामलों में गुण-दोष के आधार पर उपयुक्त कार्यवाही की गई। इन सुविधाग्राही यूनिटों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों तथा क्वालिटी पर कारगर नियंत्रण रखने की समस्या के कारण तथा साथ ही सुपर बाजार की स्वयं अपने उपयोग के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता को देखते हुए, सुपर बाजार की प्रबंध-समिति ने अक्टूबर, 1982 में सभी सुविधाग्राही यूनिटों को बन्द करने का निर्णय किया। तदनुसार सुपर बाजार के प्रबन्धकों ने उन्हें परिसरों को खाली करने का नोटिस भेजा था। उनमें से कुछ न्यायालय में गए हैं और मामला न्यायाधीन है।

निगम कर राजस्व में अवृद्धि

5483. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष, 1986-87 में निगम कर राजस्व में अवृद्धि का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या प्रत्यक्ष कर राजस्व की तुलना में निगम कर की प्रतिशतता, जो 1950-51 में 22.9 थी, वर्ष 1985-86 में बढ़कर लगभग 55.1 हो गयी है; और

(घ) क्या पूंजी निवेश छूट को समाप्त किए जाने के कारण औद्योगिक विकास की गति धीमी हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के लिए निगमित कर के 3118 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों के मुकाबले वर्ष 1986-87 के लिए बजट अनुमान 3120 करोड़ रुपए रखे गए हैं, इस प्रकार वर्ष 1986-87 के दौरान केवल 2 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शायी गई है। यह मुख्यतया जाने-माने तथ्य के कारण है कि वर्ष 1985-86 से संबधित वसूली में असाधारण वृद्धि दिखाई गई है। इसके अन्य कारण हैं (क) दरों में घटौती, (ख) अघोषित आय की घोषणा के प्रति उदार रवैये के आश्वासन के कारण बेहतर स्वैच्छिक अनुपालन चाहा गया और आशा रखी गई। उपर्युक्त कारणों के परिणामत: वर्ष 1985-86 के लिए संशोधित अनुमान 3118 करोड़ रुपये रखे गए जो वर्ष 1984-85 की वास्तविक वसूली के मुकाबले 563 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाते हैं। क्योंकि उपर्युक्त कारण वर्ष

1986-87 के संबंध में लागू नहीं होते, इसलिए बजट अनुमानों के आंकड़े 3120 करोड़ रुपए रखे गए थे। वर्ष 1986-87 के लिए 3120 करोड़ रुपए के आंकड़े वर्ष 1984-85 की वास्तविक वसूली के संदर्भ में सामान्य वृद्धि दर्शाते हैं। इसलिए, संशोधनात्मक उपाय करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) वित्त विधेयक, 1986 के खंड 8 में प्रस्तावित लाभों पर आधारित निवेश जमा योजना का नये उपबंध में निवेश संबंधी छूट के लाभ बरकरार रखे गए हैं जबकि इसके दोषों को समाप्त किया गया है। निवेश-छूट की मौजूदा योजना के मुकाबले नई योजना करदाताओं की अधिक व्यापक श्रेणी (अर्थात् व्यावसायिकों को भी) को लाभ पहुंचाएगी। मूल्यह्रास की दरों में प्रस्तावित वृद्धि के साथ नई योजना से औद्योगिक विकास में अवश्य मदद मिलेगी। इसलिए, नए उपबंधों द्वारा निवेश-छूट के प्रतिस्थापन से देश के औद्योगिक विकास की गति धीमी नहीं होगी।

अध्यापकों के लिए बीमा योजना प्रारम्भ करना

5484. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अध्यापकों की सभी श्रेणियों के लाभ के लिए बीमा योजना प्रारम्भ करके गरीब अध्यापकों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय जीवन बीमा निगम की संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए बचत तथा सामूहिक बीमा की कई स्कीमें हैं जिनका लाभ शिक्षक भी उठा सकते हैं।

रसायनों के निर्यात के लिए विशेष योजनाएं

5485. **श्री के० बी० शंकर गौडा** : क्य **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रसायनों और सम्बद्ध उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1980-81 के दौरान 485.32 करोड़ रुपये मूल्य के रसायनों का निर्यात किया गया जो वर्ष 1984-85 में बढ़ाकर 809.72 करोड़ हो गया;

(ग) वर्ष 1986-87 में कितना निर्यात करने की संभावना है; और

(घ) रसायनों के निर्यात पर अधिक जोर देने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1980-81 और 1984-85 के दौरान रसायनों तथा सम्बद्ध उत्पादों का अनुमानित निर्यात निम्नलिखित अनुसार थे :—

वर्ष	(करोड़ रु० में) एफ ओ बी मूल्य
1980-81	502.98
1984-85	809.72

(ग) ऐसी आशा है कि 1986-87 में निर्यात पिछले वर्षों के स्तरों को पार कर जायेंगे।

(घ) रसायनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं में शामिल है :—

(1) एसवेस्टोस और सीमेंट उत्पादों के निर्यातकों के लेवी कीमत पर सीमेंट की सप्लाई;

(2) शीशे तथा चीनी मिट्टी की मदों के निर्यात उत्पादन के लिए फर्नेश आयल की रियायती दरों पर सप्लाई;

(3) प्राकृतिक रबड़ की अन्तरराष्ट्रीय कीमतों और घरेलू कीमतों के अन्तर के कुछ भाग का समंजन करने के लिए रबड़ उत्पादों के निर्यात पर उपदान का भुगतान;

(4) औषधियों और भेषजीय पदार्थों के निर्यात उत्पादन के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित कच्चे माल की सप्लाई;

(5) सिलियम सीड्स, हुस्क तथा पाउडर के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात कीमत तय करना।

(6) रसायन उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं और रुकावटों पर विचार करने के लिए एक अन्तः मंत्रालय स्थाई समिति की स्थापना।

रुग्ण उद्योगों के बारे में तिवारी समिति की सिफारिशें

5486. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण उद्योगों को लाभ की स्थिति में लाने के लिए तिवारी समिति की सिफारिशें और मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार इन रुग्ण एककों को लाभ की स्थिति में लाने के लिए इन सिफारिशों को लागू करेगी; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) तिवारी समिति की मुख्य सिफारिशें ये हैं :

1. किसी रुग्ण औद्योगिक एकक का पुनरुद्धार करने का मुख्य मानदण्ड वाणिज्यिक अर्थक्षमता होना चाहिये।
2. रुग्ण एककों की समस्याओं से निपटने के लिए एक विशेष विधान बनाया जाय।
3. केवल मात्र बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋणों की वसूली के लिए एक विशेष अधिकरण की स्थापना की जाय।
4. रुग्ण एककों का पुनरुद्धार करने के मिले-जुले उपायों में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की रियायत के अलावा अन्य एजेंसियों द्वारा भी रुग्ण एकक को छूट दी जानी चाहिए।

सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक तिवारी समिति की सिफारिशों पर निम्न अनुवर्ती कार्रवाई की है।

(I) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम मार्ग निर्देश जारी किये हैं कि रुग्ण एकक का पुनरुद्धार करने का मुख्य मानदण्ड वाणिज्यिक अर्थक्षमता होना चाहिए।

(II) एक विशेष विधान अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 अधिनियमित किया गया है जिसमें रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों से संबंधित विभिन्न उपाय

करने की शक्तियों सहित औद्योगिक तथा वित्तीय पुनःनिर्माण बोर्ड नामक अर्ध न्यायिक निकाय की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

फिलामेंट के आयात के कारण फिलामेंट उद्योग में संकट

5487. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेयन फिलमिंट का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1984-85 में और 1985-86 के दौरान अब तक इसका कितनी मात्रा में आयात किया गया और उस पर कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि विदेशों से आयातित फिलामेंट की देश में भरमार होने के कारण रेयन फिलामेंट उद्योग को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है तथा उसके बंद भी होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को यह भी पता है कि देश में इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता फिलामेंट की मांग पूरी करने में समर्थ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार 1986-87 में रेयन फिलामेंट के आयात के बारे में अपनी नीति की पुनरीक्षा करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) 1984-85	मात्रा एम०टन० में	मूल्य (लाख रु० में)
(i) विस्कोस फिलामेंट यार्न	864.61	249.00
(ii) एसिटेट फिलामेंट यार्न	350.85	127.80
1985-6 (अप्रैल-दिसम्बर, 1985)		
(i) विस्कोस फिलामेंट यार्न	1034.31	282.46
(ii) एसिटेट फिलामेंट यार्न	238.33	96.65

(ग) से (च) रेयन फिलामेंट के संबंध में आयात नीति तथा शुल्क ढांचे पर निर्णय करते समय उपभोक्ता उद्योग द्वारा रेयन फिलामेंट के घरेलू उत्पादन तथा आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है ताकि उपभोक्ता उद्योग को पर्याप्त मात्रा में फिलामेंट यार्न उपलब्ध कराने तथा इस उत्पाद के विदेशी विनिर्माताओं द्वारा पाटन के विरुद्ध स्थानीय रेयन उद्योग को आववश्यक संरक्षण प्रदान करने का दोहरा उद्देश्य पूरा हो सके। सरकार स्थिति पर निरन्तर नजर रख रही है।

पश्चिमी जर्मनी से तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण हेतु पेशकश

5488. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों और उच्च तकनीकी क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए पश्चिमी जर्मनी से सहायता की पेशकश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार पश्चिम जर्मनी की पेशकश पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ग) उक्त पेशकश स्वीकार किए जाने की स्थिति में किन उद्योगों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जर्मन संघीय गणराज्य की ओर से तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब वार्षिक आधार पर लगभग 3 करोड़ ड्यूशमार्क (करीब 16 करोड़ रुपए) की अनुदान सहायता दिए जाने की पेशकश की जाती है। अप्रैल 1985 में द्विपाक्षिक सहायता के लिए जो वार्षिक वार्तालाप हुआ था उसमें इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि भारत के अपेक्षाकृत उन्नत आधारभूत ढांचे को देखते हुए और भारतीय संस्थाओं की तकनीकी तथा वैज्ञानिक सक्षमता को दृष्टि में रखते हुए जहां कहीं भी व्यवहार्य और उचित हो जर्मन तकनीकी सहायता को आधुनिक उच्चस्तरीय प्रोद्योगिकी को संतुष्ट करने के लिए ही उपयोग में लाया जाना चाहिए।

(ख) 1985 के आवंटन में से 3 करोड़ ड्यूशमार्क की परियोजना के बारे में सहमति हुई थी। इनमें से निम्नलिखित परियोजनाएं तकनीकी प्रशिक्षण तथा उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से संबंध रखती है।

(1) आई०आई०टी० मद्रास में कम्प्युटिंग (संगणन) सुविधा का आधुनिकीकरण 55 लाख ड्यूशमार्क (2.75) करोड़ रुपये);

(2) आई० आई० टी० मद्रास में धातु कर्मी इंजीनियरी विभाग में सामग्री परीक्षण सुविधाओं का विस्तार तथा नवीकरण 33 लाख ड्यूशमार्क (1.65 करोड़ रुपए);

(3) अहमदाबाद, औरंगाबाद, इंदौर, वाराणसी तथा लखनऊ में उपकरण कक्षों (टूल रूम) के लिए 1.39 लाख ड्यूशमार्क (6.95 करोड़ रुपए) की राशि निर्धारित की गई थी;

(ग) उपर्युक्त मद (2) में उल्लिखित परियोजना से धातुकर्मी उद्योग को ही सबसे ज्यादा फायदा पहुंचने की संभावना है। बाकी दो परियोजनाओं से अनेक उपयोगकर्ता उद्योगों को लाभ पहुंचेगा।

चावल की वसूली

5489. **श्री बी० वी० देसाई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू खरीफ विपणन मौसम के दौरान चावल की वसूली 9 मिलियन मीटरी टन तक पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे केन्द्रीय पूल में चावल का पर्याप्त भंडार हो गया है;

(ग) क्या चावल का रक्षित भंडार गंगोपाध्याय समिति द्वारा निर्धारित मानदंड तक पहुंच गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उसके भंडारण की समुचित व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या भंडार की सन्तोषजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार चावल का निर्यात करने पर विचार कर रही है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) चालू खरीफ विपणन मौसम, 1985-86 में, 25 मार्च, 1986 तक की स्थिति के

अनुसार, 85.5 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) वसूल किया गया बताया जाता है ।

(ख) (ग) : इस वर्ष चावल की स्टाक स्थिति गत वर्ष की तुलना में बेहतर है, हालांकि यह मात्रा वर्ष की पहली जनवरी तक की स्थिति के अनुसार बफर स्टाक रखने की नीति के अधीन अपेक्षित स्तर से अभी भी कम है ।

(घ) : जी, हां ।

(ङ) बासमती चावल का निर्यात करने की अनुमति "खुले सामान्य लाइसेंस" (ओ० जी० एल-3) पर दी जाती है । 18-2-1986 से "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर सीमित सीमा के अन्दर गैर बासमती चावल का भी निर्यात करने की इस शर्त पर अनुमति दी गई है कि उसका न्यूनतम निर्यात मूल्य 4,000/- रुपये प्रति मीटरी टन (जहाज तक निष्प्रभार) होगा ।

केरल सरकार से प्राप्त समुद्र तट पर्यटन विकास सम्बन्धी प्रस्ताव

5490. **श्री पी० ए० एंटनी** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने समुद्र तट पर्यटन के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु कोई परियोजनाएं अथवा प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि, पर्यटन विभाग भारत पर्यटन विकास निगम के माध्यम से केरल में पहले ही कोवलम समुद्र-तट-विहार परिसर चला रहा है ।

हैदराबाद हवाई अड्डे पर एअर-कार्गो कम्पलैक्स

549 . **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में पूर्ण एअर-कार्गो कम्पलैक्स बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक तैयार हो जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) हैदराबाद हवाई अड्डे पर एक एअर कार्गो कम्पलैक्स नवम्बर, 1977 से कार्यरत है ।

———

12.00 **मध्याह्न**

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं । यह तरीका नहीं है ! अपना स्थान ग्रहण कीजिए अन्यथा मैं दूसरे विषय पर विचार शुरू कर दूंगा । अगर आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा । पहले आप सभी अपने आसन ग्रहण कीजिए । मैं आप में से प्रत्येक को बोलने का अवसर दूंगा ।

श्री आचार्य ।

श्री बसुदेव प्राचार्य (बांकुरा) : मैंने आज एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ! देश के सभी भागों से सैंकड़ों बैंक कर्मचारी दिल्ली में एकत्रित हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कम्प्यूटरीकरण के शुरू करने के बारे में कह रहे हैं।

श्री बसुदेव प्राचार्य : वे तीन वर्ष पूर्व नियुक्तियों पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे हैं। सरकार को अंधाधुंध कम्प्यूटरीकरण नहीं करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया वित्त मंत्री को निर्देश दें। वह भी यहां पर मौजूद हैं……

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इस मामले पर कई बार चर्चा की है।

श्री बसुदेव प्राचार्य : यहां पर दो पहलू हैं, नियुक्ति और कम्प्यूटरीकरण पर प्रतिबंध… **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

श्री बासुदेव प्राचार्य : मेरा स्थगन प्रस्ताव……

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का सवाल ही नहीं है ! इसे अनुमति नहीं दी गयी है……कृपया पहले अपने स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं आपके ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि मैं इस तथ्य को सभा में अध्यक्ष महोदय के ध्यान में पहले ही ला चुका हूं कि चूंकि विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के कर्मचारियों को अंतरिम राहत नहीं दी गयी है, इसलिए संसद समाचारों के प्रकाशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया था और आप देखेंगे कि पंजाब चर्चा जैसा महत्वपूर्ण वाद-विवाद भी पूर्णतः अनदेखा कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दीजिए, मैं इस पर गौर करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि संसदीय कार्य मंत्री संबंधित मंत्री से बातचीत करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा !

प्रो० मधु दंडवते : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ! उन्होंने पहले ही सभा में एक वक्तव्य दिया था कि उचित समय पर संबंधित मंत्री पत्रकारों तथा समाचार पत्रों के अन्य कर्मचारियों की मांगों के बारे में एक बयान देंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप फिर से मंत्री महोदय को अध्यक्ष महोदय के निदेश का पालन करने का निदेश दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आज, आप अध्यक्ष की पीठ पर विराजमान हैं। इसलिए कृपया इसका पालन करने के लिये उन्हें निदेश दें… ··**(व्यवधान)**

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आप सरकार से श्रमजीवी पत्रकारों को अंतरिम राहत देने के संबंध में एक वक्तव्य देने के लिए कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : अध्यक्ष ने निदेश दिया है। कृपया मालूम कीजिए कि आगे क्या कार्यवाही की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मालूम करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या मैं आधा मिनट बिना व्यवधान के बोल सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बयान देने की अनुमति नहीं दूंगा। संक्षेप में बोलिए। सभी सदस्यों को अनुमति देना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। संक्षेप में बोलिए; मैं दूसरे सदस्यों को भी बोलने की अनुमति देना चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : होमियोपैथी के केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान को जो गत पन्द्रह वर्षों से कार्य कर रहा था बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक बन्द कर दिया गया है। राज्य सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई......

उपाध्यक्ष महोदय : आपने लिखित में दिया है। मैं इस पर गौर करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह काफी है ! आपने इस मामले पर ध्यान दिला दिया है। मैं इस पर गौर करूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा मत कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या नहीं करना है ? कर्मचारियों की नौकरी जा रही है। एक महत्वपूर्ण संस्थान को बन्द कर दिया गया है। इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। यह क्या है ? हम यहां किस लिए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मामले पर विचार करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे सकते हैं। मैं देखूंगा। ध्यानाकर्षण की कई सूचनायें हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : चीन और बंगलादेश पूर्वोत्तर क्षेत्रों के आदिवासी स्वयंसेवकों को हथियार दे रहे हैं। इस पर निगरानी रखनी चाहिए......**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा। श्री तुलसीराम।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैंने श्री गनी खां चौधरी के आचरण के बारे में एक सूचना दी है। आपको मालूम है कि वह एक सड़क का उद्घाटन करने के लिए पश्चिम बंगाल गये थे जबकि इसके लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है......**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं.....

(व्यवधान)

मैंने श्री तुलसी राम से बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति ! शान्ति ! कृपया बैठ जाइये ! हां, श्री तुलसीराम।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (नगरकुरनूल) : मैं यह कहना चाह रहा था कि जैसे तिहाड़ जेल से कुछ कैदी भागे हैं, वैसे ही गुजरात में टैररिस्ट्स भी भागे हैं। ऐसा होने से देश की क्या रक्षा

**कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

हो सकती है ? आप मंत्री जी को कहिए कि इस पर स्टेटमेंट दें और कोई बन्दोबस्त करें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : महोदय, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे इन्तजार करने के लिए कहा था । आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं ? अब, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एडजार्नमेंट मोशन दिया है । विश्व हिन्दू परिषद की ओर से राम जानकी रथ हमारे क्षेत्र से अधिकारियों के मेल से ले जाया गया था और वह एप्रूव्ड सड़क से नहीं जा रहा था । वहीं पर आर० एस० एस० के लोगों से तनाव हो गया और गोली चल गई जिसमें एक नौजवान विद्यार्थी चन्द्र भूषण पाठक मारा गया और 3 घायल हो गए । धर्म के नाम पर पूरे देश में आग लग रही है । आपको देखना होगा कि इसका क्या नतीजा निकलने वाला है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नोटिस प्राप्त हुआ है । मैं इस पर गौर करूंगा । यह राज्य का विषय है । मैं पता लगाऊंगा ।

(व्यवधान)

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, मैंने पहले ही एक नोटिस दे रखा है । कोलार स्वर्ण खानों में बहुत सारी घटनायें हुई हैं । वहां पर सुरक्षा उपायों की कमी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए । मैं इस पर विचार करूंगा ।

डा० वी० वेंकटेश : मैंने यह पहले ही दे दिया है । यह एक बहुत ही गंभीर मामला है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, अर्जुन सिंह साहब जब चीफ मिनिस्टर थे मध्यप्रदेश के, (व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । यह राज्य का विषय है । अनुमति नहीं है ।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक राज्य से सम्बन्धित विषय है । में इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । मैं इसे अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा । यह राज्य का

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

विषय है। किसी की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री सुनील दत्त (बम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, गन्दी बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों को मकान गिराने की समस्या का सामना करना पड़ता है। उनके मकान गिराने से पहले उन्हें बसाया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

विभिन्न धर्मों और भारत के विभिन्न राज्यों के लोग बड़े शहरों की पटरियों पर रहते हैं। गन्दी बस्तियों को ढा दिया जाता है और बम्बई के भिण्डी बाजार क्षेत्र में गोलियां भी चलायी गईं थीं। इससे भिन्न-भिन्न वर्ग के लोगों की भावना भड़क सकती है··· **व्यवधान**

एक माननीय सदस्य : यह राज्य का विषय है।

श्री सुनील दत्त : नहीं-नहीं। यह राज्य का विषय नहीं है। शहरों में, गरीब लोगों का रहना एक राष्ट्रीय समस्या है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री शिव शंकर।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, आज सुबह पांडिचेरी में कांग्रेस (आई) के एक संसद सदस्य पर हमला किया गया था। गृहमंत्री को वक्तव्य देना चाहिए··· **(व्यवधान)**

———

12.07 म० प०

[अनुवाद]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

तम्बाकू बोर्ड, गुन्टुर का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और सभापटल पर इन पत्रों को रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : श्री पी० शिव शंकर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुन्टुर के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुन्टुर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए : देखिये संख्या एल० टी०-2373/86]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खुर्शीद आलम खां।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री बसुदेव आचार्य : कल आपने एक सदस्य को वक्तव्य पढ़ने की अनुमति दी थी। आज, आप अनुमति नहीं दे रहे हैं।···(व्यावधान)

पटसन निर्मित विकास परिषद् का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं पटसन निर्मिति विकास परिषद् के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखावर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2374/86]

दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975; सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962; और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का 30 जून, 1985 को समाप्त हो हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा; 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक आदि के प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 18 मार्च 1986 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (17)/82-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2375/86]

( ) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 511 (अ), जो 20 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 61/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 512 (अ), जो 20 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 134-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 514 (अ), जो 21 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रका-

शित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 16 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना संख्या 129-सी० शु० की वैधता की अवधि 31 मार्च, 1987 तक बढ़ाई गई है।

(चार) सा० का० नि० 515 (अ), जो 21 मार्च 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 16 अक्तूबर, 1985 की अधिसूचना संख्या 319-सी० शु० की वैधता की अवधि 31 मार्च, 1987 तक बढ़ाई गई है।

(पांच) सा० का० नि० 516 (अ), जो 21 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 19 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या 230/82-सी० शु० की वैधता की अवधि 31 मार्च, 1987 तक बढ़ाई गई है।

(छ) सा० का० नि० 522 (अ), जो 24 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 21 अप्रैल, 1984 की अधिसूचना संख्या 111/84-सी० शु० की वैधता की अवधि 30 सितम्बर, 1986 तक बढ़ाई गई है।

(सात) सा० का० नि० 523 (अ), जो 24 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 अक्तूबर, 1985 की अधिसूचना संख्या 306/85-सी० शु० की वैधता की अवधि 31 मार्च 1987 तक बढ़ाई गई है।

(आठ) सा० का० नि० 524 (अ), जो 24 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना संख्या 117/85-सी० शु० की वैधता की अवधि 30 सितम्बर, 1986 तक बढ़ाई गई है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2376/86]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 517 (अ), जो 21 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनका आशय खादी ग्रामोद्योगों तथा सरकारी कारखानों, जेलों में निर्मित माल से संबंधित दिनांक 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 185/86 के० उ० शु० को अधिक्रांत करना है।

(दो) सा० का० नि० 518 (अ), जो 21 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या 56/75 के० उ० शु० तथा 57/75-के० उ० शु० और 30 अप्रैल, 1975 की अधिसूचना संख्या 116/75-के० उ० शु० तथा 6 जनवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 12/79-के० उ० शु० रद्द की गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2377/86]

(4) (एक) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा निगम की आस्तियों दायित्वों तथा लाभ-हानि लेखे को दर्शाने वाला एक विवरण।

(दो) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या गल० टी०-2378/86]

(5) प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के पाटिलपुत्र ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2379-86]

(दो) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2380/86]

(तीन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का सोलापुर ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2381/86]

(चार) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2382/86]

(पांच) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का बोलन्गीर आंचलिक ग्राम्य बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2383/86]

(छ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का चन्द्रपुर गडचिरोली ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2384/86]

(सात) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का बेतरणी ग्राम्य बैंक का प्रतिवेदम, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2385/86]

(आठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2386/86]

(नौ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का नेत्रावती ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०.2387/86]

(दस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2388/86]

(ग्यारह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2389/86]

(बारह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का अलीगढ़ ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2390/86]

(तेरह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का अकोला ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2391/86]

(चौदह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का मालाभूम ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2392/86]

(पन्द्रह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2393/86]

(सोलह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का छिन्दवाड़ा सिवोनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2394/86]

(सत्रह) 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का गोमती ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2395/86]

(अठारह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2396/86]

(उन्नीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सख्या एल० टी०-2397/86]

(बीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक मैनपुरी का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2398/86]

(इक्कीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2399/86]

(बाइस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-2400/86]

(तेईस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-2401/86]

(चौबीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का सुबनश्री गौंलिया बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-2402/86]

(पच्चीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का रतलाम मन्दसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-2403/86]

(छब्बीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-2404/86]

(सत्ताइस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का श्रीविशाखा बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-2405/86]

(अट्ठाइस) 31 दिसम्बर, 19 4 को समाप्त हुए वर्ष का कटक ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-2406/86]

(उनतीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-2407/86]

(तीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[गन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-2408/86]

(इक्तीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का काकटेज ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापीरक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-2409/86]

(बत्तीस) 1 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कच्छ ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०-2410/86]

(तेतीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-2411/86]

(चौतीस) 31 दिसम्बर, 1934 को समाप्त हुए वर्ष का नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2412/86]

(पैंतीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का शेखावटी ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-2413/86]

(छत्तीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का गोरखपुर क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2414/86]

(सैंतीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का सागर ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2415/86]

(अड़तीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2416/86]

(उन्तालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का प्रथमा बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उनपर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2417/86]

(चालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2418/86]

(इक्तालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का रायलसीमा ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल ०टी०-2419/86]

(बयालिस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का देवीपत्तन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2420/86]

(तेतालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण-बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2421/86]

(चौवालीस) 31, दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का रेवासिधी ग्रामीग बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2422/86]

(पैंतालिस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2423/86]

(छयालिस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुये वर्ष का भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०- 2424/86]

(सैंतालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2425/86]

(अड़तालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2426/86]

(उन्चास) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का मिजोरम रूरल बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०- 2427/86]

(पचास) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का नागालैंड ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०- 2428/86]

(इक्यावन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का मंधारा ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2429/86]

(बावन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का चिकमंगलूर कोंडगू ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2430/86]

(त्रेपन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-2431/86]

(चौवन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2432/86]

(पचपन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2433/86]

(छप्पन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-2434/86]

(सत्तावन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का गिरीडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2435/86]

(अठावन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-2436/86]

(उनसठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2437/86]

(साठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2438/86]

(इकसठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2439/86]

(बासठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का बालासोर ग्राम्य बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2440/86]

(त्रेसठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का वरदा ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2441/86]

(चौसठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का मयूराक्षी, ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2442/86]

(पैंसठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, ।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2443/86]

(छियासठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का किसान ग्रामीण बैंक बदायूं का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2444/86]

(सड़सठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का काशी ग्रामीण बैंक का प्रतिबेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2445/86]

(अड़सठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का कल्पतरु ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2446/86]

(उनहत्तर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का नडिया ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2447/86]

(सत्तर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का हावड़ा ग्रामीण बेंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 2448/86]

(इकहत्तर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का संथाल परगना ग्रामीण बेंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 2449/86]

(बहत्तर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का मंजीरा ग्रामीण बेंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 2450/86]

(तिहत्तर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का कोलार ग्रामीण बेंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 2451/86]

(चौहत्तर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का श्री सरस्वती ग्रामीण बेंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 2452/86]

(पचहत्तर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 2453/86]

(छिहत्तर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का सरस्वती ग्रामीण बेंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 2454/86]

(सतहत्तर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का सूरत भरूच ग्रामीण बेंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 2455/86]

(अठहत्तर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का लक्ष्मी गांवलिया बेंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 2456/86]

(उनासी) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का सरन क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 2457/86]

(अस्सी) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का पुरी ग्राम्य बेंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 2458/86]

(इक्यासी) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का कछार ग्रामीण बेंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी 2459/86]

(बयासी) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का उत्तरी मलाबार बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2460/86]

(तिरासी) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का इन्दौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2461/86]

(चौरासी) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का ससीकुल्य ग्राम्य बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2462/86]

(पिचासी) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का भगीरथ ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2463/86]

(छियासी) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का सरयू ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2464/86]

(सतासी) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का थार आंचलिक ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2465/86]

(अठासी) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का एलाक्वै देहाती बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2466/86]

(नवासी) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का बैंक नांगकिनडोंग रिखारठी जयन्तिया का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2467/86]

(नब्बे) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2468/86]

(इकानवे) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2469/86]

———

12.09 म० प०

विधेयकों पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, 21 मार्च, 1986 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र

के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक मैं सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) गर्म मसाला उपकर विधेयक, 1986

(2) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1986

(3) विनियोग विधेयक, 1986

(4) ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) संशोधन विधेयक, 1986

(5) विनियोग (रेल) विधेयक, 1986

(6) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1986

(7) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1986

(8) विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 1986

(9) प्रशासनिक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1986

(10) अन्तरराज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 1986

(2) महोदय, 21 मार्च, 1986 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त गर्म मसाला बोर्ड विधेयक 1986 की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित प्रति भी मैं सभा पटल पर रखता हूं ।

12.10 म० प०

लोक लेखा समिति

25 वां तथा 37 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) सीमा-शुल्क प्राप्तियां—गलत छट दिये जाने के कारण शुल्क को अनियमित प्रतियास के बारे में 201 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 25 वां प्रतिवेदन ।

(2) सीमा-शुल्क प्राप्तियां—शुल्क छूट हकदारी योजना के बारे में 230 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 37 वां प्रतिवेदन ।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बी० के० गढवी (बनासकांठा) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री आनन्द पाठक । हमने एक महत्वपूर्ण विषय लिया है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिया गया है ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कल आपने एक सदस्य को इसे पढ़ने की अनुमति दी थी । आज भी आप उसे अनुमति दें । (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता । (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक राज्य का विषय है । (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कल, एक सदस्य इससे प्रभावित थे । इसीलिए मैंने उन्हें अनुमति दी थी । अन्यथा मैं अनुमति नहीं देता । वह सदस्य प्रभावित थे । इसीलिए मैंने अनुमति दी । यह ऐसा मामला नहीं है । अब श्री आनन्द पाठक । (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं मैं अनुमति नहीं दे सकता । मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता । मैं अनुमति नहीं दूंगा । बस । मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ऐसा मैं नहीं होने दूंगा । नहीं । मैं अनुमति नहीं दूंगा । अब, श्री आनन्द पाठक ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कल मैंने अनुमति दी थी, क्योंकि वह सदस्य प्रभावित थे । इसीलिए मैंने इसकी अनुमति दी थी । ऐसा नहीं । वह बिलकुल भिन्न था । यह भिन्न है । वहां पर विधान सभा है । उन्हें इसे वहां उठाने दे । यहां नहीं । विधानसभा में उन्हें इसे उठाने दें । चिन्ता मत कीजिए । विधानसभा के सदस्यों को यह करने दीजिए । यहां नहीं ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महफूज अली खां, आप इससे प्रभावित व्यक्ति नहीं हैं । आप इस मामले से प्रभावित व्यक्ति नहीं हैं । आप इसे यहां क्यों उठा रहे हैं ? नहीं, नहीं । आप प्रभावित व्यक्ति नहीं हैं । मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदय । निजी शिकायतों को मैं अनुमति देता हूं ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा ।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं; कुछ नहीं। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह मेरा विनिर्णय है। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। मैं किसी बयान की अनुमति नहीं दूंगा। यह मेरा विनिर्णय है। बस यह मेरा विनिर्णय है। मैं यहां इस बयान की अनुमति नहीं दूंगा। बस। अब श्री आनन्द पाठक।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर आपत्ति नहीं कर सकते।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द पाठक, आप जारी रखिए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है। श्री आनन्द पाठक। आप आगे आ सकते है और बोल सकते है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द पाठक, आगे आइए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णय पर आपत्ति नहीं कर सकते।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : समाधान ढूंढने के लिए मुझे आधे मिनट की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते है ? इस मामले के संबंध में।

प्रो० मधु दंडवते : अपना विनिर्णय देने के लिए आपके पास सहज अधिकार है। कृपया इस मामले को जानने की कोशिश करें जिसे वह उठाना चाहते हैं। (व्यवधान)**

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप सभी बैठ जाइए। मैंने मद संख्या 8 ले लिया है और वह अब सदन में चल रहा है। इसलिए मैं ध्यानाकर्षण के अलावा किसी और पर चर्चा नहीं चाहता हूं। बस।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हमने यह मद ले लिया है। आप सभी बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : आप सदन में शांति बनाएं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल यह पता लगाना चाहता हूं कि आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

(व्यवधान)**

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आपने अपना विनिर्णय दिया है कि आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधुदंडवते, आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको बताता हूं लेकिन आप सुन नहीं सकते। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे नियम बताइए। आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? आप मुझे बताइए कि किस नियम का उल्लंघन किया गया है।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : कृपया सदन में शांति लायें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह करूंगा। यदि आप सभी इस प्रकार से चिल्लाते है तो मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे वह नियम बताइए जिसके अन्तर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे है ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया है। कृपया मुझे बताइए कि किस नियम का उल्लंघन किया गया है ?

(व्यवधान)**

श्री भागवत झा आजाद : सदन के सामने क्या है ? सदन का यह नियम है कि सदन के सामने कुछ कार्य होना चाहिए। सदन के सामने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ? (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभी सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं कि वे पहले बैठ जायें ? अब हम ध्यानाकर्षण मद पर हैं। यदि उस बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न है तो कृपया मुझे बताइए।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : सबसे पहले, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा··· (**व्यवधान**) यह सदन में शांति के बारे में है, यह सदन में प्रक्रिया के बारे है··· (**व्यवधान**) जब कभी कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है, चाहे वह सत्तारुढ़ दल का हो तो मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए इसके अधिकार की रक्षा करूंगा, क्योंकि व्यवस्था के प्रश्न का अधिकार एक सदस्य का है न कि दल का । मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि···(**व्यवधान**)

श्री भागवत झा आजाद : व्यवस्था के प्रश्न को उठाने की अनुमति सदन के नियमों ने दी है । और उसके लिए यह नियम है कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं यदि सदन के सामने कुछ कार्य है । यदि कुछ नहीं है, तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसलिए, महोदय, आपने सदन के सामने कहा कि आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया है । यदि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रो० मधु दंडवते का व्यवस्था का प्रश्न है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है··· (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : चूंकि व्यवस्था का प्रश्न उठाने की प्रक्रिया के बारे में एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है इसलिए मैं आपको बहुत विनम्रतापूर्वक यह बताना चाहता हूं कि जब कोई विशेष मामला उठाया जाता है तो उस समय न केवल व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है बल्कि आपको दोनों मदों के बीच के समय में भी आपको अधिकार है (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैंने पहले ही अगला मद ले लिया है । फिर पीछे जाने का प्रश्न ही नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : हमें प्रक्रिया तय करनी चाहिए । आप चिल्लाते क्यों है ? (**व्यवधान**) मुझे खुशी है कि व्यवस्था के प्रश्न को उठाने का अधिकार मान लिया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : किसी ने भी इसको चुनौती नहीं दी है (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : आप उत्तेजित क्यों होते है ? मैं आपका पूरा आदर करता हूं ।

श्री भागवत झा आजाद : आप अन्य सदस्यों की अपेक्षा बहुत चालाक बनने की कोशिश करते हैं । इसलिए, हम आपको चुनौती देते हैं । केवल आप ऐसे सदस्य नहीं हैं जो इसे जानता है । हम भी इस बारे में कुछ जानते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं अपनी चालाकी के लिए क्षमा मांगता हूं जिससे उनको चोट पहुंची है ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं क्षमा स्वीकार करता हूं । (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है । जब कभी कोई सदस्य कोई मामला उठाता है तो आपको उसे रद्द करने का अधिकार है । परन्तु महोदय, जब सदस्य मामला उठाता है, तो हमें भी जानना चाहिए कि वह क्या मामला वह उठा रहे है । उसे वह मामला बताने की अनुमति दें और उसके बाद आप इसे रद्द कर सकते हैं ·· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है··· (**व्यवधान**) श्री आनन्द पाठक ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपका विनिर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । मैंने दूसरा मद ले लिया है । अब मैं किसी चीज की अनुमति नहीं दे सकता । (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : यह राज्य का विषय

है। हम संसद में इस पर चर्चा नहीं कर सकते । आपने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है। इसलिए, इसे नहीं लिया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय पहले ही दे दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : आपका क्या विनिर्णय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय को यहां नहीं उठाया जा सकता।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : विनिर्णय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बयान की अनुमति नहीं दूंगा। बस···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कई सदस्यों को अनुमति दी है। बस।

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : कृपया नियम उद्धृत करें।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : क्या नियम है ?··· **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ रथ : मैं नियम उद्धृत कर रहा हूं। व्यवस्था का प्रश्न केवल तभी उठाया जा सकता है जब सदन के नियम का उल्लंघन किया जाता है। क्या सदस्य को उस समय बोलने का अधिकार है जब तक कि आप उसे बोलने के लिए न कहें ? जब तक आप उसे बोलने की अनुमति नहीं देते हैं तब तक वह बोल नहीं सकता··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं···

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्यों नहीं, महोदय ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं कहा है, बस···

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकते है··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द पाठक। आप बोलिए, अन्यथा मैं दूसरे सदस्य को बुलाता हूं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बलवंत सिंह रामूवालिया···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि आप बोल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं दूसरे सदस्य को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री आनन्द पाठक को बुलाया है। आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया समय नष्ट न करें। श्री आनन्द पाठक ।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा न डालें ।

———

12.27 म०प०

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

पटसन उद्योग में कथित संकट

[अनुवाद]

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं वस्त्र मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

> "विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पमियों द्वारा लैमिनेटिड बैगों के निर्माण के लिए देशी बाजार में संश्लिष्ट दानों की भरमार किए जाने, जिससे पटसन के बैगों की मांग प्रभावित हुई है और भारतीय उर्वरक निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा इन बैगों के लिए क्रयादेश न दिये जाने से पटसन उद्योग में उत्पन्न संकट के समाचार तथा इसके संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, जो कुछ किया गया है और आपके विनिर्णय देने के बाद जो कुछ हुआ है, उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : महोदय, पटसन क्षेत्र का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तथा विशेष रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। यह लगभग 2.5 लाख औद्योगिक कामगारों को तथा 40 लाख उन फार्म परिवारों को, जो पटसन की खेती में लगे हुए हैं, जीविका प्रदान करता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए पटसन क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, सरकार का सदैव यह प्रयास रहता है कि उपजकर्ताओं एवं कामगारों की स्थिति सुधारने के लिए सहायता दी जाए ।

2. पिछले दशक में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में संश्लिष्ट स्थानापन्न वस्तुओं से तथा पटसन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले एक अन्य देश से प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप पटसन उद्योग के लिए निर्यात मांग में बहुत अधिक कमी आ गई है। हाल में संश्लिष्ट स्थानापन्न वस्तुओं ने देशी/बाजार में भी पटसन पैकिंग क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। मांग में यह परिवर्तन विशेष रूप से रसायनों तथा उर्वरकों के क्षेत्रों में तथा काफी हद तक सीमेंट के क्षेत्र में देखा जा सकता है। पिछले पटसन मौसम के दौरान, लगातार चार कम फसलों के होने के परिणामस्वरूप रेशे की बहुत अधिक कमी होने की वजह से कच्चे पटसन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। कच्चे पटसन की कीमत 1000 रुपए प्रति क्विंटल को भी पार कर गई थी। परिणामस्वरूप,

पटसन माल की कीमतों में काफी वृद्धि हो गई। दूसरी ओर एच डी पी ई वोवन सैक एककों को सस्ते आयातित कच्चे माल, तुलनात्मक दृष्टि से कम श्रमिक लागत और राजकोषीय शुल्क लाभों के रूप में कुछ लाभ मिले। इस प्रकार हाल के वर्षों में एच डी पी ई वोवन सैक एककों की बेशुमार वृद्धि हुई। इससे पैकेजिंग क्षेत्रों में पटसन माल की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया है।

3. पटसन उद्योग के हित की रक्षा के लिए सरकार समय-समय पर उपचारात्मक उपाय करती रही है। किए गए उपायों में शामिल हैं।

(i) कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करने के उद्देश्य से उद्योग की संयुक्त भागीदारी से कच्चे पटसन की 6 लाख गांठों का बफर स्टाक बनाने के लिए एक योजना आरम्भ करना;

(ii) वर्तमान बजट में, एच डी पी ई कृप्स पर उत्पादन शुल्क लगाया है और दाने पर आयात शुल्क भी बढ़ाया गया है;

(iii) पटसन माल निर्यातों के सक्रिय क्षेत्रों को अधिक नकद मुआवजा सहायता दी गई है।

4. अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसी कुछ राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार बी० टिवल पटसन बोरों की खरीद डी जी एस एण्ड डी की मार्फत करती है। खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप इन वर्षों में बी ट्विल पटसन बोरों की खरीद बढ़ती रही है तथापि, उर्वरकों के क्षेत्र में ऐसी कोई केन्द्रीयकृत खरीद प्रणाली नहीं है और एकक अपने बोरों को सीधे बाजार से खरीदते हैं। यह सत्य है कि उपभोक्ता की पसन्द की वजह से इस क्षेत्र में संश्लिष्ट बोरों का प्रयोग अत्यधिक हो रहा है। तथापि, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि संश्लिष्ट बोरों का प्रयोग हाइग्रोस्कोपिक तथा कोरोसिव उर्वरकों की पैकेजिंग के लिए सीमित कर दिया जाए।

5. जुलाई, 1980 में घोषित औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) अधिक रोजगार पैदा करना;

(2) कृषि-आधारित उद्योगों को अधिमानी व्यवहार प्रदान करके तथा अनुकूलतम अन्तः क्षेत्रीय संबध को बढ़ावा देकर कृषि-आधार सुदृढ़ करना;

(3) निर्यात-अभिमुख तथा आयात प्रतिस्थापन उद्योगों का अधिक तेजी से संवर्धन।

पटसन क्षेत्र इन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। संश्लिष्ट उद्योग पर लगाई गई हाल की बजटीय लेखियों के परिणामस्वरूप, पटसन सश्लिष्ट स्थानापन्न माल की अपेक्षा कम अप्रतियोगी हो जाएगा। आशा है कि सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप पटसन माल के लिए सभावना में सुधार हो सकता है।

श्री आनन्द पाठक : मामले की गम्भीरता माननीय वस्त्र मंत्री के विवरण से समझी जा सकती है। पटसन उद्योग मे एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो चुका है। कृत्रिम धागे के थैले, पटसन के थैले और पटसन के सामान पर बाजार में हावी हो रहे हैं। और अन्ततः पटसन के थैलों की

कीमतें बहुत तेजी से नीचे गिरी हैं और यह उत्पादन लागत से भी 30 प्रतिशत नीचे तक आ गई हैं। सरकार की उदार आयात नीति का लाभ उठाते हुए बहुर्राष्ट्रीय प्रभावशाली कम्पनियों ने घरेलू बाजार में संश्लिष्ट धागे के थैलों का ढेर लगा दिया है। उच्चघनत्व वाली पोलिथीन सामग्री का हमारे घरेलू बाजार में ढेर लगाया जा रहा है। इस प्रकार से 45 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा को नष्ट किया जा रहा है। पहले पटसन उद्योग 300 करोड़ रुपए से अधिक अर्जन कर रहा था परन्तु अब यह सब बन्द हो गया है और पटसन के थैले बनाने वाले लोग संकट का सामना कर रहे हैं। और बहुत सी इकाइयां बन्द हो चुकी हैं और अब वे लोग बेरोजगार हैं। इसके परिणामस्वरूप पटसन उद्योग को एक बहुत गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह बिल्कुल बन्द हो जायेगा और लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। दूसरे 40 लाख से भी अधिक किसान, जो पटसन का उत्पादन करते हैं, तबाही का सामना कर रहे हैं। इस गम्भीर स्थिति को को ध्यान में रखते हुए, सरकार का जिन कदमों को उठाने का प्रस्ताव है वे प्रर्याप्त नहीं हैं। सरकार को सारी स्थिति पर बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और तुरन्त कदम उठाने चाहिएं।

एक लम्बे समय से पटसन उद्योग को संकट रहा है। हम इस पर बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं और उससे यह अनुरोध कर चुके हैं कि सीमेंट उद्योग, उर्वरक निगम व दूसरे उद्योगों को पटसन बैग का अधिकाधिक प्रयोग करने के प्रोत्साहन दिया जाए। आप जानते हैं कि पटसन के बड़े व्यापारी प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का लाभ कमाते हैं और उद्योग निवेश पर 31% से भी अधिक लाभांश कमांता है। फिर भी पटसन के इन बड़े व्यापारियों ने इस लाभांश को कभी भी उद्योग में नहीं लगाया जिसके परिणाम स्वरूप पटसन उद्योग अब बाजार में प्रतियोगिता का सामना करने की स्थिति में नहीं है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां संश्लिष्ट धागों के माल का बाजार में ढेर लगा रही हैं। आप अच्छी तरह से जानते है कि केन्द्रीय सरकार की नीति के कारण बहुत से पटसन मिल बन्द हो चके हैं और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। यही कारण है कि देश के व्यापक हित में और मजदूरों व किसानों के हित में पटसन उत्पादक किसान सभा और केन्द्रीय संगठनों से सम्बन्धित सभी मजदूर संघों और पश्चिम बंगाल की विधान सभा—इन सभी ने एकमत होकर मांग की है कि पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए। आप जानते हैं कि किसानों को कभी भी लाभकारी कीमतें नहीं मिलती हैं। सरकार द्वारा जो भी कीमत निर्धारित की गई है उसका भुगतान भी नहीं होता। इस वर्ष जब वे बाजार में जाते हैं तो उन्हें मामूली कीमतों पर पटसन देना पड़ता है। इसलिए फसल से कभी भी लाभकारी कीमतें प्राप्त नहीं हो पातीं। पटसन उद्योग बहुत से कर्मचारियों को काम पर लगाता है। यह अब विनाश का सामना कर रहा है। हम चाहते हैं कि कि कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार उद्योग व मजदूरों की उनके हित में पटसन उद्योग का तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने की लगातार की जा रही मांग पर विचार करेगी। दूसरे राष्ट्रीयकरण की बात छोड़कर मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार; सरकारी उपक्रमों जैसे उर्वरक निगम सीमेंट उद्योग व दूसरे उद्योगों से पटसन के थैले प्राप्त करने व उन्हें प्रयोग के लिए रखने के लिए कहेगी। तीसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अन्य क्षेत्रों में संश्लिष्ट धागे के थैलों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगायेगी।

अन्त में मैं चाहता हूं कि पटसन की दरियों व अन्य उत्पादों का सरकारी दफ्तरों व संगठनों में प्रयोग किया जाए। सरकार को इन उत्पादों के लिए क्रयादेश देने चाहिएं। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पटसन उत्पाद लेने के लिए तुरन्त इस पर विचार करेगी ताकि पटसन उद्योग जीवित रह सके। और इस प्रकार पटसन मिलें उनसे आर्डर प्राप्त कर सकती हैं और पटसन उत्पादक भी लाभकारी कीमत पा सकते हैं। यही मुख्य कार्य है जो कि करना होगा। यदि यह नहीं किया जाता तो पटसन उद्योग जीवित नहीं रह सकता।

मुझे इस विवरण में आधुनिकीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें इस प्रकार की बात का कोई उल्लेख नहीं है। यह लोगों की निरन्तर मांग है कि इसका आधुनिकीकरण किया जाए। परन्तु पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण करने के स्थान पर वे लाभ को दूसरे कार्यों में खर्च कर देते हैं। सरकार द्वारा दिया गया पैसा भी अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि समस्या का समाधान युद्ध-स्तर पर किया जाए। अन्यथा, संकट और गहरा हो जाएगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम बहुत से संसद सदस्यों को संबंधित लोगों से सन्देश प्राप्त हुआ है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कृत्रिम रेशे की वस्तुओं की काफी मात्रा में सप्लाई किए जाने से पटसन उद्योग संकट का सामना कर रहा है। हमें बताया गया है कि 400 छोटी इकाइयां जो कि बोरियां बनाती हैं, बन्द हो चुकी हैं।

महोदय, पटसन उद्योग देश का एक प्रमुख उद्योग है और अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जन करने वालों में से एक है। और इस उद्योग में 2 लाख व्यक्ति लगे हुए हैं। 40 लाख किसान इस उद्योग पर निर्भर हैं। अब यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि देशी उद्योग गम्भीर संकट का सामना कर रहा है और इस संकट का समाधान खोजने के लिए बहुत सी आवाजें उठाई गई हैं। इसके मालिक आई० जे० एम० ए० भी आ गए हैं। हम यह भी जानते हैं कि कैसे इन मालिकों ने इस उद्योग की बुरी तरह से उपेक्षा की है। उन्होंने बहुत सा लाभ कमाया है। परन्तु उन्होंने लाभ के किसी हिस्से का भी पुन निवेश उद्योग को आधुनिक बनाने, नवीनीकरण करने और पटसन उत्पादों का विविधीकरण करने के लिए नहीं किया। उनकी पहले से की गई उपेक्षा, से श्रमजीवी वर्ग को अत्यधिक कठिनाइयां हुई हैं। इन सभी बातों के बावजूद, अब एक नई बात सामने आई है कि सरकार से जो आशा की गई थी वह पूरी नहीं हुई इसे पूरा किया जाना चाहिए। उन्हें पटसन उद्योग को लड़खड़ाने से बचाने के लिए आगे आना चाहिए। आज हम यह देखते हैं कि हमारे देश में संश्लिष्ट वस्तुओं के आने से वास्तव में पटसन उद्योग को अब भी उपलब्ध अवसर छिन जायेंगे। ये लोग कौन हैं? ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो अपने कृत्रिम उत्पाद यहां लाती हैं। जानबूझकर यह प्रयत्न कर रहीं हैं कि जो उद्योग कृषि पर आधारित हैं और जिनमें श्रम की आवश्यकता होती है, समाप्त हो जाए। ये बाजार पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती हैं। अत: इस मामले में जिम्मेदारी सरकार पर आती है। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कौन सी हैं? ये हैं आई० सी० आई०, कुख्यात यूनियन कार्बाइड, होइचस्ट तथा भारतीय कंपनी मफतलाल इन्हीं कंपनियों द्वारा 90% आयात किया जा रहा है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने कुछ

वचन दिए थे। पटसन उद्योग को बचाने और उसे भली प्रकार चलाने के लिए कुछ उपचारात्मक उपाय करने होंगे। योजना आयोग ने भी यही सुझाव दिया है। योजना आयोग के पटसन से संबंधित विशेष ब्यूरो ने कुछ सिफारिशें की हैं। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के एककों जैसे एफ०सी० आई० तथा सी० सी० आई० द्वारा एच० डी० पी० ई० बोरियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की विशेष रूप से सिफारिश की। हमें बताया गया है कि एफ०सी०आई० भी पटसन की बोरियां खरीदने के अपने वचन को नहीं निभा रहा है। सी० सी० आई० भी यही कर रहा है। यदि ऐसा ही होता रहा और सरकार ने उन स्थानों पर कृत्रिम बोरियों के प्रयोग पर रोक लगाने का प्रयत्न न किया जहां जूट की बोरियों का प्रयोग किया जा सकता है तो ये जूट उद्योग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं मिल मालिकों की बात नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, उन्होंने जूट उद्योग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे मालूम है कि वे इस उद्योग के मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। किसानों को धोखा दिया जाता है। उन्हें लाभकारी मूल्य भी नहीं मिलता। जब उत्पादन कम हो तो कीमतें बढ़ जाती हैं। किंतु क्या आपके विचार मे ये लाभ पिछले से पिछले वर्ष किसानों तक पहुंचा है, यह नहीं, बिचोलियों तथा दलालों तक ही पहुंचे हैं। जे० सी० आई० पूर्ण रूप से असफल रही। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि सारी खरीददारी जे० सी० आई० द्वारा की जाए। इस संबंध में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वे यह देखें कि मिल मालिकों की लापरवाही के कारण उद्योग के समक्ष आए इस संकट में वृद्धि न हो। हम जानते हैं कि मशीनीकरण आवश्यक है। हम यह भी जानते हैं कि मिल मालिकों ने पिछले वर्ष जूट उत्पादों की कीमत बढ़ा दी थी। हमें इस वृद्धि में कोई औचित्य नजर नहीं आता। यह केवल अधिक लाभ कमाने के लिए किया गया है और यदि सरकार यह सोचती है कि इस उद्योग में प्रतिस्पर्धा है और जूट उत्पादों का प्रयोग जारी रखा जाना है तो उन्हें सस्ते दामों पर बेचना होगा और सरकार को यह मुद्दा मिल मालिकों के साथ उठाना चाहिए। उनसे बात करनी चाहिए, सर्वेक्षण करके उनके उत्पाद की सही कीमत का पता लगाना चाहिए, और यह मालूम करना चाहिए कि वे इसे किस प्रकार बेच रहे हैं और यदि आप देखें कि वे नहीं मान रहे तो आप इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। मालिक कौन होगा ? हम सदा सांझे स्वामित्व के पक्षधर रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के मालिक वस्तुओं का वितरण नहीं कर सकते। हम बहुत सुनते हैं कि गैर सरकारी क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है और सरकारी क्षेत्र में अच्छा नहीं हो रहा है। ये लोग बिरला, गोयंका, कनोडिया तथा बाजोरिया हैं। जब अन्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी उद्यम अच्छा काम कर सकते हैं तो जूट उद्योग में क्यों नही ? और निर्यात के क्षेत्र में क्या स्थिति है। उन्होंने पिछले वर्ष कुछ अच्छा काम किया है। निर्यात में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इससे अधिक वृद्धि क्यों नहीं हो सकती ? परम्परागत स्थानों पर नहीं। वरन विश्व के कुछ अन्य क्षेत्रों में निर्यात क्यों नहीं किया जा सकता जैसे लेटिन अमेरिका तथा कुछ अन्य स्थानों पर इसमें कोई आधुनिकीकरण क्यों नहीं होता। मुझे आश्चर्य होता है कि जब 1979-82 में उन्हें आसान किस्तों पर ऋण की पेशकश की गई थी तो उन्होंने इसे अस्वीकार क्यों कर दिया था। मेरे विचार में उन्होंने पिछले वर्ष लिए गए ऋणों का भी आधुनिकीकरण के लिए प्रयोग नहीं किया। उन्होंने इसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए किया। वे इस ओर कतई ध्यान नही देते। किंतु हमें यह देखना है कि इस उद्योग में कुछ सुधार हो।

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि वे रोजगार पैदा करने का प्रयत्न करेंगे। अब मैं आपको आंकड़े बताता हूं। एक लाख जूट की बोरियों के बनाने के काम में 10,000 व्यक्तियों को रोज़गार मिलता है और एक लाख कृत्रिम बोरियां बनाने में 300 व्यक्तियों को। हमें अपनी जनता को रोजगार दिलाने में दिलचस्पी है। हमें देखना है कि जूट उद्योग सफलतापूर्वक कार्य करे क्योंकि इससे हम 300 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा कमाते हैं।

यदि कुछ जूट मिलों के मालिकों की योजना या इरादा हो कि मिलें बंद हो जायें तो सरकार को यह देखना चाहिए कि वे अपने प्रयत्नों में सफल न हों। किंतु हमें भी यह महसूस होता है कि वास्तव में संकट उपस्थित हो गया है। कृत्रिम बोरियों के उद्योग के कारण इस उद्योग के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। जूट से हटकर अन्य उत्पादों की भी बात उठ सकती है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। हम यह नहीं कह सकते कि उनके इरादे यही हैं। मेरे विचार में यह सरकार की जिम्मेदारी है और उसे जूट उद्योग, मजदूरों तथा किसानों के लिए आगे आना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उन्हें बेहतर लाभ मिले और हमारे देश में रोज-गार के अधिक अवसर उत्पन्न हों।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी तथा सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जूट उद्योग की समस्याएं सामने रखने का समय दिया।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : महोदय, हम जूट उद्योग में लगे किसानों के 40 लाख परिवारों तथा श्रमिकों के ½ लाख परिवारों के भाग्य पर चर्चा कर रहे हैं।

इन 42.50 लाख परिवारों की दशा, भाग्य भविष्य पर विचार करते समय मुझे आशा है कि···

[हिन्दी]

श्री मूल चंद डागा (पाली) : क्या आपके यहाँ जूट होता है ?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : बंगाल में मेरा कुछ कारोबार है, इसलिए कुछ दिलचस्पी है।

उपाध्यक्ष महोदय : राजस्थान में नहीं, पंजाब में है।

[अनुवाद]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस समस्या पर गहन विचार करना चाहिए और दीर्घावधि के लिए योजनायें बनानी चाहिएं। यह देखना होगा किन कारणों से जूट उद्योग में संकट पैदा हुआ और क्या कार्यवाही की जानी चाहिए ? मेरे माननीय मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी ने बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा है कि मिल-मालिकों की प्रवृत्ति, जूट व्यवसाय में लगी बहुर्राष्ट्रीय कम्पमियों तथा अन्य कम्पनियों के कारण यह संकट उत्पन्न हुआ है। मेरे विचार में जूट व्यवसाय से अर्जित आय को अन्य क्षेत्रों अथवा पश्चिम बंगाल के बाहर लगाने के कारण मिलें बंद हो रही हैं तथा जूट उद्योग में संकट पैदा हो रहा है तथा मजदूरों के सामने बेरोजगारी की समस्या आ रही है।

(2) मंत्री जी को यह अवश्य बताना चाहिए कि जूट के निर्यात में मांग की कमी होने के क्या कारण है।

(3) अनिश्चितता से अधिक नुकसान होता है। मैंने ऐसे वक्तव्य पढ़े हैं जिनमें बताया गया कि पिछले दो वर्षों के दौरान जूट उत्पादन से संबंधित 4 फसलों में कमी हुई है। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ तो हमें किसानों के हितों की रक्षा करनी है, दूसरी तरफ मजदूरों के हितों को भी देखना है। यह चर्चा किसानों व मजदूरों की सुरक्षा के लिए की गई चर्चा है मांग कम क्यों हो गई ?

(3) पटसन की बनी बोरियां पंजाब, हरियाणा, एफ० सी० आई० व दूसरे विभागों में प्रयोग की जाती हैं। लेकिन क्या रुकावट है ? मंत्री महोदय देश में उर्वरक क्षेत्र पर नियंत्रण रखने व उन्हें केवल पटसन की बोरियां प्रयोग करने के लिए निदेश देने में हिचकिचाते क्यों है। इस प्रकार पटसन की बोरियों की मांग को बढ़ाया जा सकता है। यह एक आदेश मानना सभी के लिए जरूरी होना चाहिए कि उर्वरक क्षेत्र केवल पटसन की बोरियों का ही प्रयोग करेगा। सिंथेटिक बोरियों के प्रयोग ने पटसन की बोरियों की मांग कम कर दी है। महात्मा गांधी ने इस देश को नेतृत्व प्रदान किया और हमारे उस पक्ष के मित्र जो ज्यादा महात्मा गांधी की बात करते हैं और हमें उन्हीं की शिक्षाओं से वंचित करते हैं···

श्री खुर्शीद आलम खां : क्या आपने उनका कोई उपदेश याद किया है ?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : कई बार और मैं एक अनुयायी हूं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : यही कारण है कि वह आपके साथ नहीं है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : गांधी जी ने हमें स्पष्ट रूप से यह बताया था कि हमें कुटीर उद्योगों का उत्थान करना है। विविधकरण के लिए पर माननीय मंत्री जी को कुटीर उद्योगों के लिए अधिक पटसन व पटसन उत्पाद उपलब्ध कराने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं। अन्त में मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय विचार धारा उत्पन्न करने का एक मात्र उपाय यही है कि···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : विवेकपूर्ण नीति।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : विवेकपूर्ण··· यदि विचारधारा राष्ट्रीय है तो यह अवश्य ही विवेकपूर्ण होगी। राष्ट्रीय विचारधारा की आशा बहुदेशीय कम्पनियों से नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से सभी बहुदेशीय कम्पनियों को हटाने व पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का अनुरोध करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजय बिश्वास

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पटसन उद्योग हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। परन्तु इस समय पटसन उद्योग सिंथेटिक बोरी उत्पादकों से कठोर प्रतिद्वन्द्वता के कारण संकट का सामना कर रहा है अपने वक्तव्य में माननीय मंत्री जी सहमत हुए हैं कि पटसन उद्योग पर लगभग 40 लाख परिवार आधारित हैं। प्रत्यक्ष रूप से 2,50,000 कर्मचारी पटसन उद्योग में कार्यरत हैं। केवल यही नहीं इसके सहायक उद्योग भी हैं। हजारों लोग वहां काम कर रहे हैं। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। परन्तु मैं सोचता हूं कि सरकार बहुद्देशीय कम्पनियों को प्रोत्साहन दे रही

है जो सिंथेटिक बोरियों का उत्पादन कर रहे हैं। पहले ही पटसन उद्योग के बाजार के एक बड़े हिस्से पर सिंथेटिक बोरियों ने कब्जा कर लिया है। सिमेन्ट उद्योग में 20% और खाद उद्योग ने 50% से 60% तक में सिंथेटिक बोरियों का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है। इस प्रकार पटसन उद्योग के लिए बहुत गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सिमेन्ट उत्पादन करने वाले व्यक्ति पटसन की बोरियों की अपेक्षा प्लास्टिक की बोरियों को प्राथमिकता देते हैं।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : यह प्राथमिकता का प्रश्न नहीं है। जहां तक सीमेन्ट व उर्वरक उद्योगों का सम्बन्ध है, उन्हें हमेशा उद्योग मंत्रालय से यह आदेश होता था कि उन्हें पटसन की बोरियों का ही प्रयोग करना चाहिए। पिछले वर्ष आदेश में ढील दी गई। इसके बाद पुनः आदेश नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही साधारण व्यक्ति के मन में यह बात है कि पटसन की बोरियों में कुछ मिलावट होती है। इस प्रकार की कुछ भ्रान्तियां हैं।

(व्यवधान)

श्री अजय विश्वास : महोदय, पटसन उद्योग लगभग 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहा है, दूसरी ओर सिंथेटिक उद्योग के लिए कच्चा माल आयात करने पर हम लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से बहुराष्ट्रीय व सिंथेटिक उद्योगों की सहायता कर रही है। सातवीं योजना में सिंथेटिक उद्योग के विकास के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। दूसरी ओर मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है नहीं, हम पटसन उद्योग को संरक्षण दे रहे हैं। यह सब ठीक है। उन्होंने सिंथेटिक उद्योग के विकास के लिए सातवीं योजना में 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसका अर्थ है कि वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की व सिंथेटिक उद्योग की प्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं ताकि भारतीय बाजार में अपने कच्चे माल का ढेर लगा सकें। मैं सोचता हूं कि वर्तमान संकट को जान-बूझ कर बढ़ाया गया है। (व्यवधान)

1.00 म० प०

मिलों के मालिक, पटसन उद्योग के सामन्त व सरकार इसके लिए उत्तरदायी है मिलों के मालिक बहुत सा लाभ कमाते हैं परन्तु वे इसका उपयोग कभी भी आधुनिकीकरण के लिए नहीं करते। पटसन सामन्तों ने भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से भारी ऋण व आर्थिक सहायता प्राप्त की है। वह धन राशि भी आधुनिकीकरण के लिए प्रयोग नहीं की गई। इस प्रकार मेरी राय में पटसन उद्योग निजी स्वामियों के हाथों में सुरक्षित नहीं है।

सरकार बहुत से कदम उठा सकती है परन्तु पटसन मिलों के स्वामियों का लाभ या हानि पटसन उद्योग को पुनर्जीवित नहीं कर सकता। इस प्रकार मैं सोचता हूं कि सरकार जो कदम उठाने का सुझाव दे रही है वे पर्याप्त नहीं हैं। पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण पटसन उद्योग का ही नहीं अपितु देश के मजदूरों व किसानों की भी रक्षा करेगा।

इस प्रकार सरकार से मेरा अनुरोध है—उन्होंने पहले ही वक्तव्य दे दिया है, जब मंत्री जी उत्तर देंगे तो वह निश्चित रूप से पटसन मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव लेकर आयेंगे।

दूसरी बात जो मैं कहूंगा, वह त्रिपुरा की पटसन मिलों से सम्बन्धित है। वहां एक मध्यम-श्रेणी की पटसन मिल है। यह पटसन मिल चार या पांच वर्ष पहले शुरू हुआ था इस त्रिपुरा पटसन मिल ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से पांच या छ: करोड़ रुपया उधार लिया परन्तु अब यह पटसन मिल राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष ब्याज के रूप में दे रहा है। तब इसे कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है ? इस प्रकार मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पिछड़े राज्य के लिए ऋण प्रदान करें और ऐसे कदम भी उठाए जाएं जिससे उत्पाद शुल्क को हटाया जा सके।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सहयोगियों द्वारा स्थिति की गम्भीरता का पहले ही वर्णन किया जा चुका है। पटसन जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में सबसे पुराना संगठित उद्योग है। यह पश्चिमी बंगाल में लाखों लोगों की जीविका का सबसे बड़ा और एक मात्र साधन है।

इस वस्तु की जिसने विदेशी मुद्रा कमाने में विशिष्ट भूमिका अदा की है, मांग कम हो रही है और इसके कारणों को बताया गया है और इन्हें मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पहले ही स्वीकार कर लिया है कि पटसन उद्योग को बाजार में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसे सिंथेटिक वस्तुएं जिन्हें सरकार आयात करने की अनुमति देती है, से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इस प्रकार पटसन की मांग कम हो रही है।

महोदय हम जानते हैं कि बंटवारे के समय पटसन उत्पादन करने वाले क्षेत्र का एक बड़ा भाग बंगला देश में चला गया। परन्तु इन सभी वर्षों में हमने पटसन उत्पादन में अत्यधिक प्रगति की है। मेरे दोस्तों ने यहां उल्लेख किया है कि पश्चिमी बंगाल में दो लाख मिल मजदूर पटसन मिलों में काम कर रहे हैं वहां के श्रमिक 80% बिहार व उत्तर प्रदेश से हैं न कि बंगाल से। सरकार पर सिंथेटिक दानों पर कर लगाने के लिए बहुत दबाव था और बहुत दबाव के बाद सरकार ने पिछले बजट में इन दानों ग्रेनूल पर कर लगा दिया। अब सरकार पर इस शुल्क को हटवाने के लिए बहुत अधिक दबाव डाला गया है। उन्होंने अखबारों में इस बात के बड़े-बड़े विज्ञापन दिए हैं कि यह जूट उद्योग को बुरी तरह प्रभावित करता है। लेकिन, मेरे विचार में, वास्तव में यह एक चाल है। वे किसी भी तरह प्रभावित नहीं हैं। पैट्रोलियम उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत गिर गई है और यह शुल्क उनको कतई भी प्रभावित नहीं करता है। पोलीथीन दानों की कीमतें भी नीचे आ गयी हैं। ऐसी स्थिति है। वे यह दबाव डाल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि सरकार आगे कोई कदम न उठाये।

एक अनुमान के अनुसार पिछले तीन महीनों में जूट उद्योग ने कृत्रिम रेशे के बोरे निर्माताओं द्वारा सीमेंट उद्योग के लिए 20 प्रतिशत बोरे बनाने की बात स्वीकार कर ली है और उन्हें शंका है कि अगर यही स्थिति रही तो सीमेंट उद्योग की मांग जो पिछले वर्ष 2.45 लाख टन थी इस वर्ष घटकर एक लाख टन हो जायेगी। इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है।

श्रीमान, सीमेंट और उर्वरक उद्योग दोनों मिलकर जूट बोरों की मांग का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं और यह बाजार कृत्रिम-रेशे के अतिक्रमण के कारण क्षीण हो रहा है। जूट बोरों की गुणवत्ता के बारे में कुछ शिकायत हो सकती है। ऐसा ही कहा गया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि सरकार इन लोगों को जूट में अतिक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। सरकार को

अपने उपक्रमों जैसे भारतीय उर्वरक निगम तथा सीमेंट उद्योग को जूट के बोरे खरीदने के लिए निदेश देना चाहिए। अगर गुणवत्ता घटिया दर्जे की है तो कोई उपाय ढूंढना चाहिए जिससे कि कृत्रिम रेशे के बोरे इस क्षेत्र में न आने पायें। सरकार को देखना चाहिए कि बोरों की गुणवत्ता सुधरे। कलकत्ता में पहले से ही दो शोध संस्थान हैं। मैं उन संस्थानों के मामलों में नहीं जाऊंगा लेकिन सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि शोध को प्रोत्साहन दिया जाये और बोरों का गुणवत्ता में सुधार हो, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।

श्रीमान, ऐसा कहा गया है कि कृत्रिम रेशा उद्योग एक लघु उद्योग है। मैं जानना चाहूंगा कि कौन-सी कंपनियां सिन्थेटिक दानों का आयात कर रही हैं—वैसे मेरे साथियों ने इस बारे में पहले ही बता दिया है लेकिन मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा—और यदि यह लघु उद्योग है तो इसमें कितने लघु उत्पाद हैं तथा कितने श्रमिक इसमें कार्य कर रहे हैं। क्या इसकी जूट उद्योग में लगे श्रमिकों की संख्या से कोई तुलना है? मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ कहना चाहिए।

अन्त में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकारी मत है कि जूट के बोरों की आपूर्ति कम है? मेरा अनुरोध है कि सरकार को स्थिति का अध्ययन करना चाहिए न सिर्फ वर्तमान स्थिति का, बल्कि अगले 10-15 वर्षों के लिए भी। देश में अगले 10-15 वर्षों में जूट के बोरों की कितनी मांग होगी? कुल मांग का निर्धारण होना चाहिए और अगर इसकी आपूर्ति में कमी है तो सरकार को सिर्फ उतनी ही मात्रा में सिन्थेटिक दानों के आयात की स्वीकृति देनी चाहिए जिससे रिक्ति को पूरा किया जा सके। आपको कम से कम यह कदम तो उठाना चाहिए। अगर स्वदेशी आपूर्ति स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त है तो, सरकार को सिन्थेटिक दानों के आयात को बन्द करने के लिए आगे आना चाहिए और इस स्वदेशी उद्योग तथा इसमें लगे हुये लोगों को संकट से बचाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से कुछ विशेष प्रश्न करना चाहूंगा।

श्रीमान, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भारतीय उर्वरक निगम और दूसरे सरकारी उपक्रमों को देश में निर्मित जूट के बोरों को खरीदने के लिए विशेष निदेश देगी। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार को उठाना चाहिए। यह हिदायत दी गई थी और रद्द कर दी गई थी और अब सरकार को इस दिशा में विशेष आदेश देना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं सरकार से जानना चाहूंगा वह यह है कि क्या वह आधुनिकीकरण के लिए शोध को बढ़ावा देगी और जूट रेशे का उपयोग अधिक सार्थक बनाने के उद्देश्य से इस उद्योग में नवीनतम तकनीकों का आरम्भ करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस उद्देश्य के लिए क्या कोई योजना बनायी जा रही है। इस संबंध में, मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह पश्चिम बंगाल से प्रतिनिधियों, इस उद्योग में कार्यरत श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों तथा जूट मिल मालिकों की बैठक बुलायेगी। इन लोगों को मंत्री महोदय और तकनीकी विशेषज्ञों तथा उन सभी लोगों जो इस उद्योग से संबंधित है की पहल पर आमंत्रित किया जाना चाहिए और जूट उद्योग को बचाने के लिए एक योजना बनानी चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मास के बाद मिल मालिकों का एक बड़ा तबका जूट मिलों को बंद करने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथी, श्री हन्नान मोल्लाह ने बताया कि यहां

पहले से ही कई ऐसे मिल हैं जो तीन या चार या सात वर्ष से भी बंद पड़ी हुई हैं और मिल मालिक श्रमिकों की भविष्यनिधि का ठीक ढंग से प्रेषण नहीं कर रहे हैं। इसमें ये सब समस्याएं हैं और वे कुछ और मिलों को बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार जूट नवाबों की इस चाल को पहले से ही रोकने के लिए क्या कदम उठाने का इरादा रखती है।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : श्रीमान, मैं उन माननीय सदस्यों से पूर्ण सहमत हूं जिन्होंने जूट उद्योग के संकट पर अपने विचार रखे हैं और चिंतित हैं और हम भी इस बारे में बहुत चिंतित हैं। लेकिन यह एक वास्तविकता है कि कृत्रिम रेशा उद्योग जूट उद्योग में असलियत में अतिक्रमण कर रहा है और इसके लिए कुछ करना होगा। जूट की कीमतों के संबंध में सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि भारतीय जूट निगम जूट को सिर्फ समर्थित मूल्यों पर खरीदता है जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किये जाते हैं और उन मूल्यों की सिफारिश करने से पहले वे सभी बातों पर गौर करते हैं और निस्सन्देह वे मूल्य उपयुक्त मूल्य समझे जाते हैं। मेरा विचार है कि माननीय कृषि मंत्री इस वादविषय को स्पष्ट करने की स्थिति में होंगे।

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : वे सिर्फ अनाजों के मूल्य निर्धारित करते हैं, जूट का नहीं। कृषि मूल्य आयोग गेहूं और चावल के खुदरा मूल्यों का निर्धारण करता है, जूट का नहीं।

कृषि मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आयोग मूल्य के सभी मामलों में परामर्श देता है।

(व्यवधान)

श्री खुर्शीद आलम खां : दूसरी बात यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जिक्र किया कि कुछ मिलें बन्द हो गई हैं। मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा। मई, 1985 में 20 मिलें बन्द कर दी गई थीं। अब केवल 4 मिलें बन्द हैं। बाकी मिलें खुली हैं। इन 4 मिलों के अलावा 3 अन्य मिलें हैं जो कि कई सालों से पूरी तरह से बन्द पड़ी हैं। मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध में यह सुविदित तथ्य है कि राज्य सरकारों को इस मामले में विशेष ध्यान देना है। उन्हें मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यदि वे बन्द करने की अनुमति नहीं देती हैं तो मिलें बन्द नहीं की जा सकती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : क्या आपको मालूम है कि योजना लगभग आधे उद्योग को बन्द करने की है?

श्री खुर्शीद आलम खां : आप उन्हें बन्द न करने दें। हम कच्चा माल मुहैया करते हैं। हम जूट की वांछित मात्रा मुहैया कर सकते हैं। हमने कीमतों को स्थिर रखने के लिए पहली बार सुरक्षित भण्डार प्रणाली आरम्भ की है।

श्री अमल दत्त : आपको उत्पाद भी खरीदने होंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं वह जानता हूं। अब उर्वरक क्षेत्र के सम्बन्ध में हमने इस बात को उर्वरक मन्त्रालय के साथ उठाया है। उनकी इसे न खरीदने की अपनी परेशानियां हैं। वे कहते हैं कि उपभोक्ताओं की पसन्द के अलावा उन्होंने देखा है कि क्षयकारी उर्वरक इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं है, परन्तु इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि कुछ अनुसंधान कार्य किया जाना चाहिए। हम इस मामले को आगे बढ़ायेंगे। कुछ अनुसंधान कार्य करना होगा

और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कैसे उर्वरकों के लिए जूट के बोरों का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। इसी प्रकार सीमेंट उद्योग में इन जूट के बोरों से सीमेंट के रिसाव की समस्या है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी समस्या नहीं है। जो अनुसंधान किया जा रहा है उससे ऐसा कोई उपयुक्त तरीका खोजना चाहिए, जिसमे कि सीमेंट के थैलों से रिसाव को रोका जा सके। यह सच है कि ग्रेन्यूलस पर पहली बार उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क लगाया गया है। यह जूट उद्योग की सहायता के लिए किया गया है। ताकि हमारा जूट उत्पादन कृत्रिम रेशों से ज्यादा होड़ ले सके।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या आप इस मामले को वाणिज्य मन्त्रालय के साथ उठायेंगे ? क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रेन्यूलो के आयात पर हल निकल जाने तक यदि कल हल नहीं निकलता तो कम से कम निकट भविष्य में निकल जाने तक पूरी तरह से पाबन्दी रहे।

श्री खुर्शीद आलम खां : हम इसे उद्योग मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय के ध्यान में लाये हैं। हमने कहा है कि जूट उद्योग के हित में कुछ किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। जूट उद्योग में मजदूरी लागत एक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यह जूट उद्योग की उन्नति में आड़े आने वाली महत्वपूर्ण कठिनाइयों में से एक है। मजदूरी लागत 33% लगाई गई है जो कि देश के किसी भी उद्योग के लिए अधिकतम मजदूरी लागत है।

एक माननीय सदस्य : क्या केवल यही बात है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : केवल यही बात नहीं है। आप मुझे यह कहने नहीं देते हैं। आधुनिकीकरण भी नहीं किया गया है। यह केवल जूट उद्योग की नहीं अपितु समस्त कपड़ा उद्योग की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वहां 1ㄥ5 बीमार मिलें हैं जिनका हमें अधिग्रहण करना है और उन्हें चलाना है; ये मेरे लिए सिर दर्द है। इन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए आसान शर्तों पर ऋण योजना उपलब्ध है। परन्तु जैसे कि आप जानते हैं यह सच है कि वे इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, आधुनिकीकरण के इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रवर्तक आगे नहीं आ रहे हैं। जब तक कि वे अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण न करते तब तक उनके लिए दूसरे देशों की प्रतिस्पर्धा वाले उद्योगों का सामना करना सम्भव न होगा।

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य श्री रामूवालिया ने पूछा है कि निर्यात क्यों घट गया है। विशेषत: कालीन के अस्तर के कपड़े का निर्यात जो कि ज्यादातर यूरोपीय देशों और अमरीका को निर्यात किया जाता था, वहां भी उन्होंने सिन्थेटिक का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया है परन्तु हमें लगता है कि उनका सिन्थेटिक सामग्री के प्रयोग का अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है और वे पुन: कालीन के अस्तर के कपड़ा पर आ जायेंगे। **(व्यवधान)**

जहां तक प्रतिष्ठापित क्षमता का सम्बन्ध है आज प्रतिष्ठापित क्षमता ऐसी है कि वह 1 90 तक आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है क्योंकि प्रतिष्ठापित क्षमता का 60 से 70 प्रतिशत से ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। इस समय जहां तक प्रतिष्ठापित क्षमताओं का सवाल है या कच्चे माल का सम्बन्ध है कोई दिक्कत नहीं है। नि:संदेह कच्चे जूट की उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता रही है क्यों कि कुछ वर्ष में बम्पर फसल होती है और दूसरे वर्ष खराब

फसल होती है परन्तु अब इस सुरक्षित भंडार प्रणाली की शुरूआत से, इस समय छ: लाख सुरक्षित भंडार हैं, यह संभव हो सकता है कि हम कीमतों को स्थिर कर पायें और यह सुनिश्चित कर सकें कि उसकी नियमित रूप से प्राप्ति हो सके।

श्रीमती गीता मुखर्जी : गत वर्ष काफी कम कीमतें होने के कारण इन लोगों ने कच्चा जूट बहुत सस्ता लिया है और अप्रैल तक बड़ी तेजी से उत्पादन आरम्भ कर देंगे ताकि वे इसे बन्दकर सकें और गरीब उत्पादकों को और भी खराब स्थिति में डाल सकें। क्या आप इससे वाकिफ हैं?

(व्यवधान)

श्री खुर्शीद आलम खां : दूसरी बात यह है कि हम राज्य सरकारों को यह जताने की कोशिश कर रहे हैं—कि उन्हें उत्पादकों को अद्यतन कार्ड देने चाहिऐ ताकि हम केवल उत्पादकों से खरीदें और हमने इस पर जोर दिया है। बहुत से मामलों में कार्ड उपलब्ध नहीं थे और वास्तव में कुछ मामलों में ये कार्ड गलत व्यक्तियों के पास उपलब्ध थे। उस समय हमने स्थानीय प्राधिकारियों से सलाह लेने का क्या फैसला किया और स्थानीय प्राधिकारियों से जांच करने के उपरान्त ही कि वे ही वास्तविक उत्पादक हैं हमने उनसे जूट खरीदा और हम इस नीति का पालन करते रहेंगे क्योंकि हम बिचौलिया या दलाल बनने के इच्छुक नहीं हैं परन्तु हम केवल वास्तविक उत्पादकों में दिलचस्पी रखते हैं।

जो माननीय सदस्य बोले हैं उनमें से अधिकांश ने जानना चाहा है कि सरकार ने इस उद्योग के बारे में क्या कदम उठाये हैं।

जूट उद्योग की सहायता के लिए उठाये गये कदम निम्न हैं :—

(एक) जूट उद्योग की सहायता के लिए कृत्रिम रेशों के लिए बजट। व्यवस्था।

(दो) सरकार (पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय) द्वारा जूट उद्योग से जूट की वस्तुओं की लागत जमा लाभ के आधार पर खरीद।

(तीन) जूट मिलों की क्षमता का अध्ययन करने के लिए और सक्षम मिलों के पुर्नवास के लिए वित्तीय उपायों को सुझाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्वावधान में एक स्थायी समिति की स्थापना करना।

(चार) सीमेंट उद्योग द्वारा लेवी सीमेन्ट की पैकिंग के लिए 100 प्रतिशत नये जूट बोरों के अनिवार्य प्रयोग की शुरुआत।

श्री अमल दत्त : यह कब किया गया?

श्री खुर्शीद आलम खाँ : यह गत वर्ष जारी किया गया और हमने फिर से उद्योग मंत्रालय से इस पर बात की।

श्री अमल दत्त : इस वर्ष इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है।

श्री खुर्शीद आलम खां : जैसा कि मैंने कहा है इसे हमने दोनों ही मन्त्रालयों से उठाया है।

अन्य जो कदम उठाये गये हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

(पांच) जूट का माल उत्पादन करने वाले गतिशील क्षेत्रों को अधिक नकद क्षतिपूर्ति सहायता देने।

(छः) गलीचे के अस्तर के कपड़ों का निर्यात करने में राज्य व्यापार निगम की सहायता लेना।

(सात) अनुसंधान और विकास कार्यों को तेज करने तथा निर्यात आदि को बढ़ावा देने के लिए एक नयी जूट निर्माता विकास परिषद का गठन।

(आठ) अनुसंधान और विकास कार्यों के जरिये सिन्थेटिक विकल्पों की तुलना में जूट की वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी में सुधार/वास्तव में अनुसंधान और विकास द्वारा जूट थैलों को सीमेंट और उर्वरक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए कुछ ठोस और उपयोगी कार्य करना है।

मैं समझता हूं कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं।

व्यवधान

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपने एक बात का उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

आपने पहले ही काफी प्रश्न पूछे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : प्रश्न यह है कि क्या आप जूट मिल मालिकों के प्रतिनिधियों की जूट मजदूर संघों के प्रतिनिधियों की पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों की और जूट उत्पादकों के प्रतिनिधियों की स्थिति से तत्काल निपटने के लिए कदम उठाने हेतु बैठक बुलाने जा रहे हैं और क्या वस्त्र मन्त्रालय ऐसे अन्य मन्त्रालयों की, जिन्होंने अपने अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, जैसेकि फर्टीलाइजर कारपोरेशन आदि में जूट के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है बैठक बुलायेगा ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, इन मामलों के बारे में अन्य मंत्रालयों के साथ बातचीत की जा रही है और इन बैठकों के आधार पर, अनुवर्ती कार्यवाही के तौर पर मैंने सम्बन्धित मंत्रियों को लिखा है।

इसके अलावा, हम बहुत से श्रमिक प्रतिनिधियों सहित उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। ये लोग हमसे मिलते हैं बातचीत करते हैं और हमें अपने सुझाव दे रहे हैं। निश्चय ही हम उन पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार करेगें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेगें। नियम 377 के अन्तर्गत मामले

———

1.26 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) जोधपुर-अहमदाबाद मीटरगेज लाइन पर एक अति तीव्रगामी रेलगाड़ी चलाने और यात्रीयों को राजस्थान में मानक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल विभाग जितनी मुस्तैदी और तेजी से काम कर रहा है, उतनी तेजी से उसका मीटर गेज की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं जा रहा

है और खास तौर पर जोधपुर डिविजन की ओर। न तो जोधपुर से अहमदाबाद के लिए जो सुपर फास्ट चलती है, वह फालना पर रुकती है, न राणकपुर एक्सप्रेस नाना स्टेशन पर रुकती है। इससे सभी आदिवासी अहमदाबाद जाने की सुविधा से वंचित हो जाते हैं और वे गाड़ियों की छतों पर बैठ कर यात्रा करते हैं क्योंकि बहुत कम रेलें मीटर गेज पर चलती हैं और इससे साथर मारवाड़ जंकश्न, फालना पाली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेसिक एमीनिटीज जो उपलब्ध होनी चाहिए वे भी नहीं हैं। मारवाड़ जंक्शन में मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर किधर से आ सकते हैं, उनके लिए कोई मार्ग नहीं है और पूरे प्लेटफार्म पर शैड नहीं है। पाली में भी पूरी शैड नहीं है। पाली का वैटिंग रूम भी बहुत जनसंख्या को देखते हुए बहुत ही छोटा है। पाली और जोधपुर दो बड़े शहर हैं। उनके बीच में एक भी शटल नहीं चलती जबकि आर्थिक दृष्टि से रेलवे को घाटा नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि रेलवे विभाग का एक सक्षम अधिकारी जोधपुर के मीटर गेज स्टेशनों का दौरा कर ले और फिर उचित निर्णय ले और मीटर गेज का जोनल आफिस जोधपुर में खोला जावे।

[अनुवाद]

(दो) आन्ध्र प्रदेश के काकीनाडा नगर में सभी डाकघरों में तार की सुविधायें पुनः प्रदान करने का प्रस्ताव

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाडा) : महोदय काकीनाडा नगर के लोगों को तार सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें केन्द्रीय डाकघर जाना पड़ता है। इससे पहले काकीनाडा नगर में स्थित सभी डाकघरों में तार सुविधाएं उपलब्ध थीं। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस समय लोगों को पेश आ रही असुविधाओं को दूर करने के लिए काकीनाडा नगर के सभी डाकघरों में तार की सुविधाएं पुनः प्रदान कराई जाएं।

(तीन) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवारत डाक्टरों के लिये संवर्ग पुनरीक्षा प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ (आसूका) : महोदय, लगभग 200 डाक्टर पिछले 12 सालों से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को स्थायी योद्धा स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर स्नातकोतर डिप्लोमा धारी हैं और उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं काश्मीर, अंडमान द्वीपसमूह आदि जैसे कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में काम करना पड़ता है। ये डाक्टर 1974 से योद्धा स्टाफ में हैं पर उन्हें पदोन्नति सहित वे लाभ नहीं मिलते जो समान रैंक के प्रशासी अधिकारियों को मिलते हैं। चिकित्सा और सामान्य ड्यूटी अधिकारियों के बीच इस भेदभाव के कारण व्यापक असंतोष है। पूर्व में हुई संवर्ग पुनरीक्षा से सी.डी. संवर्ग को ही लाभ हुआ था। उससे इन डाक्टरों के पदोन्नति के अवसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेना के तीव्र गति से विस्तार के कारण पिछले चार सालों से साठ के आस पास पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि डाक्टर सी.डी. संवर्ग में जूनियर रैंक में नियुक्त होने के लिए तैयार नहीं हैं। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के चिकित्सा अधिकारियों के संवर्ग की गई पुनरीक्षा पर पिछले पांच सालों से धून चाट रही है जबकि प्रशासी अफसरों और अन्य सहायक संगठनों की संवर्ग पुनरीक्षा पूरी हो गई है और उसे लागू कर दिया गया है। अनेकों प्रतिवेदनों और ज्ञापनों के बावजूद उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं गया है। मांग की

गई है कि जिस तारीख से सी० डी० संवर्ग पुनरीक्षा को लागू किया गया है उसी तारीख से डाक्टरों की वर्तमान संवर्ग पुनरीक्षा को भी तत्काल लागू किया जाए। सी०डी० अफसरों की दूसरी संवर्ग पुनरीक्षा जो होने जा रही है उसे तब तक रोक रखा जाए जब तक डाक्टरों की संवर्ग पुनरीक्षा के प्रस्तावों को लागू न हो जाए।

[हिन्दी]

(चार) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में मुनाकोटा को वायुदूत सेवा से जोड़ने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का पिथौरागढ़ जनपद देश का सीमान्त जनपद है। इस क्षेत्र में संचार व परिवहन सुविधा आज भी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है। कारण स्वरूप इस जनपद का विकास पूर्णतः अवरुद्ध है।

मैं लम्बे समय से इस जनपद के मूनाकोट (पिथौरागढ़) नगर को वायुदूत सेवा से जोड़ने की मांग कर रहा हूं। मुझे जहां इस बात की खुशी है कि वायुदूत ने देश के कई दूरदराज के क्षेत्रों को वायुदूत सेवा से जोड़ा है, वहां इस क्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को वहन नहीं किया है।

मैं मांग करता हूं कि पिथौरागढ़ को वायुदूत सेवा से जोड़ा जाए।

(पांच) दिल्ली में पेयजल की आवश्यकता पूरी करने के लिए शाहदरा तथा हैदरपुर से जल की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय दिल्ली में 100 मिलियन गैलन पानी हैदरपुर टैंक से मिल रहा है जो महरौली, बदरपुर आदि क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है। इसके अतिरिक्त 100 मिलियन गैलन गंगाजल शाहदरा से मिल रहा है। दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ रही है। दिनों दिन डी० डी० ए० कालोनी, पुनर्वास कालोनी, सरकारी कालोनियां, अनधिकृत कालोनियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हैदरपुर टैंक से 100 मिलियन गैलन पानी और अधिक सप्लाई किया जावे। यह पानी हरियाणा से आता है। पहले सिंचाई के लिए भी वहां से पानी आता था किन्तु अब इसमें बहुत कमी हो गई है। इसलिए हैदरपुर टैंक से कम से कम 100 मिलियन गैलन पानी और अधिक दिलाया जावे।

शाहदरा से 250 मिलियन गैलन गंगाजल मिलने का प्रावधान है किन्तु वर्तमान में केवल 100 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है जो कि दिल्ली की पेयजल की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है। शाहदरा से भी 100 मिलियन गैलन और अधिक गंगाजल पानी तत्काल सप्लाई किया जावे जिससे दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को पेयजल मिल सके।

(छः) दरभंगा-समस्तीपुर तथा साकरी-हसनपुर के बीच क्रमशः बड़ी और मीटरगेज रेल लाइनों का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के दरभंगा जिले में समस्तीपुर दरभंगा बड़ी रेलवे लाईन तथा सकरी हसनपुरा छोटी रेलवे लाईन जिसका सर्वेक्षण हो गया है, इन दोनों कार्यों को अविलम्ब चालू नहीं कराने के कारण जन आंदोलन शुरू हो गया है।

प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं और रेल रोको अभियान चला रहे हैं। अतः सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों रेलवे लाइनों का कार्य प्रारम्भ करे।

1.30 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

(सात) गोवा में नाविक भर्ती केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री शांताराम नायक (पणजी) : पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा में मोरमोगाओ बन्दरगाह पर एक नाविक भर्ती केन्द्र था। गोवा के नौसैनिकों की क्षमता को मान्यता मिली हुई है और विश्व भर में अभी भी मान्यता मिल रही है। लेकिन अभी भी हजारों गोवावासी नाविक ऐसे हैं, जिन्हें नौसेना में रोजगार के उपयुक्त और सुविधाजनक अवसर उपलब्ध नहीं हैं।

मारमागाओ बन्दरगाह इस देश के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त बन्दरगाहों में से हैं लेकिन इसके बावजूद परिवहन मंत्रालय (तत्कालीन नौवहन और परिवहन मंत्रालय) ने गोवा में नाविक भर्ती केन्द्र खोलना उपयुक्त नहीं समझा है। गोवा वासियों को बम्बई जाकर पंजीकरण कराना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप वे बम्बई के विशाल जनसमूह में खो जाते हैं और उन्हें बम्बई स्थित केन्द्रों में अपनाए जाने वाले तरीकों से असन्तोष भी होता है। उन्हें बम्बई से कभी नियुक्ति पत्र नहीं मिलता बल्कि इसके विपरीत वह देखते हैं कि बम्बई के भरती केन्द्र हवाई जहाजों से नाविक दलों को गोवा में लंगर डाले पोतों के लिए भेज रहे हैं।

परिवहन मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि यथाशीघ्र गोवा में एक नाविक भरती केन्द्र की स्थापना की जाए।

[हिन्दी]

(आठ) विभिन्न कीटनाशी औषधियों का प्रयोगशाला में परीक्षण करने के लिए एक प्रवर्तन कक्ष स्थापित करने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने 1980 में इन्फोर्समेंट सेल का प्रस्ताव पारित किया था। कृषि कीट नाशक दवाइयों के नमूने इकट्ठा करने के लिए और उनका प्रयोगशाला में परीक्षण करने के लिए कृषि मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने (पाद्य रक्षा विभाग) अध्ययन करने के बाद ही यह महसूस किया था कि इस प्रकार का देश में विभाग होना चाहिए, लेकिन अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया, जबकि छठी पचवर्षीय योजना में ही यह पारित हो गया था। तत्तकालीन माननीय कृषि मंत्री जी ने इस चीज को देश भर में लागू करने के लिए इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। इस विभाग के स्थापित होने से हमारे देश के किसानों को शोषण से बचाया जा सकता है। जैसे कि 1985 के पिछले दिनों में पाईरीला कीट से गन्ने को बहुत हानि हुई, इसका मूल कारण कीटनाशक दवाइयों में मिलावट थी। सरकार से अनुरोध है कि इन्फोर्समेंट सेल की स्थापना शीघ्र करने की कार्यवाही कीजिए।

———

1.37म० प०

अनुदानों की माँगें (सामान्य), 1986-87

ऊर्जा मंत्रालय [—जारी]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अनन्त प्रसाद सेठी ।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी (भद्रक) : मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इससे पहले कि मैं बोलूं, मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं एक ऐसे राज्य का प्रतिनिधि हूं जो इतने भीषण बिजली-संकट का सामना कर रहा है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता । मैं उड़ीसा का हूं, जहां इस समय विद्युत का भारी संकट है। रोजाना औसतन 60% बिजली की कटौती की जाती है । हम बार-बार केन्द्र सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि वह राज्य सरकार के बचाव के लिए आगे आए । हम पन-बिजली प्रणाली से ही बिजली का उत्पादन करते हैं और हमें अच्छे मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है । लेकिन पिछले दो सालों से पानी का स्तर नीचा होते जाने के कारण इस पन-बिजली प्रणाली को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । हम बार-बार सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए हमारे यहां कम से कम दो उच्च ताप बिजली केन्द्रों की स्थापना की जाए । एक केन्द्र तलचर में और दूसरा आई. बी. घाटी में स्थापित किया जाए, जहां हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुतायत में हैं और हम तलचर तथा आई. बी. घाटी में उपलब्ध काफी खनिज अर्थात् कोयला दे सकते हैं । इस कोयले में राख की मात्रा भी बहुत कम है । हम कोयले का अच्छी तरह खनन कर सकते हैं और उड़ीसा को पेश आ रही समस्या को हल कर सकते हैं । उड़ीसा में अभी भारी उद्योगों, लघु उद्योगों और कृषि क्षेत्र के लिए दी जाने वाली बिजली में कटौती 5% कटौती की जाती है । हम कृषि क्षेत्र को बिजली नहीं दे पाते हैं । इस प्रकार हम कृषकों को लोगों का आशाओं के अनुरूप काम करने और अधिक खाद्यान्न उपजाने के अवसर से वंचित कर रहे हैं। भारी उद्योग और लघु उद्योगों में भी अधिकतर यूनिटें बन्द होने की स्थिति में पहुंच गई हैं या अपने उत्पादन को उन्होंने बहुत कम कर दिया है और हर साल उन्हें घाटा हो रहा है ।

इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए उड़ीसा सरकार को ओर से प्रस्ताव है कि केन्द्र उड़ीसा राज्य को उपयुक्त मात्रा में कम से 250 मेगावाट बिजली आबंटित करें । हमारी कुल जरूरत लगभग 800 मेगावाट बिजली की है । हम केवल 524 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर पाते हैं जबकि हमारे पास स्थापित क्षमता 1134 मेगावाट की है। इस तरह हम भारी विद्युत संकट का सामना कर रहे हैं । माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर विचार करें और वह केन्द्र के क्षेत्र से हमें कम से कम 250 मेगावाट बिजली दी जाए । इस समय हमें आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से क्रमश 110 मेगावाट और 40 मेगावाट बिजली मिल रही है। लेकिन अपनी कठिनाईयों के कारण वे अब उड़ीसा सरकार को इतनी बिजली देने में असमर्थ हैं । उड़ीसा को बहुत कठिनाई हो रही है और आगामी महीनों में उसे बिजली के भारी संकट का सामना करना पड़ेगा । बिजली की कटौती के कारण भारी और लघु उद्योगों में से 80 से 90% उद्योगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बिजली न मिलने के कारण कृषि क्षेत्र को पानी भी

नहीं मिलता है। उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है। मैं ऊर्जामंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राज्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत जो हमारी परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं उन पर गम्भीरता से विचार करें और शीघ्र ही ऐसे कदम उठाएं ताकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिन समस्याओं का हम सामना करेंगे उन पर कम से कम आठवीं योजना के शुरू में ही हम काबू पा लें और हमारा राज्य आत्मनिर्भर हो जाये। अतः हम जो 2000 ईस्वी सन् तक विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर होने की बात सोचते हैं, उसे देखते हुए यदि इन कार्यक्रमों को शीघ्र आरम्भ नहीं किया गया तो हमारा राज्य 20वीं सदी से निकल कर 21वीं सदी में प्रवेश नहीं कर पायेगा। अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्रीय क्षेत्र में हमारी दो परियोजनाओं इब वेली और तालचेर सुपर तापीय बिजलीघर पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : आपको एक बात और कहनी चाहिए थी कि परमाणु बिजली का एक संयंत्र उड़ीसा में पक्के तौर पर चालू किया जाए। उड़ीसा में यह बात आप चाहते हैं। श्रीमती जयन्ती पटनायक।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करती हूं। हमारे देश के सपने, आशाएं और आकांक्षाएं ऊर्जा पर जो एक निर्णायक साधन-सामग्री है निर्भर करती है। हमारे देश की सारी अर्थ व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि ऊर्जा के उत्पादन में हम कितने कार्य कुशल हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि पिछले वर्षों में उसका उत्पादन बढ़ा है और पिछले तीन दशकों में भी निश्चित परिवर्तन आया है लेकिन जो कुछ मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि हम अभी तक मांग की पूर्ति नहीं कर पाए हैं। जब मांगों के साथ सन्तुलन नहीं रख पाते तो विद्युत संकट पैदा होता है। जल स्तर निम्न होने के कारण पन बिजली का उत्पादन कम रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि केवल 17 प्रतिशत जल क्षमता का उपयोग कर पाएं हैं। मुख्यतः तापीय बिजली का उत्पादन बढ़ाकर मांग को पूरा किया जा सका है। जब मैं कहती हूं कि हम मांग के साथ सन्तुलन नहीं रख पाए हैं, तो इसके बहुत से कारण हमारे सामने आते हैं जैसे निम्न जल संग्रह, जल स्तर में कमी, नई जल परियोजनाओं को स्थापित करने में अधिक समय का लगना और नई तापीय बिजली परियोजना को पहले से ही उचित समय पर नहीं लिया जाता।

1.45 म०प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

मैं यह नहीं कह रही हूं कि बिजली की कमी बढ़ गई है मैं जानती हूं कि कई राज्य बिजली की इस कमी का सामना कर रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र पर 70% बिजली की कटौती हो रही है इसलिए लोगों के सामान्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है।

जब मैं अपने राज्य के बारे में कहती हूं। उड़ीसा भी बिजली की इस गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। 1980 तक औसत मांग 350 मेगावाट थी। वर्तमान अनुमानित मांग 800 मेगावाट है तीव्र औद्योगीकरण होने के कारण बिजली की मांग में मिला जुलाकर 20% की वृद्धि हुई है।

जब कभी हम राज्य में बिजली की कमी के बारे में कहते हैं तब हमें तालचेर में तापीय बिजली संयंत्र के विद्युत भार धारण का कारण बताया जाता है। लेकिन हमारे ऊर्जा मंत्री जी को इस संयंत्र की कमी, इसकी खराब मशीनरी जिसमें पुरानी चार यूनिटों में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर का ठीक से काम न कर पाना शामिल है, आई डी फैन की व्यवस्था में अन्तर्निहित डिजाइन सम्बन्धी कमी, कोल कन्वेयर प्रणाली की रुकावट "बैहल" द्वारा आपूर्ति की गई इकाइयों का ठीक से काम न कर पाना, कोयले की सप्लाई तथा सेंट्रल कोल फील्ड्स द्वारा बेकर की कमी के कारण कोयले की सप्लाई तथा उसे उठाने की बीच तालमेल न होना आदि को महसूस करना चाहिए था।

मुझे कहना चाहिए कि रुकावटों को दूर करने की काफी कोशिश की जा रही है। संयंत्र की कमजोरी को दूर करने और राज्य बिजली बोर्ड मुख्यालय तथा बिजली घरों इन दोनों स्तरों पर उच्च प्रबन्ध व्यवस्था को सशक्त बनाने की भारी कोशिश की जा रही है। इसके परिणाम-स्वरूप हाल ही में तापीय बिजली संयंत्र में विद्युत उत्पादन तथा विद्युत भार धारण में वृद्धि हुई है और वह 32% से 50% तक चला गया है।

अगर जल स्तर नीचा होगा तो जल विद्युत परियोजनायें कुछ भी सहायक नहीं हो सकतीं। आजकल हमारे राज्य में यही हो रहा है। यदि बिजलीघर स्थिर क्षमता के स्तर पर कार्य-निष्पादन करने लगे, फिर भी औसत बिजली उत्पादन मांग को पूरा नहीं कर सकेगा। सातवीं योजना के अन्त तक 1050 मेगावाट की कमी हो जाएगी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को विकास परियोजना दिखाई गई जिसने इन दोनों परियोजनाओं को ध्यान में रखने के बाद में 1989-90 में कुल आवश्यकता 1724 मेगावाट हो जाने का अनुमान लगाया है।

इससे हम पर्याप्त बिजली प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमें उन पड़ोसी राज्यों से बिजली प्राप्त करनी होगी जो हमारी पूर्ति कर सकते हैं। इन सब बातों पर मंत्री जी ध्यान दें।

वास्तव में मुझे मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने उड़ीसा में बिजली की कमी को देखते हुए एक सुपर तापीय बिजलीघर की मंजूरी दे दी है, जो विश्व बैंक ऋण के के साथ जुड़ी है। कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि इस सुपर तापीय बिजलीघर को शीघ्र ही शुरू किया जाना चाहिए। कार्यकारी दल ने यह भी सिफारिश की है कि इसे 1986-87 में शुरू कर दिया जाए।

मैं मंत्री जी का ध्यान इब घाटी तापीय बिजली परियोजना की ओर भी दिलाना चाहती हूं जो राज्य सरकार द्वारा स्वयं आरम्भ की जा रही है। विदेशों से ऋण प्राप्त करने की अनुमति के लिए राज्य सरकार का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़ा है। मैं अनुरोध करूंगी कि इसको शीघ्र ही मंजूरी दी जाए।

जब मैं बिजली की स्थिति के बारे में बात कर रही हूं तो मुझे यह कहना चाहिए कि बिजली स्थिति के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए। ऊर्जा मंत्री ने गैर सरकारी क्षेत्र को विद्युत संयंत्र लगाने की अनुमति देने के बारे में कई घोषणाएं की हैं। परन्तु इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। निजी विद्युत संयंत्रों के अलावा गैर सरकारी क्षेत्र में अन्य विद्युत संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। निजी बिजली संयंत्रों के उपयोग कर्ताओं के संघ को भी विद्युत संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी गई है।

दूसरे, विद्युत संयंत्र के आयात संबंधी नीति पर यथार्थवादी दृष्टिकोण से पुन: विचार किया जाना चाहिए। विभिन्न देशों से विद्युत संयंत्र की आपूर्ति और आपूर्तिकर्ताओं से उधार की सुविधायें दिए जाने सम्बन्धी अनेक आकर्षक वित्तीय प्रस्ताव उपलब्ध हैं। लेकिन इसके लिए सरकारी क्षेत्र तक को अनुमति नहीं दी जा रही है। यहां मुझे यह अवश्य कहना है कि राज्य को इन परियोजनाओं के लिए राज्य योजना में धन की व्यवस्था करना संभव नहीं है, अत: केन्द्रीय सरकार को इसके लिए उदार रवैया अपनाना चाहिए।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान उड़ीसा में तालचेर और इब घाटी में स्थित कोयला खानों के विकास के लिए तुरंत कदम उठाने की ओर दिलाना चाहूंगी। तालचेर स्थित तापीय बिजली संयंत्र का उपयोग करने वाले स्थानीय बड़े उद्योगों के अलावा भविष्य में इस सुपर तापीय बिजली संयंत्र तथा बाल्को के निजी विद्युत संयंत्र से कोयला खानों के पास भारी मांग आएगी। जब तक कोयले के विकास में तेजी नहीं लाई जाती तब तक इन दोनों विद्युत संयंत्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार इब घाटी थर्मल संयंत्र बन रहा है और 3 और 4 वर्षों के बाद कोयला प्राप्त करने के लिए अभी से कार्यवाही की जानी चाहिए।

दुर्भाग्य की बात है कि हाल ही में एक नयी कोयला कंपनी जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है, स्थापित की गई है परन्तु उड़ीसा में एक कोल डिवीजन भी नहीं बनाया जा सका है। उड़ीसा के लोग लम्बे अर्से से एक पृथक कोयला कम्पनी बनाने की मांग कर रहे हैं। इस पर सहानुभूति पूर्ण विचार किया जाना चाहिए और जब तक अलग से एक कंपनी स्थापित न हो तब तक उड़ीसा के लिए एक कोयला डिवीजन ही वहां बना दिया जाए।

अब मैं गैर-परम्परागत ऊर्जा को लेती हूं। यह एक नया क्षेत्र है, इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। गैर नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों पर भार कम करने के लिए सरकार नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के मार्गोपायों की ओर ध्यान दे रही है। पिछले कुछ वर्षों से हमने कुछ प्रयास किए हैं जिससे निजी और सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों के लगाने की दिशा में कुछ सफलता प्राप्त हुई है। मार्च, 1985 तक 101 सामुदायिक बायोगैस संयंत्र लगाये गये हैं लेकिन सामुदायिक बायोगैस और प्रदर्शन इकाइयों को विभिन्न राज्यों में लगाने के लिए सरकार द्वारा बल दिया जाना चाहिए। हमें ऐसे बायोगैस संयंत्र जो गोबर के अलावा बायोमास पर पूर्णतया आधारित हो लगाने की दिशा में सूत्रपात करना चाहिए। हाइसिन्थ पर आधारित बायोगैस संयंत्र का विकास किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को इस खरपतवार के संकट से छुटकारा मिल सके। सौर हीटर और सौर कुकर को लोगों ने इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया है। यह वह क्षेत्र है जिसमें काफी उन्नति की जा सकती है। हमें यह जानकर खुशी है कि सुधरी किस्म के चूल्हों और सौर ताप ऊर्जा के कार्यक्रम का और आगे विस्तार किया गया है। मैं हवा की ऊर्जा पर भी बल देना चाहूंगी। वायुचालित टरबाइन और बड़े वायु फार्म हमारे समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकते हैं ताकि बिजली पैदा की जा सके, इस प्रकार के वायु-चालित टरबाइन अब अमरीका व डेनमार्क में बाजार में विक्रय हेतु आ गए हैं। हमें भी स्वदेशी विद्युत उत्पादन करना चाहिए। समुद्र तट स्थित राज्यों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। भारत सरकार को इसके लिए बड़ा कार्यक्रम चलाना चाहिए। अगर आप घरेलू काम के लिए ऊर्जा की मांग को देखें तो आप

पायेंगे 80 प्रतिशत ऊर्जा की खपत गैर व्यापारिक साधनों से जिसमें ईंधन लकड़ी शामिल है, पूरी होती है। 50 से 60 लाख घरों में मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है और मिट्टी के तेल की कीमतें भी बहुत अधिक हो गई हैं। यह देखते हुए कि ईंधन लकड़ी की कमी है और उसकी आपूर्ति वन सम्पदा से हो रही है, ऊर्जा देने वाले पेड़ों को लगाने के लिए ऊर्जा विभाग में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं ऊर्जा मंत्रालय की इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं!

***श्री अनिल बसु (आराम बाग)**: सभापति महोदया, ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिए जाने के लिए मैं सर्व प्रथम आपको धन्यवाद देता हूं। महोदया मैं बंगला में बोलूंगा। आपको पता ही है कि ऊर्जा हमारे देश के विकास का मूल संघटक है।

मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अपनी स्वतंत्रता के 38 वर्ष बाद भी हमारी आर्थिक नीति युक्ति संगत नहीं हो पाई है और युक्ति संगत आर्थिक नीति के अभाव में ऊर्जा नीति भी युक्ति संगत नहीं हो सकती। महोदया, हम लोग यहां कोयला और बिजली से संबंधित महत्वपूर्ण मंत्रालय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। किन्तु इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए केवल 6 घंटे आवंटित किए गए हैं। कोयला और बिजली का विकास किए बिना देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के 38 वर्ष पश्चात् भी योजना प्रलेख में यह स्वीकार किया गया है कि हमारे देश की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है और निरक्षरों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हमारे देश में हर छठा बच्चा एक बाल श्रमिक है। अपने देश की आबादी के केवल 10 प्रतिशत व्यक्ति 40 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर पाते है और निम्न स्तर के 40 प्रतिशत व्यक्ति देश की केवल 10 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर पाते हैं। हमारे देश में असीमित प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। हमारे पास बड़ी नदियां, खानें, खनिज पदार्थ हैं। वास्तव में हमारे पास सब कुछ है। किन्तु इसके बावजूद हमारे देश में गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता, बेरोजगारी और बाल श्रमिक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें पता नहीं कि इसका क्या समाधान है। इसीलिये मैं कहता हूं कि युक्ति संगत आर्थिक नीति के बिना युक्ति संगत ऊर्जा नीति हो ही नहीं सकती। हम विदेशी शासन के अधीन थे, हमें पता है कि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया और हमारा शोषण किया था। किन्तु 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 1986 तक ऊर्जा के क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है उसका हमें एक तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से, जो आए दिन समाजवादी देशों की बात करते हैं, यह कहना चाहता हूं कि वह चीन जैसे पड़ोसी देश को ओर दृष्टिपात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय चीन और भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की खपत प्रति व्यक्ति एक बराबर थी। आज क्या स्थिति है? आज चीन ऊर्जा निर्यात कर रहा है और हम ऊर्जा आयात कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिये है कि चीन ने जनता को शोषण से मुक्त कर दिया है। वहां श्रमिक समग्र सामाजिक और प्रशासनिक प्रणालियों के बारे में निर्देश देते हैं। इसके अलावा वे लोग अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों का सही और समुचित उपभोग करते हैं और उन्होंने अपनो

* मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

प्रौद्योगिकी का भी विकास कर लिया है। किन्तु अपने देश में हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करने में असफल रहे हैं और विदेशों पर निर्भर रहने के कारण तथा आयात पर निर्भर रहने के कारण हम अपनी प्रौद्योगिकी विकसित नहीं कर पाये हैं। हमारे पास कोयले का अपार भंडार है। क्या आपको पता है कि कोयले से गैस बनाने तथा उससे तेल प्राप्त करने की भी एक प्रौद्योगिकी है। यद्यपि हम भारी मात्रा में तेल आयात कर रहे हैं तथापि हम इस प्रौद्योगिकी का आज तक इस्तेमाल नहीं कर पाये हैं। यदि हम कोयला और बिजली का पूरा-पूरा उपयोग कर पाते तो हम उर्वरक, सीमेंट और स्वयं कोयले से अन्य अलौह पदार्थों का उत्पादन कर सकते थे और इन मामलों में अपना देश आत्मनिर्भर बन जाता। किन्तु कांग्रेस पार्टी, जो इस देश की सरकार चला रही है और जो वित्त व्यवस्था कर रही है, प्रायः यह कहती है कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण हम आत्म निर्भर नहीं बन पा रहे हैं। क्या यह सच है ? यदि धन के बिना प्रगति संभव नहीं है; तो 1917 के बाद ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सोवियत संघ ने इतना कठिन परिश्रम क्यों किया ? ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में उनका स्थान सर्वोपरि है। इसलिए यदि सोवियत संघ, जो 1917 में एक पिछड़ा देश था, ऊर्जा उत्पादन के मामले में सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर सकता है; तो हम क्यों नहीं उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं; जबकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ? वित्तीय संसाधनों की कमी तो एक बहाना मात्र है। यह स्थिति केवल इसलिए है कि हमारे पास न कोई सही नीति है, न कोई सही योजना और न ही कोई सही परिप्रेक्ष्य है।

मैं कोयला उद्योग की बात कर रहा हूं। हमें यह बताया जाता है कि कोयला उद्योग में उत्पादन की कमी और अन्य बुराइयों के लिए श्रमिक उत्तरदायी हैं। किन्तु यदि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में हम श्रमिकों को साथ लेकर चलने की प्रणाली अपनाते तो हम भी वह सब प्राप्त कर लेते जिसे सोवियत संघ और चीन ने प्राप्त कर लिया है। हमारे पास ऐसी कोई नीति नहीं है और हम लोग व्यर्थ में ही तथा अकारण ही, श्रमिकों को दोष देते रहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : किसी को भी व्यवधान डालने की अनुमति नहीं है, कृपया अपना भाषण चालू रखिए।

श्री अनिल बसु : सभापति महोदया, मैं कोयला उद्योग की स्थिति पर बात कर रहा हूं। महोदया, राष्ट्रीय वेतन समझौता अभी तक लागू नहीं हुआ है। जे०बी०सी०सी०आई० की गत बैठक में, जिसमें माननीय मंत्री महोदय भी उपस्थित थे, इस मामले पर चर्चा हुई थी और मैं यह अनुरोध करता हूं कि तृतीय राष्ट्रीय वेतन बोर्ड के साथ हुए समझौते को तत्काल लागू किया जाए। इंटक (भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस) ने भी यही बात कही है कि पारित किए जाने के बाद से 3/4 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी यह समझौता पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।

अब मैं प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में एक शब्द कहूंगा। भारत सरकार की यह नीति है कि जो श्रमिक कार्मिक संघ के सदस्य है, वे प्रबन्ध में भाग ले सकेंगे। किन्तु कोयला खान क्षेत्रों में यह नीति बुरी तरह असफल रही है। श्रमिकों से संघ की सदस्यता

के फार्म छीने जा रहे हैं। अनेक बार प्रबन्ध मंडल द्वारा ये फार्म माफिया दलों को दिए जाते हैं और भी अनेक विसंगतियां हैं, जिनके लिए कोई भी उपचारी उपाय नहीं किए जा रहे हैं। दिल्ली में हुई गत बैठक में, जिसमें माननीय मंत्री महोदय भी उपस्थित थे, सभी श्रमिक सघों ने यह मांग की थी कि प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी के लिए गुप्त मतदान कराया जाये। इसलिए मैं यह अनुरोध करता हूं कि जबकि सभी कार्मिक संघ इस बात के लिए सहमत हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार गुप्त मतदान कराये। मैं कोयला उत्पादन आदि के आंकड़ों की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये आंकड़े मंत्रालय के प्रतिवेदन में ही उपलब्ध हैं। प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि खान के मुहाने पर इस समय 200 लाख टन कोयला-भंडार उपलब्ध है और उत्पादन और बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। किन्तु प्रश्न इस बात का है कि देश में इस कोयले के उत्पादन के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल कर खानों के अन्दर जाकर काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।

सभापति महोदया, गत 13 और 14 जनवरी में दिल्ली में खान की सुरक्षा के सम्बन्ध में छठा सम्मेलन आयोजित किया गया था। श्रम मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री इस सम्मेलन में उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उन्होंने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय लागू किए जाने चाहिएं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इतने लम्बे अन्तराल के बाद भी छठे सम्मेलन के आयोजन के समय तक पांचवे सम्मेलन में लिए गए निर्णय कार्यान्वित नहीं किए जा सके थे। इस लापरवाही के परिणाम आपके समक्ष हैं। खान दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। 1984 में 176 खान श्रमिकों को अपनी जान गवानी पड़ी थी। अभी कुछ दिन पहले ही श्रम मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री श्री टी. ए. संगमा ने इस माननीय सभा को आंध्र प्रदेश में स्थित सिंगरेनी कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में बताया था। उस दुर्घटना में सात श्रमिक मारे गए थे। इन दुर्घटनाओं का कारण यह है कि सम्मेलन में सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के बारे में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। यहां तक कि इन दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट भी नत्थी कर दी गई है। इस सम्बन्ध में आगे की जाने वाली कोई कार्यवाही भी नहीं की गई है। इस सम्मेलन में इंटक के श्री कांती मेहता ने कहा था कि वहां मैथेन मीटर तक नहीं लगाये गये हैं। मैथेन मीटर के बिना एकत्रित भूमिगत गैस को नहीं नापा जा सकता है। सीटू के श्री एम. के. पान्डे ने कहा था कि कर्मचारियों और श्रमिकों से परामर्श करके कोई सुरक्षा प्रणाली तैयार नहीं की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। उत्पादन बढ़ाने में श्रमिक बल अर्थात कर्मचारियों का बहुत महत्व होता है। यदि उनके जीवन की सुरक्षा के प्रयाप्त उपाय नहीं किए जाते हैं; तो अपने जीवन को खतरे में डालकर कौन कोयले का उत्पादन करना चाहेगा और यदि उनके हित के लिए समुचित कल्याण योजनायें नहीं बनाई जाती हैं; तो उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कारगर कार्यवाही करने के प्रति ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदया, अब मैं बिजली के बारे में बात कहना चाहूंगा। 1984-85 में हमारा लक्ष्य 19,660 मैं० वा० विद्युत उत्पादन का था। हम केवल 11,500 मैं० वा० विद्युत

उत्पादन कर पाए और हम केवल 58 प्र. श. तक लक्ष्य पूरा कर सके। 1984-85 में 156.66 बिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ है जो 1983-84 के उत्पादन से 12 प्रतिशत अधिक है। उत्पादन में इतनी वृद्धि किस प्रकार हो पाई ? इसका कारण केवल इतना ही है कि अखिल भारतीय औसत स्तर पर 1984-85 में पी. एल. एफ. केवल 50 प्रतिशत रखा गया था जबकि उससे पहले वर्ष में वह 47 प्रतिशत था। इस वर्ष 170 बिलियन यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। माननीय मंत्री महोदय निश्चित रूप से हमें यह बतायें कि लक्ष्य किस सीमा तक पूरा हो पाया है। आज देश में विद्युत की क्या स्थिति है। अभी कुछ दिन पूर्व श्री राठी वहां के अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे बताया था कि उड़ीसा में बिजली की कमी 75 प्रतिशत न होकर 80 प्रतिशत है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। बिहार में बिजली की कमी है। व्यावहारिक रूप से सभी राज्यों में बिजली की कमी है। महोदया, 4 मार्च 1986 को योजना आयोग का एक सदस्य कलकत्ता गया था और उन्होंने यह वक्तव्य जारी किया था कि पश्चिम बंगाल में 2 प्रतिशत बिजली की कमी है। हम उसके विचार से सहमत नहीं हैं।

सभापति महोदया : श्री बसु अब आप अपना भाषण समाप्त करें। आप 15 मिनट ले चुके हैं।

श्री अनिल बसु : महोदया, अब मैं पूर्वी क्षेत्र को लेता हूं, वहां के राज्यों में बिजली की सबसे अधिक कमी है। जबकि दामोदर घाटी निगम की मांग 1400 मै. वाट है; तब वहां 650 से 800 मै. वा बिजली पैदा की जाती है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु आ पहुंची है। दामोदर घाटी निगम का जल से विद्युत उत्पादन कम हो जाएगा। कर्नाटक में 30 प्र.श. विद्युत उत्पादन की कमी है। आन्ध्र प्रदेश में सूखे के कारण जल विद्युत उत्पादन बहुत कम हो गया है। पंजाब तथा दिल्ली वाणिज्य मंडल का कहना है कि पंजाब में 6.50 प्र. श., हरियाणा में 16.5 प्र. श., उत्तर प्रदेश में 25 प्र.श. और जम्मू-कश्मीर में 124.11 प्र. श. विद्युत की कमी है। पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में 250 मैगावाट विद्युत की कमी होती है और शरद ऋतु में केवल 50 मैगावाट की। पश्चिम बगाल में ऐसा कैसे होता है ?

सभापति महोदया, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 1947 से 1970 तक 7/8 महीने को छोड़कर जबकि पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार सत्तारूढ़ थी, पश्चिम बंगाल राज्य में कांग्रेस सत्तारुढ़ रही है किंतु इस काल के दौरान बिजली के उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। 1971 से 1976 के दौरान श्री सिद्धार्थ शकर राय मुख्यमन्त्री थे किन्तु उस अवधि में विद्युत उत्पादन में 1 मैगावाट की भी वृद्धि नहीं हुई थी। किन्तु 1978 से आज की तारीख तक जब से वामपक्षी मोर्चे की सरकार सत्तारूढ़ है, पश्चिम बंगाल में 1400 मैगावाट की वृद्धि हुई है। यह सच है कि केंद्रीय सरकार ने हमारी सहायता की है। किन्तु वास्तविकता यह है कि वामपक्षी मोर्चे की सरकार के सत्तारुढ़ होने के दौरान 8 वर्ष के अन्दर पश्चिम बंगाल में 1400 मैगावाट बिजली उत्पादन बढ़ा है। सभापति महोदया ऊर्जा क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, घरेलू परम्परागत ऊर्जा और गैर-परम्परागत ऊर्जा जल विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध पर्याप्त क्षमता का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि 60 प्रतिशत पी० एल० एफ० पर 72,000 मैगावाट जल विद्युत की क्षमता है। हम केवल 20 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग कर पा रहे

हैं। असम के विशाल क्षेत्र में, जहां विशाल ब्रह्मपुत्र और उस की सहायक नदियां बहती हैं, हिमालय और उप-हिमालय श्रेणियों में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्तरी कछार और अन्य क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से जल-विद्युत उत्पादन की असीमित क्षमतायें हैं। किन्तु हम उसका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। यह वास्तव में खेद का विषय है। पूर्वी क्षेत्र के प्रति भेदभाव बरता जा रहा है। उड़ीसा शिकायत कर रहा है, बिहार और असम की शिकायतें हैं। किन्तु यदि इस विशाल क्षमता का उपयोग किया गया तो स्थिति बिल्कुल बदल गई होती।

सभापति महोदया, प्रतिवेदन में उल्लिखित एक मुद्दे की ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फरक्का-I के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन 57,649 लाख रुपये का था। मार्च 1985 तक 36,965 लाख रुपया व्यय हो चुका है। 1986-87 के लिये 66,400 लाख रुपए का नियतन करने का प्रस्ताव है। इसे चालू करने का लक्ष्य 1986-87 रखा गया है। तब आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं 576,49 लाख रुपए में से 1985 तक 37000 लाख रुपए खर्च हुए। आपको 6400 लाख रुपए की अनुमति दी गई है। आप इसे 1986-87 तक कैसे पूरा करेंगे। यह फरक्का-I के विषय में है फरक्का-II के चालू होने की तारीख 1991-92 है है और उसकी अनुमानित लागत 86,848 लाख रु० है जबकि आबटन केवल 2370 लाख रु० है। आप इसकी 1991-92 में पूरा होने की आशा कैसे कर सकते हैं?

फरक्का-III को चालू करने की तारीख 1992-93 है लेकिन अभी तक आबंटन नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मंत्री जी से मेरी अपील है कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति पर विचार करें और सहानुभूतिपूर्ण-रवैया अपनायें और भेद-भाव न करें। योजना आयोग के सदस्य ने कलकत्ता में पिछली 4 मार्च को कहा था कि पश्चिमी बंगाल में 2% बिजली की कमी होगी। लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं। सातवी पंच-वर्षीय योजना के अन्त में अर्थात् 1990 में पश्चिम बंगाल में 200 मेगावाट बिजली की कमी होगी। इसलिए मैं मंत्रीजी से मुर्शीदाबाद में सागरदीघी तापीय परियोजना को मंजूरी देने का अनुरोध करूंगा जो कि हमने भेजी हुई है। आपमेजिया परियोजना भी लगा रहे हैं, शायद आपने बकरेश्वर परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन हम सागर-दीघी परियोजना को मंजूरी देने का भी अनुरोध करेंगे।

गैर परम्परागत विद्युत के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा की अधिक सम्भावनाएं है। मैंने सुना है कि स्वदेशी जेनरेटर की कमी के कारण गैर-परम्परागत स्रोतों से ऊर्जा जेनरेटर को सुरक्षित रखना कठिन है। गैर-परम्परागत ऊर्जा से हमारे गांव आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमारा देश उष्ण कटिबधीय देश है। हम प्रचुर मात्रा में सौर-ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। लेकिन हम इसके लिए स्वदेशी तकनीक की आवश्यकता है स्वदेशी जेनरेटर भी बनाने की आवश्यकता है मंत्रीजी इस पर विचार करना चाहिए।

अन्त में, एक बात पर और ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, वह यह है कि कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होने से पहले निजी खानों के संचालन के कारण रानीगंज क्षेत्र में बहुत दमनीय स्थिति विकसित हुई है। आप अन्दाजा भी नहीं लगा सकते कि रानीगंज में जमीन में दरारें पड़ने से जमीन धंस रही है। इससे वहां के लाखों निवासी अपने घरों को वापस जाने पर मजबूर हो

जाते हैं। अगर हम रानीगंज के इस विस्तृत क्षेत्र को धंसने से नहीं बचा सकते, अगर हम इसके लिए उसके विकल्प नहीं सोच सकते, और अगर राज्य सरकार आवश्यक निधि उपलब्ध करवा कर इसका निरीक्षण करें और इस विस्तृत क्षेत्र को धंसने से बचाये अगर हम किसी विकल्प के बारे में नहीं सोच सकते और यदि धंसने को रोकने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध नहीं करवाया जाता तब इस विस्तृत क्षेत्र को बरबाद होने और विनाश से नहीं बचा सकते। हमें सभी संभव उपाय करने चाहिए। जो पूरे देश को लम्बे समय से ईंधन उपलब्ध करवा रहा है। मैं मंत्रीजी को आमंत्रित करता हूं कि वह स्वयं रानीगंज आयें और इस खतरे को देखें और आवश्यक निधि देकर रानीगंज को बचाएं।

सभापति महोदया मैं आपका बहुत आभारी हूं और इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडेय (हजारी बाग) : आदरणीय सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में इतना अच्छा काम करके दिखाया है। सिर्फ कोल के प्रोडक्शन में नहीं बल्कि पावर जेनरेशन में जो सफलता इन्हें मिली है, वह प्रशंसनीय है। हम गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि हमारे देश में जो कोयले की आवश्यकता थी, उसको पूरा करने की दिशा में एक सफल प्रयास किया गया है और बहुत सूझ-बूझ से बेकार का प्रोडक्शन नहीं बल्कि जितनी आवश्यकता थी, उतना प्रोडक्शन किया है। जो क्षमता उनमें है, उससे बिल्कुल कम करके प्रोडक्शन किया गया है और बेकार का धन बरबाद नहीं किया गया है और पिछले साल बहुत सूझ बूझ से काम हुआ है। हमारी बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं। भविष्य में हम किस तरह से उनको पूरा करना चाहते हैं, उसके बारे में विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट में है और समय समय पर मंत्री महोदय ने सदन को आश्वासन दिया है कि जब भी देश को आवश्यकता होगी, तो कोयले का उत्पादन किया जा सकता है। उनके विश्वास का यह परिणाम है कि आज देश में कोयले के अपार भंडार हैं और उसकी कमी नहीं है लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि कहीं-कहीं उनसे चूक हो गई है और चूक या तो गलतफहमी में हो गई है या अनजाने में हो गई है या किसी के कहने में हो गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन करीब 216 मिलियन टन तक हो और इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स के क्षेत्र में मंत्री महोदय का सुझाव है कि जहां-जहां भी कोयला है, वहां जो जमीन ली जाएगी, उस जमीन पर रहने वाले लोगों को काम नहीं देंगे और अनस्किल्ड मैनपावर का रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। जहां चारी कमेटी और बनर्जी कमेटी का इन्होंने जिक्र किया और कहा कि मैनपावर सरप्लस है वहां इसकी विवेचना करना भूल गए कि दरअसल में अनस्किल्ड मैनपावर की शार्टेज की वजह से इनके प्रोडक्शन का ह्रास हो रहा है। अगर उसको पूरा कर दिये होते, तो आज बी० सी० सी० एल० और ई० सी० एल० का नक्शा दूसरा होता। आज जब हम बात करते है, तो बी० सी० सी० एल० एक नमूना बन कर सामने आता है। इतना लोस उसमें हुआ है। करोड़ों रुपयों का नुकसान उसको हुआ है। ई०सी०एल०की भी करीब-करीब वही हालत है। एक चीज शायद हम समझ नहीं पाते। हम मिकेनाइजेशन की बात करते हैं और मैनपावर कम करने की बात करते हैं और सब

कुछ करके भी जब सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो होटल अण्डरग्राऊण्ड मिकेनेजाइजेशन की जो इन्होंने परिकल्पना की है उसमें केवल 75 मिलियन टन का प्रोडक्शन होगा 40 परसेंट प्रोडक्शन अण्डरग्राऊड से होने वाला है और 60 परसेंट ओपन कास्ट से। 80 मिलियन टन के प्रोडक्शन के लिए अण्डरग्राऊण्ड मेनुअल वर्क पर निर्भर करना पड़ेगा। आज के दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं दस साल पहले कोयला ढोने वाले जो लोडर थे, जिनको माइनर कहते हैं, एक्चुअल माइनर, अगर बी० सी० सी० एल० और ई० सी० एल० में ये इन्ट्रोड्यूस कर दें तो बी० सी० सी० एल० को 20 करोड़ रुपये महीने का मुनाफा हो सकता है। बी० सी० सी० एल० को कोई कमी नहीं पड़ सकती है। इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

जो मेनुअल लेबर करने वाले लोग हैं, जो कि वास्तव में सरप्लस हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनके बारे में कहा जाता है कि हमारे पास काम के लिए आदमी नहीं हैं, उनके कारण आज काम का नुकसान हो रहा है। हम समझते हैं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

अभी हमारे सी० पी० एम० के भाई बोल रहे थे। बहुत सी बात उन्होंने ऐसी कही जो उनको यहां नहीं कहना चाहिए थी। पता नहीं वे धोती-कुर्ता कैसे पहने हुए थे, क्योंकि मास्को में तो अभी बर्फ पड़ रही होगी। उनको तो कोट पहनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सात सौ मिलियन टन कोयला सोवियत यूनियन और छः सौ मिलियन टन कोयला चाइना पैदा करते हैं। यह उनकी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। वे यह भूल जाते हैं उनका देश ठंडा है। भगवान ने हमको जितनी एनर्जी दी उतनी तो उनके नसीब में नहीं है। उनकी 70 परसेंट एनर्जी तो घरों के लिए खर्च होती है। भगवान ने हमको इतनी एनर्जी दे रखी है और हमको ठंड में इतनी एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। अगर हम उनकी देखा-देखी करें तो हम भी पांच सौ, सात सौ मिलियन टन कोयला पैदा कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास कोयला नहीं है। लेकिन हम इतने कोयले का करेंगे क्या, क्या कभी इन्होंने इसके बारे में सोचा है? हमको जितने कोयले की दरकार है, हम उतना ही कोयला पैदा करेंगे। यह हमारी मान्यता है कि हम किसी के बहाव में नहीं बहेंगे और देश की इकोनोमी का सत्यानाश नहीं करेंगे। ऐसी बातें वे ही लोग कर सकते हैं जिनको अपने देश के प्रति न कोई मोह है, न कोई ममता है और न अपने देश से कोई लगाव है। सिर्फ कहीं बाहर की बात सुन ली या देख ली और यहां बात कह दी। इस तरह से करना देश हित में नहीं होगा। वैसे कहने के लिए जो भी मन में आवे, कहा जा सकता है।

जैसा मैं कह रहा था कि हमको मेनुअल लेबर पर निर्भर करना पड़ेगा और कितना भी हम इन्वेस्टमेंट करें, जो भी खर्च करें मेनुअल लेबर की बात को भी हमको सोचना पड़ेगा। जब मेनुअल लेबर की बात हम करते हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात भी सामने आती है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के स्तर पर जितना अच्छा काम होना चाहिए, उतना अच्छा काम नहीं हो सकता है।

महोदय, शायद आपको पता होगा कि पूरे देश के कोयला खदान मज्दूरों ने एक दिन की हड़ताल की नोटिस दी है। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो 10 तारीख को 7 लाख

कोयला खदान मजदूर एक दिन की हड़ताल करेंगे, एक दिन अपना काम रोकेंगे। कोई इशू नहीं है, कोई नया सवाल नहीं है, जिसके लिए उनकी लड़ाई है। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो समझौता हुआ है, उस समझौते को लागू किया जाए। क्या कहीं ऐसी बात हो सकती है कि जो समझौता हुआ हो, उसके बारे में आप कहें कि हम लागू नहीं करेंगे। जो समझौता होता है वह इसीलिए होता है कि उसको लागू किया जाए। बहुत सोच समझ कर समझौता हुआ था। अब उसमें एक मुद्दा उठाया जाता है कि यह संवैधानिक नहीं है। जिस समय समझौता हुआ, उस समय सरकार के भी प्रतिनिधि, कम्पनी के भी प्रतिनिधि और हम भी प्रतिनिधि थे। उस समय संवैधानिकता की बात नहीं उठी। आज अगर कोई कहता है कि यह संवैधानिक नहीं तो उसका फैसला कौन करेगा ? हम या मालिक। हम तो यह नहीं कहते कि यह संवैधानिक नहीं है। अगर कोई असंवैधानिकता की बात हो तो हम कोई भी असंवैधानिक बात नहीं करना चाहते। लेकिन कोई बताये तो कि इसमें क्या असंवैधानिक है। केवल कहीं मीटिंग में कह देने से या कहीं और खड़े होकर कह देने से तो इसको असंवैधानिक नहीं कहा सकता और यह कहा जा सकता है कि इसको हम लागू नहीं करेंगे। यह तो बड़ी गलत बात है। अब अगर घर बनायेंगे तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। पीने का पानी मिलना चाहिए, उसको लागू करने में क्या असंवैधानिकता हो सकती है ? आपने लिखा है रिपोर्ट में कि एक जगह सरप्लस मैनपावर है और दूसरी जगह शार्टेज है। हम लोगों को भेजते हैं तो उनको जाने में कठिनाई होती है, लेकिन कभी आपने सोचा कि उनको क्या कठिनाई होती है। जहां आप भेजना चाहते हैं वहां सिर छुपाने की जगह नहीं है, न वहां आवागमन के साधन हैं, कैसे वह वहां काम करेगा, कैसे रहेगा। इसके बारे में कभी विचार हुआ ? इसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे शिक्षा के मद में खर्च करने के लिए बात हुई थी, एग्रीमेंट में और भी कई बातें हुई हैं जो अभी तक अनइम्प्लीमेंटेड हैं, इसके लिए मजदूर काफी दुखी हैं, क्षुब्ध हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय आश्वासन दें कि उनका इस तरह का कार्यकलाप होगा भविष्य में कि इस तरह के समझौते को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जायेंगे. कोई अड़चन नहीं पैदा की जाएगी, जिसमे समझौता लागू न हो सके।

महोदया, आप अन्दाज लगाइए कि डी बी सी का एग्रीमेंट समाप्त हो गया, 9 महीने हो गए, एकमात्र रिकगनाइज यूनियन से आप बात कर रहे हैं न कोई पोलीटिकल अड़चन है, न और कोई बात है और 9 महीने से आज तक समझौता नहीं हो सका। दिल्ली दरबार में वह समझौता पड़ा हुआ है। कभी कहते हैं कि 10 परसेंट देंगे, कभी बोलते हैं 14 परसेंट देंगे, कभी बोलते हैं 16 परसेंट देंगे। डी बी सी जैसी कम्पनी जहां 44 करोड़ का मुनाफा पूरा टैक्स देकर शुद्ध मुनाफा हुआ है और वह आपस में एग्रीमेंट करना चाहती है, उनको इजाजत नहीं है एग्रीमेंट करने की और वहां एक यूनियन के साथ एग्रीमेंट करने की। इस तरह से कैसे काम चलेगा ? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें।

कुछ पावर के बारे में मैं कहना चाहता हूं। अभी हमारे पूर्व-वक्ताओं ने सबने अपने-अपने क्षेत्र की बात कही। यह बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है कि पूर्वांचल में थोड़ी अनदेखी हुई है और जितना काम होना चाहिए था, उतना काम नहीं हुआ है। बिहार की अवस्था ऐसी है कि कुल दिल्ली शहर को फीड करने के लिए जितनी इंस्टाल्ड कैपेसिटी पावर की है, पूरी बिहार स्टेट को

फीड करने के लिए उतनी इंस्टाल्ड कैपेसिटी नहीं है और हाइडल और थर्मल का जो रेशो होना चाहिए वह बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से वहां प्लांट लोड फैक्टर कम होता है। सिर्फ मशीन की गड़बड़ी से होता है और कोई वजह नहीं है, लेकिन इस प्लांट लोड फैक्टर को ठीक करने के लिए वहां कुछ तो करना पड़ेगा। मंत्री महोदय के विभाग का बहुत बड़ा हिस्सा उस क्षेत्र में है। कोयला खदानों में जो लास होता है, उससे उनको जरूर तकलीफ होती होगी, लेकिन कभी इन्होंने सोचा कि सिर्फ बिजली अगर समय पर दी जाए कोल खदानों में तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। कोयला खदानों में 9-9 घण्टे बिजली नहीं मिलती और उसका भी कोई फिक्स समय नहीं है। जब मन में आए बिजली आए और जब चाहे चली जाए। अंडर ग्राउंड जो लोग काम करने जाते हैं, जब बिजली चली जाती है तो सबको फिर बाहर आना पड़ता है, इसलिए कि इसमें जान का खतरा है। अब ऐसी हालत में अगर इनका फैक्ट्री पावर प्लांट नहीं बनेगा, इंस्टाल्ड कैपेसिटी बिजली की नहीं बनेगी तो काम कैसे होगा। आप चाहे जितनी परिकल्पना करें, कितनी योजनाएं बनाएं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन व्यवहारिक बात नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं...। (**व्यवधान**)

मंत्री महोदय उस इलाके में गए हैं, इन्होने देखा कि भगवान ने कितना अपार धन इस प्रांत को दिया है और अगर इस धन का उपयोग किया जाए तो उस इलाके के लोग खुशहाल हो सकते हैं। सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात लोग करते हैं, लेकिन आज भी देश में ऐसी कल्पना हो रही है कि 100 रुपये प्रति टन घाटा करके कोयला निकाल कर सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाएंगे, पता नहीं क्या कारण है कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन को फीड करने के लिए कोयले को घाटा उठाना पड़ेगा, 100 रुपये प्रति टन, लेकिन जिस इलाके में इनीशियल स्टेज पर, प्रोजेक्ट प्राइस में, कोई प्राइस बढ़ाने की बात नहीं है, 100 रुपए टन मुनाफे से जहां से कोयला उठाया जा सकता है, पानी है, रिक्वायरमेंट है, वहां पर सुपर थर्मल पावर स्टेशन नहीं बनेगा। मंत्री महोदय ने घोषणा की कि अगर कहीं भी सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनना है तो नार्थ कर्णपुरा से आइडियल जगह और कोई नहीं हो सकती, लेकिन न अभी वह कंसीडरेशन स्टेज में है, पता नहीं कौन-सी स्टेज में है। अगर हम देश के साधनों का समुचित प्रयोग करना चाहते हैं तो सस्ती से सस्ती जितनी बिजली हम पैदा कर सकें और लोगों को मुहैया कर सकें, वह हमको करनी चाहिए, तभी यह काम हम पूरा कर सकेंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। महोदया, एक-दो बातें और कहना चाहता हूं।

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : क्या आप अगला मुद्दा ले रहे हैं।

श्री दामोदर पांडे : जी, हां।

सभापति महोदय : आप बहुत अधिक समय ले चुके हैं।

[**हिन्दी**]

श्री दामोदर पांडे : इर्रेलीवेंट बात तो मैं कोई कर नहीं रहा।

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : आप दस मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे : नान कन्वेन्सनल सोर्स आफ एनर्जी का विभाग भी मंत्री जी के अधीन है। इस संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। विन्ड-मिल, सन-रेज और बायो-गैस से सफलतापूर्वक बिजली पैदा करने हेतु प्रयोग हो चुके हैं और हो रहे हैं। जहां पर एक्युट शार्टेज है और जहां भी यह महसूस करते हैं कि बिजली पैदा करके नहीं दे सकते तो मेरा यह विचार था कि मंत्री महोदय ऐसे इलाकों में नान कन्वेन्सनल सोर्स से बिजली दे सकते हैं। वहां जरा ज्यादा थ्रस्ट होना चाहिए। बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां कई-कई दिनों तक बिजली नहीं जाती। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन की बात की जाती है। एक बार तो तार खींच कर पम्प को एनरजाइस कर दिया लेकिन महीनों तक बिजली नहीं जायेगी तो उस पम्प का क्या होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नान कन्वेन्सनल सोर्स आफ एनर्जी से कम से कम बिजली की रिक्वायरमेंट जो इरींगेशन के लिए है, उसको पूरा किया जाए। जहां बिजली की एक्युट शार्टेज है, अगर उसके बारे में प्रयास करेंगे तो मैं मानता हूं यह एक बहुत बड़ा कदम होगा और बिहार के लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन आपका आदेश हो रहा है इसलिए यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरा यह अनुरोध है कि जो मैंने सुझाव दिए हैं, उस पर विचार करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : इस मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। देश की कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के कारण विद्युत की जरूरतें बहुत अधिक बढ़ गई हैं। देश के विकास व प्रगति के लिए ऊर्जा एक बड़ा घटक है। मांगें व पूर्ति में बहुत अन्तर है। इसलिए हमें बिजली अधिक से अधिक पैदा करनी चाहिए। हम देश में बिजली की कटौती का लगातार सामना कर रहे हैं बिजली की कमी ने हमारे औद्योगिक और कृषि क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित किया है। बिजली की कमी के कारण हमारे औद्योगिक और कृषि क्षेत्र का पूरी क्षमता का कभी उपयोग नहीं हो सका। बिजली की कमी को हमारे किसान सहन कर रहे हैं।

2.34 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्रीमन् विकसित देशों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत ज्यादा हो गई है। 1981 के आंकड़ों के अनुसार कनाडा में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 14000 यूनिट्स है जबकि भारत में यह केवल 175 यूनिट हैं। इसलिए हम दूसरे विकसित देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं। जब तक हम विद्युत उत्पत्ति के लिए शीघ्र कार्यवाही नहीं करते तब तक बिजली की कमी का प्रभाव हमारे देश की प्रगति और कृषि, आर्थिक और औद्योगिक विकास पर पड़ेगा। 1947 की तुलना में 1986 में विद्युत की उत्पत्ति बढ़ गई है। लेकिन हमारे किसानों, उद्योगपतियों और दूसरे लोगों की मांग को पूरा करने के लिए अधिक बिजली की जरूरत है।

ऊर्जा के क्षेत्र में राज्यों की व केन्द्रीय परियोजनाएं हैं। राज्य विद्युत मंडलों द्वारा राज्य परियोजनाओं का प्रबन्ध किया जाता है जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो हम देखते

हैं कि केन्द्रीय परियोजनाओं का कार्य संतोषजनक है, लेकिन राज्य विद्युत मंडलों का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है। वे देश में 85% बिजली पैदा करने की व्यवस्था करते हैं। हमारे देश में बिजली की संतोषजनक स्थिति के लिए विद्युत मंडलों का अच्छी प्रकार से कार्य करना बहुत आवश्यक है। हमारे देश में बिजली की उत्पत्ति व उपयोग में भी एकरूपता नहीं है। इसमें क्षेत्रीय असंतुलन हैं। कुछ क्षेत्रों में बिजली की खपत बहुत कम है। देश के समान आर्थिक विकास के लिए बिजली का उत्पादन और विकास भी समान होना चाहिए। क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। कई राज्य बिजली के उत्पादन में बहुत पीछे हैं। और कई क्षेत्र विकास के मामले में दूसरे क्षेत्रों से पीछे हैं इसका कारण कई राज्यों में आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण हो सकता है। ऐसे स्थानों पर केन्द्र को छोटे तापीय बिजली घरों और पनबिजली परियोजनाओं को लगाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। हमने पन बिजली संसाधनों का पूर्णतया प्रयोग नहीं किया है। तुलनात्मक दृष्टि से पन बिजली परियोजनाओं में कम निवेश होता है और आधुनिक युग में अधिक से अधिक देश ताप बिजली के उत्पादन की बजाय पन बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पन बिजली पैदावार कम खर्चीली है और अधिक सुविधापूर्ण है इसलिए हमें जल संसाधनों का अधिक प्रयोग करना पड़ता है।

जैसा प्रतिवेदन में बताया गया है कि पारेषण में 21.1 प्रतिशत का घाटा होता है जिसका कारण कुप्रबन्ध, व्यर्थ चले जाना और चोरी या बिजली वितरण में लम्बी दूरी आदि दूसरे कारण है। इन्जीनियरिंग कुशलता, बार-बार निरीक्षण और अच्छे प्रबन्ध द्वारा इसे कम किया जा सकता है। अनुसंधान कार्य भी इसको कम करने में मदद कर सकता है।

दूसरा मुद्दा मैं मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि गांव के लोगों के बजाय जो लोग शहरों में रहते हैं, उन्हें बिजली की सुविधाये अधिक हैं। प्रतिवेदन के पृष्ठ 12 में यह बताया गया है कि वर्ष 1985-86 में 20.648 गांवों को और 3,95,783 पम्प सेटों को बिजली देने का लक्ष्य है जो 31.1.84 तक लगेगें। लेकिन 31.8.84 तक 10,677 गांवों को बिजली दी गई और 247,597 पम्पसेट को बिजली मे चालू किया गया। इसलिए लक्ष्य पूरा करना अत्यधिक आवश्यक है और ग्रामों में विद्युतीकरण करने तथा पम्प सेटों को ऊर्जा प्रदान कराने की ओर अधिक ध्यान देना होगा।

एक दूसरे मुद्दे की भी जानकारी मैं माननीय सदस्य को देना चाहूंगा वह यह है कि यदि बिजली के खम्बे लगा भी दिए जाते हैं तो भी उन्हें महीनों तक बिना बिजली के रहते हैं। विभाग ने इसका कारण यह बताया है कि सामान उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार कार्य के पूरा होने में देरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम वोल्टेज होने के कारण बिजली की रोशनी बहुत ही हल्की होती है।

परियोजना को चालू करने में देरी हो रही है और लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। वे यही कहेंगे कि भूमि अधिग्रहण में देरी, स्थान की प्रयाप्त छान-बीन न होना आदि इसके कारण हैं। इस प्रकार की देरी के ये सब बहाने हो सकते हैं। परियोजना को चालू करने से पहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त कर लेना चाहिए। इससे देरी से बचा जा सकता है।

पुराने पड़ जाने के कारण अनेक विद्युत स्टेशन ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं । इसलिए इनका नवीकरण और आधुनिकीकरण करना होगा जिससे वे बेहतर और नियमित रूप से कार्य कर सकें ।

दूसरा मुद्दा यह है कि जहां भी संभव हो सके वहां बड़ी संख्या में लघु पन विद्युत परियोजनायें स्थापित की जायें । इन पर अधिक राशि के निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती । लघु पन विद्युत परियोजनायें स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार करनी होगी । विद्युत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है । इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि इस क्षेत्र के लिए अधिकाधिक वित्त का नियतन किया जाए । धनाभाव के कारण अनेक योजनायें कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये आज चूंकि शुक्रवार है, इसलिए अधिकांश सदस्य अब बोलना चाहते हैं । हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए ।

श्री एन० डेनिस : चूंकि विद्युत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिये इन सब योजनाओं के लिए अधिक से अधिक निधि का नियतन करना होगा । विद्युत के मामले में तमिलनाडु कमी वाला राज्य है यहां आये दिन बिजली की कटौती और विद्युत प्रतिबंध लगा रहता है । बिजली की कटौती के कारण उद्योग और कृषि विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हैं । यद्यपि पम्पसेटों का विस्तार कर दिया गया है किन्तु कृषि मौसम के दौरान उन्हें चलाया नहीं जा सकता है । मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक और मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं कि तमिलनाडु को अच्छे किस्म का कोयला सप्लाई नहीं किया जाता है । केन्द्र तथा संबंधित विभाग से कई बार अनुरोध किया गया है कि अच्छे किस्म का कोयला सप्लाई किया जाये । सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि विदेशों से अच्छे किस्म का कोयला आयात करने की अनुमति दी जाये । यदि यह बात सरकारी नीति के विरुद्ध नहीं है; तो कोयला आयात करने की अनुमति दे दी जाये ।

मैं एक दो मुद्दों का और उल्लेख करना चाहूंगा । तिरुनेलवेली जिले में कुडानगुलम में एक परमाणु विद्युत संयंत्र की एक परियोजना है जिसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है । स्थल इंजीनियरों ने इसे अनुमोदित कर दिया है । एक उच्च-स्तरीय समिति ने इस योजना की संभाव्यता की पुष्टि की है । इसलिए, इस योजना को तेजी से कार्यान्वित करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायें ।

कन्या कुमारी जिले के राजाक्का मंगलम में एक तापीय संयंत्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव है । इसका सर्वेक्षण हो चुका है, जांच-पड़ताल कर ली गई है और सरकारी भूमि भी उपलब्ध है । आधारभूत संरचना सुविधायें भी वहां उपलब्ध हैं । इसे एक पिछड़ा जिला वर्गीकृत किया गया है । मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को भी तेजी से कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जायें । इसी प्रकार पारालीयर पन विद्युत परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है । यह एक लघु पन विद्युत परियोजना है । इसे मामूली लागत पर कार्यान्वित किया जा सकता है । इस योजना को भी शीघ्र कार्यान्वित किया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री एन० सुन्दरराजन (शिवकाशी) : अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रुमक मुनेत्र कड़-घम की ओर से ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने हेतु अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अपने देश के विकास के लिए ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदान है और यह आधुनिक जीवन की सफलता की कुंजी है। उद्योग अथवा कृषि किसी भी क्षेत्र में बिजली के बिना उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है। आजकल, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत से देश के विकास का पता चलता है। कनाडा में प्रति व्यक्ति 14,000 यूनिट बिजली की खपत है और स्वीडन में 11,500 यूनिट। अमरीका में प्रति व्यक्ति 10,500 यूनिट बिजली की खपत है। किन्तु भारत में यह केवल 175 यूनिट है। सरकार ने तेल का पता लगाने के लिए कई उपाय किए हैं। लगातार खोज और उत्पादन की कार्यवाही करते रहने से भारत 1979-80 में 118 लाख टन तेल का उत्पादन कर सका है। 1983-84 में सरकार 256 लाख टन तेल का उत्पादन कर सकी थी। 1947 में अपने देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1,362 मैगावाट थी किन्तु 1985 में अपने देश में विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता 46,900 मैगावाट थी। इस 46,900 मैगावाट की क्षमता में, 29,936 मैगावाट की क्षमता के तापीय विद्युत स्टेशन संस्थापित किए गए थे, 15,634 मैगावाट क्षमता की पन विद्युत परियोजनायें और 1,330 मैगावाट क्षमता की परमाणु परि-योजना संस्थापित की गई थी। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बजाए तापीय विद्युत स्टेशन स्थापित करने में सरकार की अधिक रुचि है। भारत में हम अब तक पन-विद्युत की 10 प्रतिशत क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पाये हैं।

सोवनसारी नदी पर 5,000 मैगावाट क्षमता की पन-विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव था। दिहांग नदी पर 20,000 मैगावाट का एक विद्युत स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव था. ये दो नदियां ब्रह्मपुत्र के ऊपरी विस्तार पर स्थित हैं।

इन पन-विद्युत परियोजनाओं को संस्थापित करके हमें न केवल बिजली की ही प्राप्ति होगी; अपितु पानी की प्राप्ति भी होगी जिसे हम सिंचाई के काम में ला सकते हैं। किन्त तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना से बिजली बहुत मंहगी प्राप्त होगी। तमिलनाडु में अधिकांश विद्युत एकक तापीय विद्युत एकक है। कोयला उत्तरी भारत से आ रहा है। कोयले के मूल्य से परिवहन का मूल्य अधिक है। उदाहरण के तौर पर एक टन कोयले का मूल्य 300 रुपए है जब कि उस पर परिवहन लागत 320 रुपए आती है। कोयले की कुल लागत 620 रुपए आती है। इतना ही नहीं उत्तर भारत से प्राप्त होने वाले कोयले में 'राख' की मात्रा अधिक होती है। वे कोयले के साथ पत्थर भी भेज रहे हैं। अतः यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड वास्तविक कोयले के अलावा पत्थर के परिवहन का मूल्य भी वहन कर रहा है। तमिलनाडु राज्य विद्युत परिषद के घाटे में जाने का यह भी एक कारण है।

ऊर्जा संरक्षण एक महत्वपूर्ण मामला है जिसके लिए सरकार ने वर्तमान एककों का आधु-निकीकरण और नवीकरण करने के लिए 500 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया है। किंतु मेरे विचार से केवल 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मौजूदा एककों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनका नवीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए माननीय मंत्री महोदय को अधिक राशि आवंटित करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

भारत में एक टन इस्पात के उत्पादन पर 13 लाख किलो कैलोरी व्यय होता है। किंतु यह जापान में जितना आकार होता है उससे दोगुने से भी अधिक आकार का होता है। विद्युत उपयोग और बढ़ाने के लिए हमें विश्व में उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करनी होगी।

जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है, यहां 99.8 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण हो चुका है। इसका राष्ट्रीय औसत केवल 64.5 प्रतिशत है। जहां तक पम्प सैटों को ऊर्जा प्रदान करने का प्रश्न है। पूरे भारत में केवल 59 लाख पम्प सैटों को ऊर्जा से चालू किया जा सका है। तमिलनाडु में हम लगभग 10,23,000 पम्प सेटों को ऊर्जा प्रदान कर चुके हैं और ऊर्जा प्रदान करने के लिए चार लाख आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं। किन्तु बिजली की कमी के कारण राज्य विद्युत परिषद उन्हें बिजली नहीं प्रदान कर सके हैं। इसलिए मंत्री महोदय, कृपया इस बात का ध्यान देने की कृपा करें।

तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र के पास नौ योजनायें भेजी हैं जो संघ सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी हैं। होग्केनेकल उनमें से एक है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाये।

आजकल राज्य विद्युत परिषद की कार्यशालाओं में बिजली के विवरण और पारेषण के सामान भी बनाये जाते हैं। इस सामान पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इन उत्पादों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाये। ग्रामीण विद्युतिकरण और पम्पसेटों को विद्युत प्रदान करने का काम अधिक तेजी से करने के कारण देश के अधिकांश विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन विद्युत बोर्डों को भी आय कर से मुक्त रखा जाए जैसाकि सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को रखा जाता है। मुझे विश्वास है कि राज्य विद्युत बोर्ड जो इस समय घाटे में चल रहे हैं; लाभ कमाने और व्यावहार्य हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में हमें विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता लेनी होगी। न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्रीय सरकार अपेक्षित निवेश करने की स्थिति में है।

अतः विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त करने के लिए इन बिजली बोर्डों को आयकर से मुक्त कर देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता का नाम लेने से पहले मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि केवल 5 या 6 मिनट ही लें क्योंकि हम 3.30म०प०पर गैर सरकारी सदस्य के कार्य को लेने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे संक्षेप में बोलने तथा केवल 5 या 6 मिनट लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन [बाड़मेर] : उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के सम्बन्ध में जो मांगें प्रस्तुत हुई हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। पहले मैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लासिज के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे मंत्री महोदय जी ने बताया है कि राजस्थान के अंदर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ज्यादा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा राजस्थान बहुत विस्तृत और

रेगिस्तानी क्षेत्र है। मैं चाहता हूं कि जो थैफ्ट आफ पावर है, उसके सम्बन्ध में सख्त कदम उठाने चाहिएं। मंत्रीजी ने काग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जो प्रपोज किया है, उसकी मैं कद्र करता हूं, परन्तु मैं चाहता हूं, कि काग्निजेबल आफेंस के साथ नान-बेलेबल ऑफेंस भी होना चाहिए क्योंकि आई० पी० सी० की डेफीनेशन में भी थैफ्ट नान-बेलेबल ऑफेंस है। इसके लिए पनिशमेंट भी कम से कम 5 वर्ष की होनी चाहिये। ऐसा करने से ही ये इंडस्ट्रियलिस्ट और एग्रीकल्चरलिस्ट रुकेंगे जो कि बिजली की चोरी करते हैं क्योंकि ये प्रगति में सबसे बड़े बाधक हैं।

अब मैं थर्मल पावर की बैटर प्रफारमेंस के बारे में कहना चाहता हूं। आपने ठीक कहा है कि राजस्थान में कोटा में जो थर्मल प्लांट है, उससे रिकार्ड 77.49 परसेंट का पावर लोड फेक्टर प्राप्त किया। दूसरे भी इस प्रकार के जो पावर सेक्टर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, वह प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपने सफलता भी प्राप्त की है। 47.9 प्रतिशत से लेकर 50.8 प्रतिशत। इस ओर प्रयास किया जाना चाहिए, पर इसमें 60 प्रतिशत तक प्रयास करें। सफलता प्राप्त करेंगे तो काफी विद्युत सरपल्स हो सकती है और उससे हमारे क्षेत्र को लाभ हो सकता है।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि समय की पाबन्दी लगा दी गई है। आरईसी स्कीम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपने 6,30,000 गांव निर्धारित किए, इसके आधार पर आपने 3,87,677 गांव इलैक्ट्रीफाई हो चुके हैं। 55 प्रतिशत इलैक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे जैसलमेर जिले में सिर्फ पांच प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है। आरईसी की जो भी स्कीम राजस्थान सरकार द्वारा भेजी जाती है, केन्द्रीय सरकार उसको मंजूर नहीं करती है। क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, जनसंख्या बहुत कम है। राजस्थान कैनाल पहुंच चुकी है और क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं। नाचना में राजस्थान कैनाल पहुंच चुकी है, मोहनगढ़ में राजस्थान कैनाल पहुंच चुकी है, जिसकी जनसंख्या पांच हजार है। लेकिन इन क्षेत्रों के लिए आरईसी स्कीम मंजूर नहीं होती है, तो उन क्षेत्रों का विद्युतीकरण नहीं होता है। परन्तु कैनाल जहां पहुंच चुकी है और जनसंख्या भी बढ़ गई है, लेकिन इन क्षेत्रों का विद्युतीकरण नहीं होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह काम अवश्य किया जाना चाहिए। जैसलमेर जिले की जितनी भी आरईसी स्कीम्स हैं, वे सबकी सब मंजूर की जायें। देश आगे बढ़ रहा है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने निर्णय लिया है कि सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा, तो जैसलमेर पीछे नहीं रहना चाहिए। बाड़मेर पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए जैसलमेर की जितनी भी आरईसी योजनायें हैं, वे सब आप मंजूर कर लें। बाड़मेर की शिव योजना भी मंजूर नहीं हुई है, उनको भी आप मंजूर कर लें, ताकि विद्युतीकरण के दौर में वे भी प्रगति कर सकें।

एक बात मैं अब नेशनल ग्रिड के बारे में कहना चाहता हूं। नेशनल ग्रिड के लिए अब बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। आपने राज्यों से सलाह ली है, नेशनल ग्रिड की स्थापना होनी चाहिए। नेशनल ग्रिड की स्थापना होने से जिन स्टेट्स में बिजली कम है और जहां बिजली सरप्लस है, वे उसका लाभ उठा सकेंगी और वे भी प्रगति कर सकेंगी। वे भी विकास कर सकेंगी। देश हमारा एक है। जब देश को एकता सूत्र में बांधना चाहते हैं तो नेशनल ग्रिड की आवश्यकता है। इसलिए नेशनल ग्रिड की स्थापना के लिए काफी प्रयास किए जाने चाहिएं।

हमारे बाड़मेर जिले में कपूरडी स्थान पर छ: करोड़ मिट्रिक टन लिगनाइट निकला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कैसे क्वालिटी का है? इसकी देखरेख मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन कर रहा है, प्लानिंग कमीशन देखरेख कर रहा है और हमारे राजस्थान का मिनरल डिपार्टमेंट भी इसकी देखरेख कर रहा है। इसके काम की गति बहुत धीमी है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी गति बढ़ायें। गति बढ़ाकर ड्रिलिंग करके परिणाम हासिल कीजिए। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्दी तैयार करें। यह कार्य साढ़े तीन वर्षों से चल रहा है। इसकी प्रगति बहुत ही धीमी है। इसकी गति बढ़ाकर इसको सातवीं पंचवर्षीय योजना में लीजिए, ताकि हमारा विद्युत का संकट दूर हो सके।

प्लाना लिगनाइट प्लान्ट के लिए हमारे पास साधन नहीं है। वैस्ट जर्मनी से बातचीत चल रही है। जो सहायता मिल सकती है, उससे आप हमारी मदद करिए। मेरा आपसे निवेदन है कि प्लाना लिगनाइट प्लान्ट सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा कीजिए। रामगढ़ को आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया है। आपने रामगढ़ में गैस-बेस्ड प्लान्ट लगाने का का निर्णय लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामगढ़ में चूने का आपार भण्डार निकला है। देश के अन्दर कहीं पर भी इतना बड़ा भण्डार नहीं है। यदि रामगढ़ का विद्युतीकरण हो जाता है, तो चूने का बहुत ही अच्छा उपयोग हो सकता है। 99 प्रतिशत उसकी प्योरिटी है और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में है। इस बारे में भी गैस जब तक कन्सैशनल रेट पर प्राप्त नहीं होगी, पैट्रोलियम डिपार्टमेंट से बातचीत करने का निर्णय नहीं करेंगे, तब तक यह गैस बेस्ड प्लांट नहीं हो सकता है। इस संबंध में भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस दिशा में कदम उठाने का प्रयास करें। मैं यह भी चाहता हूं कि सतपुड़ा से जो बिजली हमें मिलती है, उस का

3.00 म०प०

पूरा शेयर हमको मिलना चाहिए। वे क्या करते हैं कि जब हमें जरूरत नहीं होती है तब तक बिजली दे देते हैं और जब बिजली की जरूरत होती है तब बिजली नहीं दे देते हैं। सतपुड़ा से जोधपुर शहर में बिजली आती है और वह आंख-मिचौनी करती है। यह बताया गया कि 8.3 परसेंट 1985-86 में उस की कमी है। आप मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से रिक्वैस्ट कर हमें रिलीफ पहुंचाइए।

उर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : उनका पैसा भी दिलवाइए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : पैसा दिलवाने में कोई ओब्जेक्शन नहीं है। हमारी गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है और इस संबंध में हम विशेष तौर पर मदद करेंगे।

श्री वसंत साठे : 40 करोड़ रुपया बाकी है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : दोनों चीफ मिनिस्टर्स को बुला लीजिए और निर्णय ले लीजिए। एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में हवा भी है और साथ-साथ सूर्य का प्रकाश भी है परन्तु इस संबंध में हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में जो प्रयास किए गए, वे नहीं के बराबर हैं। वहां पर विंड मिल स्थापित कीजिए। विंड मिल्स के द्वारा गांवों में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है और पीने के पानी की व्यवस्था भी की जा सकती है। इसके लिए आपको कदम उठाने चाहिएं। साथ ही साथ सोलर इनर्जी के बारे में प्रयास करना चाहिए। कोई भी

ठोस कदम इस दिशा में रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं उठाया गया है। गुजरात में उठाया गया है और कच्छ में उठाया गया है लेकिन हमारे यहां नहीं उठाया गया है और सोलर इनर्जी के बारे में आप ने जो प्रयास किया है, वह नहीं के बराबर है।

एक चीज और कहना चाहता हूं। हमारे यहां इम्प्रूव्ड चूल्हों की बड़ी मांग है। 18 लाख चूल्हे देने की योजना थी और यह 31 मार्च, 1986 तक दिए जाने थे। चूल्हों की हमारे यहां बहुत अधिक मांग है और राजस्थान में विशेष तौर पर इसकी मांग है। रेगिस्तानी क्षेत्र में लोग लकड़ी नहीं काटना चाहते हैं और फौरेस्ट्स प्रीजर्व करना चाहते हैं। इसलिए इम्प्रूव्ड चूल्हों के मामले में आप हमारी मदद कीजिए। गोबर अधिक होने से बायो-गैस प्लांट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो खाद बनती है, वह अच्छी क्वालिटी की होती है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बायो गैस प्लांट स्थापित कीजिए।

इन शब्दों के साथ मैं ऊर्जा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० मोहनदास (मुकुन्दपुरम) : महोदय, आज के युग में सभी प्रकार के विकास कार्यों के लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण है। भारत ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला, पानी आदि ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का काफी उपयोग किया है। इसमें कोई सदेह नहीं है कि कोयले का उत्पादन बढ़ा है परन्तु इसमें एक समस्या है। कोयले का भंडार अनंत नहीं है और यदि हम वर्तमान गति से इसको निकालते रहेंगे तो कुछ वर्षों बाद अर्थात 50 या कुछ अधिक वर्षों बाद वहां कुछ नहीं बचेगा। अत: यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर आयें। मुझे खुशी है कि सरकार ऊर्जार्थ अन्य स्रोतों का उपयोग करने में अब अधिक ध्यान दे रही है जिसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं।

3.0○ म. प.

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

बिजली सबसे अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा है जो देश के विकास में प्रधान भूमिका अदा करती है। सरकार ने बिजली के क्षेत्र में विपुल निवेश किया है। अभी भी हमारे पास बिजली की कमी है। उद्योगीकरण की गति में वृद्धि होने के कारण बिजली की आवश्यकतायें भी बढ़ी हैं। मौजूदा बिजली की यूनिटें आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती हैं। इस क्षेत्र में मुख्य समस्या यह है कि अधिकतर बिजली की यूनिटें आधी क्षमता से काम कर रही हैं। साथ ही, बिजली पारेषण में नुकसान की समस्या है। कुछ राज्यों में पारेषण नुकसान 20% से अधिक है। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने इस बारे में कई उपाय लिए है और मुझे पता चला है कि अधिक क्षमता के उपयोग और पारेषण नुकसान में कमी दोनों ही दिशाओं में सही सुधार हुआ है।

महोदय, देश में बिजली के उत्पादन की योजना में पन बिजली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे बताया गया है कि हम अपने देश के जल ससांधनों के 10 या 11 प्रतिशत भाग से अधिक उपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि उचित निवेश किया जाता है तो हम पन बिजली उत्पादन के माध्यम से पर्याप्त बिजली पैदा कर सकेंगे। इस देश में बड़ी नदियों की काफी बड़ी संख्या है। जिनको जल बिजली के उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। परन्तु सापेक्ष महत्व की

योजना की कमी के कारण हम इस बहुमूल्य संसांधन का उपयोग नहीं कर सके हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि संसाधनों का क्षमता से कम उपयोग हुआ। इस संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों द्वारा भेजी गई कई परियोजनाएं केन्द्र के पास स्वीकृति के लिए पड़ी हुई हैं। मैं समझता हूं कि मेरे राज्य केरल के कई प्रस्ताव केन्द्र की मंजूरी के लिए रुके पड़े हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की इच्छाओं के अनुरूप साइलेंटवेली पन बिजली परियोजना छोड़ दी गई थी। परन्तु केरल को आश्वासन दिया गया था कि एक वैकल्पिक योजना की मंजूरी दी जाएगी। तदनुसार, केरल ने वैकल्पिक योजना के लिए प्रस्ताव भेजा परन्तु मुझे बताया गया है कि केन्द्र ने इसे भी अस्वीकार कर दिया।

महोदय, यह गलत धारणा है कि केरल में बिजली जरूरत से अधिक है। यह कपोल कल्पना है। यदि केरल में बिजली की क्षमता का निकट भविष्य में और आगे विस्तार नहीं हुआ तो केरल को बिजली की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा।

जैसे-जैसे औद्योगिक विकास की गति बढ़ती है, वैसे-वैसे बिजली की कमी अधिक-से-अधिक होती जाएगी। इसलिए, केरल में विद्युत की क्षमता का विस्तार करना होगा।

इस संदर्भ में ! मैं केरल में बिजली समस्या के एक महत्वपूर्ण पहलू पर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। केरल में इस समय केवल पन बिजली प्रणाली है और इसको अपने जलाशय में पानी की पर्याप्त मात्रा रखने के लिए पूरी तरह से मानसून पर निर्भर होना पड़ता है। दो वर्ष पहले मानसून न आने के कारण केरल को अभूतपूर्व बिजली के संकट का सामना करना पड़ा था। इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि हम पूरी तरह से पन बिजली पर ही निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए केरल सरकार ने अनुरोध किया था कि आने वाले वर्षों में इसकी ऊर्जा आवश्तकताओं को पूरा करने के लिए केरल में परमाणु बिजली घर स्थापित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर मैं उस मांग को दोहराता हूं और मानीनय मंत्री से केरल में परमाणु बिजली घर की स्थापना के बारे में तुरन्त निर्णय लेने का अनुरोध करता हूं। शायद केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां केंद्रीय क्षेत्र में बिजली परियोजना नहीं है। व्यावहारिक रूप से बिजली के क्षेत्र में केन्द्र का निवेश शून्य है। इसलिए यह सभी प्रकार से बहुत आवश्यक है कि इस बारे में केरल पर कुछ अधिक विचार किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री केरल के मामले पर अनुकूल रूप से विचार करेंगे और इसकी बढ़ती हुई बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मागों का समर्थन करता हूं।

श्री विजय एन. पाटिल (इरन्दोल) : सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रालय की माँगों का समर्थन करता हूं। हमें पता चला है कि वायु, सौर इत्यादि जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए केवल दूर दराज के गांवों को ही चुना जाता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिन गांवों में बिजली की सप्लाई है उन्हें भी गैर परम्परागत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत सप्लाई किये जाने चाहिएं। साइप्रेस जैसे विकसित देश में भी मैंने देखा है कि प्रत्येक घर में सौर जल हीटर उपलब्ध हैं। उस देश में प्रत्येक सातवें व्यक्ति के पास एक कार है। वे गीजर तथा अन्य बिजली के सामान की सहायता से घरेलू उपयोग के लिए जल को गर्म कर सकते हैं परन्तु वे

बिजली को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। वे बिजली की बचत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में काफी धूप खिलती है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। वार्षिक प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि इस देश मे जो 5 लाख गोबर गैस संयत्र लगे हुए हैं उनसे हम प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए मूल्य के गोबर या वन लकड़ी की बचत कर सकते हैं। अत: यदि हम पूरे देश में एक करोड़ गोबर गैस के संयंत्र लगा सकें तो वन लकड़ी या गोबर की बचत 2000 करोड़ रुपये तक हो सकती है। महोदय, गोबर खाद के लिए महत्वपूर्ण हैं और गोबर गैस संयंत्र से एक फायदा है। ससाधित करने के बाद इससे निकलने वाले गोबर में एक प्रतिशत नाइट्रोजन बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस देश में उत्पादित नाइट्रोजन खाद पर 50 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। महोदय, गोबर के उपयोग से 2000 करोड़ रुपए की बचत का अर्थ भारी बचत और देश में प्रचुर धन का निर्माण है। माननीय मंत्री पहले पेट्रोलियम और उर्वरक के भी प्रभारी थे। महोदय, हमें सूचित किया गया है कि हमें नाइट्रोजन उर्वरक पर आर्थिक सहायता देनी पड़ती है। 1990 तक आर्थिक सहायता की यह राशि 7000 करोड़ रुपए तक हो जाएगी। ऊर्जा विभाग के इस वैकल्पिक स्रोत को कुछ अधिक पैसा देने के बारे में हमें अभी से योजना क्यों नहीं बनानी चाहिए? सरकार को गोबर गैस संयंत्रों के लिए अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि हम राष्ट्रीय सम्पत्ति वन सम्पति और गोबर की बचत कर सकें। इसके कारण हम अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता को कम कर सकते हैं और उर्वरक के मूल्य को कम कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह महाराष्ट्र सरकार को यह बताए कि गोबर गैस संयंत्र पर आर्थिक सहायता बन्द न करें। इसके विपरीत आर्थिक सहायता बढ़ाई जानी चाहिए और इसे निरन्तर जारी रखना चाहिए।

महोदय, इसके बाद हमें कोयले पर नजर डालनी होगी। हमें इसे केवल जलने वाले ईंधन के रूप में ही नहीं बल्कि पेट्रोरसायन और रसायन उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में देखना होगा। चाहे यह कोयला हो। पेट्रोलियम या गैस हो। इसका उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जहां तक बिजली के उत्पादन का संबंध है, हमें परमाणु ऊर्जा और जल बिजली तथा गैर परम्परागत ऊर्जा पर भी अधिक ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुछ संयंत्र जैसा कि कोटा में एक है-उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हमें खुशी है कि हमारे नए परमाणु बिजली घर के निर्माण में 95% से 97% तक हमारे देशी सामान का उपयोग होगा जिन्हें कल्पकम और देश के अन्य स्थानों पर लगाया जाएगा। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन की सम्भाव्यता बहुत अधिक है। पन बिजली की क्षमता का भी प्रयाप्त विस्तार नहीं किया गया है। यदि हम हिमालय से निकलने वाली नदियों का उपयोग करें – उदाहरण के लिए सिक्किम से आने वाली रागी और तीस्ता नदी और पन विद्युत केन्द्र स्थापित कर सकें तो काफी ऊर्जा पैदा की जा सकती है और पश्चिम बंगाल, बिहार, असम तथा बंगला देश को भी ऊर्जा की सप्लाई की जा सकती है।

महोदय, हमारे देश में धूप बहुत उपलब्ध है तथा हमारे देश में वायु ऊर्जा भी उपलब्ध है। सिलिकोन क्रिसटल/फोटोवोलटेयिक सेल की लागत में कमी करके यदि हम सौर पम्प की लागत को कम कर सकें तो हजारों और लाखों कृषि पम्पों को बिजली की मोटरों को फोटोवोला-

टेयिक सेल बिजली मोटर में बदला जा सकता है। हमें खुशी है कि मेटूर में हमारा उद्योग बढ़िया किस्म के सिलिकान क्रिस्टल का उत्पादन कर सका है और इसकी शुद्धता का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। हमें आशा करनी चाहिए कि निकट भविष्य में हम फोटोवोलटेयिक सेल पम्पों की लागत को कम कर सकेंगे ताकि जिन पम्पों को किसानों के खेतों में ऐसे पम्प लगाए जा सकें जो आजकल अनियमित रूप से कार्य कर रहे बिजली चालित पम्पों की अपेक्षा अधिक किफायती हों सस्ते हों और ज्यादा दिनों तक चल सकेंगे। पारेषण के दौरान हानियों से बचने के लिए हमें सीतू नामक स्थान पर विद्युत संयंत्र लगाने के विचार पर प्रभावी ढंग से विचार चाहिए और हमारी राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली होनी चाहिए। एक ओर इस राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली की स्थापना जल्दी होनी चाहिए दूसरी ओर विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को किसानों व उद्योगपतियों से अपने शुल्क वसूल करने के लिए कहना चाहिए। उद्योगों को की जाने वाली विद्युत सप्लाई में 20 प्रतिशत से अधिक हानि होती है और उद्योगों को बिजली की सप्लाई में बहुत चोरी होती है। यह बिजली विभाग के लोगों की मिली भगत से होता है। इसे समाप्त कर देना चाहिए। वे बिजली के मीटरों में गड़बड़ कर देते हैं और इसी कारण हमें किसी भी ताप बिजली संयंत्र से पूरी आय नहीं मिलती। इस बात को सख्ती से समाप्त किया जाना चाहिए। एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे यह पता लग जाए कि कितनी बिजली उत्पन्न की गई है, कितनी का उपयोग किया गया है और इससे हमने कितना अर्जन किया है। इस प्रकार के आंकड़ों से हमें यह आसानी से पता लग सकता है कि कितनी चोरी हुई है उदाहरणतया गाजियाबाद व अन्य क्षेत्रों में यदि हम इन कमियों को दूर कर दें तो निश्चित रूप से विद्युत संयंत्र और राज्य बिजली बोर्ड लाभ कमायेंगे अथवा कम से कम हानियां तो नहीं होंगी या कम हो जायेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर पुनः जोर देता हूं और अनुरोध करता हूं कि हमें कोयले व पेट्रोलियम उत्पादों को कच्चे सामान के रूप में समझना चाहिए न कि ऊर्जा की सामग्री के रूप में। मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

डा० प्रभात कुमार मिश्र (जजंगीर) : महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ऊर्जा एक उच्च तकनीकी विषय है और मैं इसके तकनीकी पक्ष के आंकड़ों के विस्तार में नहीं जाऊंगा परन्तु लोगों का प्रतिनिधी होने के कारण मैं निश्चित रूप से सदन व माननीय मंत्री जी का ध्यान समस्याओं व उपलब्धियों की ओर आकर्षित करूंगा और अपने सुझाव भी दूंगा।

ऊर्जा जीवन के लिए जरूरी है और राष्ट्र को जीवित रखने के लिए सबसे जरूरी है। मुझे सबसे अधिक उत्साही ऊर्जा मंत्री को मेरे राज्य में सौ प्रतिशत उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बधाई देनी चाहिए। विशेष रूप से कोरबा में और मैं बिलासपुर में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड (दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र) की स्थापना के लिए आभारी हूं। ऊर्जा जैसा मैंने कहा है सबसे जरूरी है और इसीलिए इसे केन्द्रीय विषय बनाना चाहिए। जैसा आप जानते हैं, मध्य प्रदेश राष्ट्र बिजली बोर्ड कोरबा में एन० टी० पी० सी० द्वारा उत्पादित बिजली का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है इसके परिणाम स्वरूप एन० टी० पी० सी० से अपना उत्पादन कम करने के लिए कहा गया है क्योंकि राज्य बिजली बोर्ड इसे किसानों तक पहुंचाने की स्थिति में नहीं है।

बिलासपुर जिले का केवल 42 प्रतिशत भाग का ही विद्युतीकरण किया गया है यद्यपि एन० टी० पी० सी० और एम० पी० ई० बी० वहां स्थित हैं। इसीलिए मैं सुझाव देता हूं कि इसे केन्द्रीय विषय होना चाहिए और केन्द्र को भी इसका ध्यान रखना चाहिए।

मैं मंत्री जी से जोरदार आग्रह करूंगा कि बोन्गो व बुरजी में पन बिजली संयंत्र के काम के लिए अधिक धन राशि जुटाई जाये ताकि इसे शीघ्र पूरा किया जा सके और इसका नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए। इससे आगे संयंत्र लगाने के साथ-साथ कुछ तकनीकी संस्थान भी खोले जाने चाहिएं ताकि स्थानीय स्तर पर दक्ष लोग उपलब्ध हों। संयंत्रों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिजली को जमा करने के लिए आधुनिकतम तकनीक का विकास किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए गलियों में रोशनी के लिए और दूसरे कार्यों के लिए सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। बैटरी के माध्यम से उसे जमा करने का प्रबन्ध भी करना चाहिए।

महोदय, हमारे लक्ष्य प्राप्त न होने का मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। मुझे सूचना दी गई है कि ह्यूम पाइपों को सप्लाई करने का आर्डर उसी ठेकेदार को दिया गया है जिस पर सीमेन्ट के मामले में कोरबा में 1983 में पुलिस ने मुकदमा चलाया था। वह अब भी विन्धयाचल ताप बिजली घर को आवश्यक मात्रा में पाइप सप्लाई नहीं कर रहा है।

अन्य कारण भी हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र को हानि पहुंचा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले की तस्करी एक मुख्य समस्या है। संयंत्रों को प्रयाप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई नहीं की जाती। कोयला भी निम्न कोटि का है। संयंत्र को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की तस्करी की जाती है और इसे बेचा जाता है।

वे संयंत्र की आवश्यकतानुसार कोटे की पूर्ति करते हैं और इस कोयले में राख आदि मिलाते हैं। ये सभी कारक संयत्र के उत्पादन पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

स्थानीय व्यक्तियों को केवल 800 रु० प्रति माह के वेतनमान पर रोजगार देने का एक बहुत पुराना प्रस्ताव है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव में संशोधन किया जाए और राशि को बढ़ाया जाए।

सामान्य बजट पर बहस करते हुए मैं पहले ही सुझाव दे चुका हूं कि निदेशक (कार्मिक) अन्य समान पद के अधिकारी को राज्य संवर्ग से ही चुना जाना चाहिए ताकि उसे स्थानीय बेरोजगारी की समस्या से अवगत कराया जा सके। जो कि हर जगह काफी पुरानी समस्या चली आ रही है।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि माफिया गिरोह से कोयले की खानों की सुरक्षा के लिए बहुत सख्ती की जानी चाहिए जो कि सभी कोयले की खानो में गम्भीर समस्या बन चुके हैं। मैं बिना झिझक यह कह सकता हूं कि जब तक अधिकारी वर्ग की तरफ से कोई लापरवाही नहीं होती, तब तक उनके लिए इतनी आसानी से खानों में अपनी गतिविधियां जारी रखना सम्भव नहीं है।

कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक सयंत्र को अब शुरु किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार का यह वायदा काफी लम्बे समय से है। लोग उत्सुकतापूर्वक संयंत्र के क्रियाशील होने का

इन्तजार कर रहे हैं। एक बड़ी धनराशि अब भी मशीनों के रख-रखाव आदि पर खर्च की जाती है राज्य सरकार को कोयले के लिए निर्धारित कुल धन राशि का कम से कम 50% कोयला खान क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करना चाहिए। विशेष रूप से सड़कों व अन्य स्थानों के विकास के लिए इसे व्यय किया जाये। इसका केन्द्र सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए।

मैं एक उदाहरण देकर कोयले की ढुलाई में भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले साल कोरबा में कोयले की ढुलाई पर 70 लाख रुपये खर्च किए गए थे परन्तु ट्रकों में कोयले की अपेक्षित निम्नतम मात्रा भी नहीं लादी गई थी। अधिकारियों ने यह दलील दी थी कि तुलाई मशीन ठीक नहीं थी। लेकिन मैं हैरान हूं कि पांच ठेकेदारों को पूर्ण भुगतान नहीं किया गया जबकि छठे ठेकेदार को पूरी अदायगी की गयी हालांकि उसने भी उसी तुलाई मशीन का प्रयोग किया था।

मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड ने सूचना दी है कि 25 प्रतिशत कोयला सप्लाई जली हुयी होती है, जिसके बदले डब्ल्यू० सी० एल० ने मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड को एक बड़ी राशि मुआवजे में दी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कोयले का वह भण्डार, जो उस रकम से खरीदा गया था, कहां चला गया है।

इसके साथ-साथ मैं स्थानीय उपभोक्ताओं और लघु उद्योगों को कोयला आसानी से सुलभ किए जाने की आवश्यकता पर जोर दूंगा। मैं माननीय मंत्री का ध्यान कोरबा स्थित मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा उत्पन्न किए गए जल और वायु प्रदूषण की ओर दिलाना चाहूंगा। कोरबा में प्रदूषण स्तर चरम सीमा पर पहुंच गया है।

श्रीमान, संयंत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रबंधकों को मजदूर-संघों की सहायता लेनी चाहिए। लेकिन उनको इतनी छूट नहीं देनी चाहिए जिससे वे प्रशासनिक कार्य में दखल अंदाजी कर सकें।

अन्त में, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कोरबा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है तथा यहां पर उत्तम किस्म का कोयला मिलता है। लेकिन सामान्यतया वे पांच मीटर गहराई तक खोदते हैं और जो बेकार जाती हैं। अगर वे 15 मीटर की गहराई तक खोदें तो निश्चित रूप से उनको अच्छी किस्म का कोयला मिलेगा।

मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भूमि से वंचित किए गए लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, चाहे यह रोजगार या सहायता या लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधाओं के रूप में हो जिससे उनके पास आजीविका के लिए स्थायी साधन हो सकें।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री को ऊर्जा के गैर-परम्परागत संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद दूंगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बायो और गोबर-गैस संयंत्र लगाने के लिए लोगों को आकृष्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये। यह सहायता अधिक आर्थिक-मदद इत्यादि के रूप में दी जा सकती है।

मैं ऊर्जा की मत्रालय मागों का समर्थन करता हूं और सभापति महोदय को मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

***श्री सी०के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर)** : सभापति महोदय, 1986-87 के लिए ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

1985-86 में हमने जल-विद्युत परियोजनाओं तथा ताप बिजली घरों के माध्यम से 170 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन किया। इसमें से 60 अरब यूनिट विद्युत का उत्पादन जल विद्युत घरों द्वारा किया गया था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जल-विद्युत घरों में बिजली का उत्पादन जलाशयों में उपलब्ध पानी पर निर्भर होता है। शेष 110 यूनिट बिजली का उत्पादन ताप बिजली घरों द्वारा किया गया था। यह ताप बिजली घरों की प्रस्तावित क्षमता का सिर्फ 50 प्रतिशत है।

मैं यहां एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या का जिक्र करना चाहता हूं। 170 अरब यूनिट उत्पादन में से 21 प्रतिशत प्रेषण और वितरण के दौरान जाया हो जाता है। यह 35.70 अरब यूनिटें बैठता हैं। अगर आप 110 अरब यूनिट जो पूरी क्षमता का केवल 50 प्रतिशत उपयोग करने के कारण नष्ट हो गया, को प्रेषण और वितरण के दौरान हुई 35.70 अरब यूनिट हानि में जोड़ दें तो कुल नुकसान लगभग 145.70 अरब यूनिट बैठता है। जब सारे देश में बिजली का घोर संकट है तो हम विद्युत का इतना अधिक नुकसान सहन नहीं कर सकते हैं। हमें कुल क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें प्रेषण और वितरण के दौरान होने वाले 21 प्रतिशत नुकसान को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम देश में विद्युत संकट का सामना कर सकेंगे।

अब मैं विशेष रूप से तमिलनाडु में विद्युत की भारी कमी का जिक्र करूंगा। तमिलनाडु सरकार विद्युत परियोजनाओं पर 2000 करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा रखती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सभी विद्युत परियोजनाओं की कार्यान्वित के बाद भी, तमिलनाडु में उत्पादन और मांग में अन्तर लगभग 29.90 करोड़ यूनिट का अन्तर रह जायेगा। 1994-95 में यह अन्तर बढ़कर 1015.30 करोड़ यूनिट हो जाएगा। भारत सरकार ने तमिलनाडु की मदद करनी चाहिए क्योंकि तमिलनाडु सरकार के पास उत्पादन और मांग के बीच अन्तर को पाटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है।

छः पचवर्षीय योजनाओं के पूरा होने के बाद भी 2,03,000 गांवों को बिजली नहीं मिली है। दूसरे शब्दों में देश में 35 प्रतिशत गांवों को अब तक बिजली नहीं मिली है। इसी तरह हमारे देश में 5 प्रतिशत पम्पसैटों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। ऐसे हालात में प्रेषण और वितरण में बिजली की वर्तमान हानि को समाप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है।

मैं मांग करता हूं कि नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन और बिजली घर में तीसरी मुख्य कटौती की मंजूरी दी जानी चाहिए ताकि तमिलनाडु को निरन्तर विद्युत संकट से कुछ राहत मिल सके। सातवीं पचवर्षीय योजना में सन 2000 तक 10000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए परमाणु बिजली घरों की स्थापना करने का प्रस्ताव है मैं मांग करता हूं कि कालपक्कम आणविक संयंत्र की विस्तार योजना को मंजूरी दी जाए। तमिलनाडु में एक अन्य आणविक

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

संयंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए। तभी तमिलनाडु की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

श्रीमान, हमारे ऊर्जा मंत्री वास्तव में बड़े गतिशील, प्रतिभावान और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि वे जितना जल्दी हो सके होगेनेकल जल विद्युत परियोजना के लिए कर्नाटक की स्वीकृति प्राप्त करने में अपने प्रभाव का उपयोग करें। उन्हें इस अन्तर्राज्यीय परियोजना की कार्यान्वित के लिए पर्याप्त धन की भी मंजूरी देनी चाहिए। इस परियोजना के पूरा होने पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरुपुर तथा पड़ौसी क्षेत्र कोयम्बटूर में 10000 पम्पसैटों को बिजली दी जा सकेगी। वहां पर इस समय किसानों को खेती बाड़ी करने में बड़ी कठिनाई होती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोती लाल सिंह (सीधी) : माननीय सभापति महोदय, आर्थिक विकास और जीवन के गुणात्मक सुधार के लिए ऊर्जा एक अनिवार्य निवेश है। जहां तकनीकी दृष्टि से सम्बद्धता और आर्थिक दृष्टि से साधन हों, वहां हमें नवीकरण योग्य साधनों के विकास और त्वरित उपयोग को बढ़ाना चाहिए।

बांधव ताप विद्युत केन्द्र के लिए मध्य प्रदेश शासन से एक प्रस्ताव केन्द्र शासन को 1981 में भेजा गया था, और 1984 में योजना आयोग इस विद्युत केन्द्र के लिए कोयले की सम्बद्धता हेतु सिद्धांतत: सहमत हो गया, किन्तु यह अभी तक कोयला विभाग की स्टेन्डिंग लिकेज कमेटी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : 3.30 हो गये हैं और अब हमें गैर सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करना है। इसलिए कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

3.30 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रामप्यारे सुमन (अकबरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 2 अप्रैल, 1986 को सभा में पेश किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 2 अप्रैल, 1986 को सभा में पेश किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

3.31 म०प०

विधेयक

(एक) संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक*

(धारा 44 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

[अनुवाद]

श्री शांता राम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री शान्ताराम नायक : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

———

(दो) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा 298 (क) और 298 (ख) का अंतः स्थापन)

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शान्ताराम नायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

* दिनांक 4-4-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 44 (क) का अंतःस्थापन

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शान्ताराम नायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.33 **म० प०**

संविधान (संशोधन) विधेयक

([नये अनुच्छेद 16 क का अंतःस्थापन आदि [—जारी])

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा 7 मार्च, 1986 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी, आप पहले ही 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह एक पुराना अध्याय था। मैं खुश हूं कि आज माननीय कानून मंत्री के साथ साथ योजना मंत्री और जल संसाधन मंत्री भी सदन में उपस्थित हैं।

पिछली बार मैंने कहा था कि यह मामला केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं समझा जाना चाहिए अपितु जहां तक सरकार का सम्बन्ध है इसे वचनबद्धता का मामला समझा जाना चाहिए। मैंने अन्य मन्त्रियों की उपस्थिति की प्रार्थना की थी। जल संसाधन मन्त्री और योजना मंत्री उपस्थित है, परन्तु उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। 25 फरवरी 1986 को ही एक प्रश्न के उत्तर में दूसरे सदन में सरकार द्वारा यह बताया गया था कि 31 दिसम्बर 1985 को बेरोजगारों की संख्या 262.69 लाख थी। यह वास्तव में शहरी बेरोजगारों के आंकड़े है क्योंकि हमारे पास ग्रामीण बेरोजगारों के कोई आंकड़े नहीं हैं। जवाब में भी यही कहा गया है कि 30 जून 1985 को शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 132.62 लाख तक पहुंच गयी थी। मुझे वित्त राज्य मंत्री को भी यहां उपस्थित देखकर खुशी है। यह समस्या इतनी गम्भीर है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि माननीय मन्त्री समस्या से वाकिफ नहीं है या वे उससे चिन्तित नहीं है। परन्तु कठिनाई यह है

* दिनांक 4-4-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

कि जिस नीति पर चार दशकों से अमल किया जा रहा है उससे यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः स्थिति अधिकाधिक बिगड़ती जा रही है और लगभग एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है जिसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने घिसी पिटी पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया है जो असमानता, गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। और इस नीति का लाभ उन मुट्ठी भर लोगों को पहुंचा है जिन्होंने आम आदमी और श्रमिकों का शोषण करके अपार धन जमा कर लिया है। हम समाज के समाजवादी ढांचे के बारे में सुनते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ने के लिए संशोधन किया गया। हम सुनते कि यह सरकार समतावादी समाज की स्थापना करना चाहती है। परन्तु जनहित वाली नीतियों को अपनाने की बजाय जिससे आम आदमी और गरीबों को बढ़ावा मिल सके इस सरकार ने जो नीति अपनाई है उससे लोगों में निर्धनता बढ़ी है। अतः इस देश के लोग जानते है कि उनकी समाजवाद अथवा समाजवादी सिद्धान्तों के प्रति तथाकथित वचनवद्धता केवल दिखावा है और वास्तव में इन नीतियों का उद्देश्य समाजवाद लाना नहीं है।

बजट भाषणों अथवा निर्वाचन के दौरान ही गरीब लोगों के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा। गरीबी दूर करने की बात करना बहुत अच्छा लगता है। जहां तक सत्ताधारी दल का सम्बन्ध है भूमि सुधार केवल थोथी बातें ही बन कर रह गए हैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है और अभाव बढ़ रहा है और बाबूलोग कम्प्यूटरों से ऐसे खेल रहे है जैसे कि ये खिलौने हों। और परिणाम यह है कि अधिकाधिक सख्या में लोग हताश होते जा रहे हैं। आज देश के नवयुवकों का एक बड़ा वर्ग प्रमुख धारा से विमुख होता जा रहा है क्योंकि वे इस स्थिति से पूरी तरह खिन्न है जो उन्हें दरिद्रता और बेरोजगारी की तरफ ले जा रही है। हमारी नीति साम प्रोजेटी को खुश करने का नहीं होना चाहिए। आपको शिक्षित बेरोजगार लोगों और अशिक्षित लोगों के आंसू पोंछने चाहिए। चूंकि आपने घंटी बजा दी है, अतः आपकी इजाजत हो तो मैं उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा भारत में 'समाजवाद संविधान और कानूनी सहायता आन्दोलन' विषय पर दिए गए भाषण से कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनना चाहता हूं जिससे उन्होंने निर्देशक सिद्धांतों की उपयोगिता पर टीका-टिप्पणी की थी।

सभापति महोदय : कौन न्यायाधीश है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : न्याय मूर्ति चिनप्पा रेड्डी।

इसका प्रकाशन भी मैंने नहीं किया है। यह एक जानी मानी पुस्तक है। मैं उद्धत कर रहा हूं :—

"हमारे संविधान की यह एक असाधारण और दुखदायी विशेषता है कि समानता और समाजवाद लाने से संबंधित प्रत्येक अनुच्छेद नीति के मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत आता है जो कि वाद योग्य नहीं हैं।"

श्री बनातवाला प्रयास कर रहे हैं कि इन अनुच्छेदों को नीति के निर्देशक सिद्धांतों से हटा कर मौलिक अधिकार संबंधी अध्याय में ले आया जाए। इसके बाद इसमें अनेक अनुच्छेदों की चर्चा की गई है; मैं जानता हूं कि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे :

"अनुच्छेद 41, 42 और 43 में अपेक्षा की गई है कि सरकार काम, शिक्षा, बुढ़ापे में सार्वजनिक सहायता आदि काम की उपयुक्त और मानवीय परिस्थितियों, श्रमिकों को जीविका मजदूर आदि के लिए व्यवस्था करेगी ।"

इसके बाद उन्होंने अन्य अनुच्छेदों को क्रम दिया है ।

सभापति महोदय : अब समाप्त करिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं······से कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : पिछली बार आपने 15 मिनट लिए थे और आज भी आपने करीबन 10 मिनट ले लिए हैं । अगर आप इस तरह करते रहे तो मैं कैसे अनुमति दूंगा ? मैं एक सदस्य को 25 मिनट से अधिक की अनुमति कैसे दे सकता हूं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने 10 मिनट नहीं लिए । महोदय, मुझे कम से कम 10 मिनट तो दीजिए ।

"संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत देश के अभिशासन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानूनों का निर्माण करते समय लागू करे । लेकिन संविधान निर्माण के 34 वर्ष बाद भी हम समानता या समाजवाद नहीं ला सके हैं । यह सब क्या हो रहा है ? उत्तर बहुत मुश्किल नहीं है । स्पष्ट है कि समाजवाद के लिए प्रावधान तथा मार्गनिर्देश सिद्धांत दिखावा मात्र है तथा सत्तारूढ़ वर्गों के लिए समानता औपचारिक समानता से कुछ अधिक नहीं तथा समाजवाद एक मुखौटे से कुछ अधिक नहीं है । हमें भूलना नहीं चाहिए कि सत्तारूढ़ वर्ग, विधान पालिका, न्यायाधीश और नौकरशाह एक ही वर्ग अर्थात् बर्जुवा के है : सत्तारूढ़ वर्ग विधान पालिका, नौकरशाही, न्यायपालिका के माध्यम से काम करता है और न्यायपालिका······ । राज्य के इन तीन अंगों की अनिच्छा, निष्क्रियता और प्रतिक्रिया से व्यवहार्यतः मार्ग निर्देश सिद्धांतों को नष्ट करने में सफलता मिली है ।"

मेरा निवेदन है कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा की गई इन टिप्पणियों के प्रत्येक शब्द पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा केवल अनापशनाप बातें नहीं करनी चाहिए । यही उपयुक्त समय है जब इस देश के लोगों को उनका हक दिया जाना चाहिए ।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, मेरा एक निवेदन है । गैर सरकारी सदस्यों की कार्य सूची के पृष्ठ 9 पर यह मद तथा मद संख्या 13 समान हैं । अर्थात् बनातवाला जी के विधेयक का उद्देश्य सशोधन······(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आज मैंने इस विषय को नहीं लिया है । पिछली बार इसे लिया गया था और चर्चा जारी है । अब मैं कुछ नहीं कर सकता ।

श्री थम्पन थामस : मैं चाहता हू कि अगर संभव हो तो इस और उस मद को एक साथ लिया जाए······(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यह बात आपको चर्चा के शुरू में ही उठानी चाहिए थी न कि अब चर्चा के मध्य में ।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय मैं माननीय सदस्य बनातवाला जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सम्भवत यह एक दुर्लभ मौका होगा जब में इस सदना में उनके द्वारा दिए गए सुझावों से सहमत होऊंगा। इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है इसलिए मैं कम से कम इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करना चाहता हूं। इस विधेयक के विस्तृत ब्यौरों को लेकर कुछ मतभेद हो सकता है पर जहां तक मुख्य उद्देश्य का संबंध है, बनातवाला जी चाहते हैं कि संविधान निर्माताओं ने जो कुछ प्रशंसनीय लक्ष्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत रखे हैं उन्हें मौलिक अधिकारों की श्रेणी में ले आया जाए। संविधान निर्माण के समय अधिकारों को दो भागों में बांटा गया था। अधिकांश निजी सम्पत्ति अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत रखा गया और समाज, समाज कल्याण, श्रमजीवी वर्ग, किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों को नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित कर दिया गया। लेकिन आशा की गई थी कि सरकार समय-समय पर कुछ ही सालों में इन नीति निर्देशक सिद्धातों को कार्यान्वित कर देगी। इसीलिए अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग में दिए प्रावधानों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता पर उसमें दिए सिद्धांत देश के कार्य सचालन में किसी भी तरह कम महत्व नहीं रखते और सरकार का कर्त्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे।

माननीय सदस्य इस विधेयक में जिन अधिकारों को लाना चाहते हैं वे नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत आते हैं। मेरा निवेदन है कि इन सिद्धांतों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत लाने के लिए यही उपयुक्त समय है ताकि सविधान के वास्तविक लक्ष्य को को कार्यान्वित किया जा सके। संविधान निर्माण के समय जैसा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के विधायी इतिहास को पढ़ने से पता चलता है। संविधान सलाहकार श्री बी०एन० राव ने संविधान के इन दो भागों अर्थात् मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रारूप तैयार किया था। उन्होंने इस मामले में डबलिन (आयरलेंड) जाकर डा० वलेश के साथ विचार विमर्श किया। कुछ सिद्धांत उनके संविधान में से लिए गए है। लौटने पर उन्होंने प्रारूप में कुछ सुझाव दिए। वे चाहते थे कि नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से अधिक प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने संविधान के प्रारूप में भी कुछ संशोधन करने के प्रारूप तैयार किए। लेकिन अन्तत उन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया गया और मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों से सर्वोच्च माना गया तथा न्यायपालिका को भी इन सब बातों को मानना पड़ा।

लेकिन मेरा निवेदन है कि इतना समय बीत जाने के बाद कम से कम अब हमें समय-समय पर नीति निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत कुछ सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में ले आना चाहिए।

संविधान निर्माता डा० बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी मत व्यक्त किया था कि नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भले ही कानून द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता पर जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसे इनका पालन करना पड़ेगा अन्यथा उन्हें मतदाताओं से कड़े आघात पहुंचेगा। प्रारुप समिति द्वारा तैयार प्रारुपित संविधान को प्रस्तुत करते समय उन्होंने यह कहा था। मैं उद्धत कर रहा हूं।

अगर यह कहा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानून द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता तो मैं यह बात स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं कि उन्हें कार्यान्वित करवाने के लिए कोई बाह्यकारी शक्ति नहीं है। न ही मैं उन्हें व्यर्थ मानने के लिए तैयार हूं क्योंकि उनके पीछे कोई बाह्यकारी शक्ति नहीं है······जो भी सत्ता में आएगा वह मनचाहे ढंग से काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसे नीति निर्देशक सिद्धांतों का सम्मान करना ही होगा। वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। न मानने पर वह अदालत में जवाबदेह नहीं है पर उसे चुनाव के समय मतदाताओं को निश्चय ही इसका उत्तर देना पड़ेगा। इनका महत्व तब अधिक महसूस होगा जब अधिकारवादी ताकतें सत्ता पर कब्जा करने में सफल हो जाएंगी।"

महोदय, मैं सोमनाथ चटर्जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है। हमारी सरकार तथा हमारा दल भी नीति निर्देशक सिद्धांतों की शक्ति के प्रति जागरुक है। आरम्भ से ही बेरोजगारी में उत्तरोत्तर कमी लाना भारत में आर्थिक नियोजन का एक लक्ष्य रहा है। इसलिए बेरोजगारी को कम करने के लिए छठी पंचवर्षीय तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी बहुत से सुझाव दिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। छठी योजना के दौरान महसूस किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गरीबी है इसलिए 1983 में विशेषकर इस उद्देश्य से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया। गांव मे गरीबों को सीधे सहायता देने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी बड़ी योजनाओं में से एक है। इसी तरह 1979 में स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना शुरू की गई। कुछ राज्यों में खासकर महाराष्ट्र राज्य में 1972 से रोजगार गारंटी योजना लागू है। और जहां तथा अकुशल श्रम का संबंध है 1983-84 में 1645 लाख मानव दिवसों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई।

मैं कहना यह चाहता हूं कि बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक किए गए प्रयासों के अलावा यह भी कहना चाहिए।

"जी हां बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हम इसे स्वीकार करते हैं और काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार है।" इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि सारी नीति बेरोजगारी को समाप्त करने की है इसलिए मेरा निवेदन है कि आज नहीं तो कम-से-कम कभी तो हमें इस अधिकार तथा बनातवाला द्वारा इस विधेयक में सुझाए गए इन सभी अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और उन्हें नीति-निर्देशक सिद्धांतों में से हटा दिया जाएगा। इस दृष्टि से मैं इस विधेयक के मूल उद्देश्य का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, सदन के सामने माननीय सदस्य जी० एम० बनातवाला ने जो बिल पेश किया है, उस बिल के पीछे जो भावना है, उस भावना का मैं स्वागत करता हूं लेकिन साथ-साथ यह जो बिल लाया गया है इसका मैं विरोध करता हूं।

हमारे मित्र शरद दिघे साहब ने इस बिल के सम्बन्ध में जो कुछ बातें कहीं उनसे मैं जरूर सहमत हूं। लेकिन आज यह देश जिस समय से गुजर रहा है, अनएम्पलाएमेंट का इस देश में जो एक बड़ा क्रम निर्माण हुआ है, उसके लिए अगर सरकार के ऊपर अनएम्पलाएमेंट अलाउंस देने का बर्डन लाद दिया जाएगा तो उसका जो अफैक्ट होने वाला है वह अफैक्ट इस देश की सारी जनता के ऊपर होने वाला है :

हमारा देश इतना बड़ा देश है कि और देशों के साथ हम इसका कम्पेरिजन नहीं कर सकते ; हम अपने यहां अनएम्पलाएमेंट दूर करने के लिए बहुत सी स्कीम चला रहे हैं । हमने अपने यहां एजूकेशन पालिसी में चेंज लाने का निर्णय किया है।

इस सदन में नई एजूकेशन पालिसी के बारे में अच्छे ढंग से चर्चा हो चुकी है। हमारी जो एजूकेशन पालिसी है, उस पालिसी में अगर कोई बदल की जाए तो भी काफी काम हो सकता है। आज हमारी जो यूनिवर्सिटी एजूकेशन है, या एजूकेशन का जो सिस्टम है, वह सिर्फ क्लेरीकल जोब्स के लिए एजूकेटिड लोग तैयार करने वाली है। जिस तरह से कोई फैक्ट्री एक मावर्ड उत्पादन करती है, उसी तरह से हमारी एजूकेशन भी बन गई है। उसी ढंग से आज हमारी यूनिवर्सिटीज एक तरह की फैक्ट्री बन गई हैं। अगर हम इस देश के लोगों के नई तरह की एजूकेशन पालिसी के अन्दर जो प्रेक्टिकल बातें हैं, जो हम काम करना चाहते हैं, उनको काम देना चाहते हैं, उसमें हम उसके लिए काम का निर्माण कर सकते हैं। जिसको काम चाहिए उसको काम मिल सकता है, लेकिन सबको हम क्लेरिकल जाब नहीं दे सकते हैं। आज आप देखें कितने लोग रूरल एरियाज में जाना पसन्द करते हैं। आज हम देखते हैं कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सबको मेहनत के काम के बजाए क्लेरिकल जाब चाहिए, इसलिए अनएम्पलाएमेंट बढ़ रही है। मैं तो इससे भी आगे बढ़कर यह कहूंगा कि अगर हम सब लोगों के दिल में एक ही भावना है तो हम लोगों को सबसे पहले फ्राम दी बाटम आफ दी हार्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है, वह सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस प्रोग्राम के बारे में पूरे देश के अन्दर, चाहे वह किसी भी कौम का हो, उस प्रोग्राम से उसको अलग नहीं रखना चाहिए। इस देश में रहने वाला हर नागरिक भारतवासी है और फैमिली प्लानिंग के नियम सबके लिए एक ही सरीखे होने चाहिए, एक ही सरीखा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हम बातें तो बहुत सी करते हैं लेकिन अमल में यह बातें नहीं आतीं। हम भारतीय हैं, अगर हम भारतीय अपने आपको समझते हैं तो आज ही हमको पूरे देश के अन्दर एक कामन सिविल कोड का समर्थन करना चाहिए, लेकिन आज हम वह नहीं करते हैं। आज भी हमारा हिन्दू कोड अलग है, परसनल ला अलग है, क्रिश्चियन कोड अलग है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस की वजह से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ठीक तरह से नहीं चला पा रहा है और जितने हमारे साधन बढ़ते हैं, उससे कहीं अधिक हमारी आबादी बढ़ रही है और यही अनएम्पलाएमेंट का कारण है और यह सवाल सदन के सामने रखा गया है, अनएम्पलाएमेंट अलाउंस देने का बिल सदन के सामने लाया गया है कि अगर सरकार काम न दे सके तो अलाउंस दे। ऐसा बहुत से राज्यों ने इस बारे में कुछ किया है और लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं जैसा संविधान में बताया गया है। अभी हमारे मित्र श्री दिघे ने बताया कि महाराष्ट्र में एम्पला-

एमेंट गारंटी स्कीम के अन्तर्गत बहुत से लोगों को काम दिया जा चुका है और दे रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हू कि जो काम करना चाहता है, जो मेहनत मजदूरी करना चाहता है, उसको हम अच्छे ढंग से काम दे सकेंगे, लेकिन जिनको सिर्फ आफिस में बैठ कर काम करना है, क्लेरिकल काम करना है, मैं नहीं समझता कि इस तरह का काम सबको देना सम्भव हो सकता है। बनातवाला साहब ने जो बिल प्रस्तुत किया है, इस बिल की भावना बहुत अच्छी है और हम समझते हैं कि इस देश के अन्दर हर आदमी को काम देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमारे राइट्स रहते हैं, उसी तरह से हमारी कुछ ड्यूटीज भी रहती हैं। राइट्स से पहले हम अपनी ड्यूटीज को समझें, अगर हम अपनी ड्यूटीज को समझते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें आज भी इस देश की उन्नति करनी है, देश को आगे ले जाना है तो हर आदमी को अपनी ताकत से, पूरी ताकत से गांवों में जाकर जो भी काम मिले, वह काम करना चाहिए, इससे अनएम्पलायमेंट की जो प्राब्लम है वह बहुत कम हो सकती है और इस तरह से अनएम्पलाएमेंट अलाऊंस देने का प्रश्न पैदा नहीं होगा।

आखिर में मैं यही कहूंगा कि इस बिल के पीछे भावना अच्छी है और इसको अमल में लाने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि हम सब भारतवासी हैं, हम सबके अधिकार एक जैसे हैं और सबके फर्ज एक जैसे हैं, वही सोच कर हमको आगे बढ़ना है। मुझे इतना ही कहना है कि आज हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिसमें सबको सोचना होगा कि

[अनुवाद]

इस देश के विकास के लिए मिलकर चलिए, मिलकर बातचीत कीजिए और मिल कर काम करिए।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : सभापति महोदय, आज की कार्य सूची की मद संख्या 13 के अन्तर्गत विचार करने के लिए मैंने भी एक विधेयक पेश किया है। विषय वस्तु भी वही है बात केवल यह है कि मैंने संविधान में संशोधन करने व अनुच्छेद 15 क को संविधान में अन्तः स्थापित करने का अनुरोध किया है। मेरे माननीय मित्र ने इसे अनुच्छेद 16क के रूप में अपने संशोधन विधेयक में रखा है। विषय-वस्तु भी वही है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह इस बात से सिद्ध है कि मेरे मित्रों ने, जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है, एक बार फिर इसके महत्व को बताया है।

4.00 म० प०

अब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में हाल ही में ऐसी बात सामने आई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस सिद्धान्त को मान लिया है कि काम करने का अधिकार एक मूल अधिकार है और काम करने का अधिकार एक मानव अधिकार है। हमारे संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है। इसमें आवश्यक रूप से एक खण्ड शामिल होना चाहिए कि काम करने का अधिकार एक मूल अधिकार है। इसको केवल नीति-निदेशक सिद्धांतों के रूप में रखना और इसे कार्यान्वित करने का काम सरकार की दया पर छोड़ना पर्याप्त नहीं है। इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अधिकार के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। केवल तभी संविधान की प्रस्तावना में दिए गए समाजवादी समाज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यदि सरकार को एक समाजवादी, लोकतन्त्रीय

गणराज्य की घोषणा के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो यह सम्बन्ध स्थापित करना हमारा कर्तव्य है। यह एक आवश्यक कारक है कि इसे भारतीय संविधान में एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है और जिन सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है; उनके द्वारा व्यक्त किए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत को लागू करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार को संविधान में इस संशोधन को शामिल करने देने के लिए व इसे इसका एक अंग बनाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिएं।

यह हमें पूरे भारतीय समाज का विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करता है। यदि काम करने का अधिकार एक मूल अधिकार होता तो एक व्यक्ति के प्रति समाज का उत्तरदायित्व क्या होता और एक व्यक्ति का समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या होता? भारत में इतनी विभिन्नता का समाज क्यों बनाया गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने ऐसे कारणों को हमेशा छोड़ दिया है। संविधान के निर्माण के समय इसमें, मूल अधिकारों में सम्पत्ति के अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार व अन्य निजी विशेष अधिकार जो व्यक्ति को मिल चुके हैं को ज्यादा महत्व दे रहे थे। जैसा कि मेरे दोस्त, पूर्व वक्ता ने कहा है यदि विभाजन के समय व्यक्ति के निजी अधिकार को अधिक महत्व दिया गया है न कि व्यक्ति के प्रति सम्पूर्ण समाज के अधिकार को, तो जब तक हम इस समय इसे वह महत्व नहीं देते हैं तो देश किधर जायेगा? यह हम पश्चिमी और समाज वादी तथा पूंजीवादी देशों का विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करेगा। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में ईमानदारी से कोशिश की जाएगी।

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि तीन या चार दिन पहले एक अखबार में हमारी और पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय के बारे में समाचार छपा था। इस क्षेत्र में धनी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने, शोषण के अवसर व विशेष अधिकार देने, और निजी व्यक्तियों द्वारा समाज की सुविधाओं का उपयोग करने और समाज के उत्तर दायित्वों की उपेक्षा करने के लिए धन कमाने हेतु अपनी दोषपूर्ण नीतियों के कारण हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय के मामले में बहुत नीचे हैं। यदि हम विश्लेषण करते है तो हम देखेंगे कि हम श्री लंका से भी नीचे हैं। ऐसा कैसे हुआ? यह सभी उन्हीं व्यक्तियों के कारण हुआ जिनके पास समाज का शोषण करने की सुविधाएं हैं। उन्होंने इसका शोषण किया है। उनके अपने मूल अधिकार हैं, उन्हें फैक्ट्री चलाने का मूल अधिकार है, उन्हें अपने भाई का शोषण करने का मूल अधिकार है और यदि इसका अन्त नहीं किया जाता तो यह जारी रहेगा और वे निजी व्यक्ति जिनके पास इस समाज में आवश्यक सुविधाएं और प्रभाव है दोबारा सम्पन्न हो जायेंगे और इस देश के साधारण व्यक्ति नष्ट हो जायेगा अब यही बात हो रही है। हमारी जनसंख्या का 50% भाग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। इस देश में गरीब लोगों के जीवन निर्वाह की स्थिति के बारे में सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं। लोग पीने के पानी की कमी से पीड़ित हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। अभी मैंने एक कहानी एक वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी से सुनी है। जो मेरे साथ आई० एल० ओ० सम्मेलन में थे, वह राजस्थान में कार्यरत थीं। वह हमें बता रही थी कि जयपुर में जब वह एक समाज कल्याण विभाग में काम कर रही थी...

सभापति महोदय : आप अधिकारी की बात को क्यों कह रहे हो।

श्री थम्पन थामस : नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं एक बात बता रहा हूं जिसे मैंने बहुत महसूस किया। एक परिवार में जहां पांच बच्चे हैं सोमवार को मां बड़े बच्चे को खाना देती है, मंगलवार को दूसरे बच्चे को और बुधवार को तीसरे बच्चे को। इस प्रकार बच्चों को खाना दिया जाता है। यदि परिवार में पांच बच्चे हैं तो मां-बाप की गाढ़ी कमाई के कारण और सरकार द्वारा वहां के लोगों को काम न उपलब्ध कराने के कारण बड़े बच्चे को सोमवार को खाना मिलता है। दूसरा बच्चा बड़े बच्चे को खाना खाते देखता है। यह कितनी दयनीय बात है और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद कैसे हमारे समाज का निर्माण हुआ है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के समाज के प्रति उत्तरदायित्व को महत्व नहीं दिया है। इसीलिए यदि हम नागरिकों के रोजगार पाने के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं तो समाज में पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा और जिस समाज की आप कल्पना करते हैं वह सामने आ जाएगा। यदि आप वास्तव में ऐसा चाहते हैं तो यही समय है जब आपको इसे मूल अधिकारों में शामिल करना चाहिए।

मैं दूसरे देशों से तुलनात्मक अध्ययन का केवल उल्लेख कर रहा था। समाजवादी देशों में सम्पूर्ण सम्पति पर समाज का अधिकार होता है और वहां काम करने का अधिकार होता है। उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा की जाती है। पूंजीवादी समाज में निरीक्षण व सन्तुलन होता रहता है और रोजगार देने तथा उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें आवश्यक संरक्षण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार, यदि समाज ध्यान दे तो यह कोई समस्या नहीं है। मैं उन पश्चिमी देशों में देख चुका हूं जहां पूंजीवादी दर्शन अपनाया गया है और वहां पर कोई पड़ोस के बारे में बोलता है। वहां हर कोई पड़ोस के बारे में चिन्तित होता हैं। अगर वहां ऐसे समाज हैं, जहां उनको यह महसूस हो कि उसकी सम्पन्नता के लिए उन्हें योगदान देना पड़ेगा और अगर वहाँ कोई बेरोजगार है, तब समाज इसे अपनी सामूहिक जिम्मेवारी समझता है। यहां पर क्या हालत है ? यह बिल्कुल भिन्न है। इसका कारण है। मुख्य कारण देश के नागरिक के मन में महसूस की जा रही असुरक्षा की भावना है। यहां पर नागरिक के मन में असुरक्षा की भावना है। जब हमारे मन में असुरक्षा की भावना होती है, समाज की कीमत पर हमारे अन्दर धन इकट्ठा करने की और इसे भविष्य के लिए रखने की प्रवृत्ति आ जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है ? इसे सिर्फ अपने भाइयों को समान प्रतिष्ठा और समान संवेदना देकर और उनको जरूरी कार्य देकर दूर किया जा सकता है। जब रोजगार नागरिक का मूल अधिकार हो जाता है, तो इन बुराइयों का इलाज किया जा सकता है और यदि आधुनिक समाज का वह दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया जाता है, इसे लागू करने के लिए एक विधान होना चाहिए।

4.09 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

एक आधारभूत बात इसमें यह है कि जब यह मूल अधिकार के रूप में स्वीकृत हो जाता है, तो नागरिक को इसका उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है। नहीं तो वे सरकारी की कृपा पर निर्भर करते रहते हैं। अगर संविधान में मूल अधिकारों में सिर्फ इसे ही सम्मिलित

किया जाता है तब एक बेरोजगार व्यक्ति सरकार से मांग कर सकता है और न्यायालय निश्चित तौर पर सरकार को इसे अवश्य ही लागू करने के लिए कह सकता है। अगर वह इसे मूल अधिकार के रूप में प्राप्त करता है, तो यह एक प्रवर्तनीय अधिकार होगा। अतः मेरा अनुरोध यह है कि : मैं श्री बनातवाला के विधेयक का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसे मंजूरी दी जाये और हमारे देश में एक नया समाज बनाया जाये। धन्यवाद।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : श्रीमान, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : हमें आधे घंटे की चर्चा को भी लेना है।

कुमारी ममता बनर्जी :मैं रोजगार के अधिकार के बारे में श्री बनातवाला के विचारों का पूरी तरह समर्थन करती हूं। लेकिन मैं विधेयक के पाठ का विरोध करती हूं। मैं श्री बनातवाला के विचारों की कदर करती हूं। मैं उनका बहुत आदर करती हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, इस सदन का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी तरफ हो, सभी बेरोजगारी की समस्या के बारे में बहुत चिंतित हैं, रोजगार का अधिकार एक मूल अधिकार है। हम इसे अच्छी तरह जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री महोदय भी इसे भली प्रकार से जानते हैं। मैं विधेयक के पाठ का विरोध करती हूं। श्री बनातवाला ने अपने विधेयक में कहा है कि "मैंने विधेयक को हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए रोजगार के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाने के उद्देश्य से सदन में रखा है, एक ऐसा अधिकार जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो।"

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों ने और भारतीय संविधान के अन्तर्गत, कई ऐसे अनुच्छेद हैं, जिन्हें सरकार ने लागू करना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्यवश, हम उनमें से अधिकतर को लागू नहीं कर पाये हैं अनुच्छेद 41, 42, 43 राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त हैं। अनुच्छेद 41 के अनुसार :

> "राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अनई अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के, अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।"

संविधान के अनुच्छेद 41 में सभी बातों की व्याख्या की गयी है।

मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेना चाहती हूं और माननीय मंत्री से इस बात पर ध्यान देने के लिए निवेदन करती हूं। सर्वोच्च न्यायलय ने कहा है कि मूल अधिकार में संविधान का 21 वां अनुच्छेद भी सम्मिलित है। इसने कहा है कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी सम्मिलित है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार ने हमारे देश के विकास के लिए सिंचाई, उरर्वक, बिजली, 20 सूत्री कार्यक्रम तथा कई दूसरे कार्यक्रम मुहैया करवाये हैं। हमारी भूतपूर्व प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गरीबी के विरुद्ध एक अनवरत संघर्ष छेड़ा था। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। उन्होंने गरीबों को ऊपर उठाने के लिए आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० तथा डी० आर० डी० पी० और 20 सूत्री कार्यक्रमों को आरंभ किया है। हमारे ओजस्वी नेता और प्रधानमंत्री श्री

राजीव गांधी भी गरीबों का विकास देखने के इच्छुक हैं। हमें मुख्य मुद्दे को महसूस करना चाहिए और वह वास्तविक रूप से कार्यान्वयन के बारे में हैं। यह ही मुख्य बात है।

यहां पर कई योजनायें तथा परियोजनायें हैं लेकिन उनको लागू कौन करेगा ? सरकार कार्यक्रम आरंभ कर सकती है; सरकार के पास कुछ योजनायें हैं; कुछ विकासात्मक कार्य हैं। किन्तु वास्तव में तो यह अधिकारी वर्ग है, जो इनको लागू कर रहा है। और यहां पर अधिकारी वर्ग और जनता में कुछ सम्पर्क की कमी है। कार्यान्वयन उपयुक्त ढंग से नहीं हो रहा है। यह एक वास्तविकता है कि हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी लेकिन अब यह 74 करोड़ है। हम दिन-प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की 1982-83 की रिपोर्ट के अनुसार सारे विश्व की जनसंख्या 8.5 करोड़ बढ़ी है और भारत दुनियां में ऐसा पहला देश है, जहां 1.5 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। यह भी एक सच्चाई है कि हम जनसंख्या की वृद्धि में कमी करने में सफल हुए हैं। लेकिन जनसंख्या में कुल जोड़ दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, हमने गरीबी और बेरोजगारी कम करने के लिए विशेष प्रयत्न किये हैं। हमारे पास कई परियोजनायें, योजनायें और कार्यक्रम हैं। हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि जो बजट अभी-अभी हमारे सामने था, उसमें प्रमुख कार्यक्रमों तथा गरीबी निवारक कार्यक्रमों के लिए योजनागत निवेश में 65 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि की गयी है। आई० आर० डी० पी० के लिए धन-आबंटन में 51 प्रतिशत की वृद्धि है; एन० आर० ई० पी० के लिए 93 प्रतिशत की वृद्धि तथा आर० एल० ई० जी० पी० के लिए 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम इस तथ्य का खंडन नहीं करते। लेकिन समस्यायें फिर भी हैं।

मैं श्री बनातवाला के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि इन मामलों के निपटारे के लिए न्यायालय को स्वतन्त्र रूप से शक्तियां देनी चाहिए, क्योंकि हमें व्यावहारिक होना चाहिए। व्यवहार मुख्य मुद्दा है। और मन से महसूस करना एक अलग बात है। मैं श्री बनातवाला की भावनाओं से परिचित हूं। इसके लिए हमें भारी दुःख है कि सारे देश में बेरोजगारी की समस्या है और अब यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। जब तक हम अपने मार्ग से गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं कर देते हैं, तब तक हमारे देश में काम के अधिकार को स्थापित करना संभव नहीं है। इसलिए महोदय यह हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम गरीबी से लड़ें, निरक्षरता से लड़ें, साम-प्रदायिकता वाद से लड़े और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ें। एक युवा के नाते मुझे कुछ सुझाव देने हैं। मैं एक लम्बा भाषण नहीं देने जा रही हूं। परन्तु मुझे माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देने हैं।

मैंने पहले ही मार्क्सवादी नेताओं के भाषण सुने हैं। वास्तव में मुझे खेद है कि जब कभी हम उनसे कुछ सुनने की कोशिश करते हैं तो वे हमेशा सभी बातों को राजनैतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। एक माननीय सदस्य ने पहले ही कहा है कि यह एक समाजवादी देश है। कांग्रेस की विचारधारा समाजवादी ढंग की है परन्तु कांग्रेस पूरी तरह से बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है तथा वह आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि वह पीछे लौट रहे हैं—इत्यादि। क्या मैं इन सदस्यों से जान सकती हूं कि उनकी क्या नीति है ? नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार यह राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सब बातों को कार्यान्वित करें।

मैं जानती हूं कि मेरे राज्य में सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम गरीब लोगों को अधिकाधिक रोजगार देने के लिए शुरू किया था। परन्तु इन राज्यों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। केवल उनके दल के लोगों को सभी सुविधायें मिली हैं। गरीब लोगों को कोई भी सुविधायें नहीं मिली हैं। इसलिए भारत सरकार ने अब इस कार्यक्रम को बन्द कर दिया है।

अपने राज्य में बेरोजगारी के बारे में मैं बहुत स्पष्ट कह सकती हूं क्योंकि मैं इस बात से बहुत चिन्तित हूं कि बेरोजगारी बहुत अधिक है। 2 करोड़ शिक्षित पंजीकृत बेरोजगार युवाओं में से 40 लाख बेरोजगार युवा मेरे ही राज्य में हैं। केन्द्रीय सरकार की नियुक्तियों पर अब काफी समय से प्रतिबन्ध लगा हुआ है। वहां के रोजगार कार्यालय अब मार्क्सवादी कोम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय है। इसलिए सामान्यता इस सरकार से युवा अपने लिए रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी हुई है।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन राज्य सरकारों के पास बेरोजगार युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं है।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णु पुर) : यह गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य है। माननीय सदस्य को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसका उससे बिल्कुल भी सम्बन्ध नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : हम कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमत्री ने पहले ही 'डी० आई० सी० कार्यक्रम के जरिए स्व-रोजगार स्कीम शुरू की है। ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस (आई) इस देश को पीछे ले जा रही है। क्या मैं माननीय सदस्य से पूछ सकती हूं कि जब वे मार्क्सवाद और लेनिनवाद के सम्बन्ध में कह रहे हैं तो उनकी क्या नीति है।

मैं एक उद्धरण दे सकती हूं :

"कहां तुम्हारा मार्क्सवाद है, कहां तुम्हारा सितारा है
अभिन्न मित्र टाटा है तुम्हारा, और गोयनका भी प्यारा है"

यही विचारधारा है, अब उनकी यह नीति है।

आप जानकर चकित होंगे तथा मैं भी बहुत अधिक चिन्तित हूं कि पियरलेस के दो हजार हजार कर्मचारी अब सड़क पर हैं। पियरलेस के चार लाख क्षेत्रीय कर्मचारी अब बेरोजगार हैं। यह राज्य सरकार की प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही के कारण हैं। अब वे केन्द्र सरकार द्वारा भर्ती पर प्रतिबन्ध का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। परन्तु वे राज्य सरकार की प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही का क्यों विरोध नहीं करते है? इसको राज्य सरकार ने 1979 में लागू किया। मेरी प्रार्थना है कि कृपया इन गरीब लोगों के पक्ष में कुछ करें। इन गरीब लोगों पर नियंत्रण करने का खेल न खेलें। हमें विचार करना चाहिए कि वास्तविकता क्या है।

मुझे माननीय मंत्री को कुछ सुझाव देने हैं। केन्द्र सरकार को सेवाओं के लिए पोस्टल आर्डर फीस समाप्त कर देनी चाहिए। बहुत से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुत से गरीब युवा हैं जो निस्संदेह बुद्धिमान हैं परन्तु वे नयी नौकरियों के लिए आवेदन पत्र नहीं दे सकते हैं। यदि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर नयी सेवाओं के लिए पोस्टल आर्डर फीस बन्द कर दें अधिकाधिक युवा वरीयता प्राप्त करेंगे।

दूसरी बात जिसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगी यह है कि केन्द्र सरकार को भर्ती पर लगी पाबंदी को हटा देना चाहिए। जो आयु सीमा पार कर चुके हैं वे अब बहुत अधिक चिंतित हैं। वास्तव में वे बहुत ज्यादा निराश हैं। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए।

कृपया 1986-87 के दौरान युवाओं को अधिकाधिक सहायता देने के लिए अपनी स्व-'रोजगार योजना का लक्ष्य बढ़ायें। हमारी सरकार ने पहले ही कई योजनायें शुरू की हैं। वे आई. आर. डी. पी.', 'एन. आर. इ. पी.', 'आर. एल. ई. जी. पी.' आदि हैं। गरीब लोग इन योजनाओं से सभी सुविधायें प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पंचायत स्तर और आम लोगों के मध्य सम्पर्क कुछ टूट गया है। इसलिए हमारे मंत्रालय को इन सभी बातों का पर्यवेक्षण करने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एक गैर-सरकारी दल या एक पर्यवेक्षी दल का गठन करना चाहिए ताकि गरीब लोग वास्तव में 20 सूत्री कार्यक्रम से सुविधायें प्राप्त कर सकें।

अन्त में मैं श्री बनातवाला जी से प्रार्थना करूंगी कि वह अपना विधेयक वापस ले लें, क्योंकि न्यायालय में जाने से क्या फायदा है। यदि आप इसे लागू न कर सकें तो कानून केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा। वास्तविकता यह है कि हमारे जवान युवकों और युवतियों की आवश्यकतायें पूरी हों। 20 सूत्रीय-कार्यक्रम एक महाधिकार पत्र है। यदि हम इसे लागू कर पाए तो लोग ये सभी चीजें प्राप्त कर लेंगे।

महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरणदास (जाजपुर) : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि यह जो विधेयक आया है, उस पर मुझे बोलने का समय दिया। ममता जी ने जहां से अपना भाषण समाप्त किया, वहीं से मैं अपना भाषण शुरू करना चाहता हूं। यह जो विधेयक आया है, यह एक अच्छा विधेयक है लेकिन कानून पास करने से ही काम नहीं बन जाता है, जब तक कि उसको ठीक ढंग से और अच्छी नीयत से इम्पलीमेंट नहीं किया जाता, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। इस बात पर हमें अवश्य गौर करना चाहिए।

हमारा देश एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। इसके अन्तर्गत सबको समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। संविधान में भी राइट टु वर्क की बात है। इस कारण गरीबों तक गरीबी हटाओ आदि के कार्यक्रम अवश्य इम्पलीमेंट होने चाहिएं। हमारे यहां गरीबों का बहुत अधिक शोषण किया जाता है। इस कारण इस शोषण को रोका जाना आवश्यक है। अगर एक घड़े में ही छेद है तो उसमें पानी कैसे भरेगा। स्वराज्य से पहले भी शोषण होता था, उस शोषण को हमारी कांग्रेस पार्टी ने ही बन्द किया है अतः इस शोषण को भी आपको अवश्य समाप्त किया जाना चाहिए। यह एक चिन्ता का विषय है, जिस पर कि हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

आज हम देखते हैं कि अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। किसी एक परिवार में सब लोगों को रोजी मिली हुई है और किसी परिवार में एक आदमी को भी रोजी नहीं मिली हुई है। इस असमानता को भी आपको दूर करना होगा। आपने एक दिन की मजदूरी 8 रुपये और 13 रुपये 60 पैसे रखी है, वह भी सब जगह एक जैसी नहीं मिलती है।

हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा जी ने 15 अगस्त को लाल किले के मैदान में आर०एल०जी०पी० प्रोग्राम की घोषणा की थी ! आप कम से कम परिवार के एक आदमी को गारन्टी दो कि उसे नौकरी अवश्य मिलेगी । आप इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हंडर्ड परसेंट गारन्टी नहीं दे पाते हैं । आज काम करने वाले कोई दूसरे अधिकारी हैं और काम करवाने वाले कोई दूसरे हैं । हम लोगों के पास देखने तक के लिए समय नहीं है । एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी-किसी जगह पर एनआरईपी के तहत और दूसरी योजनाओं के तहत इनकम टैक्स काटा जाता है । यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि इस देश में सारा काम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही छोड़ दिया गया है । वे सबसे ज्यादा शोषक हैं । वे समझते हैं कि हम लोग तो केवल पांच साल के लिए चुनकर आते हैं, जबकि वे लोग 58 साल तक काम करते हैं, उनको कोई निकाल नहीं सकता है । इसलिए वे जो चहते हैं, वही करते हैं । मिनिस्टर्स लोग भी कोई पांच साल के लिए, कोई तीन साल के लिए बनते हैं । मिनिस्टर्स भी चेंज होते जाते हैं ' इस लिए सारा इम्पलीमेंटेशन का काम उनके हाथ में है । कानून हम लोग बनाते हैं और दूसरे लोग इम्पलीमेंटेशन करते हैं । किसी काम को वे दिल से नहीं करते हैं, नीयत से नहीं करते हैं । इस बारे में मैंने एक सुझाव दिया था कि एक परिवार एक व्यक्ति एक जोब और इसी प्रकार एक परिवार एक हाउस । प्रापर्टी के ऊपर सीलिंग होनी चाहिए । प्रापर्टी पर सीलिंग न होने के कारण उनको ज्यादा प्रापर्टी बनाने का मौका मिलता है । यदि आप पंजीकरण की व्यवस्था करें, तो आपको पता रहेगा कि किस के पास क्या प्रापर्टी है । बैंकों में भी लोग इसी प्रकार से पैसा बनाते हैं, उनका बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है । यह व्यवस्था छोटे-छोटे शहरों में लागू होनी चाहिए । पब्लिक अण्डरटेकिंग में भी ज्यादा लास होता है । पब्लिक अण्डरटेकिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, वे तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वे जिनके लिए काम कर रहे हैं, वे गरीब होते जा रहे हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक शोषण का रास्ता बन्द नहीं होगा, आप कुछ भी सुविधायें दें, उनसे किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है । शोषण का रास्ता बन्द करने की हमारी सरकार की इच्छा है । इसलिए आप इस पर पुनः गौर करें और एक नया विधेयक लायें —यही मेरा आपसे निवेदन है ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

श्री कमोदी लाल जाटव (मुरैना) : सभापति जी, माननीय बनातवाला जी ने जो संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं ।

बनातवाला जी ने 1947 से पहले का समय देखा है और आज का समय भी वे देख रहे हैं । 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान की जनसंख्या 37 करोड़ थी । आज 70 करोड़ जनसंख्या भारत की और 20-25 करोड़ पाकिस्तान की होगी । 1947 से पहले भारत की 90 प्रतिशत जनता अशिक्षित थी और आज 90 प्रतिशत जनता शिक्षित है, शिक्षा होने के कारण ज्यादातर लोग सर्विस की तलाश करते हैं । इसके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास पूरे साधन हैं और वे खेती करते हैं । उनके परिवार के लोग भी नौकरी की तलाश में घूमते हैं । 1947 के बाद सरकार ने काफी धंधे खोले हैं । सरकार ने मछली विभाग, कछुआ विभाग और मघरा विभाग जैसे काफी विभाग खोले हैं लेकिन फिर भी सर्विस की बहुत कमी है । मैं यह नहीं कहूंगा कि लोग

अशिक्षित नहीं हैं। मैं केवल सरकार को यह सुझाव दूंगा कि कम से कम जितनी परती जमीन है, उसको अशिक्षित लोगों को पट्टे पर दिया जाए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों को फौज में भर्ती किया जाए। हमारे यहां ग्वालियर में चौथा पल्टन के नाम से जो पल्टन थी, वह बहुत मशहूर थी। हमारे चंबल संभाग में काफी अच्छे लड़के हैं, जो फौज में काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फौज में भर्ती कराया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए जितना समय दिया गया था, वह समाप्त हो गया है। मंत्री महोदय को भी कुछ कहना है और प्रस्तावक को भी उत्तर देना है। यदि सभा सहमत हो तो इस विधेयक का समय लगभग 45 मिनट तक और बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ! जी हां।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए तदनुसार समय बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री कमोदी लाल जाटव : मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे खोले ताकि जो बेरोजगारी है, वह खत्म हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि बनातवाला जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है, उसको वे वापस ले लें। बस मेरा यही निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया, आभारी रहूंगा।

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : सभापति महोदय सर्व प्रथम मैं श्री जी० एम० बनातवाला के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने बेरोजगारी के प्रश्न पर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह विधेयक पेश किया है। मैं माननीय सदस्य श्री मूलचंद डागा, श्री वी. के. कृष्णा अय्यर, श्री वृद्धि चन्द्र जैन, श्री वाई. एस. महाजन, श्री सत्य गोपाल मिश्रा, श्री बी० एन० पाटिल, डा० राजहंस, श्री मेयूर भूषण, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, श्री रामाश्रयप्रसाद सिंह, श्रीबाला साहेब विखे पाटिल, श्री सोमनाथ चटर्जी, कुमारी ममता बनर्जी, श्री अनादि चरणदास, श्री जाटव तथा अन्य माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस देश में रोजगार के प्रश्न का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता के बारे में सभा को और मुझको अवगत कराया है।

उन्होंने ऐसे विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है जहां रोजगार के बहुत अधिक अवसर सुलभ हैं। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध हैं, और अपने देश के युवाओं और पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि भारत में, हम पूर्णतया नियोजित अर्थव्यवस्था द्वारा शासित होते हैं, और इसीलिए, अनुच्छेद 4 को, जिसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख है, बार-बार पढ़ना होगा, जिससे कि जिन हालातों में हम अपने देश को चला रहे हैं, उसमें इससे सही निदेश लिए जा सकें। मैं अनुच्छेद 41 को उद्धृत कर रहा हूं;

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंग हानि तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।"

इसमें बहुत ही आदर्श स्थिति स्पष्ट की गई है । शब्द हैं—राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के भीतर । हमारे पूर्वजों को भली-भांति पता था कि कठिनाई देश की आर्थिक सामर्थ्य की है न कि अपने देश के लिए अपेक्षित वस्तुओं को प्रदान करने की इच्छा की। उन्हें यह बात पता थी । और श्री बनातवाला को भली भांति पता है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय देश की क्या स्थिति थी । मुझे अपने बचपन के दिन याद हैं । उन दिनों भारत में घोर निर्धनता थी और यदि कहीं सम्पन्नता थी तो थोड़े से नगरों में ही । अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज भारत विपन्नता का विशाल सागर नहीं रह गया है । निर्धनता के क्षेत्र तो हैं किन्तु निर्धनता का विशाल क्षेत्र देश से निकाल दिया गया है । यह कोई कम उपलब्धि नहीं है ।

मैं ग्रामीण क्षेत्र का हूं । मुझे याद है कि एक दशक पूर्व हमें मैक्सिको का गेहूं खाना पड़ता था । अब जब कभी मैं देहात में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि खेत लहलहा रहे हैं और सर्वत्र हरि-याली ही हरियाली है । स्थिति जैसी भी हो, आज अपने देश के लोग भूखे नहीं मर रहे हैं । कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है । और विरोधी दल में बैठे उस ओर के सदस्य, जो स्वयं को मार्क्सवादी कहते हैं, उन सब उपलब्धियों की तरफ से अपनी आंखें बंद रखते हैं । श्री चटर्जी की बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ है । वह क्या पूछ रहे हैं ? क्या इस देश में समाजवाद की नीति से हटकर कोई नीति है ? समाजवाद का यह अर्थ नहीं है कि आप उस विचारधारा को अपनायें जो अपने देश के लिए उपयुक्त नहीं है । देश का शासन धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली से करना होगा । हमें उसे सुदृढ़ करना है । देश का प्रशासन नियोजित ढंग से आर्थिक विकास की प्रक्रिया द्वारा करना है न कि कोरे आदर्श के आधार पर जो कहीं भी परि-लक्षित नहीं होता है । आप उनके अपने ही राज्य की स्थिति देखिये । पार्क स्ट्रीट में 6 बजे के बाद घूमना कठिन है । क्या वे इस बात से इन्कार कर सकते हैं । मैं बोल रहा हूं······

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार साहा : मैं मंत्री महोदय को चुनौती देता हूं कि वह वहां जायें और स्वयं देखें । 12 बजे रात में भी कोई नुकसान उनको नहीं पहुंचायेगा ।

(व्यवधान)

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह रहा हूं । जिस राज्य को वे 'जनता का राज्य' कहते हैं, आज उस राज्य की क्या स्थिति है ? क्या इसी प्रणाली की सरकार का आप प्रचार कर रहे हैं । पश्चिम बंगाल जिस ढंग से चल रहा है; हम नहीं चाहते कि उस ढंग से और राज्य भी चलें ।

श्री अजित कुमार साहा : यह सही नहीं है··· (व्यवधान)

श्री एच० आर० भारद्वाज : कृपया मेरी बात सुनिए । मैं इस मामले में आपकी बात स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं । मैं सभा के समक्ष पूरे तथ्य रखना चाहता हूं । क्या पश्चिम बंगाल में भुखमरी नहीं है ? क्या पश्चिम बंगाल में सभी शहर बिजली की रोशनी से जगमगा रहे

हैं ? क्या पश्चिम बंगाल में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं ? आप इसी प्रणाली को पूरे देश के लिए अपनाना चाहते हैं ! वह चाहते हैं कि जिस आदर्श राज्य का शासन वे चला रहे हैं; उसकी ओर पूरे देश का ध्यान दिलाया जाए।

श्री अजित कुमार साहा : यह एक आदर्श राज्य है और अन्य राज्य हमारे राज्य का अनुकरण कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एच० आर० भारद्वाज : मुझे खेद है। मैं आदर्श नामक विषय पर बात नहीं करना चाहता हूं जो न धर्मनिरपेक्ष है और न लोकतांत्रिक। लोकतंत्र के निकट तक नहीं है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जब वह ऐसी बातें करते हैं जो हमारे पूर्वजों द्वारा कही गई बातों के विपरीत है, तो उन्हें चाहिए कि वह कोई बेहतर प्रणाली बतायें। देश ने जो प्रगति की है, उसकी तरफ से आंखें बंद करके आज यह कहना बड़ा आसान हो गया है कि यह नहीं हुआ और यह नहीं हो रहा है। हम अभी तक संतुष्ट नहीं हैं। जो लक्ष्य प्राप्त करना था, वह प्राप्त हो गया है। मैं देश के बेरोजगार युवाओं की कठिनाइयों को भलीभांति समझता हूं। इन बातों के बारे में हम भी समान रूप से वफादार हैं। इस मामले में श्री बनातवाला से किसी का कोई मतभेद नहीं है।

प्रश्न यही है। क्या हम प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं ? मैं आंकड़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, इससे विरोधी दल के सदस्यों के मस्तिष्क में यह बात कौंध जायेगी कि क्या हो रहा है। देश में जो प्रगति हो रही है, उसे देखिए। ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों के कार्य-कलापों में जो उपलब्धि हुई है, उसे देखिये। मैं इस सभा में हमेशा ही यही कहता रहा हूं कि प्रगति की गति धीमी है किन्तु प्रगति उत्तरोत्तर हो रही है क्योंकि देश के दूरस्थ क्षेत्र की भी प्रगति होगी। जो किसी विशेष विचारधारा से बाहर नहीं जाना चाहेगा वह देश के अन्य भागों को नहीं देख सकेगा। कृपया मुझे बोलने दीजिये : मैं यह बताना चाहूंगा कि काम प्रदान करने की गुंजायश न होते हुए, हर एक को काम देने का अथवा कोई साधन न होते हुए, हर एक को भत्ता देने का क्या महत्व हो सकता है। इस पर कितने रुपए खर्च होंगे मैं आपको बताऊंगा कि यदि इसे एक साल तक चालू रखा गया तो इस सम्बन्ध में 1,000 करोड़ रुपए अर्थात् 2 करोड़ व्यक्तियों पर व्यय करने होंगे। क्या हम घर में बेकार बैठे इन लोगों को देश का 1,000 करोड़ रुपया हर वर्ष यों ही दे दें।

दूसरा तरीका यह है कि आप उद्योग, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित सभी दिशाओं में योजनायें तैयार कीजिये जिनमें रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जा सके और उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाया जा सके। इसका परिणाम यह निकलेगा कि रोजगार के अधिक अवसर सुलभ हो सकेंगे। यही सब काम किये जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं से सबद्ध विशेष कार्यक्रम हैं।

राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रमीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमि हीन रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं की ओर मैं केवल संकेत ही करना चाहता हूं।

हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम कांग्रेस (आई) संवर्ग को ही सारी ससुविधायें प्रदान करेंगे ऐसी बात कहीं और ही हो रही है। मैंने उनके राज्यों को देखा है कि वहां क्या हो रहा है ? सब कुछ उनके कर्मकारों को दिया जा रहा है। ममता जी ने ठीक ही कहा है।

श्री अजित कुमार साहा : मुझे इस पर आपत्ति है। यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : वे आपत्ति करेंगे, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कृपया मुझे बात कहने दीजिए। वे विभिन्न आंकड़ों द्वारा दर्शाये गए लक्ष्यों की प्राप्ति की बात को भी नहीं स्वीकार करेंगे। मैं उन्हें सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं उन्हें संक्षेप में बताऊंगा। लक्ष्य के अंतर्गत रखे गए परिवारों की संख्या और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

1980 और 1981 :

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : लक्ष्य—33.7 लाख
उपलब्धि—27.27 लाख

"ट्राइसेम" लक्ष्य—2 लाख
उपलब्धि—1.25 लाख

इन चीजों को दोहराया गया है। क्या अब भी कोई संदेह रह गया है कि देश प्रगति कर रहा है अथवा नहीं ? क्या अब भी आपको कोई संदेह है कि औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों के संबंध में भारत महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है ?

एक माननीय सदस्य : मुझे इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं यही बात सभा को बताना चाहता था। वे कहते हैं कि भारत की स्थिति पहले जैसी है और देश पूर्णतया पिछड़ा हुआ है। (**व्यवधान**) मुझे संदेह नहीं है। मैं ऐसे परिवार से संबंधित हूं जो इस सरकार की नीति के कारण प्रगति कर सका है। आप मुझे क्या सिखायेंगे ? मैं दस साल तक पैदल स्कूल जाता रहा हूं और आज मैं यहां हूं। मुझे मत पढ़ाइये। मैंने स्वयं प्रगति की है। मैं खोखली नीति से नहीं बना हूं। (**व्यवधान**) आप शायद यह सोचते हैं कि आपसे अधिक कोई बुद्धिमान नहीं है। (**व्यवधान**) इस सभा के सभी सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि देश ने तरक्की की है।

सभापति महोदय : अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित क्यों नहीं करते ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं अध्यक्ष पीठ को ही सम्बोधित कर रहा हूं। किन्तु ये बातें उनकी विचारधारा के अनुरूप नहीं हैं। यही दिक्कत है। मैंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया है और मैं उससे सहमत नहीं हूं। (**व्यवधान**) आपने मार्क्सवाद की नकल की ..। वे उधार लिए गये मार्क्सवाद को थोथे मार्क्सवाद को भारत पर लादना चाहते हैं। वे हमेशा प्रगति की बात करते हैं और वे अत्यधिक प्रतिक्रिया वादी कार्यक्रम अपनाते हैं।

सभापति महोदय : विधेयक पर बात कीजिए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन्हें यह देखना चाहिए कि रूस चीन और संभवत: जापान को छोड़कर ऐसे कितने देश हैं जहां काम करने का अधिकार है। वहां उन्हें काम करने का अधिकार और कर्त्तव्य पालन का भी अधिकार प्राप्त है। यह महत्वपूर्ण बात है। किन्तु क्या वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि काम करने का अधिकार और कर्त्तव्य पालन साथ साथ चलने चाहिएं ? कतई नहीं ! कर्त्तव्य पालन के साथ साथ काम करने का अधिकार मिलता है। इसलिए यह बात अधिक महत्वपूर्ण है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि रोजगार

के अधिक से अधिक अवसर किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका हम कितना अधिक उपयोग कर पाते हैं।

मैं आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में ये सब बातें दोहराई थीं किंतु लगता है कि वे भूल गए हैं। पृष्ठ 5 के पैरा 25 में उन्होंने कहा है :

> "गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के जोरदार कार्यान्वियन के परिणाम महत्वपूर्ण रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 150 लाख परिवारों की सहायता करने का लक्ष्य रखा गया था और वास्तव में 166 लाख परिवारों को इससे लाभान्वित किया गया..."

यदि 166 लाख परिवारों को सहायता दी गई तो क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है ? इनमें से 164 लाख परिवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं। इसके लिए हमारा दल वचनबद्ध है। हम हमाज में सबसे निचले तबके के लोगों की मदद करना चाहते हैं। और इसी स्तर पर कार्य में प्रगति होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि ऐसा हो रहा है या नहीं। इसमें आगे कहा गया है कि :

"इन कार्यक्रमों में मजबूती लाई जा रही है और वर्ष 1985-86 में अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारों का उपयोग किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 लाख अतिरिक्त परिवारों को सम्मिलित किया जा सके। सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की राशि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए दी जाएगी।"

मेरे पास शिक्षा से संबंधित कुछ आंकड़े भी हैं जो स्थिति को बहुत स्पष्ट करते हैं और इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। वर्ष 1985-86 में 329 करोड़ रुपए तथा 1986-87 में 351.96 करोड़ रुपए के केन्द्रीय परिव्यय के लिए प्रावधान हैं। अनेक योजनाएं बनाई गई हैं किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा कहा गया है, यह देश अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है। आबादी बढ़ने की तीव्र रफ्तार के कारण की गई प्रगति का महत्व उतना नहीं रह जाता। अतः हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए; अपने संसाधनों के संबंध में योजना बनानी चाहिए और उन सभी का परिणाम देखना चाहिए। हमें काम करने का अधिकार होना चाहिए और काम करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। क्या किसी भी देश का रातों-रात लोगों की सहायता के बिना निर्माण किया जा सकता है ? प्रत्येक देश का निर्माण तब हुआ है जब लोगों को काम का अधिकार और उनके कर्तव्य का साथ-साथ निवर्हन हुआ है और हमें भी इसी दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए। इस प्रकार के विषयों पर चर्चा करने से कुछ आंकड़े एवं तथ्य सामने आते हैं। इस बात से किसी को इन्कार नहीं है। किंतु यदि हम चाहें कि पूरी व्यवस्था को ही दोबारा से बनाया जाए तो ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि हम काफी दूरी तय कर चुके हैं और अब वहां वापस नहीं जा सकते। हमारा देश अत्यन्त सफल होगा यदि हम में से प्रत्येक अपना कर्तव्य निभाता जाए। किंतु बात यह है कि हम राजनीति में अपने आदर्शों को रातों-रात बदल देते हैं और फिर

भी यही कहते हैं कि हम उसी दिशा में जा रहे हैं । कांग्रेस कभी भी देश के पूर्वजों द्वारा निर्धारित नीतियों से बाहर नहीं गई । कांग्रेस ने लोकतांत्रिक परम्पराओं एवं धर्म-निरपेक्षता तथा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है । उनमें और हमारे में यह अन्तर है और यही उन्हें समझ नहीं आता; इसलिए देशवासियों को सदा हमारा साथ देना चाहिए । इसलिए योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था की प्रणाली अच्छी चल रही है । किंतु हमें प्रगति की रफ्तार बढ़ानी चाहिए । हमें इन कार्यक्रमों को उन क्षेत्रों तक ले जाना चाहिए जहां पीने का पानी नहीं है जहां सड़कें नहीं हैं और संचार व्यवस्था नहीं है । हमें वहां अवश्य पहुंचना चाहिए । हमें इन कार्यक्रमों को वहां तक पहुंचाना चाहिए । एक के बाद एक योजनाएं और कार्यक्रम बनाएं । श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था जो कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है जैसी श्रीमती गांधी और पंडित नेहरू चाहते थे और अब हमारे नेता श्री राजीव गांधी हमें दे रहे हैं । हमें इन कार्यक्रमों पर गर्व है ।

श्री विपिनपाल दास (तेजपुर) : वे इसे कार्यान्वित नहीं कर रहे ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : वे इसमें विश्वास नहीं रखते । आप राष्ट्रीय मुद्दों पर इस सदा उनके दृष्टिकोण को देखें । (**व्यवधान**) यदि उनकी विचारधारा देश में सफल हुई होती तो वे बंगाल से कुछ दूरी तय करते, वे वहां नहीं गए; वहां पर उन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा (**व्यवधान**) मैं यह सदन में कह रहा हूं कि पार्क स्ट्रीट में चल कर देखें आपको असलियत पता चल जाएगी ।

एक माननीय समस्य : अब श्री बनातवाला को क्यों न मनाया जाए ?

[**हिन्दी**]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : सभापति जी, भारद्वाज जी से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप में और इनमें फर्क बस इतना है कि ये बन्द को अपना अधिकार समझते हैं और आप काम करने को अपना अधिकार समझते हैं ।

[**अनुवाद**]

श्री एच० आर० भारद्वाज : देखिए एक कवि यह कह रहा है : मैं केवल यह कह रहा था कि काम करने का अधिकार हमारे समक्ष आदर्श लक्ष्य है । हमारे सामने ऐसा लक्ष्य है जिसमे एक व्यक्ति को ऐसा काम मिलना चाहिए जिसके वो योग्य हो । यदि मैं किसान होऊं तो मुझे दिल्ली जा कर डी० टी० सी० बस का कंडक्टर बनने की अपेक्षा अपने खेतों पर काम करना चाहिए । यदि कोई शिक्षाविद है तो उसे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए आदि । हम इस दिशा में चल रहे हैं । हमारी नई शिक्षा नीति ग्रामीण कौशल से संबंधित काम कर रही है । यदि देश में ग्रामीण मेधावी लोगों पर ध्यान देगी तब हमारे समाज में समानता आ जाएगी । आप विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की ओर देखें । ये विकास देश को आगे ले जा रहा है । इससे पीछे हटने का प्रश्न नहीं है । यह मैं केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि भारत के नागरिकों को काम और रोजगार की गारंटी दी जाये यह एक आदर्श समाज होगा जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं । किंतु आदर्श समाज में भी कुछ संसाधन होने चाहिए और ये संसाधन देश में वर्ष भर चलाए जा रहे कार्यक्रमों को पूरा करने में सक्षम होने चाहिएं । किंतु

हमारे पास संसाधन नहीं हैं। हम जो भी संसाधन उत्पन्न करते हैं उन्हें दोबारा देश के विकास में लगा देते हैं। यदि कोई अन्य आवश्यकता हो तो हम इन्हें कहीं और लगाते हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि संविधान में बार-बार संशोधन करने और उसमें अनुच्छेद जोड़ने से सभी को रोजगार नहीं मिलेगा और सभी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। लाभ तभी होगा यदि हमारी जेब में पैसा हो और उसका सही उपयोग किया जाये। हमें वास्तविक स्थिति देखनी होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि हम योजनाबद्ध तरीके मे चलें और जनसंख्या पर नियंत्रण रखें तो एक समय ऐसा आएगा जब हम यह कह सकेंगे कि हम सबको रोजगार दे सकते हैं। बेकार लोगों को धन देने से कोई लाभ नहीं होगा। कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। हमें कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा जबकि निदेशक सिद्धांत एक वास्तविकता बन जाये।

श्री एच० ए० डोरा : कितने वर्ष ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह निर्णय हमने इस सदन में करना है और यह देखना है कि हम देश में कितनी मेहनत से काम करते हैं। मेहनत करने वाले देशवासी देश की अर्थव्यवस्था में सभी परिवर्तन ला सकते हैं। इंजीनियरों को तथा किसानों को देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। किसानों ने अपना काम किया है। अब उद्योग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगे हुए लोगों को आधुनिक भारत का निर्माण करना है। कुछ लोग कम्प्यूटरों की आलोचना करते हैं। मेरे ख्याल से यह उनके विचारों के कारण है। आप विज्ञाम तथा प्रौद्योगिकी में नवीनतम उपस्करों के बिना ये उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। आप एक रेजर ब्लेड से सर्जरी के क्षेत्र में चमत्कार नहीं कर सकते। नवीनतम उपलब्धियों के लिए नवीनतम उपस्करों का होना आवश्यक है। यह आज के समय की मांग है। आज जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व का ज्ञान नहीं है बल्कि वे लोग यह नहीं चाहते कि देश विकास करे। मैं तो यह भी कहूंगा कि वे ऐसा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वे भयभीत हैं। कुछ ऐसी प्रणालियां हैं जिनसे लोग दुखी होते हैं और वे प्रसन्न होते हैं।

एक वक्ता ने ऐसी बात कही जिससे मैं आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें इस चीज से प्रसन्नता होती है कि यहां आतकवादी मौजूद हैं। उन्हें इस चीज से खुशी मिलती है कि आपने ये व्यक्ति आतंकवादी बनाए हैं, जैसे कि वो आतंकवादियों के समर्थक हों। महात्मा गांधी के देश में कोई भी व्यक्ति आतंकवाद को सहन नहीं कर सकता। ये ऐसा देश है, जिसने कभी आतंकवाद का पाठ नहीं पढ़ाया। जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों को समर्थन देते हैं, वे ऐसी स्थिति में हो जायेंगे कि उनका इस देश में अस्तित्व नहीं रहेगा। इस देश में आतंकवादियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। आप इसे मानकर चलें। इस देश ने अहिंसा को स्वीकार किया है और अहिंसा ही हमारी सभी बुराइयों की दवा है। यह बात महात्मा जी ने कही थी और वर्षों से इसे हमारे नेता मानते आ रहे हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति की एक सूक्ति हुआ करती थी कि शक्ति बंदूक से प्राप्त होती है। यह बात भारत पर लागू नहीं होती, आप इस बात का ध्यान रखें। शक्ति भारतीयों की अकलमंदी से प्राप्त होती है। यही सच है। यहां मतपेटी बंदूक से अधिक शक्तिशाली है। अतः इस सदन में अपने वरिष्ठ साथी से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि हम उनके आभारी हैं, हमने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया है, इस समस्या

के सभी पहलुओं को सामने रखा है और हमें इस पर गंभीर चिंता है। हम अपने देश से बेरोजगारी दूर करने के प्रति बचनवद्ध हैं और इस दिशा में अधिकाधिक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसाकि मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय भी बताया था। इन बातों के बाद मेरे विचार में श्री बनातवाला यह विधेयक वापस लेने पर सहमत हो जायेंगे क्योंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है और जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो चर्चा भिन्न रूप में की जाती है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का आभारी हूं। मैं मंत्री जी का भी उनके सूझ-बूझ भरे भाषण के लिए आभारी हूं। जैसा कि मैंने यह विधेयक पेश करते समय ही स्पष्ट किया था कि इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमारी सरकार गरीबी हटाने के लिए और देश में बेरोजगारी हटाने के लिए प्रयत्नशील है। यह एक वास्तविकता है। इन वर्षों में भारत ने जो प्रगति की है उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। 1947 से भारत को देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात से निश्चित रूप से सहमत होगा कि काफी प्रगति की गई है और हमारी योजनायें लाभकारी रही हैं। यदि कोई वास्तविकता को अनदेखी करता है तो वह ऐसा केवल राजनीतिक उद्देश्य से ही कर सकता है।

विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत करते समय स्वयं मैंने सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने तथा गरीबी हटाने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का जिक्र किया था। इन प्रयासों की अवश्य सराहना की जानी चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि सरकार इस स्थिति के प्रति जागरुक नहीं है। प्रश्न चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की आलोचना का नहीं है बल्कि यह है कि सरकार द्वारा ये प्रयास किए जाने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था सभी को रोजगार देने में असफल रही है। इस असफलता को दूर करने के प्रयोजन से सभी नागरिकों के लिए काम सुनिश्चित करने हेतु यह विधेयक लाया गया है।

यह विधेयक प्रत्येक नागरिक को काम से इंकार करने का अधिकार देने के लिए नहीं बल्कि सभी को काम देने के लिए है और यदि हमारी अर्थव्यवस्था सभी को काम का अधिकार देने में असफल रहती है तो हमारे संगठित और सभ्य समाज को प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपनी यह जिम्मेदारी माननी चाहिए कि वह व्यक्ति विशेष वंचित न रह जाये। यह विधेयक इसी उद्देश्य से लाया गया था। मैं माननीय मंत्री जी के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि काम का अधिकार हमारा लक्ष्य है। इसे कोई अस्वीकार नहीं करता। मैं इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं।

5.00 म० प०

बात केवल यह है कि हम इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं; सब योजनाओं के बावजूद हमें नहीं मालूम कि और कितना समय लगेगा और जैसा कि लार्ड कीन्स ने कहा है, आखिर में हम सब मृत हैं। अतः इससे पहले कि स्थिति गंभीर हो, हमें बेरोजगारी की समस्या को इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि काम करने का हक सबको मिले। माननीय मंत्री आतंकवाद का भी उल्लेख कर रहे थे। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि आतंकवाद इस विधेयक का एक अंग होगा। परन्तु तब उन्होंने ठीक ही कहा था कि जब हमारे युवकों को काम का अधिकार नहीं दिया जाता है तो हमारे देश में आतंकवाद बढ़ता है। हम इस दयनीय स्थिति को देखते हैं कि जिन युवाओं के

अच्छे सम्बन्ध नहीं होते वे अपनी सभी योग्यताओं के बावजूद रोजगार प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों को महसूस करते हैं। यह स्थिति है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है और इसीलिए रोजगार का अधिकार देने की जरूरत है। इस बेरोजगारी की समस्या के विभिन्न पहलू हैं और वे सभी हमारे सदस्यों के भाषणों के परिणामस्वरूप इस सभा के सामने रखे जा चुके हैं। मैं उन्हें फिर से नहीं दोहराऊंगा। अधिकांश सदस्यों—ने अथवा मैं कहूंगा कि लगभग सभी सदस्यों ने—बेरोजगारी को गंभीर रूप में लेकर हल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। किए जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हैं, अर्थात रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के सम्बन्ध में। यद्यपि कुछ लोगों ने रोजगार के अधिकार के विचार का ही उपहास किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि इस रोजगार के अधिकार को देने का अर्थ है कि लोग काम नहीं करेंगे; वे सिर्फ खैरात लेकर घर पर बैठे रहेंगे। इसलिए उनके दिल में शंका थी कि हमारा देश काम करने वालों की जगह काम से जी चुराने वालों का देश बन जाएगा। महोदय, जब मैंने ऐसा विचार सुना तो मैं चकित रह गया, हमारे लोगों की इस निन्दनीय तरीके से प्रस्तुत करने पर जिन लोगों ने हमें यहां भेजा है—और हम उन्हें यहां इस प्रकार से प्रस्तुत करें जैसे कि वे जिम्मेदार लोग नहीं है, जैसे कि उनका खैरात पर जीवन यापन करने का विचार हो। वास्तव में हमारा भारतीय समाज आत्म सम्मान में विश्वास करता है। खैरात की बात आत्म सम्मान के विचार से भी मेल नहीं खाती। हमारा विश्वास हमारे द्वारा कमाई गई आय पर जीवन यापन करने में है। हालांकि यह हमारी अर्थ-व्यवस्था है जो हमें असफल कर रही है, जैसा मैंने बताया था। जब अर्थ-व्यवस्था असफल हो जाती है तो सभ्य समाज के सभ्य लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। अतः मैं लोगों के काम से बचने के विचार की निन्दा करते हुए, जिसका यह हकदार है, उसे रद्द करता हूं। हमारे लोग चरित्रवान हैं और विधेयक लोगों को रोजगार का हक दिलाने से सम्बधित है न कि काम करने से मना करने के लिए। बेरोजगारी भत्ता उस स्थिति में नहीं दिया जाता जब व्यक्ति कार्य करने से मना कर दे। यह मात्र संविधान में सामान्य संशोधन के लिए है ताकि इस रोजगार के हक को सभी को उपलब्ध कराया जा सके।

दूसरा तर्क, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, वह जनसंख्या की वृद्धि से सम्बन्धित है।

हमारे कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया है कि आवश्यकता परिवार नियोजन बल्कि परिवार योजना के मामले में अनिवार्यता की है और इसे लागू करने से जनसंख्या की सम्पूर्ण समस्या हल हो जाएगी और बेरोजगारी की सारी समस्या हल हो जाएगी। यह तर्क कुछ सदस्यों ने दिया है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अनिवार्यता के बारे में किसी ने नहीं कहा है।

श्री जी० एम० बनातवाला : माननीय सदस्य कहते हैं कि अनिवार्यता के बारे में किसी ने नहीं कहा है। इस सम्बन्ध में टिप्पणियां की गयी थीं कि परिवार की संख्या को सीमित करने के लिए कानून बनाने के लिए एक विधेयक लाया जाना चाहिए। ऐसे विधेयक भी इस सभा में पुरस्थापित किए गए हैं। हालांकि जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वह जनसंख्या वृद्धि से सम्बन्धित है।

श्री कमल चौधरी : एक साल में जनसंख्या दुगनी हो जाये तो क्या होगा ?

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने आप सब की बात सुन ली है और आप जितनी बार चाहे मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं यदि आप अभी कुछ नये विचार रखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : यह अच्छी प्रक्रिया नहीं है । अब आप अपनी बात जारी रखें ।

श्री जी० एम० बनातवाला : जो बात कही गई है वह तथाकथित जनसंख्या वृद्धि होने के खतरे से सम्बन्धित है । मेरा कहना यह है कि यह बल्कि दुर्भाग्य की बात है कि जनसंख्या वृद्धि के मामलों में हम नियो-मालथयुसियन विचारों के शिकार हो गए हैं और हमें मालूम है कि ये नियो-मालथयुसियन विचार कितने बेरहम और कितने गलत रहे हैं।

श्री विपिन पाल दास : माफ कीजिए, बनातवाला जी, क्या आप कहना चाहते हैं कि चीन की नई जनसंख्या नीति भी नियो-मालथुयुसियन विचारों पर आधारित है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरे विचार से चीन के बारे में दूसरे लोग ध्यान रखेंगे। हम भारत की बात करें । मैं न तो चीन समर्थक हूं और न ही चीन विरोधी आदि-आदि । मैं भारत समर्थक हूं । मैंने बस विषय पर बोलना ही शुरू किया है ।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि नियो-मालथयुसियन विचारों के परिणामस्वरूप, जिसके हम शिकार होते जा रहे हैं, सम्पूर्ण जनसंख्या नीति का सिद्धांत और हस्तक्षेप नीति गलत हो गयी है । मैंने कहा था कि ये नियो-मालथयुसियन विचार बेरहम भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सभापति महोदय, आजादी से पूर्व के समय में भारत सरकार की सूखा नीति भी ऐसे नियो-मालथयुसियन विचारों पर आधारित थी और हम ब्रिटिश शासन के समय में ऐसे तर्क दिया करते थे कि ये सूखे और भुखमरी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम हैं और सूखा राहत सूखे की समस्या तथा इनसे उत्पन्न समस्यों को हल नहीं कर पायेंगी। अतः वे कहते थे कि सूखा राहत नहीं दी जा सकती, सूखे के दिनों में सहायता नहीं दी जा सकती क्यों कि यह जनसंख्या ही है जो उन पर इस विपत्ति को लाने के लिए जिम्मेदार है। नियो-मालथयुसियन विचारों की ऐसी बेरहमी की प्रकृति है और मैं सभी से अपील करता हूं कि नियो-मालथयुसियन के जनसंख्या सिद्धांत का शिकार होने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाए .

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मालथस एक कथोलिक ईसाई थे । उन्होंने एक मत शुरू किया था जिसे "मालयुसियन थियोरी आफ पापुलेशन" के नाम से जाना जाता है । मालथूसियन सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन के साधन तो सुनिश्चित अनुपात से बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या गुणोत्तर अनुपात से बढ़ती है । उनका मत था कि प्रकृति जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर निगरानी रखती है और आर्थिक स्तर एवं जनसंख्या के बीच सन्तुलन बाढ़ों, तूफानों, महामारियों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा रखा जाएगा । जब आप नियो.मालथुसियन सिद्धान्त का नाम लेते हैं तो क्या आप यही बात कहना चाहते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं जो उनके दिमाग में है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : हां वर्तमान संदर्भ में यह मालथुसियन थियोरी ही है ।

मैं बता रहा था कि हम बेरोजगारी की समस्या पर विचार कर रहे थे । काम का अधिकार जनसंख्या समस्या का एक प्रभावी जवाब है । कैसे ? बात बहुत सरल है । बड़े परिवार

आर्थिक व्यवस्था की देन है। वर्तमान में जो जोखिम हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं उनके प्रति ये आर्थिक रूप से दिए गए जवाब हैं। वर्तमान समय में जीवन के विभिन्न पहलुओं में असुरक्षा के कारण बड़े परिवारों का जन्म हो रहा है। इसलिए अर्थ शास्त्रियों ने बताया है कि हमें पीढ़ियों के मध्य आय के प्रवाह का अध्ययन करना चाहिए, छोटे परिवारों के मामले में तथा बड़े परिवारों के मामले में। बड़े परिवारों के मामले में यह सिद्धान्त है, पुत्र से पिता की तरफ पीढ़ियों के मध्य आय का प्रवाह है।

सभापति महोदय, परन्तु में इस प्रश्न पर पर्याप्त समय बोलूंगा। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदय : आप और विवादास्पद मुद्दा शुरू कर रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं उस विवाद को हल करने का प्रयास कर रहा हूं जो इस खास विषय में उठाया गया है। जैसा कि मैंने कहा, बड़े परिवार शिशुओं की ऊंची मृत्यु दर का जनसांख्यिकीय प्रतिक्रिया है।

सभापति महोदय : आप उनको उलझन में डाल रहे हैं जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं सभापति महोदय से भी अपनी हार क्यों स्वीकार करूं? बड़े परिवार आजकल की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति भी एक आर्थिक हल है। जीवन के विभिन्न जोखिमों के परिणामस्वरूप उत्पन्न असुरक्षा के प्रति ये आर्थिक जवाब हैं। आप काम का अधिकार, बुढ़ापे में पेंशन ाने का अधिकार दीजिए। तब व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए बड़े परिवार का प्रयास नहीं करेगा। यह खास मुद्दा है। अगर आपकी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बहुत ठोस होगी और जो लोगों की व्यक्तिगत देखभाल करें तब लोग सामाजिक सुरक्षा के लिए बड़े प ि वारों का सहारा नहीं लेगा।

अत: जनसंख्या की समस्या का हल भी अच्छी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का उपबन्ध ही है—बुढ़ापे में सहायता का अधिकार, अचानक अयोग्य होने की स्थिति में सहायता का अधिकार किसी असंभावित जरूरत के मामले में सहायता का अधिकार; दुर्घटना की स्थिति में सहायता का अधिकार इत्यादि। सामाजिक सुरक्षा सिद्धांत उपलब्ध कराने में इन सब बातों की आवश्यकता होती है और ये किसी भी जनसंख्या नीति की पूर्व निर्धारित शर्तें हैं।

मैं आगे कह सकता हूं कि आर्थिक संबंध जनसंख्या के बीच, कि आज, जनसख्या गरीबी के लिए जिम्नेदार है, अथवा गरीबी बड़ी जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पर विचार किया जाना चाहिए इस विषय पर अधिकार प्राप्त एक किताब मेरे पास है। इसका नाम है "पापुलेशन पालीसी एण्ड कम्पलशंज इन फैमिली प्लानिंग" जो श्री वसंत पीठ पेठे द्वारा रचित है। मैं पृष्ठ 90 से उद्धृत करता हूं—

> जनसंख्या के प्रश्न के संबंध में, अति जनसंख्या गरीबी अथवा अल्प रोजगार का एकमात्र कारण नहीं हो सकता बल्कि बड़े मर्ज का एक दृश्यमान लक्षण अर्थात् देश के भौतिक और मानव संसाधनों के लिए तकनीकी-आर्थिक क्षमता का विद्यमान सामाजिक व्यवस्था द्वारा उपयोग करने में असमर्थता है।"

मैं सभा को उसकी याद दिलाना चाहूंगा जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं कहा था तथा यह खबर थी कि उन्होंने जून 1948 के ई०सी०ए०एफ०ई० सम्मेलन के अपने उद्घाटन अभिभाषण में कहा था और मैं इसी किताब के पृष्ठ 90 से ही उनको उद्धृत करता हूं;

> "मैं जनसंख्या को रोकने के पक्ष में हूं। परन्तु मेरे विचार से जब इस पहलू पर बहुत अधिक जोर डाला जाता है तो वह एक बड़ी गलतफहमी है। आप अगर चाहें तो कह सकते हैं कि हमारी जनसंख्या अधिक है क्योंकि हमारी उत्पादन क्षमता कम है। अगर हम अपने उत्पादन, कृषि तथा अन्य, को बढ़ायें और इस जनसंख्या को उत्पादन करने में लगायें तो हमारी जनसंख्या अधिक नहीं है।"

मैं यहां पर एक और मजेदार बात बताना चाहूंगा और वह है कि गरीबी एक ऐसा तथ्य है जो मात्र संख्या पर निर्भर नहीं है बल्कि अन्य बातों में आय तथा रोजगार के अवसरों का असमान रूप से वितरण है।

मैं इस सभा का ध्यान उस तरफ भी दिलाना चाहूंगा जो युनाइटेड नेंशस फण्ड फार पापुलेशन एक्टीविटिज कहना चाहता है। युनाइटेड नेशंस फण्ड फार पापुलेशन एक्टीविटिज ने परिवार नियोजन की 14 पूर्व-शर्तों की सूची बनायी है। वे कहते हैं कि परिवार नियोजन पर विचार करने से पहले ये 14 पूर्व-शर्तें हैं जो युनाइटेड नेंशस फण्ड फार पापुलेशन एक्टीविटिज के पेपर में प्रस्तुत की गयी हैं। उन्होंने उन 14 पूर्व शर्तों की सूची दी है और इन 4 पूर्व शर्तों की सूची में, काम का अधिकार और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था जिसमें स्वास्थ्य और बुढापा सहित शामिल हैं।

अत: यह युनाइटेड नेशंस फण्ड फार पापुलेशन एक्टीविटिज स्वयं कहता है, "देश में काम का अधिकार दीजिए, देश में बहुत ही विस्तृत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कीजिए और वे कहते हैं कि यह किसी भी अर्थवान् जनसंख्या नीति की भी पूर्व-शर्तें हैं।

विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी हैं जिन्हें हम आगे रख सकते हैं मुझे आपसे निवेदन करना है कि बेरोजगारी के प्रश्न की इस चर्चा को जनसंख्या नीति की चर्चा भी बनने दिया जाये और उसी से चर्चा शुरू की जाये क्योंकि सभा के सामने अभी भी विभिन्न अन्य पहलू रखने बाकी हैं।

फिर भी जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है मैंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि सरकार गंभीर प्रयास कर रही है परन्तु अब अर्थवान राष्ट्रीय नीति बनाने का समय आ गया है जो प्रगति की इन-पूर्व-शर्तों को पूरा करती हो अर्थात् काम का अधिकार तथा एक अत्यन्त विस्तृत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का अधिकार। हमारे सामने कुछ अत्यन्त विरोधी बातें भी हैं। एक तरफ तो हमारी काफी संख्या में रोजगार देने वाली योजनायें हैं और दूसरी तरफ हमने भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। इन विरोधाभासों को भी समाप्त करना होगा।

आप लगातार घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं सभी सदस्यों का, माननीय मंत्रियों का, उनके प्रकाश डालने वाले भाषणों के लिए और मैं चाहता हूं कि ये भाषण हमारे देश के लोगों को काम दिलाने में सहायक बनें—धन्यवाद करते हुए अपना भाषण करता हूं। मैं इस खास वक्तव्य का, माननीय मंत्री के इस खास वक्तव्य का कि लक्ष्य काम का अधिकार देने की ओर है,

स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि प्रयास हो रहे हैं यद्यपि सभा बेरोजगारी समस्या की गंभीरता से अवगत है, शायद सभा की इच्छा या अधिकांश सदस्यों की इच्छा या माननीय मंत्री की इच्छा इसे इसी समय करने का नहीं है। वे किसी अन्य मौके के इन्तजार में हैं परन्तु यह समय दूर नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसा कि लार्ड कीनेस ने कहा है, आखिर में हम सब मृत हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और माननीय मंत्री से अपने दृष्टि-कोण पर फिर से विचार करने का आग्रह करते हुए यह आशा करता हूं कि वह स्वयं आगे आयेंगे—यह आपकी एक परम्परा है कि मैं गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक लेकर आता हूं और आप सरकारी विधेयक लेकर आते हैं। अतः इस परम्परा को बनाये रखिये और अगले सप्ताह वे अपना सरकारी विधेयक ला सकते हैं। मुझे आशा करनी चाहिए कि सरकार उस दिशा में बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री मूलचन्द डागा ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। वह यहां नहीं हैं। मैं इसको मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने वालों वाले विधेयक को वापस लेने के लिए अनुमति का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एम० बनातवाला मैं विधेयक वापस लेता हूं।

———

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक

(धारा 2 का संशोधन, आदि)

[**अनुवाद**]

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं : कि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

*सभापति महोदय, आप सभी को मालूम है कि भारत में 40 लाख से अधिक बीड़ी और सिगार मजदूर हैं और ये बीड़ी मजदूर सबसे अधिक शोषित लोग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीड़ी मजदूरों को मौजूदा कानूनों में, जो सामान्य रूप से मजदूरों के लाभ के लिए सरकार द्वारा बनाए गए हैं किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता। बीड़ी मजदूरों के लिए जो

*मूलतः बंगाली भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कानून 1966 में बनाया गया था इसमें कई कमियां हैं इसलिए बीड़ी मजदूरों के लिए यह अधिक लाभदायक नहीं है। इन कमियों का लाभ उठाते हुए नियोजक बार-बार उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय आदि में जाते हैं और मजदूरों के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं तथा गरीब मजदूर अपनी वैध मजदूरी की राशि से वंचित हो जाता है। यह कोई पहला अवसर नहीं है कि बीड़ी मजदूरों के लिए इस सदन के सामने गैर सरकारी विधेयक आया है। इस विषय में यहां पहले भी कई बार चर्चा की गई है। हमारे स्वर्गीय नेता कामरेड ए. के. गोपालन जो लोक सभा के सदस्य थे उन्होंने 1957 में बीड़ी मजदूरों के लिए एक संशोधी विधेयक भी रखा था। तत्कालीन मंत्री प्रभारी ने भी उस समय बीड़ी मजदूरों के लाभ की व्यवस्था करने के बारे में कई मीठी बातें कही थीं। लेकिन कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वे 1962 में फिर से एक अन्य गैर सरकारी विधेयक लाये जिस पर सदन में चर्चा की गई थी। सभी सदस्य एक मत से सहमत थे कि बीड़ी मजदूरों की सेवा शर्तों को सुधारा जाना चाहिए और इस बारे में सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले भी 1945 में इसको देखने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति का नाम रिघे समिति था मैं रिघे समिति के प्रतिवेदन से उद्धृत करता हूं :

"उस प्रतिवेदन में समिति ने कहा था कि कम मजदूरी, रोजगार की असुरक्षा अंशकालिक रोजगार, बच्चों को रोजगार, टी. बी. की बीमारी होना, श्रम कानूनों का न होना" आदि के मामले में भारत में यह उद्योग सबसे अधिक रुग्ण उद्योग है। जब उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उस समय 1945 में यह स्थिति थी। उसके बाद से संसद में इस मामले पर दो बार चर्चा की गई है। तब 1966 में संसद ने बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम पारित किया था। परन्तु संसद द्वारा पारित उस अधिनियम के बाद भी नियोजकों ने उस अधिनियम के विभिन्न खण्डों में कमियों का लाभ उठाया और बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तथा सभी अन्य लाभों जैसे उनको देय उचित मजदूरी से वंचित रखा। वे सभी लाभ जो उन्हें औद्योगिक मजदूर के रूप में बोनस, उपदान भविष्य निधि आदि जैसे मिलने चाहिए उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया। उन्हें औद्योगिक मजदूर के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी इसलिए नियोजक ने इसका लाभ उठाया और न्यायालयों में गए तथा उनके विरुद्ध रोकादेश प्राप्त किया। 1966 के बाद लगभग 10 वर्षों तक रोकादेश आदि जारी रहे। तब 1975 में संसद ने संशोधी विधेयक को फिर से पारित किया। परन्तु उस कानून के उपबंध भी नियोजक के विरुद्ध मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए असफल रहे। उस कानून में भी कमियां थीं जिसका नियोजकों ने लाभ उठाया था। वे न्यायालयों में जाते रहते थे और मजदूरों को उनकी यथोचित देय राशि से वंचित रखते थे।

महोदय, केवल यही नहीं संसद में इसकी दो बार चर्चा की गई थी। इस सम्बन्ध में कई अधिकरण की भी स्थापना की गई थी : मद्रास, दूसरा बम्बई, नागपुर आदि में न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई थी। इन सभी न्यायाधिकरणों की एक आम राय थी कि पूरे देश में 40लाख से अधिक बीड़ी मजदूरों की दशा सबसे खराब है। उनके पास रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, उन्हें सबसे कम मजदूरी दी जाती है और उनके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। अधिनियम क

पारित होने के बाद भी ये कमियां वहां निरन्तर बनी हुई हैं। मेरा यह विधेयक भी पूरी तरह से सुस्पष्ट नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के माध्यम से बीड़ी मजदूरों को वांछित सभी प्राप्त होंगे। मैंने केवल बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम 1966 के विभिन्न खण्डों में कुछ परिवर्तन चाहा है ताकि नियोजक धोखा न दे सकें और मौजूदा प्रणाली के अन्तर्गत वर्तमान अधिनियम में कमियों के कारण मजदूरों को उनके अधिकारपूर्ण देय से वंचित न किया जाए।

महोदय, बीड़ी और सिगार के बारे में इस सदन में कई प्रश्नोत्तर हुए हैं। प्रभारी मंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि औद्योगिक मजदूरों को या अन्य संगठित क्षेत्रों में मजदूर को उपलब्ध सभी लाभों के लिए बीड़ी मजदूर भी हकदार है। लेकिन उसी सांस वह कहते हैं कि उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय के कुछ रोकादेशों के कारण बीड़ी मजदूरों को वे लाभ नहीं मिल रहे हैं। अब मेरा यह प्रश्न है कि संसद सर्वोच्च है इसलिए यदि संसद महसूस करती है और यदि संसद सदस्य यह महसूस करते हैं कि पूरे देश में40 लाख से अधिक बीड़ी मजदूरों को ये सभी लाभ मिलने चाहिए और उनके हितों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए तब क्या हम उनके हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए कानून में कमियों को दूर नहीं कर सकते ? संसद उच्चतम संस्था है यह निश्चित रूप से इन बीड़ी मजदूरों की रक्षा के लिए कानून में सुधार ला सकती है। जैसा कि मैंने कहा है कि 40 लाख से अधिक बीड़ी मजदूर हैं। किसी भी संगठित क्षेत्र में इतनी अधिक मजदूरों की संख्या नहीं है। रेलवे में 20 लाख मजदूर थे। अब वह संख्या 14 लाख हो गई है। परन्तु बीड़ी मजदूरों की इतनी अधिक संख्या होते हुए भी उनकी सेवा शर्तों, रोजगार की सुरक्षा आदि के बारे में अब तक कुछ नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से संसद में व्यापक विधेयक लाने का अनुरोध करता हूं जिससे बीड़ी मजदूरों की कठिनाइयां और परेशानियां दूर की जा सकें तथा उन्हें औद्योगिक मजदूरों के रूप में मान्यता प्रदान की जा सके और साथ ही बीड़ी मजदूरों का शोषण करने से नियोजक को रोका जा सके तथा इस बारे में मौजूदा कानून की कमियों से लाभ लेते हुए उनको उनकी देय राशि से वंचित न किया जा सके।

महोदय, हमारे माननीय मंत्री श्री संगमा ने पश्चिम बंगाल में मालदा का कुछ समय पहले दौरा किया था और बीड़ी मजदूरों को कुछ परिचय पत्र जारी किए गए थे। जब 1975 में इस सदन में बीड़ी कर्मकार (संशोधन) विधेयक पारित किया गया था तो यह निर्णय किया गया था कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले प्रत्येक बीड़ी मजदूर को परिचय पत्र जारी किए जाने चाहिए क्योंकि उसे लागू करने के लिए कोई केन्द्रीय कानून नहीं है इसलिए नियोजक अपने मजदूरों को परिचय पत्र जारी करने के अनिच्छुक होते हैं। यदि परिचय पत्र जारी किए जाते हैं तो मजदूर उनके कर्मचारियों के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगे। इसका नियोजक के साथ संबंध नहीं है। माननीय मंत्री ने कुछ परिचय पत्रों का वितरण किया था परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। पूरे देश में 40 लाख बीड़ी मजदूर हैं। मंत्री महोदय के लिए यह संभव नहीं है कि वह निजी रूप से सभी को परिचय पत्र जारी करें। उनका क्या होगा ? कानून में इस प्रकार से संशोधन होना चाहिए जिससे नियोजक पर अपने सारे मजदूरों के लिए परिचय पत्र जारी करने के लिए दबाव डाला जा सके।

महोदय, इस समय दोहरी लाइसेंस व्यवस्था है। पहला वह है जो बाजार से ट्रेडमार्क वाली बीड़ी खरीदते हैं और तब उसको बेचते हैं। दूसरी व्यवस्था उनके लिए है जो खुद बीड़ी

बनाते हैं। इस दोहरी लाइसेंस पद्धति के कारण नियोजक को लाभ मिलता है और वे विभिन्न तरीकों से मजदूरों को धोखा दे सकते हैं। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि केवल एक ही लाइसेंस प्राधिकरण होना चाहिए। जिस व्यक्ति को निर्माण करने का लाइसेंस जारी किया जाएगा अर्थात नियोजक या मालिक उसको यह देखना होगा कि उसकी फैक्टरी में जो को. कार्य करता है चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो चाहे वह कार्य करता हो, मुन्शी हो या एजेंट हो उसको उस फैक्टरी का मजदूर माना जाना चाहिए उसके अधीन कर्म करने वाले सभी को फैक्टरी मजदूरों को उपलब्ध होने वाले सभी निश्चित लाभ और सुविधाएं मिलनी चाहिएं। मैं माननीय मन्त्री से इसके लागू करने के लिए एक कानून बनाने का अनुरोध करता हूं।

अब न्यूनतम मजदूरी कानून के बारे में एक शब्द कहना चाहूंगा। कुछ राज्यों ने इस संबंध में बीड़ी मजदूरों के लिए कानून पारित किए हैं। परन्तु चूंकि सभी राज्यों ने इस तरह के कानून नहीं बनाए हैं इस लिए व्यापक केन्द्रीय कानून के अभाव में, नियोजक लाभ उठाते हैं। यह देखा गया है कि जब मालिक को यह पता चलता है कि एक विशेष राज्य में उसे न्यूनतम मजदूरी अपने मजदूरों को देनी पड़ेगी तो जहां इस प्रकार का कानून लागू है वे वहां से अपनी फैक्ट्री किसी अन्य राज्य में स्थानान्तरित कर लेते हैं जहां न्यूनतम मजदूरी देने का कोई कानून न हो। इस तरह वे अपने मजदूरों के साथ धोखा करते हैं। एक अन्य पहलू है। जब मुंशी या एजेंटों को बीड़ी बनाने का काम सौंपा जाता है तो वे उनके द्वारा नियुक्त कुछ मजदूरों के माध्यम से निर्मित बीड़ी प्राप्त करते हैं। इन मुंशियों या एजेन्टों द्वारा मालिक को तैयार बीड़ी की सप्लाई की जाती है। अब, ये मजदूर जो इन एजेंटों के लिए काम करते हैं वे न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हैं। एजेंट उन्हें बताते हैं कि वे मालिक नहीं हैं और बीड़ियां उनके लिए तैयार नहीं की जाती हैं। इसके बाद जब मालिक से न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाती है तो मजदूरों को बताया जाता है कि तैयार बीड़ियां एजेंट प्राप्त करता है। मालिक ऐसी किसी भी बात की जानकारी को मना करते हैं कि एजेंटों द्वारा किसको नियुक्ति दी गई या उनके द्वारा कितना भुगतान किया गया। वे मामले में किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से मना करते हैं। इस तरह मजदूरों को मारा मारा फिरने के लिए बाध्य किया जाता है और न्यूनतम मजदूरी से वंचित किया जाता है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए मौजूदा कानून किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है। कमियों का लाभ उठाते हुए मालिक न्यायालयों में जाते हैं। हमने देखा है कि जब मालिक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाते हैं तो वे रोकादेश प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब गरीब मजदूर और श्रमिक अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हैं या न्यायालयों के दरवाजे खटखटाते हैं तो उन्हें रोकादेश नहीं मिलता है। हम जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका सामान्यरूप से गरीबों के हित पर ध्यान नहीं देती है। वे मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करती, वे मालिकों और समृद्ध लोगों के हितों की रक्षा करने की कोशिश करती है। महोदय, संसद हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है। यदि हम यहां बीड़ी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कुछ कानून पारित कर सकते हैं तभी बीड़ी मजदूरों की कठिनाइयों और परेशानियों को कुछ सीमा तक शांत किया जा सकता है।

महोदय, एक बीड़ी कल्याण अधिनियम है। सरकार बीड़ी उद्योग पर कर लगा कर बहुत बड़ी राशि वसूल करती है। इसके बाद, बीड़ी पर उपकर लगाया जाता है। सरकार इनके जरिए

भारी राशि इकट्ठा करती है। गत कुछ वर्षों में सरकार ने 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए बहुत ही थोड़ी सी राशि खर्च की गई है। संसद में बार बार प्रश्नों को उठाने के बाद, मंत्रियों की बार बार बैठकें होने के बाद कुछ स्थानों पर बीड़ी मजदूरों के लिए कुछ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। परन्तु यह प्रायः पाया जाता है कि बीड़ी मजदूरों के लिए स्थापित चिकित्सा केन्द्रों में जो दवाइयां सामान्यतः बीड़ी मजदूरों के लिए अपेक्षित होती हैं। वे अधिकतर उपलब्ध नहीं होती हैं। कुछ चिकित्सा केन्द्रों में डाक्टर भी नहीं हैं। जहां डाक्टरों को भेजा जाता है वे मजदूरों की भाषा को नहीं समझते हैं। यदि स्थानीय भाषा जानने वाले डाक्टरों को इस प्रकार के केन्द्रों में भेजा जाए तो मजदूर अपने रोग और समस्याओं को प्रभावी ढंग से स्पष्ट कर सकेंगे। परन्तु अधिकतर डाक्टर बाहर से आते हैं और मजदूरों की भाषा नहीं समझते हैं। इससे उचित इलाज में रुकावट होती है। इस प्रकार के केन्द्रों के लिए मंजूर की गई राशि में से मजदूर 3/4 महीने से अधिक के लिए औषधि प्राप्त नहीं करते हैं। यह देखा गया है कि लगभग 70 या 75 प्रतिशत बीड़ी मजदूर क्षयरोग से पीड़ित हैं। उनके कार्य करने के स्थान पर वातावरण और स्थिति इस प्रकार की होती है कि वे सामान्यतः क्षयरोग के शिकार हो जाते हैं। क्षयरोग अस्पातल खोलने के बारे में, मैं जानता हूं कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में एक क्षयरोग अस्पताल खोलने के लिए अश्वासन दिया था। उस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों ने संयुक्तरूप से एक जगह को भी चुन लिया है। परन्तु क्या माननीय मंत्री श्री संगमा जानते हैं कि चुने हुए स्थान पर अस्पताल की स्थापना करने की बजाय इसे दूसरे मंत्री श्री गनी खान चौधरी के निर्देश पर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। शायद वह अन्य स्थान की उपयुक्तता के बारे में भी नहीं जानते थे परंतु नींव वहां रखी गई थी। इस तरह अधिक उपयुक्त स्थान पर अस्पताल की स्थापना की बजाय जहां अधिकतम मजदूरों को लाभ होगा इसे सिर्फ मंत्री जी की इच्छा के कारण किसी अन्य अनुपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। यदि सरकार इन्हीं आधारों पर कार्य करती है तब उनके द्वारा बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए जो कुछ भी कदम उठाए जा रहे हैं उनका उन्हें पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पायेगा। पूरे देश में 40 लाख से भी अधिक बीड़ी मजदूर हैं। मद्रास, केरल आदि जैसे कुछ राज्यों में बीड़ी मजदूरों के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं जो बाहर के एजेंटों के अन्तर्गत कार्य करते हैं ताकि उन्हें न्यूनतम मजदूरी आदि दी जा सके। लेकिन अन्य राज्यों में, बीड़ी मजदूरों के लिए इस प्रकार का कोई राज्य कानून नहीं है। मौजूदा केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत भी मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बीड़ी मजदूरों के हित की सुरक्षा के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनायें और सभी राज्य सरकारों को भी इस बारे में कानून बनाने के लिए निर्देश दें। पूरे देश में बीड़ी मजदूरों में लगभग 50% महिला मजदूर हैं। 10/12 वर्ष के बच्चों की भी एक बड़ी संख्या बीड़ी बनाने में लगी हुई है। लेकिन यह देखा गया है कि महिला श्रमिक को पुरुष श्रमिक के बराबर 1000 बीड़ी बनाने पर बराबर का भुगतान नहीं किया जाता है। हम बराबर काम और बराबर वेतन आदि के बारे में बात करते हैं तब महिला श्रमिकों द्वारा 1000 बीड़ियां बनाने पर

उनको बराबर का वेतम क्यों नहीं दिया जाता इसकी जांच की जानी चाहिए। 6-7 वर्ष के इन छोटे बच्चों को जो बीड़ी बनाते हैं उनके कड़े परिश्रम के लिए उन्हें बहुत ही कम और नाममात्र राशि दी जाती है। उन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं इस सदन के दोनों तरफ के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वह बीड़ी श्रमिकों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक विधेयक लाये। लाखों गरीब लोगों की कठिनाइयों और रुकावटों को दूर करें। कम से कम उन्हें मजदूरी और परिचय पत्र दिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त कारखाने जहां वह काम करते हैं, उनमें आवश्यक रिकार्ड तथा रजिस्टर होने चाहिए। कारखानों में कार्य करने के लिए उचित वातावरण और श्रमिकों के लिए सुख सुविधाएं जैसे काम करने के लिए शेड, साफ पीने का पानी आदि होना चाहिए। कहीं भी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं फैक्टरी के मालिक व नियुक्तिकर्ताओं द्वारा बीड़ी श्रमिकों के लिए उचित व साफ वातावरण का अनुरोध करता हूं। जैसा कि पहले कहा गया है देश में 40 लाख से अधिक बीड़ी श्रमिक हैं, पश्चिम बंगाल में करीब 5 लाख श्रमिक हैं। अब सरकार उत्पाद शुल्क के रूप में बीड़ी उद्योग से न केवल अच्छी राशि ईकट्ठा करती है अपितु बीड़ी के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा की राशि भी कमा रही है। विदेशों में बीड़ियों की काफी मांगें हैं। सरकार को यह देखना चाहिए कि इस आमदनी के अच्छे हिस्से को बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च किया जाये और उन्हें औद्योगिक कर्मचारियों जैसे लाभ देने चाहिए जैसे नौकरी की सुरक्षा, राज्य बीमा योजना आदि।

अब श्रीमन मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक को सदन के समक्ष चर्चा के लिए रखता हूं।

* **डा० फूल रेणू गुहा (कन्टई)**: सभापति महोदय, आरम्भ में ही मैं इस विधेयक के उद्देश्य और उसके पीछे भावना का स्वागत करता हूं। यह विधेयक हमारे देश के गरीब बीड़ी श्रमिकों के लाभ के लिए मेरे परमप्रिय मित्र द्वारा लाया गया है। अब मैं इस विधेयक पर कुछ कहना चाहूंगा। अपने माननीय मित्र से, जिन्होंने यह विधेयक पेश किया है, मेरा अनुरोध है कि वह इसे सदन में पारित करने की कोशिश न करें। उन्हें सरकार को बीड़ी कर्मचारियों के लाभ के लिए व्यापक विधेयक लाना चाहिए हम भी उनका समर्थन करेंगे और इस संबंध में सरकार पर दबाव डालेंगे। मैं मानता हूं कि इस विधेयक में कुछ अच्छे प्रावधान हैं, लेकिन लाइसेंसों का इस विधेयक में उल्लेख किया गया है। मकानों के बारे में भी इस विधेयक में उल्लेख है। अगर इन उपबन्धों को पास किया जाता है तब महिला श्रमिकों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा अधिकांश को नौकरी छोड़नी होगी। अब इन बीड़ियों को औरतें व आदमी घर पर बनाते हैं। लेकिन मैं विशेष रूप से औरतों के बारे में बात कर रहा हूं। औरतें अधिकतर अपने घरों पर ही बीड़ियां बनाती हैं। अगर सभी महिलाओं को एक विशेष स्थान व कमरे में आना पड़ेगा तब उनके बच्चों की देखभाल कीसमस्या आयेगी। इसीलिये इस विधेयक में 'लाइसेंस' आदि दिए जाने का उल्लेख है। यही नहीं उनमें से बहुत सी महिलाओं को कठिनाई के कारण अपना काम छोड़ना पड़ेगा। अब महिला व पुरुष दोनों अपने घर सामग्री ले जाकर बीड़ी बनाते हैं। इस बीड़ी उद्योग में कुटीर उद्योग के तत्व भी हैं इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।

* मूलतः बंगला में दिए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यहां हम कुटीर व उद्योग दोनों का संश्लेषण पाते हैं। आपमें से बहुत से लोगों ने महिलाओं, पुरुषों व बच्चों को गांव में सड़क के किनारे, पेड़ के नीचे बीड़ी बनाते हुए अवश्य देखा होगा। यह बीड़ी बनाने वालों का मुख्य उद्देश्य जीविका कमाना है।

विधेयक लाने वालों ने विधेयक में उल्लेख किया है कि बीड़ी श्रमिकों को उचित भुगतान आदि नहीं किया जाता यह सब सच है। बराबर काम बराबर वेतन की कहावत बीड़ी श्रमिकों पर चरितार्थ नहीं होती। महिला बीड़ी श्रमिकों को कहीं भी उनके कार्य के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता। सभापति महोदय, यह कितना हास्यास्पद है। पुरुष श्रमिक को 1000 बीड़ी बनाने पर एक रेट पर मजदूरी दी जाती है और महिला श्रमिकों को दूसरी। यह वास्तव में हो रहा है।

दूसरी बात पर आता हूं। मैं देश के उन स्थानों पर भी गया हूं जहां पर बीड़ी बनाई जाती है। उन 5-6 वर्ष के बच्चों की तस्वीर आंखों के सामने आती है जो दिनभर छोटे, गंदे और भीड़ वाले कमरों में बैठकर दिनभर बीड़ी बनाते हैं। ये कोमल बच्चे घुटन भरे कमरों में सुबह से रात देर तक बीड़ी लपेटने के अलावा जिन्दगी में और कुछ नहीं जानते। जब आप इस दयनीय स्थिति को देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जायेंगे। यह बीड़ी बनाने वालों की स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूं कि बीड़ी बनाने वालों के लिए एक व्यापक विधेयक लाना आवश्यक है। इस प्रकार का टूटा-फूटा विधेयक कुछ लोगों को लाभ पहुंचाता है। लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता है और हानि आदि को झेलना पड़ता है। इसलिए मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा कि हमें इन बीड़ी बनाने और परिश्रम करने वालों की समस्याओं पर अवश्य चर्चा करनी चाहिए और इस विधेयक, के माध्यम से इन पर ध्यान देना चाहिए और अन्त में स्वीकृति देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसके विपरीत उन्हें सरकार को इस विषय में व्यापक विधेयक लाने के लिए कहना चाहिए। हम भी सरकार से इसका अनुरोध करेंगे। इस समस्या पर दोनों तरफ के सदस्यों की एक राय है हम भी इसका समर्थन करते हैं। हम सब सरकार से बीड़ी श्रमिकों के लिए एक व्यापक विधेयक लाने के लिए कहेंगे। इस व्यापक विधेयक में सभी बीड़ी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का प्रावधान शामिल होना चाहिए। बराबर कार्य बराबर वेतन, यह सिद्धांत पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए होना चाहिए। अगर बच्चे बीड़ी बनाने का काम करते हैं तो उनके काम के घंटे सीमित होने चाहिएं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि बाल श्रमिक को रोका गया तो बहुत से बच्चे भूखे मर जायेंगे। यह सच्चाई है। फिर भी उनकी स्थिति व काम के घंटों को सीमित करने के लिए एक विधेयक लाने की आवश्यकता है जो बच्चे बीड़ी बनाते हैं उनके काम के घंटे सीमित हों और उन्हें उचित शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी चाहिए। बीड़ी बनाने वालों के लिए कहीं भी चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं जब वह बीमार होते हैं तो उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है और बिना दवाइयों के काम करना पड़ता है।

यह बात सब जानते हैं कि बीड़ी बनाने वाले अधिकतर लोग तपेदिक के शिकार हो जाते हैं, उनमें से भी बच्चों व महिलाओं की संख्या अधिक है। जो भी बीमार हों उनके लिए विधेयक में उचित दवाइयों व चिकित्सा आदि का प्रावधान होना चाहिए।

अन्त में, मैं कहूंगा कि बीड़ी बनाने के काम को केवल उद्योग नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि आज भी बीड़ी बनाने के काम को एक कुटीर उद्योग की भांति चलाया जाता है । अगर हम इसे पूरी तरह उद्योग मान लेंगे तब कुटीर उद्योग के लाभ इसे प्राप्त नहीं होंगे और कई लोगों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी । इस कुटीर उद्योग और उद्योग का समन्वय मानना चाहिए । कुटीर व उद्योग में समन्वय करना पड़ेगा । उनमें समन्वय कैसे करना है यह कानूनी विशेषज्ञ ही बता सकते हैं । मैं नहीं बता सकता । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि बीड़ी श्रमिकों के लिए व्यापक विधेयक लाना आवश्यक है जिसमें न्यूनतम मजदूरी, बराबर, कार्य के लिए बराबर वेतन, चिकित्सा सुविधाएं, कार्यशील महिलाओं के लिए बालगृह आदि के बारे में प्रावधान हों ।

एक बार फिर मैं इस विधेयक में निहित भावना और उसके उद्देश्य का समर्थन करता हूं । इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : श्रीमान्, जहां तक बीड़ी तथा सिगार उद्योग में कार्यरत श्रमिकों का संबंध है, इस उद्योग की श्रम मंत्रालय द्वारा पूर्ण विश्लेषण की आवश्यकता है । विधेयक प्रस्तुत करने वाले का यह कहना है कि यह उद्योग लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार देता है । फिर भी, ये लोग असंगठित हैं । अगर वे संगठित होते तो वर्गीकरण भिन्न होगा । इस उद्योग में कोई एकरूपता नहीं है क्योंकि यह उद्योग सारे देश में फैला हुआ है । इसलिए श्रम मंत्रालय तथा सरकार का भी यह देखने का फर्ज है कि श्रमिक एक विधिवद्ध कानून के तहत आयें । सिर्फ यह ही नहीं । जो कुछ पहले यहां कहा गया है उसके अतिरिक्त, मैं कुछ ओर बातें कहना चाहूंगा ।

अगर आप इस उद्योग की तरफ ध्यान दें, तो यह देखा जा सकता है कि जो बीड़ी बनाने के कार्य में लगे हुए हैं वे एक वर्ग के तहत आते हैं । यहां पर एक और वर्ग भी है, जो पेड़ों से बीड़ी की पत्तियां इक्कठे करते हुए, जंगलों में काम करता है । इन लोगों को न तो किसी कानून के तहत लिया गया है और न ही कोई संरक्षण दिया गया है । जहां तक उनकी मजदूरी इत्यादि का संबंध है किसी भी विधान में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । ये वे लोग हैं जो बीड़ी की पत्तियां इक्कट्ठी करते हैं और फिर पत्तियों को बेचने के लिए दलालों के पास जाते हैं । उनको इतनी मजदूरी मिलती हैं जो जीवन-निर्वाह की आवश्यकता से बहुत कम है । और ज्यादातर, ये लोग हरिजन और आदिवासी होते हैं । इस वर्ग में, लाखों लोग कार्य पर लगे हुए हैं ।

बीड़ी उद्योग में जो दूसरी प्रकार के मजदूर हैं वे तम्बाकू की खेती में काम करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो तीन प्रकार के श्रमिक हैं इनको एक ही श्रेणी में रखा जाना चाहिये—(1) वे जो तम्बाकू की खेती और तम्बाकू बनाने का काम करते हैं, जिसे बीड़ी उद्योग का हिस्सा बनाया गया है; (2) वे लोग जो पत्तियां इकट्ठी करते हैं और निर्माताओं को देते हैं; (3) वे जो निर्माण प्रक्रियाओं में लगे हुये हैं । इसलिये जब एक विधेयक का उद्देश्य इन मजदूरों की सेवा शर्तों, आजीविका तथा मजदूरी को नियमित करना है, तो इन तीनों को एक ही श्रेणी में रखा जाना चाहिये । इसका अध्ययन करना पड़ेगा, और इन सभी श्रेणियों का वर्गीकरण तथा उनको पर्याप्त संरक्षण देना होगा ।

निस्सन्देह, बीड़ी निर्माण प्रक्रियाओं में अब तक निश्चित प्रयोग हुये हैं। केरल में, इस क्षेत्र में लाखों लोग—औरतें और बच्चे कार्य कर रहे हैं। वहां ऐसे लोग भी हैं जो अपने घरों और दुकानों में स्व-रोजगार भी पाते हैं। इसमें कई प्रकार की श्रेणियां हैं। वहां पर केरल दिनेश सहकारी समिति के नाम से अच्छी तरह संगठित एक सहकारी समिति है, जिस पर मजदूरों का स्वामित्व है और वे ही इसे चलाते हैं। इस समिति में हजारों मजदूर लगे हुये हैं। और अपनी आजीविका कमा रहे हैं, यह एक तजुर्बा है। यह सहकारी समिति सरकार द्वारा प्रायोजित समिति है जिसमें सरकार भी भागीदार है। यह गैर-सरकारी व्यक्तियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है।

गैर-सरकारी व्यक्ति जो इन संगठनों को चलाते हैं केरल के क्षेत्राधिकार से बाहर चले जाते हैं, अन्य राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में बीड़ी बनाते हैं, वे मजदूरों को किराये पर लेते हैं और उनको अपने घरों में बीड़ी बनाने के लिए सुविधायें देते हैं, बीड़ियों को इकट्ठा करके सहकारी समितियों के साथ प्रतियोगिता में बेचने के लिए लाते हैं। इस प्रकार यह सहकारी और संगठित क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है। स्वभावतः निजी क्षेत्र में हेरा-फेरी और दूसरी हरकतें बहुत ज्यादा हैं। उनमें यह सब चल सकता है। स्वरोजगार के नाम में तथा कार्य दर के आधार पर, वे बीड़ियां कम लागत पर बना सकते हैं, जबकि सहकारी समितियां शायद ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें कानून और नियमों का पालन करना होता है। वे श्रमिकों को बोनस, ई. एस. आई. तथा दूसरे लाभ देते हैं। इस प्रकार वे उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं जो कानून का पालन नहीं करते। इसलिए, गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा इस शोषण को रोकने के लिए एक कानून होना चाहिए। जो कोई भी इस कार्य में लगा हुआ है, चाहे वह एक गैर सरकारी व्यक्ति हो, या एक सहकारी समिति हो, या कोई सरकारी संस्था हो, सभी को समान रूप से एक कानून के तहत लाया जाना चाहिए। यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। जहां सहकारी उद्यम आगे आते हैं, सरकार को उनको बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने चाहिए।

स्वभावतः जो लोग सहकारी समितियां बनाते हैं उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अन्ततः एक समय ऐसा आता है जब सहकारी समितियों के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो जाता है क्योंकि इस उद्योग में वे प्रतिस्पर्धा तथा दूसरी कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकती इसका क्या हल हो सकता है ?

इस उद्योग के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किए गए हैं; और कोई ऐसे विनियम नहीं हैं जो उन पर लागू हो सकें। इसलिए, ये उद्योग देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जा में रहे हैं। वे स्थानान्तरण कर रहे हैं। यह भी एक समस्या है। अन्ततः इससे मजदूरों के हितों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब वे ज्यादा मंजूरी की मांग करते हैं तो उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। इससे कैसे बचा जा सकता है ? इससे केवल उचित जीवन-निर्वाह मजदूरी देकर बचा जा सकता है, चाहे यह केरल हो, कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो। यह ऐसा क्षेत्र है जिसे मैं स्वयं जानता हूं कि जहां मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं; और जो बीड़ियां तमिलनाडु सीमा पर बनती हैं यह केरल में भी भेजी जा सकती हैं। अगर वे वहां बिक सकती हैं। इस स्थिति से सिर्फ केन्द्रीय विधान के द्वारा बचाया जा सकता है, अर्थात इस सम्बन्ध में आवश्यक संरक्षण प्रदाम करके।

इस संबंध में, मैं एक अन्य पहलू का भी उल्लेख करूंगा, अर्थात इन मजदूरों द्वारा निर्मित बीड़ियां विदेशों में लोगों को आकर्षित करती हैं। यह एक निर्यात करने योग्य मद है। इनका पहले से ही निर्यात किया जा रहा है। वास्तव में, आजकल भारतीय बीड़ियां यूरोप के लोगों को बहुत पसन्द हैं। वे इन बीड़ियों को चाहते हैं। वे इन्हें खाकी सिगरेट कहते हैं। इस भारतीय तम्बाकू को पाने के लिए वहां एक उन्माद-सा है। इसलिए यदि ईमानदारी से प्रयत्न किया जाय तो काफी व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है और उनकी सेवा-शर्तों तथा जीवन-निर्वाह हालातों को भी नियमित किया जा सकता है।

मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस उद्योग की कुछ और भी समस्याएं हैं, जो सन् 1957 में हमारे दल के श्री ए० के० गोपालन द्वारा इस सदन के ध्यान में लाई गई थीं। श्री गोपालन श्रमिक वर्ग के हितों के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे थे।

6.00 म० प०

सभापति महोदय : कृपया आप अपना भाषण यहीं बंद कर दें। आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। अब आधे घंटे की बहस होगी।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं आपके माध्यम माननीय सदस्य तथा सदन से निवेदन करता हूं कि आधे घंटे की चर्चा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाये।

सभापति महोदय : क्या सदन इस बात की स्वीकृति देता है कि हम आधे घंटे की बहस सोमवार के लिए स्थगित कर दें?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : ठीक है, हम इसे सोमवार को लेंगे **(व्यवधान)** मुझे अभी-अभी बताया गया है कि सोमवार को आधे घंटे की एक दूसरी बहस है।

श्री गुलाम नबी आजाद : उस हालत में, हम इसे मंगलवार को ले सकते हैं या हम तारीख बाद में निश्चित कर लेंगे।

सभापति महोदय : हम आधे-घंटे की चर्चा के सम्बन्ध में तारीख का फैसला बाद में करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : हां।

सभापति महोदय : सदन सोमवार 7 अप्रैल, 1986 के 11 बजे तक के लिए स्थगित होता है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा सोमवार 7 अप्रैल 1986/17 चैत्र 1908 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : ए० जे० प्रिंटर्स, 5, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002